

नवयुवकों से

नवयुवकों से

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली-७

क. १. २. ३.
सन्मार्ग प्रकाशन
१६ यू० बी बंगलो रोड दिल्ली-७

© Indian Literary Institute, Lucknow.

प्रथम सम्करण १९७२

मूल्य आठ रूपए

अनुवादक : विष्णुभरताथ त्रिपाठी

क्रम

१ चरित्र ही राष्ट्र को महान् बनाता है	७
२ नायमात्मा बलहीनेन लभ्य	११
३. आत्मिक शक्ति को जगाओ	२०
४ शिक्षण-वृत्ति व्यापार नहीं मिशन है	२६
५ बुराई को भलाई से जीतो	२९
६ कृषको को भी ज्ञान ज्योति दिखाइए	३५
७ साहित्य अकादमी का कर्तव्य	३९
८. धर्म का मानव-जीवन में स्थान	४६
९ मानव के प्रति प्राचीन एशियाई दृष्टिकोण	५०
१० आध्यात्मिक चेतना जगाना आवश्यक	६२
११ कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का मूलाधार	६४
१२ भूदान से देश का नैतिक पुनरुद्भव	६९
१३ धर्म का जाति व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं	७३
१४. अनुशासनहीनता के लिए छात्र उत्तरदायी नहीं	७९
१५ सर्वे भवन्तु सुखिन	८८
१६. शिक्षित ही नहीं सुसंस्कृत भी बने	९१
१७ ससदीय लोकतंत्र	९४
१८ देश की एकता न टूटने पाए	१०९
१९ युग की चुनौति स्वीकार करो	११७
२०. नाटक और नाटककार	१२५
२१. विज्ञान की विनाशक शक्ति से मानव जाति कैसे बचे ?	१३२
२२. व्यक्ति की स्वतन्त्रता पवित्र है	१३८
२३. हमारा वर्तमान सकट और हमारा कर्तव्य	१४५

२४. शान्ति का आधार मदभावना है	१५४
२५. विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं है	१६६
२६. चिन्तन मनन करो	१७२
२७. संस्कृत साहित्य का अध्ययन क्यों	१७५
२८. अतीत को मत भूलो भविष्य को देखो	१८०
२९. सभी धर्मों का सम्मान	१९३
३०. लोकतंत्र और शिक्षा	२०१
३१. नारी को पूर्ण विकास की स्वतंत्रता हो	२०३
३२. ईशावास्यमिदं सर्वम्	२०५
३३. भूदान एक क्रान्तिकारी आन्दोलन	२०७

चरित्र ही राष्ट्र को महान् बनाता है*१

आज, जिन छात्रों ने कठोर परिश्रम के फलस्वरूप अपने स्नातक-पत्र प्राप्त किये हैं, उनको बधाई देना मैं अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे भविष्य में भी अपने उन गुणों को अपनाये रहे जिनका प्रदर्शन उन्होंने अपने विश्वविद्यालयीय जीवन में किया है। मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

यदि मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि भावी जीवन में आपको चमकते हुए पारितोषिक और सुविधाप्रद पद प्राप्त होंगे, तो मैं आपके प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी अन्याय करूँगा। हमारे आगे जो समय आ रहा है, वह बहुत कठिनाई का है। अन्य देशों में जो आन्दोलन शताब्दियों की अवधि में हुए, वे सभी हमारे देश में न्यूनाधिक रूप से, एक साथ हो चुके हैं। यूरोप के सांस्कृतिक पुनर्जागरण (रैनेसा), धर्म-सुधार-आन्दोलन (रेफॉर्मेशन), औद्योगिक क्रान्ति या राजनीतिक क्रान्ति जैसी एक नहीं—ये समस्त हमारे देश में इन कुछ ही वर्षों में अवतरित हो चुकी हैं। हमें राजनीतिक स्वाधीनता तो प्राप्त हो गयी है, परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता भी मिल चुकी है। यदि इस प्रथम चरण को इस महान् देश की मुक्ति की प्रस्तावना बनाना है तो हमें अभी बहुत सारी चीजें करनी होंगी। यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्रान्ति

*कनाडिक विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण—२६ अक्टूबर, १९५३ ई०।

के पञ्चान् नामाजिक और आर्थिक क्रांति भी हो, तो वह आवश्यक है कि हमारे विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों, शिल्पियों, इंजीनियरों और कृषिशास्त्रियों आदि के दल के दल प्रशिक्षित करके भेजे। अपने देश का कायापलट करने के लिए, अपने समाज के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए इन लोगों की अत्यन्त आवश्यकता है। कई अन्य देश, जो ससार में बहुत उन्नतिशील देश माने जाते हैं, यद्यपि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति कर चुके हैं, तथापि वे आन्तरिक कलह से छिन्न-भिन्न हो रहे हैं और अपनी जनता को शान्ति, अभय तथा सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसमें केवल यही प्रकट होता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित गुणों के अतिरिक्त भी अन्य गुण आवश्यक हैं।

अभी-अभी एक छात्र को विज्ञान में 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' (पी० एच० डी०) की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। इससे प्रकट है कि विज्ञान भी दर्शन-शास्त्र की एक शाखा माना जाता है। विश्वविद्यालयों का कार्य प्राविधिक दृष्टि से कुशल और व्यावसायिक रूप से उपयोग्य व्यक्तियों को भेजते रहना ही नहीं है, वरन् उनका तो कर्तव्य यह है कि वे अपने छात्रों में दयालुता का गुण उत्पन्न करें। इसी गुण के कारण लोग परस्पर सच्ची लोकतांत्रिक भावना से व्यवहार करने में समर्थ हो सकते हैं। हमारे घर्म प्रारम्भ से ही पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव प्राणी देवी शक्ति का एक स्फुरलिंग है। उपनिषदों का कथन है—'तत् त्वम् अग्नि' (वह तुम हो)। बौद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में देवी शक्ति की चिनगारी है और वह 'बोधिसत्त्व' बन सकता है। ये उद्धोषणाएँ अपने-आप में पर्याप्त नहीं हैं। जब तक ये सिद्धान्त सविधान के वाक्यान्वय मात्र हैं और जन-जन के जीवन में व्यवहृत नहीं होते, तब तक हम अपने निर्धारित आदर्शों से बहुत दूर हैं। लोगों के हृदयों और मनो में परिवर्तन करना आवश्यक है। हमें केवल राजनीतिक अर्थ में ही लोकात्मिक बनने की चेष्टा नहीं करनी है, वरन् नामाजिक और आर्थिक अर्थ में भी। दर्शन और घर्म शास्त्र महित ललित साहित्यों के समुच्चयन द्वारा लोगों में यह लोकतांत्रिक परिवर्तन, यह लोकतांत्रिक नीति और इस प्रकार का दृष्टिकोण लाना आवश्यक है। एक उत्कृष्ट

श्लोक है जिसका भावार्थ यह है कि इस ससार रूपी विष-वृक्ष में दो फल अतुलनीय महत्त्व के हैं, वे हैं—सद्ग्रन्थों का आनन्द और सज्जनों का साहचर्य । यदि आप महान् साहित्य के फलों का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उनको पढ़ें; परन्तु पढ़ें ऐसे नहीं, जैसे आप क्रिकेट के वृत्तान्त पढ़ते हैं, वरन् उनको एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए । हमारी यह पीढ़ी इतनी द्रुत गति से यात्रा कर रही है कि उसके पास महान् ग्रन्थों को पढ़ने का अवकाश नहीं है और इसीलिए वह अपने देश के प्रचीन साहित्यग्रन्थों से प्रभावित होने की आदत खो चुकी है । किन्तु, अपने सविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप हमारे मानसिक स्वभाव और व्यावहारिक आदर्श तभी ढल सकते हैं, ये सिद्धान्त व्यक्ति के चरित्र और समाज की प्रकृति में परिवर्तन करने में तभी समर्थ हो सकते हैं, जब हम महान् साहित्यिक ग्रन्थों, दर्शन और धर्म का अध्ययन करें । इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं हैं । अतएव, यद्यपि अपने देश को महान् वैज्ञानिकों, महान् प्रौद्योगिकों और महान् इंजीनियरों की आवश्यकता है, तथापि उनको ललित साहित्य का अध्येता बनाने में हमें उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए । विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्त्व स्वीकार करते हुए, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही सब कुछ नहीं है । हमें यह प्रमिद्ध कथन विस्मृत नहीं करना चाहिए कि दया-कारुण्य के विकास के बिना कोरा पाण्डित्य हमें पैशाचिक बना देता है । अतः कोई विश्वविद्यालय अपने को तब तक सच्चा विश्वविद्यालय नहीं समझ सकता, जब तक वह ऐसे युवकों और युवतियों को प्रशिक्षित करके न भेजे, जो न केवल विद्वान् हों, वरन् जिनके हृदय पीडित मानवता के प्रति करुणा से पूर्ण हों । यह हुए बिना, विश्वविद्यालयीय शिक्षा को अपूर्ण ही समझना चाहिये ।

मैं अपने लगभग समस्त वयस्क जीवन में—चालीस वर्षों से भी अधिक तक, शिक्षक रहा हूँ । मैं विद्यार्थियों के साथ रह चुका हूँ, और मुझे यह देखकर गहरा आघात लगता है कि कुछ विद्यार्थी अपने विश्व-विद्यालय-जीवन के बहुमूल्य वर्षों को व्यर्थ गवा देते हैं । मैं यह नहीं कहता कि सभी विद्यार्थी ऐसा करते हैं । अध्यापकों और विद्यार्थियों का

तो एक परिवार होता है, और परिवार में श्रमिक-सघ की भावना से काम नहीं चलता। किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बात हो, यह तो भोला भी नहीं जा सकता। विश्वविद्यालय का जीवन अध्यापकों और विद्यार्थियों की सहकारिता पर आश्रित होता है, मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी समाज-विरोधी कार्य करके अपने प्रति कुसेवा नहीं करेंगे।

चरित्र ही प्रारब्ध है। चरित्र से ही किसी राष्ट्र के प्रारब्ध का निर्माण होना है। होन चरित्र व्यक्तियों में कोई राष्ट्र महान् नहीं बनता। यदि हम अपने राष्ट्र को महान् बनाना चाहते हैं, तो हमें बड़ी संख्या में चरित्रवान् युवकों और युवतियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हमारे युवक और युवतियाँ ऐसी हों, जो (जैसा कि हमारे शास्त्रों ने बहुधा कहा है) अन्यो को अपनी जीवन्त प्रतिमूर्ति समझे। किन्तु, यदि हम चारित्रिक दृष्टि से हीन हों, तो चाहे मात्रांजनिक जीवन हा, चाहे विद्यार्थी जीवन, हम उच्च कोटि की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जब हमारे पैरों के नीचे की धरती धसक रही हो, तब हम पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। जब हमारी मरजना का मूलाधार ही डूँबाडोल हो, तब हम अपने उच्चादर्शों तक पहुँच भी कैसे सकते हैं? हम सबको विनम्र होना चाहिए। इस देश का निर्माण में हमारी-आपकी सबकी रुचि है। हम जिस किसी भी सेवा में नियोजित हों, हमें यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या वेतन पाने । हमारे लिए तो केवल यही ज्ञातव्य है कि हम उस सेवा को कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारे युवकों और युवतियों को वन उन्नी शिक्षान्त्र में अनुप्राणित होना चाहिए। हमारा देश एक महान् देश है। अन्तर्गत तब हमारा इतिहास महान् रहा है। समस्त पौराणिक देशों में हमारी सभ्यता प्रतिबिम्बित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के समय में भान्ण ने समार की जो कुछ सिखाया, आज हमें उन सभ्यता प्रतिनिधि बनना है। परन्तु सामने हो, या अन्तरराष्ट्रीय मामले, हमें धातुरण के रणिय मानकों का पालन करना चाहिए। जो युवक और युवतियाँ आज उन विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रही हैं, उनको भेग परमर्श है : भारत माना तुममें आना रसती है कि तुम्हारे जीवन स्वच्छ हो श्रेष्ठ हो और निम्नार्थ कार्य के निमित्त समर्पित हो।

‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः’*

दीक्षान्त भाषणकर्त्ता का यह विशेषाधिकार होता है कि वह उन लोगो को बधाई दे, जिन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासित प्रयास के फलस्वरूप स्नातकीय उपाधियाँ और विशिष्टतासूचक पदक प्राप्त किए हैं। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। मैं बहुत चाहता हूँ कि मन और चरित्र की जिन शक्तियों से आपको विश्वविद्यालय के अपने अध्ययन में सहायता मिली है, वे आपको विशालतर जीवन में भी, जिसमें आप प्रवेग कर रहे हैं, आपका साथ देती रहे।

हम आपको यह आशा नहीं बँधा सकते कि भावी जीवन में आपको चमकीले पारितोषिक या सुविधाप्रद पद प्राप्त ही होंगे, किन्तु इतना हम कहेंगे कि विनम्र कार्य और रचनात्मक सेवा के लिए आपको अवसरो की कभी कोई कमी न रहेगी। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे युवको में वह उत्साह की भावना, वह शक्ति का प्रवाह, वह उत्साह-उमंग नहीं पाई जाती, जो महान् मुक्ति-आन्दोलनों की एक विशेषता होती है। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महान् उद्देश्य की प्रेरणा हममें निःशेष हो चुकी है। हम लोगो में से कई यह नहीं समझ पा रहे कि ससार में हमारी स्थिति में कितना मौलिक परिवर्तन हो गया है। सत्ता-हस्तान्तरण के समय हमारे कई आलोचक यह सोचते थे कि विभाजन के कुप्रभावों से हम नहीं उबरेगें, हमारा देश टुक-टुक हो

* दिल्ली विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण—५ दिसम्बर, १९५३ ई०।

जाएगा, हमारा प्रशासन अव्यवस्थित हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, जोधन और संपत्ति अनुरक्षित हो जाएंगी। किन्तु, ये सभी आलोचक वास्तविक परिणामों को देखकर चकित रह गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय जगत में हमारी स्थिति अभी छ या सात वर्ष की ही है, किन्तु अपनी सत्य-शीलता, स्वतंत्रता और गान्धिप्रियता के कारण हमें उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन देश में पधारे हुए, एक सम्मान्य दर्शक के कथन की स्मृति आपको दिलाना चाहता हू। उसने कहा था—‘भारत किसी बाह्यशक्ति के दबाव या डर के सामने घुटने टेकने की अपेक्षा मर जाना या आत्महत्या करना अधिक पसन्द करेगा।’ ऐसा हो अथवा न हो, इतना तो है ही कि हमने अन्य राष्ट्रों से सम्मान प्राप्त किया है। परन्तु, हमने जो कुछ किया है, वह अभी विशाल अवशिष्ट कार्य की तुलना में प्रत्यन्त अल्प है। राजनीतिक स्वतंत्रता ने एक ऐसे नवीन भारत के निर्माण का महान् अवसर तथा पवित्र उत्तरदायित्व हमको प्रदान किया है, जो अभावग्रस्तता और रोग ने मुक्त होगा, जो नवर्ष और अमवर्ष के अभिजाप से छूट चुका होगा, जहाँ महिलाएँ पुरुषों के साथ समानाधिकार का उपभोग करेंगी, और जहाँ हम शेष ससार के साथ गान्धिपूर्वक रहेंगे। उस प्रकार के भारत की प्रेरणा आपके आगामी कार्यों में आपके पैर उखलने नहीं देगी।

हम मानव-इतिहास के एक महान् क्रान्तिकारी काल में रह रहे हैं। सभार के अन्य भागों में जो क्रान्तिकारी आन्दोलन कई सदियों की अवधि में हुए, वे हमारे देश में कुछ थोड़े-से वर्षों में सकेन्द्रित हो गये हैं। हमें राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक—बहुपक्षीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निदान ही वह नाथन है जिनके द्वारा युवकों को उप सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के निमित्त कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। जो राष्ट्र युग की नवीन प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक नहीं रहते, उनकी गणना पिछड़े राष्ट्रों में होने लगती है।

हमारे देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है, उसके कारण वैज्ञानिकों, विद्वानों और उद्योगिकों की बड़ी संख्या में माँग हो रही है। हमारे विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कक्षाओं में प्रवेष्टियों की तो आठ-गो आ गट्टे हैं, वह स्वाभाविक है। इन व्यावहारिक

पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि और औद्योगिक उत्पादनों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। उनको सरलता से जीविका प्राप्त होने की भी आशा रहती है। छात्रों को जीविकोपार्जन में सहायता करना भी शिक्षा का एक प्रकार्य है ('अर्थकरी च विद्या')।

मैं नहीं मानता कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अध्ययन नैतिक मूल्यों से रहित होते हैं। विज्ञान ज्ञान भी है और शक्ति भी। इसमें रुचि के साथ-साथ उपयोगिता भी है। यह ज्ञानवर्द्धक भी है और फलप्रद भी। यह सत्यान्वेषण के लिए अनुशासित निष्ठा की अपेक्षा रखता है। यह अपने उपासकों में सहनशीलता, उदारशयता, पूर्वाग्रह-मुक्तता और नवीन विचारों के प्रति ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति विकसित करता है। विज्ञान हमारे सम्मुख विश्व की अखूट समृद्धि, इसकी आकस्मिकता और इसकी अद्भुतता का रहस्योद्घाटन कर देता है।

तो भी, विज्ञान मनुष्य में इन गुणों का विकास आनुषंगिक रूप से करता है, तात्कालिक रूप से नहीं। मानव-प्रकृति के अबौद्धिक पक्ष से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं होता। उत्पादन और उपभोग में सलग्न आर्थिक मनुष्य, बौद्धिक मनुष्य और वैज्ञानिक मनुष्य—इनमें से कोई भी पूर्ण मनुष्य नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो अननुपातिक बल दिया जा रहा है, वह समस्त ससार के मननशील व्यक्तियों की चिन्ता का विषय बन गया है। आज सभ्यता के विरुद्ध जघन्य अपराध असभ्य और अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर रहे, वरन् उनको करने वाले हैं उच्च शिक्षा-प्राप्त और तथाकथित सभ्य व्यक्ति। यहाँ वह उक्ति स्मरण हो आती है कि अत्यन्त प्रमार्जित (polished) इस्पात और मण्डूर (मूर्चा) में जितनी दूरी है, उससे अधिक दूरी सभ्यतम राज्य और वर्चस्व में नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब ऐसे साधन खोज निकाले हैं जिनसे इस ग्रह पर से मानव प्राणियों का नाम-निशान तक मिटाया जा सकता है। विश्व के नेताओं के सम्मुख आज जितनी समस्याएँ विचारणीय हैं, उनमें से कोई भी इतने गभीरतर परिणाम वाली नहीं है जितनी यह समस्या कि मानव जाति को निर्मूल होने से कैसे बचाया जाए। एक ओर तो हम आणविक युग की प्राणहर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर, विज्ञान की उप-

लक्ष्मियो ने हमारे मन में नैराश्रय की भावना भर दी है और हम एक अन्ध-अन्ध में फंसे, गृहहीन निर्वाणितों की तरह अपने को असहाय अनुभव कर रहे हैं। हम अतलगत के कगार पर खड़े हैं या संभवतः उसकी ओर सरकते भी जा रहे हैं। इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ने हाल ही में अपने एक भाषण में यह विचार प्रकट किया था—“हम और समस्त राष्ट्र मानव-इतिहास की इन घड़ी में महान् संकट और अपरिमित लाभ के सिंहासनों पर खड़े हैं। हमारा विश्वास है कि ईश्वर की दया से हम सही वस्तु का चुनाव करेंगे, और उस दशा में, इन साधनों का सर्वनायककारी होना मानव मन को अकथनीय सुरक्षा प्रदान कर सकेगा।” सही वस्तु का चुनाव करने के लिए हृदय और बुद्धि के संस्कार की आवश्यकता होती है। विनाश और संकट में बचाव वैज्ञानिक विचारों तथा भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करता, यह निर्भर करता है नर-नारियों की समझदारी पर, उनके विचारों पर और नम्र समाज के नैतिक निर्णयों पर। यदि हम सही मार्ग अपनाते हैं, तो विज्ञान की उपलब्धियाँ हमें इतनी भौतिक सम्पदा और इतना प्रचुर अवकाश उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगी, जितना मानव-इतिहास में इससे पूर्व कभी संभव नहीं हो पाया। यह सब तभी संभव हो पाएगा जब हम उन आन्तरिक आग्रहों, आवेशों में आन्तिका कर डालें जिनका हम पर नियंत्रण है।

पत्यं सतोपप्रद निदा-पद्धति का उद्देश्य व्यक्ति का मनुलित विज्ञान होना चाहिए और उसे ज्ञान (knowledge) एवं प्रज्ञा (wisdom) दोनों के विकास का आग्रह होना चाहिए—(‘ज्ञान विज्ञानसहितम्’)। वह केवल बुद्धि को प्रशिक्षित न करे, वरन् हृदय को भी उदात्त भावों में भरे। नाहित्य, दर्शन और धर्म के अध्ययन से प्रज्ञा का विकास अधिक सरलता में होता है। वे विश्व के उच्चतर सिद्धान्तों का भाष्य उपस्थित करते हैं। यदि हमारे पास सामान्य जीवन-दर्शन या दृष्टिकोण का अभाव हो, तो हमें मतिभ्रम हो जाएगा और हम लोभ, भोगिता, चिन्ता और नैराश्रय के शिकार हो जाएंगे। मानव जाति के लिए भौतिक गन्दी बस्तियों की अंगुष्ठा मानसिक गन्दी बस्तियाँ (slums) अधिक भयावह हैं।

प्रायः हमारे समार में स्वतंत्र चिन्तना को प्रोत्साहित नहीं किया

जाता । जब हम सिनेमा देखते होने हैं तब दृश्य और क्रिया-परिवर्तन से सगति रखने के लिए हम बहुत शीघ्रता से सोचते हैं । सिनेमा अपने प्रेक्षकों को यह जो क्षिप्रता प्रदान करता है और उनसे भी इसकी अपेक्षा रखता है, इसका मानसिक विकास पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । यदि हम आधुनिक जीवन के दौर्बल्यजनक प्रभावों और स्थायिक तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम सिनेमा और रेडियो, सनसनी फैलाने वाले समाचार-पत्रों और स्वयंभू नेताओं के निरन्तर होने वाले आक्रमणों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें मनुष्यों के मन में सुरक्षा-पक्ति बनानी होगी, उनमें चिरस्थायी रुचियों का बीजारोपण करना होगा । हमको उच्च कोटि के ग्रन्थों को, जिनमें मानव जाति के जीवन और आरम्भ से सम्बन्धित वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया होता है, पढ़ने का अभ्यास डालना चाहिए । हमको इन महान् विषयों पर स्वयं भी विचार करना चाहिए । किन्तु, आत्मचिन्तन से यह अभिप्राय नहीं है कि जून्य में, निराधार, सर्वथा एकाकी चिन्तन किया जाए । हमें दूसरों की, चाहे वे जीवित हो या मृत, सहायता की आवश्यकता है । सभी युगों के महान् व्यक्तियों कवियों, 'मसार के अमान्य विधायकों,' दार्शनिकों, लूजनीयल विचारकों और कलाकारों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है । जहाँ विज्ञानों में केवल समसामयिक व्यक्तियों से ही हमको सहायता मिल सकती है, वहाँ ललित साहित्यों में हमें हर जाति और हर काल के बहुत ही महान् व्यक्तियों की सहायता प्राप्त होती है । जीवन के गहन से गहन स्तर पर, परब्रह्म परमेश्वर की प्रकृति के स्वरूप—विस्तार को, विश्व की अर्थ-व्यवस्था और मनुष्य की शक्ति तथा शक्तिहीनता के अन्तर्दृश्य को इतिहास प्रभावित करना है । इतिहास की घटनाएँ मनुष्यों को आत्माओं में घटित होने वाली घटनाओं का प्रतिबिम्ब होती हैं ।

यदि यह दृष्टि विविध परिवर्तनों और घटना-क्रमों में से गुजर कर भी अपना अस्तित्व बचाये रख सकता है, तो इसके कारण हैं—हमारे यहाँ के लोगों के कतिपय मानसिक स्वभाव और मान्यताएँ, जिनको जाति या धर्म की विभिन्नता के हानि हुए भी नष्ट करने अपनाये रखा है और जिनको वे कभी तिनाजलि नहीं देंगे । नतय यह है कि मनुष्य के मन और विश्व

की चेतन आत्मा में घनिष्ट मस्वन्व है। हम आत्म-नियंत्रण का अभ्यास करने और दया-कारण्य का प्रयोग करके इसका अनुभव कर सकते हैं। हम देश में, कालान्तर में जिन धर्मों का प्रचलन हुआ, उनकी शिक्षाएँ इन मिथ्यान्तों के ढाँचे में ही अपना सामजस्य बैठाती रही। हमारा इतिहास आज का नहीं है। यह उस विनाल सरिता के सदृश है जिसके स्रोत के विषय में सब मीन हैं। इस चिर पुरातन इतिहास के निर्माण में कितने ही युगों, कितनी ही प्रजातियों और कितने ही धर्मों ने अपना योग-दान किया है। यह सब कुछ हमारे रक्त-प्रवाह में घुल-मिल गया है। भारतीय संस्कृति में जितना ही परिवर्तन होता है, उतनी ही यह अपरिवर्तित—जैसी की तैसी, बनी रहती है। भारतीय आत्मा ने कठिन समय में हमें सँभाला है। यदि हम अपने ऊपर विश्वास करते रहे, तो भविष्य में भी यह हमें सँभाले रहेगी। किसी राष्ट्र को चरित्र तथा जीवन-शक्ति अमूर्त निष्ठाओं से प्राप्त होती है। दैनिक जीवनचर्या के दबाव में वे महत्त्वहीन और अप्रासंगिक जान पड़ सकती हैं। आन्तरिक कलह और फूट से जर्जर होते हुए भी हम बाह्य शत्रुओं के प्रहार सह कर इसीलिए बचे रह सके, क्योंकि हम इस प्रकार की निष्ठाओं से निरन्तर चिपके रहे। यदि हमारे युवक-जन अधिक सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी प्रजाति के अनुभवों और आदर्शों को अधिक अच्छी तरह समझने की चेष्टा करनी चाहिए, हमारी संस्कृति में जो महान् विचार प्रतिष्ठापित हैं, उनमें उनको मानसिक और हार्दिक रूप में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए।

हमारे विश्वविद्यालयों में अपनी संस्कृति के प्रति जो अनवधानता दिखाई जा रही है, वह छात्रों में बढ़ती हुई उच्छृंखलता के लिए कुछ कम उत्तरदायी नहीं है। पिछले कुछ सप्ताहों में, देश के कुछ भागों में, कतिपय छात्रों के अराजक कृत्यों ने हमारा मिर नीचा किया है और हमें उनमें दुःख पहुँचा है। मुझे उनमें बात करने का अवसर मिला है। मैंने उन छात्रों से कह दिया कि अधिकारियों की व्यवहारा के इन कार्यों में वे राष्ट्रीय कुसेवा करने हैं और देश के भविष्य को सकटापन्न बनाते हैं, वे अनीन के द्रोही और भविष्य के शत्रु हैं। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि विद्यविद्यालयों के आचारण में सुधार करने के लिए हमें क्या करना

चाहिए। जीवन की समस्याओं को धैर्य, सहिष्णुता, आत्म-नियंत्रण और विवेक से सुलभाने के लिए, जैसी कि हमारी नूतन परिस्थितियों की माँग है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा। उच्च उद्देश्यों के प्रति इस अनुशासित उत्साह के अभाव में, छात्र स्वयं के लिए और संपूर्ण समाज के लिए सकट बन जाते हैं। महान् साहित्य-ग्रन्थों के अध्ययन से, जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के इस पक्ष पर अधिकाधिक ध्यान देंगे।

विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से शिक्षकों और छात्रों का निगम होता है। दोनों के मध्य पवित्र सम्बन्ध रहते आये हैं। हम अपने युवकों को किस प्रकार की शिक्षा सुलभ कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के स्त्री-पुरुषों को शिक्षक नियुक्त करते हैं। आलीशान भवन और साज-सज्जा महान् शिक्षक का स्थान नहीं ले सकते। देश की योग्यतम प्रतिभाओं को, एक अच्छे अनुपात में, शिक्षक-व्यवसाय में खींचने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि यह देश विज्ञान और विद्वत्ता के क्षेत्र में मानव मन की प्रगति-यात्रा में भाग लेना चाहता है, तो विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे देश के कुछ मूर्खन्य विद्वानों को अध्यापक के पद पर नियुक्त करें। यदि आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का अध्यापक अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान में ही अपने को पूरी तरह जुटा दें, तो उसको इतनी सहायता मिलनी चाहिए कि वह सुख-सुविधा से अपना जीवन-यापन कर सके। क्योंकि विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले युवक अध्यापकों को निम्न वेतन दिया जाता है, इसलिए बौद्धिक मूल्यों के लिए उनके मन में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती और वे पाठ्य-पुस्तकें लिखने तथा परीक्षक बनने में रुचि लेने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आर्थिक लाभ की दृष्टि से विश्वविद्यालयीय सेवा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के तुल्य ही आकर्षक बन जाएगी, क्योंकि यही एक उपाय है जिससे देश के कुछ योग्यतम व्यक्ति विश्वविद्यालयों की सेवा में आ सकेंगे और टिक सकेंगे। विद्यार्थियों पर उनके अध्यापकों के आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, अतः हम शिक्षक-व्यवसाय के प्रति अपने उत्तर-दायित्व से बच नहीं सकते। इस विषय में जनता को उदारता और समझ-

शारी से विचार करना चाहिए ।

एक वान और भी है, हमारे महाविद्यालयों (कॉलेजों) में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ती गई है, जबकि छात्रों की इस वृद्धिगत संख्या के अध्यापनार्थ सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही । ऐसी स्थिति में, विद्यार्थियों को पर्याप्त विद्वत्तापूर्ण अध्यापन और नैतिक मार्ग-दर्शन उपलब्ध होना असम्भव हो गया है । कुछ शिक्षण-संस्थाएँ तो व्यापारिक विधि से संचालित हो रही हैं, उनमें कारखानों की तरह पाली-पद्धति चालू की गई है । यदि परिणाम निराशाजनक होते हैं, तो इसमें दोष तो हमारा है । हमारे छात्रों में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है तो हमारी शिक्षा-पद्धति में ।

विश्वविद्यालयों के वातावरण में भी बहुत-सी कमियाँ हैं । सच्ची शिक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने ऐसे मित्रों से वार्तालाप और वाद-विवाद कर सकें, विचारों और सम्मतियों का आदान-प्रदान कर सकें, जिनमें सहज रूप में, सहानुभूतिपूर्वक तथा भयरहित होकर कुछ कह-सुना जा सके । हमारे विश्वविद्यालयों में क्या इन बातों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं ? फिर, खेल-कूद और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है । कोई कारण नहीं कि जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से योग्य हों, उन्हें अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय छात्र-सैनिक दल (नेशनल कैडेट कोर) में भरती होने के लिए प्रोत्साहित न किया जाए । छात्र-सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासित रहने, मिल-जुलकर काम करने और श्रम की प्रतिष्ठा करने की आदत पड़ जाती है ।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या—देश के युवकों की शिक्षा पर यथोचित ध्यान नहीं दे रहीं । यदि शिक्षा को सबसे बढ़कर प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो मोरुमन के हमारे सम्पूर्ण प्रयोग की क्षति पहुँचेगी । यदि आर्थिक महायत्ना के अभाव में विश्वविद्यालयीय शिक्षा के स्तर में गिरने दिया गया, तो देश का भावी नेतृत्व सफट में पड़ जाएगा ।

चरित्र ही प्रारब्ध है । यह सूत्र—वाक्य व्यक्तियों और राष्ट्रों, दोनों पर लागू होता है । हम जल्द नामश्री में सही चरित्र का निर्माण नहीं

कर सकते। आपकी बौद्धिक योग्यता और शैलिक कौशल से भी अधिक, समाज के लिए महत्वपूर्ण है आपकी किसी महत्कार्य में निष्ठा। हमारे देश में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं, बुद्धिमान नर-नारियों की भी कमी-नहीं है, यदि इसके साथ-साथ हम अपने देश के पुनर्निर्माण के पवित्र कार्य में आत्मत्याग की भावना से, सगर्व, एक-जुट होकर पिल पड़े, तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। एक राष्ट्र के रूप में हमारा भावी प्रारब्ध हमारी भौतिक सम्पदा की अपेक्षा हमारी आध्यात्मिक शक्ति पर अधिक निर्भर करता है—‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।’ निर्बल व्यक्ति पूर्णत्व के लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। ‘निर्बल’ से हमारा तात्पर्य शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति से नहीं, वरन् आत्मिक रूप से निर्बल, ‘आत्मनिष्ठाजनितवीर्यहीनेन’ से है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है—उसकी जनता का उत्साह, उसका तेज। यदि हम किसी जनता का उत्साह भग कर देते हैं, तो हम उसके भविष्य को सकटापन्न करते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को बलवती बनावें, तो हमारा भविष्य समुज्ज्वल होगा।

‘प्रसार्य धर्मध्वजम्,
 प्रपूर्य धर्मशखम्,
 प्रताड्य धर्मदुन्दुभिम्,
 धर्मं कुरु, धर्मं कुरु, धर्मं कुरु।

आत्मिक शक्ति को जगाओ*

पंजाब विश्वविद्यालय के छठे वार्षिक दीक्षान्त-समारोह के महत्त्वपूर्ण अवसर पर यहाँ आकर और आपसे कुछ शब्द कहने का सुयोग पाकर मुझे प्रसन्नता है। मैं इस वर्ष के स्नातकों को अपनी बधाई देता हूँ जिन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासित प्रयास के फलस्वरूप अपने उपाधि-पत्र प्राप्त किए हैं; कुछ ने तो विशेष योग्यताएँ भी प्राप्त की हैं।

आपके विश्वविद्यालय को अनेक अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश के विभाजन के पश्चात् आपको एक तरह से एकदम नये विश्वविद्यालय की ही स्थापना करनी पड़ी, आपने अपने शिक्षण-विभागों को विभिन्न केन्द्रों में स्थानान्तरित किया और नयी शिक्षा सस्थाओं का श्रोगणेश किया। स्वभावतः आपके महाविद्यालयों को छात्रों की भीड़-भाड़, भवनों की दुरावस्था तथा अध्यापकों की साधन-न्यूनता और अपर्याप्तता का शिकार होना पड़ा। इन कठिनाइयों के कारण शिक्षण आदि के उच्च स्तर पर कुप्रभाव पड़ता है। फिर भी, बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए आपने जितना कार्य कर दिखाया है, उस पर आपको गर्व और सन्तोष होना चाहिए।

भवन और उनकी नाज-सज्जा ही सब कुछ नहीं है। अच्छे शिक्षक, जो छात्रों के कल्याण में रुचि लेते हैं, जिनमें अपने विषय के लिए उत्साह होना है, तथा जो अपने छात्रों को भी अपने उत्साह में अनुप्राणित करने

*पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण—१६ दिसम्बर, १९५३ ई०

रहते हैं, वास्तव में विश्वविद्यालय के वही मुख्य ढांचे होते हैं। वाणिज्य-बुद्धि वाली हमारी यह पीढ़ी केवल उन्हीं लोगों का आदर करती है जो खूब रूपया कमाते हैं, इसलिए सर्वोत्तम योग्यता वाले व्यक्ति प्रशासकीय सेवाओं, व्यापार और बौद्धिक व्यवसायों में खिंच जाते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, उसकी अच्छाई-बुराई बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के नर-नारी हमें अध्यापक के रूप में उपलब्ध हो पाते हैं। अध्यापकों को लोग कम सम्मान देते हैं, यह इस बात का मुखर साक्ष्य है कि हमारा समाज किस व्याधि से ग्रस्त है। हमें अयोग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को नहीं, वरन् ठीक प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा-व्यवसाय में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अध्यापकों के लिए आदर की भावना बलात् नहीं थोपी जा सकती, उसे तो अध्यापकों को स्वयं अर्जित करना चाहिए।

अगामी कुछ वर्ष हमारी अग्नि-परीक्षा के हैं, बहुत वर्षों से इतने कठोर और इतने श्रममय समय से हमारा पाला नहीं पडा है। जिस राजनीतिक स्वाधीनता को हमने माँहगे मोल और बहुत बलिदान देकर प्राप्त किया है, वह मात्र एक अवसर है, अपने आप में कोई सिद्धि नहीं है। यदि हम देश में दृढ़ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र को पनपाना चाहते हैं, तो हमें मिलजुल कर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस आदर्श के कारण हम पर एक पवित्र उत्तरदायित्व आ जाता है। संविधान में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का समावेश कर लेने मात्र से लोग लोकतांत्रिक नहीं बन जाते। केवल उपदेश दे-देकर उन्हें भला नहीं बनाया जा सकता। न्याय, समता, बन्धुता और स्वतन्त्रता के जिन महान् आदर्शों को हमने अपने संविधान में अंकित किया है उनको सामाजिक ताने-बाने में बुन दिया जाना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन की बहु-विध स्थितियों में उनका प्रयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य से, राजनीतिक मुक्ति के समय हमारी जो मनोदशा थी, उसमें क्रान्तिकारी उत्स का अभाव था। बलिदान की भावना पर सुखोपभोग की भावना हावी हो गई है। हम जितना देते हैं, उससे अधिक मागते प्रतीत होते हैं। जनता में

नैतिक पतन, अतृप्ति और असंतोष के लक्षण खूब दिखाई दे रहे हैं, और ये सब उसमें गभीर गिथिलता उत्पन्न कर रहे हैं। अपने समाज को निर्बल बनाने वाले इन आत्मिक रोग पर हमें नियंत्रण पाना होगा। यदि हम अपने मन को नहीं बदल सकते, तो हम किसी चीज को नहीं बदल सकते।

किसी राष्ट्र का निर्माण उसकी शिक्षण-संस्थाओं में होता है। हमें अपने युवकों को उनमें प्रशिक्षित करना है। हमें उनको उन परम्पराओं से अवगत कराना है जिन पर भविष्य का गठन होगा। प्रजाति और धर्म, भाषा और भूगोल की बहुत-सी जटिलताओं और विभिन्नताओं के होते हुए भी जिन शक्तियों ने हमारी जनता को एक राष्ट्र बनाए रखा और आगे भी उसको ऐक्य सूत्र में बांधकर रख सकती है, उनका स्वरूप निर्धारित हो रहा है। ये शक्तियाँ भौतिक क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं हैं; हमारी यह एकता भौगोलिक एकता नहीं है, इसका सम्बन्ध तो विचार-जगत् से है। जब-जब केन्द्रीय एकता का हास हुआ है और आन्तरिक कलह उस पर हावी हुआ है, तब-तब हमारे देश को उसका कुफल भुगतना पडा है। हमारी यह शिकायत रहती थी कि जिन लोगों ने सदियों तक हम पर शासन किया, वे 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर चलते थे। जो हो, यह तो सत्य ही है कि हमारी पराधीनता का कारण हमारी आपस को फूट थी। इसलिए हमको भाषा, धर्म और प्रान्त के नाम पर विभेद उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों से अपने को बचाना है। विश्वविद्यालयों में ही हमको मिल जुलकर रहने और सामाजिक हित के लिए कार्य करने की भावना का विकास करना चाहिए। आज की हमारी पीढ़ी को इसकी महती आवश्यकता है और विश्वविद्यालयों को इसके लिए उसे प्रेरणा देनी चाहिए।

हमारी पंचवर्षीय योजना की विभिन्न शाखाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनको सुलभ करने का उत्तरदायित्व हमारे विद्यालयों पर है। यह स्याभाविक ही है कि आज युवक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होना चाहते हैं। हमारे नित्य-प्रति के जीवन, भविष्य की हमारी आशाओं और आदर्शों में

जो आमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं, उनमें विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। विज्ञान हमारे जीवन में प्रमुख भाग लेता जा रहा है। हमारे इतिहास में, इतनी कम अवधि में, ऐसे उग्र परिवर्तन इससे पूर्व कभी नहीं हुए। परन्तु वैज्ञानिक अध्ययन पर ही सारा का सारा या एकांगी बल देने से गभीर हानि हो जाती है। मनुष्य के मन पर शक्ति और सम्पदा का नशा सवार होने लगता है। हम इनकी प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयत्न करने लगते हैं और जैसे भी हो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अधिक से अधिक धन बटोरने और ऊँचे से ऊँचा सामाजिक पद प्राप्त करने की ललक इतनी बलवती हो उठती है कि इस उद्देश्य के सामने हमारे अन्य उद्देश्य फीके पड़ जाते हैं, गौण हो जाते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा प्रशसनीय महत्वाकांक्षा है, बशर्ते कि इससे अन्य अधिक प्रशसनीय महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षा न होती हो। राष्ट्र के रूप में हमारा भावी कल्याण और प्रारब्ध हमारी भौतिक सम्पदा की अपेक्षा हमारी आत्मिक शक्ति पर अधिक निर्भर करेगा।

वैज्ञानिक प्रगति भयावह और सापेक्ष होती है। यदि हम केवल विद्वान् हैं, मृत्युत सस्कृत नहीं, तो हम समाज के लिए सकट बन सकते हैं। 'साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम्' (विद्वान् व्यक्ति यदि विपरीत प्राचरण करने लगे, तो वह राक्षस हो जाता है)। इस कथन से मिलता-जुलता अरस्तू का भी एक कथन है—

“पूर्णत्व प्राप्त मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोत्तम होता है, किन्तु नियम और न्याय से वियुक्त होकर वह सबसे बुरा प्राणी बन जाता है, क्योंकि सशस्त्र अन्याय अधिक भयकर होता है, और मनुष्य जन्म से ही ऐसे शस्त्रों से सज्जित होता है जिनका सही प्रयोग बुद्धिमत्ता और विवेक से ही हो सकता है, परन्तु मनुष्य चाहे तो उनको बुरे-से-बुरे कार्यों के निमित्त प्रयोग कर सकता है। यदि उसमें विवेक और न्याय-नुद्धि न हो, तो समस्त प्राणियों में उसके समान अधर्मी और असभ्य अन्य कोई नहीं होता।”

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जैसी सकटपूर्ण स्थिति आज उपस्थित हुई है, वैसे गम्भीर स्थिति सम्पूर्ण इतिहास में कभी नहीं हुई थी। आज एक

और तो हम आधुनिक विज्ञान के आयुधो से तथा आधुनिक मनोविज्ञान के शिल्प (टेक्नीक) से सुसज्जित हैं, दूसरी ओर लोभ, स्वार्थपरता और प्रभुता-प्रेम में अपने को बचा नहीं पाये हैं। हमने प्रकृति पर तो अपनी शक्ति बढा ली है, पर स्वयं अपने ऊपर हमारी शक्ति कुठित हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास स्वार्थपरता की कोई चिकित्सा नहीं है, और न उनके पास विश्व के गूढ रहस्य की कुञ्जी है। केवल विश्वास, आशा और सुरक्षा के वातावरण में ही हमारी प्रगति सुरक्षित रह सकती है। मयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस माह की आठवीं तारीख को संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा में भाषण करते हुए कहा था—“हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे वह दिन निकट आ सके जब पूर्व और पश्चिम की जनता तथा सरकारों के मन से अणुबम का भय लुप्त होने लगे।” उन्होंने इस साहसिक कार्य में सहयोग करने के लिए सत्कार की जनता से अपील की। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने कहा—“अमेरिका उस उपाय को खोजने में अपना सम्पूर्ण हृदय और मन लगा देगा जिससे मनुष्य की चमत्कारिक अन्वेषणात्मक प्रतिभा उसकी मृत्यु के लिए समर्पित न होकर उसके जीवन के लिए होगी।” यह अपील और प्रतिज्ञा करने के पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सभ के उपासना गृह में कुछ मिनट व्यतीत किये थे। नये सिरे में आरम्भ करने के पहले हमें नए ढंग से विचार भी करना चाहिए हमारे समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, और वह है आत्मा के आधारभूत मूल्यों का सम्मान। हमें यह जानना चाहिए कि मनुष्य में कुछ है जो मदाचार के लिए भूखा है, प्यासा है। यदि अन्तरराष्ट्रीय जगत में भारी गढबडी दिखाई दे रही है और हम चिन्ता की स्थिति में रह रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि हमारा प्रभिक्षण एकांगी हुआ है। यह मान लेना गलत है कि मानव जाति के नरत्याग का एकमात्र भाग है अधिकाधिक वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रौद्योगिक सुधार।

संसार के उच्चकोटि के ग्रन्थों के अध्ययन से ही हमारी आत्मा का विज्ञान होता है। लोकतन्त्र का आधार सब धर्मों का यह केन्द्रीय सिद्धान्त

है कि मानव-मन और विश्व की चेतन आत्मा मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। लोकतन्त्र के इस सिद्धान्त को हमारी प्रभावशाली आस्था का रूप ले लेना चाहिए। अपनी शिक्षण-संस्थाओ मे, हम अपने युवको और युवतियो को लोकतन्त्र की भावना मे दीक्षित कर सकते है। हमे देश की सम्पदा मे वृद्धि करनी चाहिए, विषमता को कम करना चाहिए और सामान्य जन के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। भय और अज्ञानता, स्वार्थ-परता और अन्धविश्वास के कुहरे को भेद कर उस नवीन भारत की उज्ज्वल प्रतिमा को उभरने दीजिए, जिसमे हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहेगे।

शिक्षा का केवल ज्ञान और कौशल की दृष्टि से ही महत्त्व नहीं है, उसका महत्त्व इसलिए भी है कि वह हमे दूसरो के साथ मिल-जुलकर रहने मे सहायता देती है। हमको ऐसे जीवन-यापन की शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमे सहकारिता और परस्पर सहायता की भावना हो। बौद्धिक सिद्धियो की अपेक्षा नैतिक गुणो का अधिक महत्त्व है। हमारे देश मे महान् प्राकृतिक साधन है, बुद्धिमान नर-नारियो का भी अभाव नहीं है, यदि हम अपने देश के पुनर्निर्माण के पवित्र कार्य मे प्रसन्नता, गर्व और कर्त्तव्य भावना के साथ हिलमिल कर नियोजित होना भी सीख जाये, तो ससार की कोई शक्ति हमे अपने लक्ष्यतक पहुचने से नहीं रोक सकती। भगवान बुद्ध कहते है—“कोई अन्य तुझे बाध्य नहीं करता, तू स्वय से ही दुख पाता है।” यदि हमारी संस्थाये हमारे युवको मे चरित्र और लोक-तात्रिक अनुशासन भर दे, तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। धर्म उसी को कहते है जो समाज को संगठित रखता है।

‘धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित’।

शिक्षण-वृत्ति व्यापार नहीं, मिशन है*

गत साठ वर्षों में, जिन लोगों ने इस कॉलेज (मेरठ कॉलेज) को उसके वर्तमान स्वरूप तक पहचानने के लिए कार्य किया है, उनका स्मरण इन अवसर पर करना उचित ही है। यह कॉलेज सतत विकासमान रहा है और आज ४,००० से अधिक विद्यार्थी इसमें शिक्षा पा रहे हैं, अध्यापन और अनुसन्धान से सम्बन्धित कई विभाग यहाँ हैं। यह स्वाभाविक है कि उसको विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करने की आपकी महत्त्वाकांक्षा हो। यह नच है कि 'यूनीवर्सिटी जांच कमीशन' की अपनी रिपोर्ट में हमने कहा था कि यदि इस कॉलेज के पास पर्याप्त कोष हो और यह समुचित शिक्षण का उत्तरदायित्व वहन कर सके, तो इसको विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने दिया जा सकता है। किन्तु ये दो शर्तें—आर्थिक सामर्थ्य और शिक्षण सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था—बहुत आवश्यक हैं। केवल नाम बढ़ाने से कोई कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बन जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों का आर्थिक आधार सुदृढ़ नहीं है, वे शिक्षण की दृष्टि से असतोष प्रद नीति-नीति चरत रहे हैं। घटिया प्रकार के, और सो भी सस्या में अध्यापकों के कारण, न तो छात्रों की पढाई-निसाई ठीक हो पाती है और न उनको ऐसे अध्यापकों से नैतिक मार्ग-दर्शन ही मिल पाता है। उन समय ४,००० में भी अधिक छात्रों के लिए आपके यहाँ १३५

*मेरठ कॉलेज की हीरक जयन्ती के अवसर पर उद्घाटन-भाषण—
२० दिनम्बर, १९५३।

अध्यापक है, जिनको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आपको मात्रा की अपेक्षा गुण पर अधिक बल देना चाहिए। आपको इतना समर्थ बनना चाहिए कि आप अपने यहाँ ऐसे अध्यापको को नियुक्त कर सकें, जो अपने ज्ञान और पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध हो, तथा जो अध्यापन करने के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहने के लिए भी उत्सुक हो। अध्यापन-वृत्ति को व्यापार के निम्न स्तर पर नहीं उतारना चाहिए। यह जीविका है, व्यवसाय है, 'मिशन' (धर्मार्थ कार्य) है। अध्यापको का यह कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों को नवीन लोकतंत्र के अच्छे नागरिक बनावे। उनको चाहिए कि वे अपने छात्रों में नूतन अनुभव के लिए अभिरुचि तथा ज्ञानप्राप्ति के साहसिक कार्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें।

विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण व्यापक, विश्वजनीन होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने से, सामूहिक साहचर्य के वातावरण में मिलने-जुलने से, अच्छे और महान् व्यक्तित्वों के सत्संग से छात्रों के जीवन और चरित्र में उदात्तता का समावेश होता है। यदि हम विज्ञान और दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों की ऊँची बातों में रुचि नहीं रखते, तो हम स्वयं को सत्यतः शिक्षित नहीं कह सकते। हमको चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव-जाति की प्रगति में जो वेग ला दिया है, उसको न खोते हुए, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखें।

यदि मनुष्य स्वयं अपने अहं से समझौता नहीं कर सकता, यदि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सश्लिष्ट नहीं है, तो वह क्रूर, विध्वसात्मक, यहाँ तक कि विकृष्ट तक हो जाएगा। वह अपने पथ से भटक जाएगा। अपने मिथ्याभिमान के वशीभूत होकर हम जीवन के अत्यावश्यक मूल्यों पर से ही आस्था खोते जा रहे हैं और आत्मा की डयत्ता से बाहर रहने तथा पुरातन गुप्त रहस्यों के सीमान्त को बन्द करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम विस्थापित हैं, गृहहीन हैं और भय तथा अभिमान के कारण अर्द्ध-विकृष्ट हो रहे हैं। जीवन का जाड़ू फीका पड़ता जा रहा है और जीवन के वास्तविक सार और रस को प्राप्त करना हमारे लिए अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है।

आज हमें मृत्यु और रोग के विरुद्ध उतना संघर्ष नहीं करना है जितना मनुष्य द्वारा मनुष्य के दमन के विरुद्ध, जितना उस अन्याय तथा निरकुशता के विरुद्ध, जिन्होंने जीवन को इतना दुःखान्त और स्वतंत्रता को इतना अमुरक्षित बना दिया है। हमारे जीवन-दर्शन में ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जिन पर एक नये विश्व-समाज का निर्माण हो सकता है।

जब यह कहा जाता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम अपनी परम्पराओं से उदासीन हैं अथवा हमारे मन में धर्म के प्रति अश्रद्धा है। मैं आशा करता हूँ कि इस कालेज में, यह कालेज रहे या विश्वविद्यालय, आत्मा के इन आधारभूत मूल्यों को सुरक्षित रखा जाएगा।

बुराई को भलाई से जीतो*

जिन छात्रों ने अपने स्नातक-पत्र और विशेष योग्यता-सूचक पदक प्राप्त किए हैं, उनको मैं अपनी बधाइया और शुभकामनाये देता हूँ। मुझे प्रबल आशा है कि उनकी मानसिक साधना और अनुशासनपूर्ण जीवन का उनका स्वभाव, जिनके प्रतीक ये उपाधिपत्र और पदक हैं, भावी जीवन में सदैव उनके साथ रहेगे।

आप सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत को अपने पूर्ण विकास के लिए, ऐसे प्रत्येक स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत लाभ या उपयुक्त पद का विचार किए बिना देश-सेवा कर सकता हो। मैं जानता हूँ कि यह कहना सरल है कि 'कार्य तो अपना पुरस्कार स्वयं है,' किन्तु कार्यकर्त्ताओं को भी जीवित रहना है, और यदि हम चाहते हैं कि उनका कार्य सतोषजनक हो, तो उनके जीवन को सुख-सुविधापूर्ण बनाना चाहिए। हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को सभी प्राप्य प्रतिभाशील व्यक्तियों को यथाशीघ्र रोजगार-धन्वे से लगाने का उपाय सोचना चाहिए। यदि हम अपने शिक्षित युवकों तक को रोजगार नहीं दे पाते, तो वे स्नायविक दौर्बल्य के शिकार हो जाते हैं, और वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के प्रति उनमें असंतोष भर जाता है। आजकल पूर्ण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को वास्तविक लोकतंत्र की सच्ची कसौटी समझा जाता है। हम इस दृष्टिकोण से अपरिचित नहीं

*सागर विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण—११ फरवरी, १९५४।

हैं। कलिंग के एक शिला-लेख में अशोक लिखता है—

“मभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में सुख-सुविधा मिले, उसी प्रकार मैं सभी लोगों के लिए चाहता हूँ।”

इस विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें सच्चे विश्व-विद्यालयीय जीवन का विकास सम्भव हो सकता है। आपके विश्वविद्यालय में भीड़भाड़ अधिक नहीं है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप अनुसन्धान-कार्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। जो अध्यापक अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत करने में रुचि नहीं रखता, वह न अपने विद्यार्थियों में प्रेरणा भर सकता है, न उनका सम्मान प्राप्त कर सकता है। छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे आत्म-संस्कार कर सकें, उनको नई-नई जिज्ञासाओं के लिए प्रेरित करना—इस प्रकार की योग्यता किसी-किसी अध्यापक में ही होती है। किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तथा उसका कार्य ऐसे अध्यापकों की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है।

भारत सरकार ऐसे उपायों और साधनों पर विचार कर रही है जिन में विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधारा जा सके। सरकार आपको छात्रावासों के निर्माण में, खेल-कूद के लिए मैदान प्राप्त करने में, और सबसे बढ़कर, अध्यापकों की नामाजिक स्थिति तथा उनका वेतन-स्तर ऊँचा करने में आपकी सहायता करना चाहती है। किन्तु, कोई भी अध्यापक जो अपने विषय को प्यार नहीं करता, जो छात्रों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की चिन्ता नहीं करता, ध्यान देने के योग्य नहीं है। वही अध्यापक कुचक्र चक्करे हैं और दलबन्दी करते हैं जो विद्याध्ययन में तो रुचि रखते नहीं, परन्तु विश्वविद्यालय-प्रशासन में शक्ति और पद हथियाने की महत्त्वाकांक्षा रखते हैं। दलबन्दी हमारे सार्वजनिक जीवन का अभिशाप बन गई है। मैं आशा करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय इसमें मुक्त होगा। विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों (कॉलेजों) के लिए अध्यापकों का चुनाव करने समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है, परन्तु एक बार उनको नियुक्त कर लेने के पश्चात् उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

पिछली वार, 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' के अपने सहकर्मियों के साथ जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया था, तब डॉ० हरिसिंह गौड़ इसके उपकुलपति थे। यह उन्हीं की प्रेरणा तथा दानशीलता का परिणाम है कि यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ सका। इन दिनों, जब हम रुपये के पीछे पागल हो गए हैं, उनके इस उदाहरण का मूल्य सहज ही आका जा सकता है कि धन का उपयोग निजी लाभ के लिए न करके, उसका सदुपयोग जन-हित में करना चाहिए। डॉ० गौड़ विवेक-बुद्धि के अधिकारों में विश्वास रखते थे। वे बहुत चाहते थे कि हम वैज्ञानिक ढंग से सोचने-विचारने लगे, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण विवेकपूर्ण हो जाय। धर्म के नाम पर हमारे देश में जितने अन्धविश्वास और जितनी सुधार-विरोधी बातें प्रचलित हैं, उनको देख-सुन कर उनको बड़ी पीडा होती थी। उनका विचार था कि सामाजिक पूर्वाग्रह और धार्मिक अन्धविश्वास ही, जिनको जनता ने बिना सोचे-समझे आँख मूदकर श्रद्धा के साथ अपना लिया है, हमारी राजनीतिक तथा आर्थिक गिरावट के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है। हमारे प्राचीन लेखकों तक ने धर्म के दुरुपयोग का विरोध किया था। निम्नांकित श्लोक पर ध्यान दीजिए—

“वृक्षान् छित्त्वा, पशून् हत्वा
 कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।
 यद्य एव गम्यते स्वर्गम्,
 नरक केन गम्यते ॥”

यदि कोई व्यक्ति वृक्ष काटने से, पशुओं को मारने से और रुधिर-धारा बहाने से स्वर्ग जा सकता है, तो फिर नरक में जाने की कौन-सी विधि है।

उपर्युक्त श्लोक उस व्यक्ति का निन्दात्मक उद्गार है जिसकी अन्तश्चेतना धर्मानुमोदित प्रतीत होने वाले कतिपय कृत्यों को अग्राह्य कर चुकी थी। भारतवर्ष कभी भी बाहर से नहीं जीता गया, वह भीतर से हराया गया। अपरीक्षित जीवन ही हमारे दुःखों का कारण बना।

डॉ० गौड़ ऐसी शिक्षा में विश्वास करते थे जो मन के वैज्ञानिक चिन्तन, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जीवन-दर्शन को प्रसारित

करने का साधन बन सके। यदि इस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित व्यक्ति स्वस्थ दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक आचरण अपना सकें, तो इससे उनकी आत्मा को सुख मिलेगा।

डा० गौड का विचार था कि पुनर्नवीकृत जीवन की प्रेरणा आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रति, जिस पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी, उनके मन में जो सम्मान था उससे यह बात प्रकट होती है। हमारे युग की संकटपूर्ण स्थिति का कारण यह है कि हमने प्रकृति के संसार पर तो विस्तृत नये अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, परन्तु स्वयं अपने ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। हमारे सम्मुख समस्या यह है: मनुष्य की बौद्धिक शक्ति के साथ-साथ उसके नैतिक चरित्र का विकास क्यों नहीं हो पाया है? वह निष्ठुर घृणाओं और सतत भयों से इतना पीड़ित क्यों है? इस युग के पागलपन का कुछ कारण तो यह है कि हम आध्यात्मिक जीवन से दूर हट गए हैं। हम आज खण्डित अणु के कारण उतने दुःखी नहीं हैं जितने खण्डित मन के कारण। विज्ञान की उपलब्धियों का नशा हम पर इतना सवार हुआ है कि हम मनुष्य की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास करते प्रतीत होते हैं।

‘ईश्वरोऽहं अहम् भोगी सिद्धोऽहं वलवान् सुखी।’

हममें आज विनय का आदर्शों के प्रति सम्मान का, मन की उदात्तता या और हृदय की उदारता का अभाव है। अधिकार की लालसा ही कई रूप धारण करती है। हम अपने विचारों को ऊँचे-ऊँचे आदर्शों के नाम दे देते हैं और सोचते हैं कि इस या उस जीवन-पद्धति को स्वीकार करने में ही संसार का प्राण हो सकता है। यदि हम विवेक-बुद्धि से सोचें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमें आदर्श और क्रिया की अतियों से बचना चाहिए और अतिरेक से संयम की ओर लौटना चाहिए। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग प्रदर्शित किया था जो आत्म-श्लाघा (Self-assertion) और आत्म-निगह (Self-denial) की आत्यन्तिकता से बचने की चेष्टा करता है। गुनगं में जीवन के प्रति गहरी दृष्टिकोण लाने के लिए हमें उनके मन को, उन ही रुचियों और रीतियों को परिष्कृत करना चाहिए हमको उन्हें सभी महान् धर्मों के इस मिश्रण को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए

कि 'बुराई के वशीभूत मत होओ, बुराई को भलाई से जीतो।'

जब कि हम सरकारो से आशा करते है कि वे अशिक्षा, बेकारी आदि की समस्याओ से निपटे, तब हम विश्वविद्यालयो से भी आशा रखते है कि वे घृणा, द्वेष, निष्क्रियता, पारस्परिक अविश्वास और प्रभुत्व-प्रेम जैसी दूर तक प्रभाव डालने वाली बुराइयो से सघर्ष करेगे। ये बुराइयाँ हमारी राष्ट्रीय शक्ति का रस चूस रही है। हमारे कुछ नेता ऐसे है जो बहुधा इन कुप्रवृत्तियो का निवारण नहीं करते, उलटे इनको और भडकाते है। यही कारण है कि हम विश्वविद्यालयो को बाहरी राजनीतिक दलो के हस्तक्षेप से बचाना चाहते है।

हमको अपने युवको को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक, सर्वाङ्गीण जीवन को सुन्दर से सुन्दर ढग से बिता सके। उनको बुद्धिमान और भला बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको सुशीलता और समादर के उन अलिखित नियमो का स्वतः पालन करना चाहिए, जो किसी विधि संहिता द्वारा लागू न होते हुए भी, अच्छे व्यक्तियो द्वारा सदा से मान्य होते आए है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय मे सन्तुलित शिक्षा की वृद्धि करने और संकीर्ण विशेषज्ञता की त्रुटियो को दूर करने के लिए सब छात्रो को विज्ञान और ललित साहित्य का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। महान् उत्कृष्ट साहित्य-ग्रन्थो के अध्ययन से ही हम अपनी रुचियो को परिष्कृत कर सकते है और अपने आचरण को सभ्य बना सकते है। हम सबको इस देश को सच्चा लोकतंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा देश एक विगान परिवार के सदृश होना चाहिए जिसमे प्रत्येक सदस्य अपना व्यक्तित्व रखता है, परन्तु सबके हृदय एक सम पर स्पन्दित होते है। ऋग्वेद के अन्त मे यह प्रार्थना आती है जिसमे हमको उद्देश्य, हृदय और बुद्धि की एकता विकसित करने का निर्देश दिया गया है—

“समानो व आकूति,
समाना हृदयानि व।

नमान अस्तु वो मनो
यथा वः मुसहामति ॥”

यही भावना हम सबमे परिध्याप्त होनी चाहिए। कोई राष्ट्र दूसरो द्वारा विपत्ति का शिकार नो हो सकता है, परन्तु उसका पतन अपने ही हाथो मे होना है। बाहर के लोग चाहे तो हमे आघात पहुँचा सकते हैं, किन्तु वे हमारा सिर लज्जावनत नहीं कर सकते। जब मनुष्य अपने प्रति नच्चा नहीं रहता, तभी वह लाञ्छना, अप्रतिष्ठा का भागी बनता है। कोई व्यक्ति यदि केवल अपना आत्म-विश्वास बनाए रख सके, जो समस्त वास्तविक महानता का साधन है, तो कोई ऐमा भौतिक कष्ट नहीं, पित्त को वह हंसते-हँसते न सह सके।

आपका विश्वविद्यालय नया ही है और अभी आपको स्वस्थ परंपरायो का निर्माण करना है। ईश्वर करे, आप वीद्विक पूर्णत्व और सक्रिय सहा-नुभूति — ‘प्रज्ञा’ और ‘कृष्णा’—के अपने गुणो के द्वारा इस कार्य मे अपना यत्किञ्चित् योगदान कर सकें।

कृषकों को भी ज्ञान-ज्योति दिखाइए*

आरम्भ में मैं उन लोगों को अपनी शुभकामनाएँ और वधाइया देना चाहता हूँ जिनको आज उपाधिया, प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार मिले हैं। उनका कठोर श्रम और अनुशासित प्रयत्न अन्ततः सफल हुआ है।

एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जिसका नाम लेने से कोई लाभ नहीं, यह कहा था कि 'यह सर्व कृषि है संस्कृति नहीं।' परन्तु, मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि कृषि और संस्कृति में एक आवश्यक सम्बन्ध है। हम सभी अरस्तू के इस बहुधा उद्धृत कथन से परिचित हैं कि 'हम ठीक से जीवित रह सके, इसके लिए पहले हमें जीवित रहना है।' इसके पहले कि हम एक सभ्यता का, एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें, जिनसे सांस्कृतिक रचना सम्भव हो सके, हमें निरन्तर खाद्य प्राप्त होते रहने के विषय में निश्चिन्त हो जाना चाहिए। जब तक लोग आखेट से पेट भरने की स्थिति में रहते हैं और लूट-खसोट की भयावह सपत्ति पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं, तब तक वे एक व्यवस्थित जीवन का विकास नहीं कर सकते। उनकी शक्तियाँ आखेट की आपत्तियों और अनिश्चित अवसरों का सामना करते-करते ही समाप्त हो जाएँगी।

जब खाद्य बटोरनेवाले घुमकड लोग खाद्य उत्पन्न करनेवाले कृषक

* भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (इंडियन कौंसिल आफ एग्री-कल्चरल रिसर्च) में दीक्षान्त-भाषण—१२ फरवरी १९५४।

1 'It was all agriculture and not culture'

वन जाते हैं, तब सस्कृति का आधार तैयार हो जाता है। जब लोग एक स्थान पर बस जाते हैं, कृषि आरम्भ कर देते हैं और अनिश्चित भविष्य के लिए कुछ जमा करके रखने लगते हैं, तब उनको कलाओं तथा सभ्यता की परंपराओं का विकास करने के लिए अवकाश मिलता है और उसके लिए अभिरुचि उत्पन्न होती है। वे भोपड़िया बनाते हैं; मन्दिरों और विद्यालयों का निर्माण करते हैं, पशुओं को पालनू बनाते हैं और पशु-प्रजनन की ओर ध्यान देते हैं, तथा इस प्रकार वे पहले की अपेक्षा अपने मानविक और नैतिक उत्तराधिकार को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचारित करने लगते हैं।

क्योंकि सस्कृति की जड़ें कृषि में हैं, अतः महान् सभ्यताओं का विकास विशाल नदियों के आसपास हुआ। नदियों ने अपने आसपास की भूमि को उर्वर बना दिया और आवागमन को सरल कर दिया। ये सभ्यताएँ यागत्सी, गंगा, नील, टाइग्रिस और यूफ्रेटीज (Euphrates) नदियों के इर्द गिर्द केन्द्रित रही।

अनुकूल परिस्थितियों के विनुप्त होने पर सभ्यता भी नष्ट हो जा सकती है। जलवायु-सम्बन्धी बड़े परिवर्तन, भूमि की उर्वरता की समाप्ति, भूकम्प और जलप्लावन किसी भी सभ्यता के जीवन पर संकट ला सकते हैं। कदाचित् ही कोई प्राचीन सस्कृति हो जिसमें जलप्लावन की कहानी न हो। यह लोगों की स्मृति में अटकी रह गयी है। परन्तु जीने की अन्त-जाति प्रवृत्ति के कारण बुद्धिशील मनुष्य इन्ने आगकाओं और अवरोधों पर विजय पाने के उपाय और साधन खोज निकालता है। जब एक डंडे को हल का रूप दिया गया, तब यह एक साधारण सा आविष्कार था, किन्तु उसका महत्त्व अधिक था। ऋग्वेद में कृषि या पृथ्वी के फलों की देवी के रूप में सीता की स्तुति की गयी है। रामायण में हम पढ़ते हैं कि जनक ने स्वयं हल की मूँठ पकड़कर सेत जोता था और तभी फार का स्पर्श होते ही सेत की हलाई में से सीता आविर्भूत हुई थी। वर्षा पर ही पूर्णतया निर्भर न रहने और बाढ़ के द्वारा होनेवाले विनाश से बचने के लिए बाधों का निर्माण हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाये हुए बाँध १५० ई० तक काम देते रहे थे। प्राचीन नहरों के अवशेष तो देश के सभी भागों में पाये

जाते हैं। अभी कुछ समय पहले तक हम ससार के कई प्रगतिशील राष्ट्रों से पीछे नहीं थे। कुछ परिस्थितियों के कारण, जिन पर इस समय विचार करने की आवश्यकता नहीं, हम पिछड़ गये। हमारा वैज्ञानिक विकास अवरुद्ध हो गया और हमारा समाज भी जड़ हो गया। हम अभी तक पुरानी रीति से खेती करते हैं, परिणाम यह हो रहा है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या के कृषि-कार्य में लगे होने पर भी हमें समय-समय पर अकालों और खाद्य-संकटों का सामना करना पड़ता है।

कुछ वर्ष पहले, 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' के सदस्य के रूप में मैं जब कुछ विश्वविद्यालयों में गया, तब मुझे यह कुछ विचित्र-सा लगा कि हमारे कॉलेजों में जो कृषि-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है, उसका हमारे देश के वास्तविक कृषकों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे किसान अनजान हो सकते हैं, परन्तु उनमें बुद्धि का अभाव ही, ऐसी बात नहीं। ग्रेट ब्रिटेन की 'रॉयल ऐग्रीकल्चरल सोसाइटी' के डॉ० वोएल्कर ने जिन्होंने सन् १८६० में भारत का भ्रमण किया था, लिखा है: "निश्चय ही, भ्रमण के दौरान, अपने विश्राम-स्थलों पर मैंने कृषि का जो रूप देखा उससे अधिक पूर्ण रूप मैंने कभी नहीं देखा था। इस कृषि में क्या नहीं था, सावधानी, कठोर परिश्रम, लगन और साधन की उर्वरता—सबकुछ तो इस कृषि में दिखायी दिया मुझे।" मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि हम अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानों के परिणामों को किसानों के लिए सुलभ बना दें, तो वे उनका उपयोग अपनी कृषि-प्रक्रियाओं में करेंगे। इन परिणामों को प्रदर्शन-पट्टों, फिल्मों, रेडियो, प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित विज्ञप्तियों तथा माइक्रोफिल्म-सेवाओं और अन्य उपायों के द्वारा किसानों तक पहुंचाना चाहिए।

कृषि हमारी एक प्रधान राष्ट्रीय समस्या है। हमारी पंचवर्षीय योजना इसके महत्त्व को समझती है। हमने अपना खाद्योत्पादन बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएँ चालू कर रखी हैं और उत्पादन बढ़ाने में हमें सफलता मिली भी है। फिर भी, हमारा खेती करने का ढंग वावा आदम के जमाने का है और हमारे खेत भी अब अनाथिक हो चुके हैं। भूमि-सुधार देश के सभी भागों में नहीं हो पाये हैं, जो हुए भी हैं उनमें कृषकों

को वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान कम रखा गया है, उनमें कल्पना का चभाव है। जहाँ कहीं किसान अपनी प्रविधि में सुधार करने के लिए इच्छुक है, वहाँ ऋणयुक्तता और साधनों का अभाव उसका मार्ग रोके खड़े है। यद्यपि इन समस्याओं में से कुछ को सुलभाना तो प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकारों के बूते का है, तथापि महानुभावों ! आप लोग भी जिन्होंने आज उपाधिया, प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार प्राप्त किये हैं, हमारे कृषकों की, जो हमारी जनसंख्या में ७० प्रतिशत है, जानकारी बढ़ाने में बहुत-कुछ कर सकते हैं। आप स्वयं अनुसन्धान करने के साथ-साथ, 'उन्नति-शील कृषि-सम्बन्धी प्रविधि का ज्ञान कृषकों में विस्तारित करना अपना कर्तव्य समझे। मैं आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में आप हमारी कृषि-पद्धति को आधुनिक बनाने में सफल हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

साहित्य अकादमी का कर्तव्य*

वेद है कि हमारे अध्यक्ष, महोदय (श्री जवाहरलाल नेहरू) आज उपस्थित न हो सके। नेहरू जी मूलतः एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, किन्तु हमारे समय की परिस्थितियों के कारण वे राजनीति में भटक गए हैं। आज उनकी अनुपस्थिति में मुझसे साहित्य अकादमी या साहित्य की राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन करने को कहा गया है। जैसा कि मौलाना साहिव^१ ने अभी बताया है कि हमारे पास एक 'संगीत-नाटक अकादमी' है, हम दृश्य कलाओं के लिए भी एक अकादमी स्थापित करने की आशा करते हैं, और आज हम साहित्य की एक अकादमी का श्रीगणेश करने जा रहे हैं।

'साहित्य अकादमी' दो शब्दों के योग से बना है जिसमें एक संस्कृत का शब्द है, दूसरा यूनानी भाषा का। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारा अध्ययनार्थ व्यापकता की महत्वाकांक्षा लेकर चला है। 'साहित्य' साहित्यिक रचना है और 'अकादमी' है विद्वान् लोगों का समाज। यह अकादमी साहित्यिक व्यक्तियों की है जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में साहित्य-निर्माण का कार्य कर रहे हैं। मौलाना साहिव ने मापको (स्टैंडर्ड्स) के महत्त्व पर ठीक ही जोर दिया है। प्रत्येक समय देश में

* 'साहित्य अकादमी', नयी दिल्ली में उद्घाटन-भाषण—१२ मार्च, १९५४।

१ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।

अकादमी ने अधिसदस्य (फेलो) या सदस्य—किसी भी रूप में सम्बन्धित होना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। अकादमी कृती साहित्यकारों के महत्त्व को स्वीकार करने, प्रतिभाशाली लेखकों को प्रोत्साहित करने, जन-रचि को मस्कृत बनाने और मापको को उच्च करने का एक साधन बन जाती है। हमारे देश की इस 'साहित्य अकादमी' को भी देश की विभिन्न भाषाओं में हो रहे महत्त्वपूर्ण साहित्य-मृजन को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए।

मौलाना साहिव, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि आज हम जिस बौद्धिक पुनर्जागरण (रेनेसा) से गुजर रहे हैं, वह बहुत-कुछ हमारे समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। यह प्रभाव हमारे पास तक अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आया है। आपने टैगोर, गांधी, अरविन्द घोष और नेहरू की रचनाओं का जो उल्लेख किया है, उससे अकादमी द्वारा अन्य भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी को भी अपने संरक्षण में लेने का औचित्य प्रमाणित हो जाता है।

सरकार इस मामले में पहले कदम उठाकर पहल करना चाहती है और उचित आर्थिक अनुदान देकर अकादमी के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहती है। मृजनात्मक साहित्य उत्पन्न करना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। यहाँ हमें नेपोलियन के इस कथन का स्मरण हो आता है—“मैं मुनता हूँ कि फ्रान्स में कोई कवि नहीं है, गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं?” कोई भी सरकार 'गार्डर' देकर कवियों का निर्माण नहीं कर सकती, वह कवियों की सहायता ही कर सकती है। यदि हम चाहते हैं कि देश में व्यवस्थित साहित्य का नहीं, मृजनात्मक साहित्य का निर्माण हो, तो अकादमी को अपने कार्यों में पूर्णतः स्वाधीन रहना चाहिए।

जबकि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और राज्य से आशा करने है कि वह हमारी भारी आवश्यकताएँ पूरी करे, तब हमें अपने सामाजिक स्वास्थ्य और अग्रिम के हित में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी स्वतन्त्रता रहे कि वह अपने मापको के अनुसार, अपनी अन्तरात्मा के आदेशानुसार अपना जीवन-यापन कर सके; उसको इतनी स्वतन्त्रता अवश्य रहनी चाहिए कि जब

तक वह दूसरो की समान स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप न करने लगे और आलीनता की मर्यादा भंग न करे, तब तक वह किसी चीज को मानने, न मानने, करने, न करने, या बनाने-बिगाडने के लिए स्वाधीन रहे। आज समाज अधिकाधिक एक नपे-तुले साचे मे ढलता जा रहा है। स्वतन्त्र गति-विधि का क्षेत्र दिन पर दिन सीमित होता जा रहा है। अस्पताल के रोगियो की तरह हम नाम से नही नम्बरो से जाने जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व परिचय की गिनी-चुनी पक्तियो मे बघकर रह गया है। हम आज समाज की स्वतन्त्र प्रजा नही रह गए, बल्कि भीड मे खोई हुई गुमनाम इकाइया बनते जा रहे है। व्यक्ति सुरक्षा के लिए, आराम के लिए और एकाकीपन तथा उत्तरदायित्व से राहत पाने के लिए भीड का आश्रय ग्रहण करता है। स्वतन्त्रता से हमे डर लगने लगा है। जब हमारे क्रिया-कलापो का नियमन हो रहा हो, तब हमारी कल्पना जो एकान्त मे निवास करती है, पनप नही सकती। जब तक व्यक्ति मे इतना साहस नही कि वह अपने मन मे एकाकी और विचार मे स्वतन्त्र हो सके, तब तक वह कोई महान् साहित्य रचने के योग्य नही हो सकता। लाइटहैड के शब्दो मे, सच्चे धर्म की साधना की तरह महान् साहित्य की साधना भी एकान्त चिन्तन चाहती है। डब्ल्यू० वी० यीट्स कहते है—

“दूसरो से भगड़कर हम अलंकार-शास्त्र की रचना करते हैं, परन्तु स्वय से भगड़कर हम कविता करते हैं।”

साहित्य का लक्ष्य ससार का कल्याण करना है—‘विश्वश्रेय काव्यम्’। इसका उद्देश्य ससार को खरी-खोटी सुनाना नही, वरन् उसको बन्धन-विमुक्त करना है। जो सामने है, उसकी चमकीली सतह का प्रतिबिम्ब उतारना इसका कार्य नही है, वरन् इसका कार्य है अनुभव की पुनर्रचना। साहित्यिक कलाकार को एकान्त जगत मे प्रवेश करना ही चाहिए, उसको स्वप्नो की भांकी प्राप्त करनी ही चाहिए और अपने स्वप्नो को धरती पर उतार लाना चाहिए, अपने भावावेगो से उसको स्वरूप प्रदान करके शब्दो के रूप मे उसको गढ़ डालना चाहिए। साहित्य आध्यात्मिक स्वप्नो और मनुष्यो के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है। कवि अदृश्य जगत् का पुगेहित है, वह दैवी विधाता है। उसका काम विद्वेषक की तरह मनोरजन

करना नहीं है, वह तो एक पैगम्बर है, लोकनायक है, जो अपने समाज की समस्त आकांक्षाओं को प्रेरित करता और नाना प्रकार से उनको अभिव्यक्त करता है। ऐसा करने के लिए उममे चित्त की एकाग्रता और नत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यदि हमारे मन में धूर्तता और हिंसा भरी हुई हो, या यदि हम एक-से साचे में ढली हुई विचारधारा को अपनाकर कठपुतली मात्र बन जाएं, तो चित्त की एकाग्रता और सत्यनिष्ठा असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाती है।

यूनानी लोगों में अकादमी का अर्थ छात्रों के एक ऐसे समूह से था जो किसी अग्रगण्य दार्शनिक के पास दार्शनिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एकत्र होता था। प्लेटो (अफलातू) ने लगभग ३८७ ई० पू० में 'दार्शनिक समाज' (फिलॉसॉफिकल सोसाइटी) की स्थापना की थी। यही पहली अकादमी थी। उस अकादमी में वह अपने शिष्यों को, जिनमें से अरस्तू भी एक था, पढाया करता था। ये अकादमियाँ उपनिषद्कालीन आश्रमों के समान थीं। पुनर्जागरण (रेनेसा)—कालीन इटली में नलित साहित्यो के अध्ययन में रुचि रखनेवाले लोक अपनी अकादमियाँ बना लेते थे। आधुनिक अकादमियाँ इन्हीं मध्यकालीन अकादमियों की क्रमिक विकसित रूप हैं। 'फ्रेंच अकादमी' उन पाँच अकादमियों में से है जिनको मिलाकर 'इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रान्स' का संगठन हुआ है। 'फ्रेंच अकादमी' में साहित्यिक व्यक्ति ही सम्मिलित नहीं हैं, वरन् उसमें दार्शनिक और इतिहासकार भी हैं जिनकी कृतियाँ साहित्य के समकक्ष मानी जाती हैं। बर्गसन (Bergson), गिल्मन (Gilson) और ग्रुसेट (Grousset) 'फ्रेंच अकादमी' के निर्वाचित सदस्य थे। 'फ्रेंच अकादमी' के समान हमारी यह राष्ट्रीय साहित्य अकादमी भी चाहे तो इतिहास, दर्शन और प्राच्य विद्याओं के कृती लेखकों को अपने सदस्य बना सकती है।

कोई भी चीज जो बौद्धिक और कल्पनात्मक आनन्द का आवेग प्रदान करती है तथा कुछ नई और उद्दीपक बात कहती है, वह साहित्य है। ऋग्वेद, जो मनार की प्रथम साहित्यिक कृति है, वैचन धर्म और प्रतीकवाद नहीं है, वरन् कविता और साहित्य है। बाइबिल, आवेन्ता और कुरान केवल धर्म के प्राचीन महान् ग्रन्थ ही नहीं हैं, वरन् साहित्य की

कृतिया भी है। ऋग्वेद के ऋषियो ने उच्च विचारो को सशक्त अनुभूति-पूर्ण शब्दो के आवरण मे प्रकट किया है। पहला ही श्लोक यह है—

“अग्निम ईले पुरोहितम् यज्ञस्य देवम्
ऋत्विजम् होतारम् रत्नघातमम्।”

ऋषि ने पाच विशेषण यह बताने के लिए दिए है कि अग्नि भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद देने के लिए समर्थ है। उपनिषदो मे हमे श्रेष्ठ आदर्श और कलात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते है। प्रभाव-वृद्धि करने के लिए और पाठक पर छाप छोडने के लिए उनमे कई साहित्यिक उपायो का अवलम्बन किया गया है, उदाहरणार्थ बृहदारण्यक उपनिषद् मे लेखक लगातार कई अनुच्छेदो मे यह बताता जाता है कि किस प्रकार ससार की सारी वस्तुएं, भौतिक सम्पत्तिया और प्रेमिल उल्लास आत्मा के साक्षात्कार के लिए अवसर प्रदान करते है।

“न वा अरे पत्यु. कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति; नो वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणाम् कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस् तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम् प्रियम् भवति, आत्मनस् तु कामाय वित्तम् प्रियम् भवति,” इत्यादि।

छान्दोग्य उपनिषद् मे कहा गया है—

“यथा, सौम्य, एकेन मृत्पिण्डेन सर्वम् मृण्मयम् विज्ञातम् स्यात्,
वाचारम्भणाम् विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्य एव सत्यम्।”

इसी बात को उदाहृत करने के लिए स्वर्ण-पिण्ड और कर्त्तनी के रूपको का प्रयोग किया गया है।

एक अन्य उपनिषद् यह बतलाने के पश्चात् कि हम जागृति, स्वप्न और निद्रा के एक तिमजिले भवन मे रहते हें, बतलाता है कि बौद्धिक तप और सौन्दर्यानुभूति के द्वारा मुक्त-दशा या ज्ञान-दशा को पहुंचा जा सकता है—

“नान्त प्रज्ञं, न बहिष् प्रज्ञं, नोभयत प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं,
ना प्रज्ञं, अदृष्टं, अव्यवहार्यं, अग्राह्यं, अलक्षणं, अचिन्त्यं, अव्यपदेश्यं,

एकात्म-प्रत्ययसारम्, प्रपञ्चोपगम् गान्तं, शिवं, अद्वैतं, चतुर्य मन्यन्ते, म
आत्मा, स विज्ञेय ।”

भगवद्गीता के सौन्दर्य और उसकी गरिमा के उल्लेख की तो यहा
कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

शंकराचार्य के समृद्ध श्री सुमधुर गद्य को पढना भी आनन्द का
विषय है, देखिए—

“स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यं-शक्ति-बल-वीर्यं-तेजोभि सदा सम्पन्न ,
त्रिगुणात्मिकाम् वैष्णवी स्वा माया मूल-प्रकृति चक्षीकृत्य, अज्ञो,
अव्ययो, भूतानाम् ईश्वरो, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभावोऽपि सन्,
स्वमायया देहवान् इव जात इव लोकानुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते ।”*

गाधीजी अपनी प्रार्थना में गुरु गोविन्दसिंह द्वारा रचित ये प्रसिद्ध
पक्तिया सम्मिलित करते थे—

“ईश्वर अल्ला तेरे नाम,
मन्दिर मस्जिद तेरे धाम,
सबको सन्मति दे भगवान् ।”

भारतीय लेखक चाहे जिस विषय पर अपनी लेखनी उठावें, वे अपनी
रचना में साहित्यिक सौन्दर्य और विशिष्टता लाने की चेष्टा करते हैं ।
जैसे कि प्लेटो का ‘डायलाग्स’ और थुसिडिडिस का ‘हिस्ट्री’ यूनानी साहित्य
के अन्तर्गत ही गिने जाते हैं, वैसे ही हमारे ‘साहित्य’ शब्द में भी धर्म
और दर्शन के उच्चकोटि के ग्रन्थों का समावेश होना चाहिए ।

हमने विश्व को जो कुछ दिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी
साहित्य-सम्बन्धी देन रही है । हमारे महाकाव्य और नाटक, हमारी
कहानियाँ और लोकगाथाएँ प्रकृति के साथ तादात्म्य और मन की
स्थिरता-सम्बन्धी महान् आदर्शों का बोध हमें कराती रही हैं । उन्होंने
देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य को प्रभावित किया है । यूनानी
नाटकों और एनिजावेय-कालीन नाटकों (शेक्सपीयर आदि के नाटकों)
के मध्य जो एक सहस्राब्दि का अन्तर है, उसमें श्री बेरीडेल वॉन के

*भगवद्गीता की टीका ।

मतानुसार, भारतीय नाटक ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में आते हैं। एक भारतीय नाटक केवल नाटक नहीं है। यह कविता, संगीत, प्रतीकवाद और धर्म—सब कुछ है। कालिदास, जिनको हमारे देश के बाहर भी बहुत लोग जानते हैं, की रचनाओं में एक रूपक के बाद दूसरे रूपक इतनी शीघ्रता से आते जाते हैं कि विचार की गति उनकी गति का साथ नहीं दे पाती। जिस प्रकार शेक्सपीयर इंग्लैण्ड की, गेटे जर्मनी की और पुष्किन रूस की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार शेक्सपीयर में भारत की आत्मा बोलती है।

इतिहास के न्यायालय में कोई समाज अपनी कला और साहित्य के द्वारा ही अच्छा या बुरा परखा जाता है। कला और साहित्य ही किसी प्रजाति की शक्ति के प्रतिबिम्ब होते हैं। जब किसी देश की जनता का आत्मिक पतन होने लगता है तब कला और साहित्य भी ह्रासोन्मुख हो जाते हैं।

आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जो परिवर्तन, अव्यवसाय, साहस और अवसर का युग है। आज हमारे क्षितिज विस्तीर्ण हो रहे हैं। हमारी विचारधारा नवीन प्रभावों से प्रभावित हो रही है। हमारे मन में आज द्वन्द्व और मतिभ्रम उपस्थित हो गए हैं। यदि हममें से कुछ लोग खिन्नता और तुच्छता की भावना से पीड़ित हैं, तो इसका कारण यह है कि हम मनुष्य की आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं और उसको आर्थिक प्रलोभनों का दास बना रहे हैं या उसे प्रसीमित प्रतिक्रियाएँ (Conditioned reflexes) का समूह बनाए दे रहे हैं। यह हमारे साहित्यकारों, कलाकारों और विचारकों का उत्तरदायित्व है कि वे इस पुरातन प्रजाति की प्रतिष्ठा, इसके सन्देश और इसके प्रारब्ध को पुनः प्रतिष्ठित करें और विचारों का ऐसा नया वातावरण उत्पन्न करें जो साहित्य के विश्वजनीन गणतंत्र और विश्व-समाज की स्थापना की भूमिका तैयार कर सके।

धर्म का मानव-जीवन में स्थान*

आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने और 'धर्म का मानव-जीवन में स्थान' विषय पर आपसे कुछ शब्द कहने का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कई अन्य देशों की भाँति हमारे देश में भी धर्म का लक्ष्य है अन्तिम मृत्यु का साक्षात्कार, जिसे 'ब्रह्मानुभव' या ईश्वर का दर्शन या 'कृष्णार्जुन-संवाद' भी कहते हैं। धर्म का लक्ष्य है चेतना के एक नये राज्य का उद्घाटन। जब इस चेतना का उद्भव होता है तब विश्व के व्यष्टिगत अथवा आत्मा की केन्द्रीय एकता से अपना महत्त्व ग्रहण करने हैं। चेतना का यह पुनरुद्भव हमारा पुनर्जन्म है। यह पुनर्जन्म, चेतना का यह पुनरुद्भव और पुनर्नवीकरण ही धार्मिक साधना का लक्ष्य है।

हमारे के सभी ऋषि-मुनी और पैगम्बर, उनका धर्म या सम्प्रदाय चाहे जो हो, हमसे एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करने को कहते हैं जो सब देवताओं से ऊपर है, जो नमस्त मूर्त रूपों और धारणाओं से परे है, जिनका केवल अनुभव किया जा सकता है, पर जिसे जाना नहीं जा सकता, जो मानवात्मा की शक्ति है और जो ससार में जो-कुछ भी अस्तित्व रखा है, उसकी अन्तिम परिणति है। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना धर्म का उच्चतम रूप है।

ईश्वर की मना का अनुभव हमें ध्यान में, मननशील प्रार्थना में होता

* ऋषिभद्रों से भाषण—१२ अगस्त, १९५४।

है। मनन की सहायता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए हम मूर्ति-पूजा का आश्रय लेते हैं। ईश्वर के मूर्त रूप का आधार लेकर हमारे विचार आध्यात्मिक ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं और अन्ततः ईश्वर की अमूर्त सत्ता का अनुभव करने लगते हैं। प्रतीक या मूर्ति के माध्यम से हम परमेश्वर की ही आराधना करते हैं।

... गिरिजाघरो और मसजिदो की तरह मन्दिर भी मनुष्य द्वारा ईश्वर के अन्वेषण के साक्षी हैं। हमारे देश में कई मन्दिर हैं, जिनमें से कुछ तो ध्वस्त हो चुके हैं, कुछ सुनसान पड़े हैं, और जो अन्य हैं उनका भी तब तक कोई श्रीचिह्न नहीं दिखायी देता जब तक हम इनके द्वारा धर्म की सच्ची आत्मा का दर्शन करने में समर्थ नहीं होते। इन्हीं पवित्र स्थानों के प्राण में, अपने व्यस्त दैनिक जीवन से कुछ समय निकालकर हम एक चिरन्तन सत्ता पर अपने मन को केन्द्रीभूत करते हैं। आधुनिक युग में हम यान्त्रिक साधनों पर अत्यधिक निर्भर करने लगे हैं, क्योंकि उनके सुचारु संचालन से हम भौतिक स्तर पर सुख-सुविधापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसी दशा में हम आन्तरिक सत्ता की अनुभूति के प्रति विरक्त होने लगे हैं। जब जीवन का केन्द्र पार्थिव सुख बन जाता है तब हम अपनी स्वतन्त्र आध्यात्मिक चेतना की उपेक्षा करने लगते हैं।

धर्म का दुरुपयोग करने के कारण हमारे देश को बहुत हानि उठानी पड़ी है। हम उच्च स्तर से घोषित तो यह करते हैं कि मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। किन्तु, हम ऐसे विश्वासों और व्यवहारों को प्रशंस्य देते आ रहे हैं जो समाज विरोधी हैं। यदि 'परोपकार' और 'भूतदया' को धर्म का केन्द्रीय स्वरूप समझा जाय, तो किसी भी व्यक्ति को, जो अपने को धार्मिक कहलाने का दावा करता है, उन आचरणों को सहन नहीं करना चाहिए जो समाज को विष्ट्र खल बनाते हैं। देश में एक भी ऐसा मन्दिर नहीं बनना चाहिए जो सामाजिक भेदभाव को अनुमति देता हो। मन्दिरों को सामाजिक अनुशासन और एकता को बढ़ावा देना चाहिए।

यह ऐसा स्थान है जहाँ बहुत-से साधु और सन्यासी रहते हैं। उनको हमारे धर्म का प्रतिनिधि समझकर समाज उनका आदर करता है। सामान्यजन का तो अपना उत्तरदायित्व है ही, परन्तु साधुओं और सन्या-

गियो का उत्तरदायित्व तो उनसे भी बड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से मभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से शून्य हैं। बुद्ध ने कहा था—“तुम्हारे केशों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने हृदयों से क्लेशों (अवगुणों) को क्यों नहीं हटाते?” आज के साधुओं और सन्यासियों की परम्परा बड़ी महान् है, वे याज्ञवल्क्य, बुद्ध, शंकरानार्य और रामानुज के पथावलम्बी हैं, अतः उन्हें इस महान् परम्परा के अनुरूप बनने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या मैं उनसे विनयपूर्वक निवेदन कर सकता हूँ कि उनके गैरिक वस्त्र जिन आदर्शों की घोषणा करते हैं, यदि उनके अनुरूप उनका आचरण नहीं रहा, तो उनके वस्त्र अपवित्र हो जाएँगे?

आज हमें कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो मानव जाति के सम्मुख इससे पूर्व कभी उपस्थित नहीं हुई थी। यदि हमें उन समस्याओं का समाधान करना है तो हमारे पास ऐसे नर-नारी होने चाहिए जो धर्म की सच्ची भावना से अनुप्राणित हों। आज शास्त्रीय ज्ञान, 'वाक्यार्थ ज्ञान' की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी 'आत्म-ज्ञान' की।

जब भारतवर्ष को धर्म-निरपेक्ष राज्य कहा जाता है तब उसका यह अर्थ नहीं होता कि हमारा राष्ट्र एक अदृश्य आत्मा की वास्तविकता को या जीवन में धर्म की उागोगिता को अस्वीकार करता है, या हम धर्म को बढावा देते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता अपने-आप में कोई विधेयात्मक धर्म बन जाती है, या राज्य के हाथों में अनियन्त्रित दैवी अधिकार आ जाते हैं। यद्यपि परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता में विश्वान भारतीय परम्परा का आधारभूत सिद्धान्त रहा है, तथापि हमारा राज्य किसी एक विशिष्ट धर्म को न तो अपना राज्य धर्म बनाएगा और न उससे नियन्त्रित ही होगा। धार्मिक निष्पक्षता-सम्बन्धी हमारी यह धारणा हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महान् योगदान करने वाली है। देश का कोई भी नागरिक या नागरिकों का कोई समूह किसी भी ऐसे अधिकार या ऐसी सुविधा या अनुचित दावा अपने लिए नहीं कर सकता जिसे वह दूसरों को देने से इकार करता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के

कारण किसी भी प्रकार की अयोग्यता या भेदभाव का शिकार नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, समान रूप से पूर्णतया भाग लेने के लिए स्वतन्त्र होंगे। धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ है।

मानव के प्रति प्राचीन एशियाई दृष्टिकोण¹

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में सत्सर् के विभिन्न भागों से विभिन्न सङ्घात्यों के विचार्यों एक स्थान पर एकत्र होते हैं, और उनसे मनुष्य के साम्प्रतिक प्रारब्ध की पुन. परिभाषा करने और उसकी विशालतर विरासत की फिर से खोज करने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस प्रकार के रेडियो-भाषणों का आयोजन कर रहे हैं, वे लोग इस बात में अनुप्रेरित हैं कि हमारी आज की एक बड़ी आवश्यकता है दूसरे लोगों और उनकी सम्यताओं, विशेषकर उनकी नैतिक और आध्यात्मिक उपसङ्घात्यों को अधिक गहराई से समझने की और उनकी विशेषताओं की प्रशंसा करने की। मानव के प्रति एशियाई दृष्टिकोण प्राचीन यूरोपीय दृष्टिकोण से बहुत भिन्न नहीं रहा है। मुझे राष्ट्रीय और महाद्वीपीय मनोविज्ञान के तथाकथित विज्ञान पर विश्वास नहीं है जो यह निश्चयपूर्वक कहता है कि सभी एशियाई ऐसे हैं और सभी यूरोपीय वैसे हैं। इन प्रकार की चलती-फिरती बातों में किन्हीं जनता के इतिहास के विषय में जो कुछ पता चलता है, उनसे उमका इतिहास कुछ अधिक जटिल हुआ करता है। वास्तव में, एशियाई और यूरोपीय लोगों का आरम्भ एक स्थान से हुआ था, बाद में उनके विचार अपेक्षाकृत कुछ स्वतन्त्र होते गये और उनमें कुछ ऐसी विशेषताएँ आती गईं जिनमें दोनों एक-दूसरे में कुछ अलग जान पड़ने लगे।

¹ कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अर्द्धशताब्दी महोत्सव के लिए रेडियो द्वारा प्रसारित भाषण—अप्रैल, १९५४ ई०।

एशिया के भीतर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के विकास हुए, फिर भी एशिया के विभिन्न भागों के लोगों में कई बातें समान रूप से पाई जाती हैं जिनके आधार पर हम मानव के प्रति किसी एशियाई दृष्टिकोण की बात कहने का औचित्य सिद्ध कर सकेंगे। यह एशियाई दृष्टिकोण आवश्यक रूप से धार्मिक है। मानव जाति आज जिन-जिन धार्मिक मतों का अवलम्बन कर रही है, उनमें से सभी एशिया से ही उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, कन्फ्यूशियन और ताओ धर्म चीन में, हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्म भारतवर्ष में, जोरोस्ट्रियन (पारसी) धर्म ईरान में, जूडा और ईसाई धर्म फिलिस्तीन में, और इस्लाम धर्म अरब में उत्पन्न हुए। पश्चात्य देशों की जनता आज जिन धर्मों को मानती है, वे सभी एशिया से गए हैं। इस छोटी-सी चर्चा में विभिन्न धर्मों के विकास को विस्तार में बतलाना सम्भव नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ भारतीय दृष्टिकोण, जिससे मैं कुछ-कुछ परिचित भी हूँ, के विषय में कुछ बतलाकर ही सन्तोष करूँगा। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि भारतीय सस्कृति ने एशिया के विचार और कला के काफी बड़े अंश को प्रभावित किया है और ससार के अन्य भाग भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं और सस्कृतियों से सम्बन्ध रखने वाले लोग इस भारत भूमि में मिले, और यद्यपि हम उनमें यदा-कदा संघर्ष होने की भी बात पढ़ते हैं, तथापि वे एक समान सभ्यता के सदस्यों के रूप में इस देश में बस गए। उनके द्वारा जिस समान सभ्यता का विकास हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं—एक अदृश्य सत्ता में, जो समस्त प्राणियों के रूप में अपने को व्यक्त करती है, आस्था, आध्यात्मिक अनुभव की प्रधानता; बौद्धिक सामान्यता का दृढता से पालन और प्रत्यक्षतः परस्पर विपरीत दिखाई देने वाली वस्तुओं में समरसता स्थापित करने की उत्कठा।

एक सिद्धान्त जिसके द्वारा भारतीय सस्कृति बाहरी ससार में अच्छी तरह जानी जाती है, वह है 'तत् त्वम् असि'। मनुष्य की आत्मा में ही चिरन्तन सत्ता का निवास है। वह परम सत्य जो सभी वस्तुओं के अन्तरतम में निवास करता है, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का ही सार अंश है। जिस साधक की वासनाएँ प्रगमित हो चुकी हैं, वह अपने अन्तर में उस परम

सत्य की विभूति के दर्शन करता है। चूँकि उस अलौकिक सत्ता का प्रति-
 बिम्ब मनुष्य में है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य पवित्र हो उठता है। यदि हम
 मनुष्य को केवल मांस-पिण्ड या केवल मन मानकर उसको अपने मनोनु-
 कूल ढालने के लिए उस पर अधिकार करना चाहते हैं, तो हम यह भूल
 जाने हैं कि वह आवश्यक रूप से वह वस्तु है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे
 वन्दन में बाँधकर रख नहीं सकते, जिस पर अधिकार नहीं कर सकते और
 जो ईश्वर की प्रतिमूर्ति है और विल्कुल उस-जैसी है तथा जो किसी प्राकृ-
 तिक आवश्यकता की उपज नहीं है। मनुष्य सासारिक चक्र में फँकी हुई
 वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक प्राणी के रूप में वह प्राकृतिक और सामाजिक
 जगत् के स्तर में ऊपर उठा हुआ है। वह प्रधानतः विषय है, वस्तु नहीं।
 आधुनिक अस्तित्ववाद (existentialism) बतलाता है कि वस्तुओं के
 सम्बन्ध में विवेचन करने वाला विचार चिन्तक और अस्तित्वशील व्यक्ति
 के लिए अपर्याप्त होता है। मनुष्य की आन्तरिक वास्तविकता की समा-
 नता उन गुणों से नहीं की जानी चाहिए जिनसे उसकी परिभाषा की जाती
 है, और न उन बाह्य सम्बन्धों के साथ उसकी आन्तरिक वास्तविकता की
 तुलना की जा सकती है जिनके साथ वह बंधा हुआ है। हम आत्मा को
 उसी अर्थ में नहीं जानते जिस अर्थ में हम किसी पदार्थ को जानते हैं।
 जब हम कभी अन्तर्मुख होकर देखते हैं तब पाते हैं कि अपने आन्तरिक
 जीवन के विषय में हमारा ज्ञान सीमित है—एक सीमा से अधिक उसके
 विषय में हम नहीं जान सकते। प्रत्यक्षीकरणों (perceptions), विचारों
 (thoughts) और अनुभूतियों (feelings) की अपेक्षा आत्मा अधिक
 गहनतर है। हम न तो उसे देख सकते हैं और न उसकी परिभाषा कर
 सकते हैं, क्योंकि देखने और परिभाषा करने का काम तो आत्मा ही करती
 है। यह वह आँसू है जो हमारे ज्ञान की वस्तु (object) नहीं बरन्
 जानने का विषय (subject) है। यह हृदयगम की जा सकती है, किन्तु
 विचार के द्वारा नहीं, बरन् हमारे समस्त अस्तित्व के द्वारा। इसके
 पश्चान् ही हम प्रत्येक व्यक्ति में परम सत्ता की सांस्तित्व उपस्थिति का
 भाव कर पाते हैं।

भारतीय महान् ग्रन्थ, भगवद्गीता मनुष्य की आत्मा को अमर

बताती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं पाते, अग्नि उसको जला नहीं पाती, जल उसे भिगो नहीं पाता और हवा उसे सुखा नहीं पाती। आत्मा काटे जाने के योग्य नहीं है, वह जलाई नहीं जा सकती, वह न भिगोई जा सकती है और न सुखाई जा सकती है, वह शाश्वत है, वह सर्वव्यापक है, अपरिवर्तनशील है, उसको हटाया नहीं जा सकता, वह सतत एक-सी रहती है।

व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी में 'पर्सनैलिटी' (personality) शब्द आता है। उस शब्द का निर्माण लेटिन के 'पर्सोना' (persona) शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है अवगुण्ठन या नकाब जिसे रंगमंच पर अभिनय करते समय अभिनेता अपने मुख पर डाल लेता है। उस नकाब के भीतर से वह अपना पार्ट बोलता है। अभिनेता एक अज्ञात, अनाम व्यक्ति होता है जो नाटक से मूलतः विलग, विरक्त रहता है। वह नाटक में अभिनीत पीडाओं और मनोविकारों से निर्लिप्त रहता है। नाटक की वेग-भूषाओं के भीतर वास्तविक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रच्छन्न, आवेष्टित और अवगुण्ठित रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के घेरे से छूट कर उसकी वास्तविक सत्ता की अथाह गहराइयों तक पहुँचना अनुशासित प्रयत्न से ही सम्भव हो सकता है। प्रत्यक्ष व्यक्तित्व की अनेक परतों का भेदन करके व्यक्ति जीवन के निर्लिप्त अभिनेता के पास तक पहुँचता है। मनुष्य बाह्य रूप में जैसा और जितना कुछ दिखाई देता है, उससे बहुत अधिक वह होता है। जब क्रीटो (Crito) ने पूछा—“सुकरात ! तुम्हें हम किस प्रकार दफनाएँगे ?” तब सुकरात ने उत्तर दिया था—“जिस प्रकार भी तुम चाहो, परन्तु पहले मुझको, वस्तुतः जो 'मैं' हूँ उसको तो पा लो। फिर मेरे प्यारे क्रीटो, तुम खुशी-खुशी कहना कि तुम मेरे केवल शरीर को दफना रहे हो, और उस शरीर के साथ तुम जो कुछ लोक व्यवहार में होता आया है, या जैसा भी तुम ठीक समझो, करना।”

भारतीय विचारक आत्मा के सामने प्रकृति का विरोध नहीं करते। जब मनुष्य का प्राकृतिक जीवन अपने अस्तित्व में आता है तब उसका आध्यात्मिक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। मनुष्य की चरम उन्नति उसी के हाथ में होती है। अन्य जीवधारियों की तरह मनुष्य का भविष्य उसके जैविक अतीत (biological past) से निर्धारित नहीं होता। इसका

नियन्त्रण होता है विष्व-सम्बन्धी मनुष्य की योजनाओं द्वारा। वैयक्तिक भाव ने रहित विश्व में मनुष्य एक नगण्य बिन्दु की भांति नहीं है। हम जब मनुष्य की अन्तर्निहित नेतना को प्रोत्साहन कर देते हैं, जब स्वयं को मनाने में लगे देते हैं, तब हम जीवन को सगृह, परिग्रह समझने की शूल कर बैठते हैं, दलदल में फँसे हुए व्यक्ति की तरह हम सम्पदा के माया-जाल में फँस कर उससे छूटने के लिए हाथ-पैर मारते हैं; हम अपनी शक्तियों का अपव्यय करते हैं, जीवन के निमित्त नहीं, बल्कि वस्तुओं के निमित्त। हम अपने घरों, अपने धन और अपनी अन्य सम्पत्तियों का उपयोग करने के बजाय उनको अपना स्वामी और प्रयोक्ता बना डालते हैं। सामाजिक सुख हमारे लिए नहीं, बल्कि हम उनके लिए हो जाते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन से रिक्त हो जाते हैं, और आत्म-रहित बन जाते हैं। प्रकृति के प्रति मोह और आध्यात्मिक गरिमा की सगति नहीं बैठती। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं कि हम प्रकृति की कमियों को दूर फेंक दें। हमारे शरीर भगवान् के मन्दिर हैं। 'शरीरमाद्यन्तु धर्मसाधनम्।' धर्म-साधना के लिए हमारे शरीर ही साधन-स्वरूप हैं। जब मानव प्राणी बहुत स्पष्ट रूप से जानवान्, बहुत जागृत होते हैं, तब वे अनुभव करते हैं कि किसी न किसी अर्थ में, जिसे स्पष्टतया व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन हैं, आत्मा के पात्र हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम व्यक्तिवाद से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम और हमारे साथी मानव एक ही आत्मा की अभिव्यक्तियाँ हैं, प्रजाति, रंग, धर्म तथा राष्ट्र के विभेद सामाजिक सम्भावनाएँ बन जाते हैं। हमें यहाँ सुकरात द्वारा मृत्यु-तथ्या से कही हुई यह बात स्मरण होनी है— "मैं न ऐशिनियन हूँ, न यूनानी, मैं तो मनुष्य का नागरिक हूँ।" 'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।' भगवद्गीता हमें बताती है कि अच्छा धार्मिक व्यक्ति दुःख में ही या सुख में, प्रत्येक वस्तु को अपनी ही आत्मा की प्रतिमूर्ति समझ कर उन्नत मान-समानता का व्यवहार करता है।

जब हम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य के भीतर देवी शक्ति का निवास है, तब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक भी ऐसा व्यक्ति

नहीं है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, जिसको दोषमुक्त न किया जा सके, जिसके सोये देवत्व को जगाया न जा सके। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसके द्वार पर यह लिखा हो—“ओ, इस स्थान में प्रवेश करनेवाले ! तुम सारी आगाये त्याग दो।” कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नितान्त बुरा हो। जिनको लोग बुरा मनुष्य कहते हैं, उनके चरित्र को हमें उनके जीवन के प्रसंग में समझना होगा। कदाचित् अपराधी या पापी व्यक्ति ऐसे रुग्ण मनुष्य होते हैं जिनका प्रेम अपना उचित लक्ष्य खो चुका होता है। सभी मनुष्य चिरन्तन सत्ता के शिशु हैं, वे ‘अमृतस्य पुत्रा’ हैं। प्रत्येक व्यक्ति में चेतना होती है जो उसकी आत्मा का ही एक अंश होती है। और जो व्यक्ति के अस्तित्व का आधार होती है। कुछ लोगो में यह चेतना पशुता तथा हिंसा के ऊसर मलबे के नीचे किसी खजाने की तरह दबी पड़ी हो सकती है—परन्तु वह प्रति क्षण वहाँ गतिशील तथा जीवित अवस्था में होती है और उपयुक्त अवसर पाते ही सतह पर आने के लिए हर समय तैयार रहती है। जो प्रकाश इस ससार में आए हुए प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित कर रहा है, उसको बुझाया नहीं जा सकता। हम इसे चाहे या न चाहे, हम इसे जानते हो या न जानते हो, ईश्वर तो हमारे भीतर है और इसके साथ चैतन्य एकत्व की प्राप्ति ही मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। एक जापानी जैन बौद्ध सन्त का कथन है—“कोई भी पुरवा (छोटा गाँव) ऐसा गया—बीता नहीं है, जहाँ रुपहले चाँद की चाँदनी न पहुँच पाती हो, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने विचारों के झरोखे को पूरी तरह खोल देने के बाद दैवी सत्य का दर्शन न कर सके और उसे हृदयगमन न कर सके।”

प्रकाश और अन्वकार के राज्यों के बीच तथा स्वर्ग और नरक के बीच जो प्रन्तर है वह रक्षणीय नहीं है, वह टिकाऊ नहीं है। अनन्त सत्ता की सर्वव्यक्तिगता और उसका विश्वजनीन प्रेम हार नहीं मान सकते। हिन्दू और बौद्ध मतवाद व्यापक मोक्ष या निर्वाण का लक्ष्य लेकर चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मान्यता के अनुसार, बुद्ध बुद्धत्व-प्राप्ति की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचने से जानबूझ कर इसलिए बच गए, ताकि वे उस मार्ग पर बढ़ने वाले अन्य लोगो की सहायता कर सकें।

उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं तब तक निर्वाण की स्थिति में प्रविष्ट नहीं हूँगा जब तक ससार की समस्त वस्तुएँ, जिनका अस्तित्व है, अपवित्र हो सकने वाली धूल का प्रत्येक कण निर्वाण के लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता ।

इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दू और बौद्ध धर्म अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप में कोई भेद ही नहीं करते । इसका अर्थ केवल यह है कि बुराई भी सदा बुराई नहीं रह सकती, पापी के पुण्यात्मा बनने के भी अवसर हैं । ईश्वर आत्मा को निरन्तर क्रमिक रूप से आध्यात्मिक सुअवसर प्रदान करता रहता है । यदि मनुष्यो को केवल एक अवसर दिया गया है, तो जीवन का अन्त होने पर उनके कर्मों के अनुसार उनका निर्णय होता है । यदि उनके कर्म अच्छे रहे हैं तो ईश्वर उनको बचा लेता है और यदि बुरे रहे हैं तो उनको दण्ड देता है । इस प्रकार का सिद्धान्त इस मान्यता के साथ मेल नहीं खाता कि ईश्वर असीम प्रेमालु और असीम दयालु है । भारत का आदर्श ऐसा रहा है जो मनुष्य को समय के हाथों में खेलनेवाला प्राणी नहीं बना देता, वह मनुष्य को पूर्णतया अपनी भौतिक परिस्थितियों और सम्पदाओं पर निर्भर या उन्हीं तक सीमित नहीं बना रहने देता । हमने तो यह घोषणा की है कि ससार एक नैतिक नियम के द्वारा संचालित हो रहा है और जीवन मनुष्य के नैतिक चुनाव का एक दृश्य है । जैसी हमारी नैतिक पसन्द होगी, वैसा ही हमारा जीवन होगा । जीवन तो 'धर्मक्षेत्र' है । मनुष्य कभी भी, किसी भी समय पूर्णत्व की उपलब्धि के लिए प्रयत्न कर सकता है और उसे पा सकता है । इसमें विलम्ब जैसी कोई बात नहीं । हिन्दुओं और बौद्धों की दृष्टि में धर्म एक रूपान्तरकारी अनुभव है । धर्म कोई ईश्वर-विषयक सिद्धान्त नहीं है, यह तो आध्यात्मिक चेतना है, मृष्टि के परम न्यून तक पहुँचनेवाली अन्तर्दृष्टि है । विश्वास और आचरण, संस्कार और ममारोह, धार्मिक सिद्धान्त और उनके साम्प्र—ये मारी चीजे चैतन्य आत्मान्वेषण की कला और ब्रह्म में नपक के सामने गौण हैं, उनके अन्तर्गत हैं । जब व्यक्ति अपनी आत्मा को नमस्त बाह्य घटनाओं से विरत कर लेता है, अन्तर्मुख होकर अपनी धर्मिता को भीतर ही भीतर संग्रह करता है, एकाग्र चित्त होकर प्रयत्न करता है,

तब उसको अकस्मात् एक पवित्र, विचित्र, अद्भुत अनुभव होता है। वह अनुभव उसकी आत्मा को बड़ी शीघ्रता से व्याप्त कर लेता है, उसको अभिभूत कर लेता है और वह उसका अपना अस्तित्व ही बन जाता है। इस प्रकार के अनुभव की सम्भावना ही इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है। जो लोग विज्ञान और तर्क-बुद्धि के शिशु हैं, उन को भी आध्यात्मिक अनुभव के तथ्य को, जो एक प्रधान एवं विधेयात्मक तथ्य है, स्वीकार करना ही चाहिए। हम विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों से मतभेद रख सकते हैं, उनकी सत्यता में सन्देह कर सकते हैं, परन्तु हम तथ्यों से इकार नहीं कर सकते। जीवन की धधकती हुई आग हमें बाध्य कर देती है कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करें, उसको आग कहे, परन्तु यह अवश्य है कि आग को घेर कर बैठे हुए तम्बाकू पीने वालों की बेसिर-पैर की अटकलबाजियाँ हमें ऐसा कहने को बाध्य नहीं कर सकती।

ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति, उसका साक्षात्कार तो एक तथ्य है, जब कि उसके अस्तित्व का सिद्धान्त अनुमान है। चिरन्तन सत्ता से सम्पर्क एक बात है और उसके विषय में सम्मति निर्धारित करना दूसरी बात। ईश्वरत्व के रहस्य और ईश्वर के प्रति विश्वास में अन्तर है।

बौद्धिक आत्मभरता (Rationalistic self sufficiency) एक भयावह वस्तु है। यह सोच लेना खतरे से खाली नहीं है कि जितना कुछ अपनी बुद्धि से हम जान चुके हैं, उससे अधिक कुछ जानना शेष नहीं है। इस विश्वास के कारण मानव की धार्मिक विचारणा बुरी तरह कुण्ठित और पगु हो गई है कि सत्य को प्राप्त किया जा चुका है, सत्य का स्वरूप, उसका प्रतिमान निर्धारित किया जा चुका है और अब मनुष्य के लिए इससे अधिक कुछ शेष नहीं रहा कि वह अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा एक अनन्त पूर्ण शक्ति, जो हमसे बहुत दूर है, के स्वरूप के विषय में कुछ पूर्व-संग्रहीत बातों को ही यत्किञ्चित् मात्रा में पुनः दुहरा दें। तथाकथित इल-हाम या दैवी प्रकाशन (revelation) पर आधारित जो दावे निर्भ्रान्त सत्य के सम्बन्ध में किए जाते हैं, उनको धर्म के समकक्ष नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वे आध्यात्मिक साहसिकता मात्र हैं। मनुष्य के जीवन की सिद्धि आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें मनुष्य के अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष

अपने उच्चतम विन्दु तक उठ जाता है, सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तियाँ एकत्र हो जाती हैं, सम्पूर्ण मन का उन्नयन होता है और वह एक रोमांचक क्षण में ऐसी वस्तुओं की अनुभूति कर लेता है जिसको व्यक्त करना किसी प्रकार सम्भव नहीं, गूंगे के गुड से ही जिसकी उपमा दी जा सकती है। वद्यपि वाणी उस रोमांचक अनुभूति के विषय में कुछ बताने में असमर्थ होती है और मन उसकी कोई कल्पना करने में प्रसक्त होता है, तथापि आत्मा की कामना और प्रेम, उसकी इच्छा और उत्कण्ठा, उसकी जिज्ञासा और चिन्तना उस अनुभूति के कारण एक उच्चतम चेतना और स्फूर्ति से परिपूर्ण हो जाती है। यही धर्म है। धर्म के विषय में तर्क या शास्त्रार्थ करना धर्म का मच्चा स्वरूप नहीं है।

धर्म के सिद्धान्तों का निर्माण करते समय हम आत्मा के अस्तित्व को किसी वस्तु की प्राप्ति में बदल डालते हैं। जिस शक्ति ने प्रारम्भ में हमारे अस्तित्व को समाविष्ट किया था उसको हम उस वस्तु में रूपान्तरित करते हैं जिसका समावेश हम स्वयं करते हैं। इस प्रकार यह कुल अनुभव ज्ञान का एक विषय बन जाता है। धार्मिक मतवादों के सम्बन्ध में हमारा जो झगडा है, वह ज्ञान के इन प्राणिक विषयों को लेकर ही है। जिन बातों के विषय में धर्म चुप रहता है और जिनके विषय में वह बोलता है, उनको यदि गहराई से देखा जाय, तो वे एक-सी टहरती हैं। एक ऐसा समान धरातल है जिस पर विभिन्न धार्मिक परम्पराएँ आधारित हैं। उन समान धरातल पर हमारा जन्ममिद्ध अधिकार है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति उगने हुई है जो अनैतिहासिक है, जो चिरन्तन है। ऐतिहासिक धर्मग्रन्थों से पता चलता है कि कुछ आधारभूत बातें सभी धर्मों में पायी जाती हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों पर ही भविष्य की यात्रा टिकी है। उनमें ही नसार में धार्मिक एकता स्थापित हो सकेगी और विभिन्न मस्तिष्कों में महानुभूति बढ़ेगी। जीवन के प्रति एगियाई दृष्टिकोण भी प्रभुत्व दाने पश्चिम के आध्यात्मिक जीवन की महान् परम्परा में भी पाई जाती है और वही बातें धिनिज को देहरी पर राडे नये संसार के लिए भूतभूत निम्नपात्मक आधार का निर्माण करेगी। वे बातें हैं—आत्मा की देवी शक्तियाँ, लोकतंत्र में नास्था, समस्त प्राणियों और नृष्टि में एकर नी

भावना, विभिन्न धर्मों और सस्कृतियों में सक्रिय समझौते की सतत चेष्टा, ताकि मानव जाति में एकता बढ़ायी जा सके ।

आधुनिक सभ्यता जो अधिकाधिक प्रौद्योगिक बनती जा रही है, सत्य के एक सीमित स्वरूप पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है । वह मानकर चलती है कि जिन बातों को वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित किया जा सकता है, केवल उन्हीं को क्रिया का आधार बनाया जा सकता है । कुछ वैज्ञानिक और प्रविधिविज्ञ जिनके हाथ में हमारे वर्तमान युग की वागडोर है, वे मनुष्य को विशुद्ध यांत्रिक और भौतिक प्राणी बतलाते हैं । वे कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र प्रतिक्रिया (automatic reflexes) का बना हुआ है । वे नर-नारियों की उन प्रवृत्तियों या रुझानों पर बल देते हैं जो अधिकतर पार्थिव हैं । मनुष्य के भीतर जो उच्चतर पवित्रता विद्यमान है उसकी ओर से वे आँख मूंदते-से जान पड़ते हैं । जो लोग इस युग में पैदा हुए हैं, वे जीवन में आस्था की कमी का अनुभव कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से विस्थापित हैं, वे सांस्कृतिक दृष्टि से उखड़े हुए हैं और वे परम्पराविहीन हैं । मनुष्य के उद्धार की आशा अब बस इस बात में है कि उसमें आध्यात्मिक चेतना पुनः जगे, वह यह अनुभव करने लगे कि वह एक अपूर्ण प्राणी है और अपने पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए उसे ईश्वर के साम्राज्य को, जो उसमें ही अन्तर्निहित है, लक्ष्य बनाकर चलना है । “वे सभी युग जिन पर विश्वास का, चाहे वह विश्वास कैसा भी हो, प्रभुत्व रहता है, उनमें एक अपनी दीप्ति, एक अपना आनन्द होता है और वे अपनी जनता तथा अपनी भावी सतति के लिए फलदायक होते हैं । वे सभी युग जिन पर अविश्वास, वह अविश्वास चाहे कैसा भी हो, अपनी दुःखद पताका पहना देता है, उनकी उपेक्षा उन्हीं की सतति द्वारा होने लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निष्फल वस्तुओं के सहारे अपने जीवन को घसीटना नहीं चाहता ।” शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो गटे के उपर्युक्त कथन की सत्यता को अस्वीकार कर सके, या इस बात से इन्कार करे कि यह युग अविश्वास का युग है । इस युग में विश्वास की ज्योति का उतना अभाव नहीं है जितना अभाव इस बात का है कि लोगों में विश्वास करने की क्षमता ही निःशेष हो गई है । एक समाज के

रूप में, आधुनिक समाज वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को ही भूल चुका है। आज लोगों के मनो में एक ऐसी रिक्तता आ गई है जिसे भरने में अपने निदान्तों का द्विद्वारा पीटनेवाले कट्टरपथी धर्म असमर्थ हो रहे हैं। जब कि पुराने देवता, पुराने मत्स्य और पुराने मूल्य फीके पडते जा रहे हैं, जब स्वयं जीवन की ज्योति मन्द पड गई है, जब इसके सारे स्वरूप अपना पञ्जा कसते जा रहे हैं, जब जीवन दूभर हो गया है, तब कुछ उग्र प्रकृति के लोगो को यह असह्य हो उठा है कि उन पुराने सत्यो तथा मूल्यो के स्थान पर नई और महानतर ग्रास्थाओं की प्रतिष्ठापना करने में विलम्ब किया जाय। हम लोग इतने अधिक धार्मिक हो गए हैं कि इस नाजुक परिस्थिति को सम्भालने के अयोग्य सिद्ध हो रहे हैं।

जब यूनानी—रोमन सभ्यता की तूती बोल रही थी तब वह अपने द्वारा विजित लोगो को कोई धर्म प्रदान करने में असफल रही; इसके विपरीत, वह उन लोगो द्वारा प्रदत्त धर्म के द्वारा एक दिन जीत ली गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज एशिया के लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित इस नए ससार को आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर सकें? पश्चिम के पास इतने और ऐसे भौतिक तथा राजनीतिक साधन हैं जिनसे वह एक ऐसी सुदृढ व्यवस्था का ढाँचा प्रदान कर सकता है जिसके अंतर्गत विभिन्न सभ्यताएँ परस्पर धुल-मिल सकती हैं और उनके मध्य सफल आदान-प्रदान की प्रक्रिया चल सकती है, और इस प्रकार संसार की आध्यात्मिक दरिद्रता पर विजय पाई जा सकती है। यदि आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण नहीं होता, तो हमारी वैज्ञानिक सफलताएँ हमारा किन्ही भी क्षण विनाश कर दे सकती हैं। हम प्रारब्ध के दिनों में जीवित रह रहे हैं। या तो ससार अग्नि की लपटों में धू-धू कर जल उठेगा या वह शान्ति के साथ सुस्विर हो जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी गम्भीरता से अपने युग की समस्याओं का सामना करते हैं।

हमारी समस्त वैज्ञानिक प्रगति का उपभोग करने में समर्थ और संसार के केन्द्रीभूत विकसित ज्ञान का उपयोग करने वाले एक मानव समाज का निर्माण किया जा सकता है बशर्ते कि आज के उच्च पदाधि-

कारी और सत्ताधारी लोग कुछ अनुशासन और कठोर नियमों में बँधकर व्यवहार करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि यह सारी कठोरता और अनुशासन उससे कम ही तीव्र होंगे जो युद्ध छिड़ जाने की दशा में उन्हें भुगतने पड़ेंगे।

मैं अपने भाषण को एक प्राचीन प्रार्थना से समाप्त करना चाहूँगा—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग भवेत् ॥

शान्ति । शान्ति । शान्तिः !

[यहाँ सब लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग कल्याण का दर्शन करें और कोई भी दुःखभागी न बने। शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !]

आध्यात्मिक चेतना जगाना आवश्यक^१



मैं भारतीय विश्वविद्यालयों की ओर से, इस शुभ अवसर पर, आपके इस २०० वर्ष प्राचीन महान् विश्वविद्यालय के प्रति, इसकी उन सेवाओं के लिए जो इसने विज्ञान और ज्ञान की वृद्धि में की हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की अनुमति चाहता हूँ।

आजकल संसार की जो स्थिति है, उस पर से मुझे एक महत्त्वपूर्ण लघु कथा स्मरण हो आती है। "ईसा मसीह एक ध्वेत मैदानी स्थान में एक नील लोहित नगर में आए। अभी वे पहली ही सड़क से गुज़र रहे थे कि उन्हें अपने ऊपर की ओर से कुछ आवाज़े आती सुनाई दी। उन्होंने सिर उठा कर देना तो पाया कि एक युवक शराब में वदहवास होकर एक गवाक्ष में पड़ा था। उन्होंने पूछा—'तुम शराब पीने में अपना समय व्यर्थ क्यों करते हो?' उसने कहा—'प्रभु! मैं कोढ़ी था और आपने मुझे स्वस्थ किया। अब इसके अतिरिक्त मैं और कर ही क्या सकता हूँ?' कुछ दूर आने-जाने पर, उन्होंने देखा कि एक युवक एक पुष्चली स्त्री के पीछे-पीछे जा रहा था। ईसा ने कहा—'तुम दुष्चरित्रता में अपनी आत्मा को इस प्रकार क्यों गला रहे हो?' उसने उत्तर दिया—'प्रभु! मैं अंधा था, आपने मुझे नेत्र दिये, मैं इसके अतिरिक्त और कहे भी क्या?' अन्ततः नगर के मध्य में पहुँचकर ईसा ने देखा कि एक बृद्ध

^१कोलम्बिया विश्वविद्यालय में सयुक्त राष्ट्र संघघोषणा-पत्र दिवस पर आयोजित भोज में भाषण—३० अक्टूबर, १९५४।

धरती पर पडा है और फूट-फूटकर रो रहा है। जब उन्होंने पूछा कि भाई, तू रो क्यों रहा है, तब उसने उत्तर दिया—‘प्रभु! मैं मृत था, आप ही ने मुझे पुनः जीवन दिया, मैं रोऊँ नहीं तो और करूँ क्या?’

स्वास्थ्य, धन अचकाश और स्वयं जीवन, जिनकी वृद्धि में विज्ञान योग दे सकता है, एक उच्चतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करते हैं। हमारी पीड़ित पीढ़ी को अस्पष्ट रूप से ज्ञात है कि वर्तमान सकट आध्यात्मिक है, और हमें आवश्यकता इस बात की है कि भयावह अनुपात में बढ़ रहे शक्ति के बाह्य साधनों और क्रमशः ह्लासोन्मुख आत्मा के आन्तरिक साधनों के मध्य जो अनैक्य है, उसको दूर किया जाए।

डूबती हुई सभ्यता को उबारने के लिए और उसकी पुनर्रचना करने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमें जीवन के आन्तरिक उत्स के साथ नवीन संपर्क स्थापित करना है ताकि हमारा कायापलट हो सके। हमें नैतिक मूल्यों के महत्त्व को समझना है। यह मेरी हार्दिक आशा और प्रार्थना है कि यह महान् विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में ऐसे नर-नारियों को प्रशिक्षित करके भेजता रहे जो कुशल हो, योग्य हो, जिनमें दूरदर्शिता और साहस हो; जो विवेकी हो, गुणवान हो, जो भयाक्रान्त न हो और अन्याय को चुपचाप सहन न करें।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार^१

मुझे यहा आकर इस विद्यापीठ के स्वर्ण जयन्ती-समारोह वा उदघाटन करने हुए प्रसन्नता हो रही है। यह विद्यापीठ जो 'पूसा इस्टीट्यूट' के लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है, एक छोटे से विद्यालय से आरम्भ होकर कृषि-अनुसंधान के क्षेत्र में अपने आज के महत्त्वपूर्ण स्थान पर पहुच गया है। यह विद्यापीठ आज ससार में कृषि-अनुसंधान का एक प्रमुख केन्द्र माना जाता है।

इस अवसर पर यह उचित ही है कि हम उन लोगों का स्मरण करें, जिन्होंने इस विद्यापीठ के निर्माण में और इसको इसके वर्तमान पद पर पहुचाने में सहायता की। इस विद्यापीठ की स्थापना का श्रेय अग्रेज ग्रामको की कल्पना और एक अमेरिकन मित्र श्री फिप्स की उदारता को है। विभिन्न शाखाओं के अग्रणी कार्यकर्त्ताओं ने यहाँ अध्ययन किया और यहाँ उच्च परम्पराएं स्थापित की। आपको उन परम्पराओं को यदि आगे बढ़ाने का नहीं, तो कम से कम उनको यथावत् बनाये रखने का तो प्रयत्न करना ही चाहिए। लियोनार्डो ने लिखा था—“प्रकृति और मानव के मध्य 'प्रयोग' ही सच्चा व्याख्याता है।” “हे ईश्वर! तू श्रम के मूल्य पर हमें मारी वस्तुएँ बेचता है।”

हम यह जयन्ती ऐसे समय मना रहे हैं जब खाद्यान्नों के उत्पादन में

*भारतीय कृषि अनुसंधान-विद्यापीठ (इण्डियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट) में उदघाटन-भाषण—१ अप्रैल, १९५५।

क्रमशः वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके लिए 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन, ग्रामीण विकास परियोजनाओं और अच्छी वर्षा को धन्यवाद है। इस सम्बन्ध में हमें स्वर्गीय रफी अहमद किदवई की सेवाओं को नहीं भूल जाना चाहिए। किदवई साहब में असाधारण साहस, सकल्प और उत्साह था। हमारी आज की समस्या खाद्यान्न की कमी की नहीं है, वरन् अतिरिक्त बचत और कृषि-उत्पादनों के मूल्यों में गिरावट की है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस परिस्थिति से अवगत है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम औद्योगीकरण की साहसपूर्ण योजना आरम्भ कर रहे हैं। द्वितीय योजना कृषि का भार घटाकर उसमें लगे हुए अनावश्यक व्यक्तियों को उद्योगों में लाभप्रद रोजगार देना चाहती है। यह सब होते हुए भी हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार कृषि ही बनी रहेगी। उन्नतिशील देशों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि भूमि उनकी समृद्धि का मुख्य स्रोत बनी रहेगी। कोई भी देश, चाहे वह किनना ही अधिक औद्योगिक हो, यदि उसकी कृषि-सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था सकीर्ण या निर्बल हो जाय, तो वह अपने को नहीं बनाये रख सकता। इंग्लैंड की 'औद्योगिक क्रांति' अधिकतर सस्ते खाद्यान्न और चारे के फलस्वरूप हुई, क्योंकि इनको वह अमेरिका से आयात करता था। ससार के बाजार में अमेरिका को जो प्रमुखता प्राप्त है, उसका कारण भी यही है कि उसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है। सोवियत संघ की प्रभावशील उन्नति के पीछे भी विस्तृत कृषि आधार वाली उसकी अर्थव्यवस्था ही है। फिर भी, सोवियत संघ की हाल की घटनाएँ यह सूचित करती हैं कि कृषि-सम्बन्धी उत्पादन और कृषि-क्षेत्रों (Farms) की व्यवस्था की विधियों में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।

यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, तथापि कृषि की ओर हमारा ध्यान—नयी प्रविधियों, भूमि-संरक्षण, भूमि की उर्वरता, कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति के सम्बन्ध में तनिक भी कम नहीं होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रकृति के उतार-चढ़ाव, जैसे अनिश्चित मानसून आदि से सुरक्षित रहे, तो हमें खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना ही चाहिए।

इसके अतिरिक्त, हम जो भोजन करते हैं, उसमें पौष्टिक पदार्थों की भी न्यूनता रहती है। अतः यदि हम अपने भोजन का स्तर उठाना चाहते हैं, उसे अधिक गुणकारी बनाना चाहते हैं, तो हमें अधिक परिमाण में फल और शाक-तरकारियों का, दूध और दूध-सम्बन्धी अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने पशुओं की नस्ल में भी सुधार करना होगा और चारे की पैदावार भी बढ़ानी होगी। दूसरी बात यह है कि उद्योग भी समृद्ध कृषि के बिना नहीं चल सकता। हमको न केवल अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, वरन् उमका निर्यात करने के लिए भी।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें शीघ्रता से भूमि-सुधार करने होंगे। इन भूमि-सुधारों का उद्देश्य किसानों में भूमि का न्यायपूर्ण बँटवारा होगा। हमारे यहाँ भूमि-सुधार हो तो रहे हैं, पर अभी उनकी गति धीमी है और उनमें एक हिचक दिखाई दे रही है। उनकी गति को तीव्र करना आवश्यक है। इससे गाँवों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ग्रामीणों की श्रम-शक्ति बढ़ेगी और उद्योगों तथा कुटीर धन्यों के मानों को अच्छा बाजार मिलने लगेगा।

इस महान् साहसिक अभियान में अनुसन्धान-विद्यापीठों के वाय का बहुत अधिक महत्त्व है और उनकी बड़ी आवश्यकता है। हमको अपने वैज्ञानिक अन्वेषणों के निष्कर्षों से खेतों में काम करने वाले किसानों को परिचित कराना है। हमारे किसान अनपढ़ हो सकते हैं, परन्तु वे मूढ़ नहीं हैं, बुद्ध नहीं हैं। वे नये सुधारों के प्रति सतर्क तो अवश्य रहते हैं, वे परंपरावादी भी होते हैं, फिर भी वे नये विचारों का स्वागत करने के लिए प्रसन्न रहते हैं और माधारणतया उनका व्यवहार समझदारी और जिम्मे-दारी का होता है। उनका परम्परागत विवेक तो प्रसिद्ध है ही।

ग्रामीण-क्षेत्रों का सन्तुलित विकास व्यवस्थित राष्ट्रीय उन्नति का आधार-शिला है। आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय जीवन को पुष्ट करती है। जीवन-स्तर समुचित रहने से हम बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रयासों में निरन्तर लगे रहने के लिए अवकाश पा सकते हैं।

‘व्यवसाय’ शब्द का अर्थ ही है प्रयत्न, कठिन श्रम, उद्देश्य और दृढ़

सकल्प। 'व्यवसायी' वह है जो स्फूर्ति और दृढ निश्चय के साथ कार्य करता है। प्रारम्भ से ही, कृषि मानवीय प्रयास का प्रतीक बन गई है। जब मनुष्य ने निष्क्रिय रहकर प्रकृति का भरोसा करना छोड़ दिया और उस पर नियंत्रण करने लगा, तभी से सभ्यता का प्रारम्भ हुआ। जब उसने अपना आहार एकत्र करने के स्थान पर उसे पैदा करना प्रारम्भ किया तब वह सामाजिक जीवन विताने के लिए एक स्थान पर बस गया। हम न केवल भौतिक वातावरण पर नियंत्रण कर सकते हैं, वरन् मानवीय वातावरण पर भी। हम केवल अपने खेतों में ही कृषि नहीं कर सकते, वरन् अपने आन्तरिक जीवन में भी कर सकते हैं।

हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का आधार प्राकृतिक घटनाएँ रही हैं। प्रारम्भिक काल के मनुष्य ने प्रकृति को एक महान् व्यवस्थित पुनरावृत्ति-प्रधान प्रक्रिया के रूप में देखा। मनुष्य और प्रकृति दोनों ही जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। कठोपनिषद् में कहा गया है—'शस्य इव मर्त्यः पच्यते, शस्य इव जायते पुन ।' मर्त्य प्राणी घान्य की भाँति ही पकता है और उसी की तरह पुनः उसका जन्म होता है। हम चीनी, वेवीलोनियाई, मिस्री, यूनानी, रोमन और अन्य सभ्य लोगों की परम्परा में पाते हैं कि आकाश और पृथ्वी को इस विश्व के दो महान् सिद्धान्तों के रूप में माना गया है—'द्यावा पृथिवी'। आकाश का देवता ऋतुओं पर नियंत्रण करता है और पृथिवी की देवी मनुष्यों और पशुओं का पालन-पोषण करती है। सामाजिक वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि धर्म की मूल उत्पत्ति कृषि से हुई। हमारे फसल की कटाई के गीत, हमारे लोक-नृत्य और हमारे त्यौहार कृषि-सम्बन्धी घटनाओं के चारों ओर केन्द्रित होते हैं।

वस्तुगत घटनाएँ मनुष्य का सारा ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाती। उसके निर्णय और कार्य तर्क (मनीषा) एवं अन्तःकरण द्वारा निर्देशित होते हैं। भौतिक वातावरण के दबाव के सामने उसका झुक जाना आवश्यक नहीं है। वह प्राकृतिक शक्तियों को मनचाहे ढंग से मोड़ सकता है। जिस प्रकार उसने सिंचाई के साधनों का आविष्कार करके अनावृष्टि के सकट का सामना किया, वैसे वनाकर बाढ़ों को रोका, मिट्टी की न्यूनताओं, कीड़ों से होने वाली हानियों, पौधों के रोगों का

वैज्ञानिक अध्ययन उन पर विजय प्राप्त करने के लिए और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया, उसी प्रकार वह अब भी बहुत-से उच्च-कोटि के रचनात्मक कार्य कर सकता है। इस उत्तेजक साहसिक अध्यावसाय में आपने विद्यापीठ को एक बड़ा भाग लेना है। मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान विद्यापीठ (इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इस्टीट्यूट) के रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

भूदान से देश का नैतिक पुनरुद्भव*

मुझे यहा आकर और दिल्ली प्रान्तीय सर्वोदय-सम्मेलन का उद्घाटन करके प्रसन्नता हुई है। सर्वोदय का विचार बहुत व्यापक है। व्यक्तिगत जीवन मे सर्वोदय का अर्थ है व्यक्ति की सर्वतोमुखी जागृति और व्यक्ति का विकास। जब इसका प्रयोग समाज पर किया जाता है तब इसका अर्थ यह होता है कि सभी व्यक्तियों को भौतिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए समान अवसर सुलभ होने चाहिए। यह बात हमारे समाज पर ही नहीं लागू होती, वरन् विश्व-समाज पर भी लागू होती है। सर्वोदय का लक्ष्य है—सभी व्यक्तियों की प्रगति।

प्रौद्योगिक और आर्थिक विकासो के कारण ससार के लोग एक परिवार के सदस्य के रूप मे निकट आते जा रहे हैं। वे सब एक सिक्कुडते हुए भूमण्डल पर निवास कर रहे हैं। इस पीढी के मनुष्य का यह सौभाग्य है कि उसे इस विश्व-समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसे अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। इतिहास मे प्रथम बार ससार की स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा गान्ति की साम्हिक व्यवस्था व्यवहारत सम्भव जान पडने लगी है और मनुष्य का चिरपोषित स्वप्न साकार होने जा रहा है। मनुष्य वस्तुओ मे परिवर्तन करने मे सफल

*विनोबा-जयन्ती, ११ सितम्बर, १९५५ को दिल्ली प्रान्तीय सर्वोदय सम्मेलन मे उद्घाटन भाषण।

हो गया है। यदि वह स्वयं को परिवर्तित करने में भी सफल हो जाय, तो हमें ऐसे नेता मिल सकते हैं जो आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग करके नये संसार का निर्माण कर सकेंगे। अपने आन्तरिक साधनों का संगठन करके हम अपने साथियों के साथ अपने सम्बन्धों को सुव्यवस्थित बना सकते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो अहिंसक होगा, जो शोषणहीन होगा।

राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् हमने सोचा था कि इसके प्रतिफल-स्वरूप राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय पुनर्जन्म भी होगा। हमने आशा की थी कि चतुर्मुखी उन्नति होगी। हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा लोगों के भौतिक मापको को ऊँचा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। केवल वातावरण में सुधार करना पर्याप्त नहीं है। जिसे हम प्रगति कहते हैं, वह आन्तरिक परिवर्तन के बिना कुछ नहीं है। अंतिम रूप से तो, व्यक्तियों की चारित्रिक शक्तियाँ ही राष्ट्रों के प्रारब्ध का स्वरूप निर्धारित करती हैं। सामाजिक संसार में हम जो भगड़े-भ्रष्ट देख रहे हैं, वे हमारे आन्तरिक संघर्ष के ही बाह्य लक्षण हैं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति हिंसा के लिए मातुर है, प्रभुत्व के लिए लालायित है। जो हमारे उद्देश्यों का विरोध करते हैं, उनसे हम घृणा करने लगते हैं। जो चीज हमारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक होती है, वह हमको विधिपूर्वक बना देती है। हम सभी मानसिक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे बराबर का न हो, कोई हमारा सहकर्मी न हो, वस सभी हमारे दास हो, अधीनस्थ हों। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को मन में भी यही आन्तरिक संघर्ष चलता रहता है और जब यह संसार के रगमंच पर प्रकट होता है तब युद्धों को जन्म देता है। शासन करने की इच्छा तो भयकर है ही, परन्तु उससे भी भयकर एक दूसरी चीज है, और वह है दूसरों के प्रभुत्व के सामने घुटने टेक देने का लोभ। पटना, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में, हाल ही में जो उपद्रव हुए, उनसे पता चलता है कि हमारी आत्माएँ हिंसा के कितने समीप हैं। यदि हममें से कई लोग हिंसक कार्य करने से बचते हैं, तो इसका कारण है परिणामों का भय। हमारे जीवन कानूनी अधिक हैं, नैतिक कम। अभी हम इन बातों को

हृदयंगम नहीं कर पाए हैं कि अभ्युदय और नि श्रेयस् का एकमात्र साधन अहिंसा ही है। यही मानवीय और नीतिशास्त्रीय अभिवृत्ति है। आंतरिक सघर्ष की यह स्थिति ऐसी नहीं है, जिसकी कोई चिकित्सा न हो। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचने का सकल्प अपने मन में करना है। हमें अपने विरोधियों का आदर करना चाहिए और उनके तर्कों को सुनना चाहिए। हमें उन पर दुष्प्रयोजनों का आरोप नहीं लगाना चाहिए। महान् कार्य करके भी विनम्र रहना, अधिकार पाकर भी सुशील रहना, उच्च पदस्थ होकर भी कोमल हृदय होना, शक्ति पाकर भी उसके कारण रुक न होना भारत में भी भारी गुण माने जाते हैं। ईश्वर को भी अभिमान से अरुचि है और विनम्रता को वह भी प्यार करता है—'ईश्वरस्यापि अभिमान-द्वेषितवाद् दैन्यप्रियतवाच् च।'^{१५}

भूदान-यज्ञ हममें जीवन के प्रति सही अभिवृत्ति उत्पन्न करता है। भूमि, श्रम और स्वयं जीवन हमारे पास धरोहर-स्वरूप है तथा हमें उनका उपयोग 'जगद्हिताय कृष्णाय'—लोकहित के लिए ईश्वरार्पण करके करना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे भूमि का पुनर्वितरण चाहते हैं। परन्तु इससे भी अधिक वे चाहते हैं लोगों में प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करना। वे चाहते हैं कि हम अपनी सम्पत्ति को अपने पास रखी हुई एक पवित्र धरोहर मान कर उसका उपयोग करें, अपने जीवन को आत्मदान के लिए स्वतः स्फूर्त बनाये। उनके लिए प्रत्येक शब्द प्रार्थना है और प्रत्येक कार्य बलिदान। वे हमें थोड़े में भी सुखपूर्वक रहने की शिक्षा देते हैं।

हमसे बहुधा यह पूछा जाता है कि संसार को कौन आदोलित करते हैं, कौन युगधर्म का निर्धारण करते हैं—महान् व्यक्ति या महान् विचार? युग को अपने विचार अपने व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। विकास नेताओं पर निर्भर करता है। जब सरकारें बाह्य लक्षणों का उपचार करती हैं, तब नैतिक और आध्यात्मिक नेता कारणों का उपचार करते हैं। केवल भ्रष्टकारी प्रयत्नों से हम मानव जाति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर

सकते । आचार्य विनोबा भावे हमारे देश का नैतिक पुनरुद्भव करना चाहते हैं । वह हमको मानवीय चिन्तना के अनिम निष्कर्षों का स्मरण दिलाते हैं, वह नीतिशास्त्र की आधारभूत बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, वह बताते हैं कि घृणा से अच्छा है प्रेम, गुस्सा से अच्छी है क्षान्ति, मघर्ष से अच्छा है सहयोग, बलप्रयोग से अच्छा है आग्रह, और हिंसा से अच्छी है शालीनता ।

हम उनके कार्य की सफलता की कामना करते हैं और चाहते हैं कि यह शुभ दिन पुन-पुन आता रहे ।

धर्म का जातिव्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं*

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए आयोजित इस अध्ययन-गोष्ठी (सेमिनार) में मैं विस्तार की बातों में नहीं जाना चाहता, वह तो आप लोग करेंगे ही। मैं तो यहाँ कुछ स्थूल सिद्धान्तों का संकेत ही करना चाहूँगा जिनके आधार पर आप लोग अपनी चर्चाएँ चलाएँगे और निर्णय करेंगे। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आप लोग इन प्रश्नों पर "सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, वैधानिक, राजनीतिक तथा कल्याण के दृष्टिकोण से" विचार करना चाहते हैं।

यह शुभ शकुन है कि यह अध्ययन-गोष्ठी विश्वविद्यालय के वायुमण्डल में आयोजित की गयी है। यहाँ अस्पष्ट अनुमानों, अधीर आलोचनाओं या रोपपूर्ण गाली-गलौचों से वचना सरल रहेगा। मुझे आशा है कि आप ठोस समाजशास्त्रीय ढंग से विचार करेंगे और सुविचारित परामर्श देंगे, जिनसे आपके ही शब्दों में 'एक निश्चित अवधि में ही हम इन दोनों बुराइयों (जातिवाद तथा अस्पृश्यता) का सामना कर सकेंगे और इन्हें निर्मूल कर देंगे।'

पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि धार्मिक सिद्धान्तों को सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलाकर गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। धार्मिक सिद्धान्त आधारभूत और चिरस्थायी होते हैं, किन्तु सामाजिक संस्थाएँ

*जातिवाद और अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी अध्ययन-गोष्ठी (सेमिनार) में उद्घाटन-भाषण—२६ सितम्बर, १९५५।

समय-समय पर बदलती रहती है। जब कभी सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करने की माँग की जाती है, तभी यह चीख-पुकार उठने लगती है कि धर्म सकट में है। यह झूठी हाय-तोबा है। सामाजिक संस्थाएँ किसी स्थान-विशेष की सामाजिक परिस्थिति-विशेष के अनुसार निर्मित होती हैं। खान-पान और विवाह सम्बन्धी सामाजिक नियम तो समय-समय पर बदलते रहते हैं। 'जीसम सोसाइटी' के रॉबर्ट डी नोबिली ने भारतीय ईसाइयों को अपने सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करने रहने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने हिन्दुओं को छूट दे दी थी कि यदि वे चाहें तो ईसाई धर्म में आने के बाद भी अपनी शिखा और अपने यज्ञोपवीत रख सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि व्यापक धार्मिक सत्य और अस्थायी सामाजिक स्वरूपों में अन्तर है। वे मदुरा में इस रूप में दिखाई दिए थे—साधु का गेहघ्रा वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, ललाट पर चन्दन का टीका लगा था और यज्ञोपवीत उनके शरीर पर था जिससे एक 'क्रॉस' लटक रहा था। डी नोबिली ने बतलाया कि वे रोमनिवासी एक ब्राह्मण हैं। धर्म और सामाजिक नियमों का अन्तर सीरियाई ईसाइयों ने भी अपने व्यवहार से स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने हिन्दुओं के कई रीति-रिवाजों को अपना लिया था जिनमें जाति-प्रथा और अस्पृश्यता भी थी। धर्म-परिवर्तन को निरस्तार्हित किया गया और जो लोग नीची जातियों से ईसाई धर्म अंगीकार करते थे, वे ईसाई बनने के बाद भी प्रायः जाति बहिष्कृत ही बने रहते थे। जैन, सिख, वीरगँव, ब्रह्मसमाजी और आर्यसमाजी जाति-भेद को नहीं मानते, किन्तु वे स्वयं यहूदियों और पारसियों की तरह ही अलग जाति बन गए हैं।

हमारे सामाजिक व्यवहारों तथा रीति-रिवाजों के द्वारा धार्मिक सिद्धान्तों की सामाजिक अभिव्यक्ति होती है, और क्योंकि हम उनकी कसौटी में नलीभाँति परिचित होते हैं, इसलिए धार्मिक नेता स्वयं सामाजिक परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। उपनिषदों के ऋषियों और बृद्ध से लेकर टैगोर और गान्धी तक, जितने भी धार्मिक नेता हुए हैं, वे उस सामाजिक परिवर्तनों के परिपोषक रहे हैं। अपने समय में उनका लोग नान्तिव्य और उग्रपंथी ममभते थे, परन्तु इनको कोई प्रतिगामी तथा

निहित-स्वार्थ व्यक्ति नहीं बतलाता था। जो सच्चे अर्थ में धार्मिक मनुष्य होते हैं, वे सदाचार का उपदेश देते हैं और सामाजिक न्याय के अग्रदूत होते हैं।

धर्म किसी एक विशेष-सामाजिक व्यवस्था से-वधा नहीं होता। वह प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को उसके गुणों के आधार पर ही परखता है। जाति और अस्पृश्यता के नियमों के साथ जब हम धर्म को जोड़ देते हैं, तब इससे जान पड़ता है, कि ये कोई पवित्र प्रथाएँ हैं। 'महाभारत' में धर्म की व्याख्या यह की गई है—“धारणात् धर्म इति आहु धर्मो विवृता प्रजा।” अर्थात् धर्म वह है जो समाज को सगठित रखे। यह स्पष्ट है कि अस्पृश्यता का व्यवहार समाज विरोधी है और धर्म के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। राज्य ने छुआछूत के भेदभावों को अपराध घोषित करके अस्पृश्यता-निवारण का बीड़ा उठाया है। ये भेदभाव आधुनिक राजनीति की रुझानों या धार्मिक सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं। यह एक सामाजिक अपराध है और हम जितने शीघ्र इससे अपना पीछा छुड़ा ले, उतना ही हमारे देश के सुनाम तथा हमारी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अच्छा रहेगा। समाज के अपेक्षाकृत निर्बल अंगों को विशेष अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान करके ही हम उनको आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इन पददलित लोगों का केवल भौतिक पुनर्वास कर देने से ही काम नहीं चलेगा, वरन् हमें मानवीय स्तर पर उनसे व्यवहार करना होगा और उनमें प्रतिष्ठा की भावना भरनी होगी। भावी पीढ़ियों को भूतकाल की सड़ी-गली प्रथाओं का बोझ ढोने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सभ्यता की कसीटी यही है कि वह अपने निर्बल सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करती है।

प्रारम्भिक ईस्वी शताब्दियों में जाति-सम्बन्धी हमारे आचार-विचार अधिक लचीले थे, कम कठोर थे, और बाद में उनकी परिभाषा जितनी सखीर्ण बन गई, उतनी सखीर्ण पहले नहीं थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का जो उल्लेख मिलता है, उससे यह पता चलता है कि हमारे इतिहास के गत्यात्मक काल में अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित थे। जब धर्म अपनी बहुत-सी आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक आदर्शवादिता को

खो चुका, तब जातिगत पूर्वाग्रहों का बोलबाला हो गया। जातिगत प्रति-
 वन्दों का कठोर होना और देश की पराधीनता—ये दोनों घटनाएँ साथ-
 साथ हुईं। यह दुर्भाग्य और खेद का विषय है कि देश के कई भागों में
 सार्वजनिक जीवन जाति-भावना के कारण भ्रष्ट हो गया है। इतिहास में
 भी एक तर्क-मम्मत क्रम होता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता।
 संभवतः अतीत की हमारी पराधीनता भी हमारे सामाजिक विभेदों का
 ही परिणाम थी। यदि हम गलत कारणों को दूर रखें, तो हम अपने
 भविष्य का निर्माण अब से अच्छी तरह कर सकते हैं। एक प्राचीन श्लोक
 में कहा है कि ब्राह्मण और शूद्र एक रक्त वाले भाई हैं।^१ हम सदा से उम
 व्यक्ति को आदर्श मानते आए हैं जो जाति-पाँति के भेदभाव से परे, वर्ण-
 तीत होता है। भगवद्गीता में कहा है कि “ईश्वर को वह व्यक्ति प्रिय है
 जिसमें प्रपत्नी कुलीनता का, अपने कार्य का या समाज में अपनी प्रतिष्ठा
 का अभिमान न हो।”^२ सन्यासी लोग जाति-बन्धन से मुक्त होते हैं। आधु-
 निक समाज में जातिगत भेदभाव को बनाए रखने का कोई आधिक,
 प्रजातीय या नैतिक औचित्य नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए
 उम्मीदवारों का चुनाव गुण (चरित्र) और कर्म (क्षमता) के आधार
 पर किया जाता है। किसी एक जाति या सम्प्रदाय का उन पर एकाधि-
 कार नहीं है।

सामाजिक जीवन में किसी की श्रेष्ठता रहन-सहन के उच्चतर से
 और नादगी में जानी जाती है। भारत में त्याग के मूल्य पर अधिकार
 प्राप्त किया जाता है। यदि गान्धी जी को लोग गण्यपिता मानते हैं, यदि
 विनोबा भावे के प्रति नागों-नागों की श्रद्धा-भक्ति है, तो इसका कारण
 उनका वैश्य या ब्राह्मण जाति में जन्म लेना नहीं है, बल्कि उसका कारण

१ अन्त्यजो विप्रजातिश्च एक एव सहोदर ।

एकयोनि प्रभूतश्च एकशास्त्रेण जायते ॥

२. न यस्य जन्मकृमाभ्या न वर्णाश्रमजातिभि ।

सजानेऽस्मिन् नहंभायो देहे धं न हरेः प्रिय ॥

(गीता, ११, २.५१)

है उनके जीवन की पवित्रता। श्रेष्ठतम व्यक्ति अपरिग्रह का व्रत लेकर चलते हैं। 'नारद भक्ति सूत्र' में कहा है कि भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन तथा व्यवसाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।*

हम आज एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो नवीन व्यवस्था की अपरिहार्य आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालता जा रहा है। हम समय की प्रगति को रोक नहीं सकते। यदि हम अतीत से चिपटे रहते हैं, यदि हम मृत परंपराओं को गले लगाए रहते हैं, तो हम पिछड़ जाएँगे। भूलना भी उतना ही आवश्यक है, जितना याद रखना। यदि हम अत्यावश्यक को स्मरण और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको बहुत-सी चीजें भूल जानी चाहिए। जो समाज परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, उनमें गतिहीनता आ जाती है। यदि वे परिवर्तन के लिए प्रस्तुत रहे, तो वे समृद्ध हो जाते हैं। परिवर्तन के प्रति लोगों में बहुधा स्नायविक भय पाया जाता है, किन्तु यह हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। जीवन का सिद्धान्त है परिवर्तन। 'चरन् वै मधु विन्दति।' केवल गतिशील रहने से, आगे बढ़ते रहने से हम जीवन में माधुर्य ला सकते हैं। रचनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्ति अपने पूर्वकाल से प्राप्त परंपरा को रूपान्तरित कर देते हैं। परंपरा कभी समाप्त नहीं होती, न उसका विकास कभी रुकता है। वह परिवर्तन के लिए प्रस्तुत रहती है और उसका निर्माण सदा जारी रहता है। अपने धर्म की आधारभूत बातों के प्रति निष्ठा रहने पर हम उग्र परिवर्तनों के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपनी कथनी और करनी के बीच की खाई को पाटने की चेष्टा करनी चाहिए। लोग जिन सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित हैं, उनको दूर करने के लिए समूचे राष्ट्र में व्यापक प्रचार निरन्तर होना चाहिए। हमें समस्त मानवकृत असमानताओं तथा अन्यायों को दूर करके समाज को शुद्ध करना चाहिए और व्यक्तिगत कल्याण तथा सामाजिक विकास के लिए सबको समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यह देख कर हमें आशा बँधती है कि हमारी जनता घोर

* 'नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादि विभेदः ।' ७२

भाग्यवाद के चंगुल से छूट कर आत्मजागृति की ओर बढ़ रही है और अपने अधिकारों पर बल देने लगी है। जो चीजे मानवता का नाश करती हैं, उनके विरुद्ध मानवता को अवश्य दृढ़ता के साथ अड जाना चाहिए। आइए, मनुष्यों की हित-रक्षा के लिए हम आशा करें, संघर्ष करें और पीडा भी सहन करें। राज्य देश के प्रत्येक व्यक्ति का सेवक है। आइए, हम ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक न्याय और प्रगति के लिए अवसर प्राप्त हो।

अनुशासनहीनता के लिए छात्र उत्तरदायी नहीं*

मुझे यहाँ आने और आपसे दो शब्द कहने का अवसर देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दीक्षान्त-भाषणकर्त्ता से आशा की जाती है कि वह छात्रों को कुछ परामर्श देगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ छात्रों को किसी का परामर्श देना अच्छा नहीं लगता। छात्रों की तो बात ही और है, यहाँ तक कि प्रीटो को भी किसी का परामर्श नहीं सुहाता।

स्नातक बन जाना एक मंजिल की समाप्ति और दूसरी मंजिल का प्रारम्भ है। इस वर्ष जिन छात्रों को स्नातक की उपाधि मिली है, उनको उनके भावी, उपयोगी, मुखी और समृद्ध जीवन के लिए मैं अपनी शुभ-कामनाएँ देता हूँ। वे हमारे देश के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण काल में जीवन-प्रवेश कर रहे हैं। आठ वर्ष पूर्व हमको स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। वह स्वाधीनता केवल राजनीतिक थी। अब कोई बाह्य सत्ता हमें इस या उस प्रकार का व्यवहार करने के लिए विवश नहीं कर सकती, अब तो जो कुछ करना है, हमें स्वेच्छा से, स्वयं की प्रेरणा से करना है। स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व, जब कभी कोई बात गडबड होती थी तब हमारे पास एक वहाना था कि 'यह सब विदेशी शासन के कारण है।' वह वहाना अब नहीं रहा। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है—'अपने दुःख के कारण

* गुजरात विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण—८ अक्टूबर, १९५५।

हम स्वयं हैं। कोई अन्य हमको बाध्य नहीं करता।' आज हम जैसा चाहे, अपने देश के भविष्य का स्वरूप निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हम उस भविष्य का स्वरूप-निर्धारण, ज्ञान, दूरदर्शिता और साहस के साथ करें, तो हमारा भविष्य महान् हो सकता है। मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि यहाँ रहते हुए उन्होंने जो कुछ सीखा है, जिन वैदिक स्वभावों और नैतिक चरित्र का अर्जन किया है, वे उनके भावी जीवन के लिए लाभदायक रहेंगे और जीवन में प्रवेश करने पर, वे (छात्र) अपने देश के उत्थान में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकेंगे।

इस विश्वविद्यालय ने अब तक जो प्रगति की है, उसके लिए मैं इसे बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि गत वर्ष विश्वविद्यालय ने दो नये विभाग—गुजराती भाषा और साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान के खोले। सामाजिक विज्ञानों के विषय में लोगों में कुछ भ्रान्त धारणा है, उसे मैं दूर करना चाहूँगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस तरह भौतिक विज्ञान पार्थिव प्रकृति पर हमारा नियंत्रण स्थापित कर देता है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान मानव-प्रकृति को हमारे नियंत्रण में ला देने है। एक प्रमुख शिक्षाशास्त्री लार्ड देवेरिज का कथन था—“जिस प्रकार हम प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा भौतिक जगत् पर नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार अब से हम सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करके मानव-प्रकृति पर नियंत्रण करने में समर्थ हो सकेंगे।” यह मर्वाश में सही नहीं है। गत वर्ष लार्ड ऐड्रियन न भी आक्सफोर्ड में 'ब्रिटिश विज्ञान परिषद्' में भाषण करते हुए कहा था—“हम ऐसे समय में आ पहुँचे हैं जब एक बटन दबाते ही हम ससार के दो-तिहाई भाग को मटियामेट कर सकते हैं, परन्तु यदि हम मानव-प्रवृत्तियों को समझने में सफल नहीं होते, तो हम उस भागी आपत्ति को रोक सकते हैं।” केवल मानवीय व्यवहार को, मनुष्य जिन दम में समाज में कार्य करता है, केवल उसको समझना पर्याप्त नहीं है। इस ससार में ऐसे लोग भी हो गए हैं जिन्होंने विज्ञान के अस्त्रों और मनोविज्ञान की प्रविष्टियों (टेक्नीकों) का उपयोग करते, मनुष्यों की लालुपता को पार्थिव शक्ति की विज्ञान और आतंकवादी प्रविष्टियों के रूप में समझित कर दिया।

आज भूगोल, इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की

शक्तियाँ ससार को अन्यान्याश्रित बना रही है। वे समस्त ससार को एक साथ जोड़ रही है। दो महान् केन्द्रों में आणविक शक्ति को एकत्राभूत हो जाना हमारे लिए एक चुनौती बन गया है। या तो हम जीवन का वरण करें, या मृत्यु का। हमको या तो साथ-साथ जीना है, या साथ-साथ मरना है। सामाजिक विज्ञान यदि हमें कुछ बताते हैं, तो यही। यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। किन्तु सामाजिक विज्ञान मनुष्य को उसके सिद्धान्तों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं देते। यदि हम अपने भौतिक और सामाजिक ज्ञान का प्रयोग मानवता के पुनरुद्भव के निमित्त करना चाहते हों, तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान स्वयमेव पर्याप्त नहीं है। वे हमें कुछ साधन सुझा सकते हैं, परन्तु उन साधनों का मनुष्य चाहे तो अच्छा उपयोग करे, चाहे बुरा उपयोग। अतः केवल ज्ञानार्जन की अपेक्षा मनुष्य के आत्म-कल्प की अधिक आवश्यकता है। सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, मनोविज्ञान—ये सभी आनु-भविक विज्ञान हैं। वे हमें तथ्यों का ज्ञान कराते हैं, वे हमें कुछ सिद्धान्तों की जानकारी देते हैं, वे हमें बतलाते हैं कि अमुक परिस्थिति का सामना होने पर मनुष्य कैसे व्यवहार करेंगे। किन्तु सामाजिक विज्ञान हमें यह नहीं बतलाते कि मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसी अभिवृत्ति अपनानी चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, अपने ऊपर कैसा आत्म-नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। जब हम इस विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए एक विभाग खोल चुके हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विज्ञानों के साथ-साथ हमें सामाजिक दर्शन, सामाजिक शीलाचार (Ethics) का भी अध्ययन करना उचित है। यही वे अनुशासन हैं जिनकी हमको आवश्यकता है।

सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्ध में एक अन्य आपत्ति है। जिस क्षण हम 'विज्ञान' शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी क्षण हम सोच लेते हैं कि समाज कतिपय नियमों के अनुसार कार्य करता है, कुछ लक्षण पहले से ही लक्षित हो सकते हैं, और समाज को कुछ सिद्धान्तों के अनुरूप ढाल लेना हमारे लिए सम्भव है। इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टि से देखनेवालों का यह विचार

है कि द्वन्द्वात्मक घटना-चक्र जैसी चीज भी होती है। उदाहरण के लिए, स्पेंगलर (Spengler) कहता है कि "संस्कृतिया जीवधारी हैं और विष्व-संस्कृति एक सामूहिक जीवनी है, जन्म, वृद्धि, आयु, ह्रास, अपक्षय और मृत्यु—ये सारी घटनाएँ सामाजिक संस्थाओं पर भी लागू होती हैं।" इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम पुनः वही भूल कर रहे हैं जिससे वह पुरानी समस्या उठ खड़ी होती है कि इतिहास मनुष्य का निर्माणकर्ता है, या मनुष्य इतिहास का। हमारा उत्तर इसके विषय में यह रहा है— 'राजा कालस्थ कारणम्'। हमने सदा कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति ही क्रान्तियों की चिनगारी सुलगाते हैं, इतिहास की धारा को बदल डालते हैं। वे नये युगों का श्रौणेश करते हैं। व्यक्ति ही समाज को अपने माँचे में ढाल लेते हैं। यूरोप के एक बड़े इतिहासकार एच० ए० एल० फिशर ने कुछ वर्ष पहले कहा था—“मैं इतिहास में कोई पूर्वनिश्चित योजना, कोई प्रतिकृति, कोई तालबद्धता नहीं पाता।” उनका कहना था कि इतिहास के निर्माण में आकस्मिक, अदृष्ट, अकल्पनीय और असम्भावित तत्वों एक शक्तियों का हाथ रहता है। उनका आशय था कि मनुष्य से सम्बन्धित बातें ही इतिहास का पथ निर्धारित करती हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि घटनाएँ मनुष्य पर हावी हो जाती हैं और मनुष्य क्षुद्र, दुर्बल प्राणी की तरह मत्सर की शक्तियों से पार नहीं पा सकता। हमारा जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं रहा है। हमने तो सदा इस बात में विश्वास किया है कि प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति इतिहास की धारा को अपने अनुकूल मोड़ सकते हैं। हम समाज के ढाँचे को फिर से गढ़ सकते हैं, हम अपने सामाजिक बनावट और सगठनों को नये ढंग से पुनर्निर्मित कर सकते हैं। इन नगर (अहमदाबाद) में, जिसमें गांधी जी का मंदिर रह चुका है, मैं इन बातों के अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता कि जहाँ तक ऐतिहासिक प्रगति का प्रश्न है, व्यक्ति का महत्त्व बहुत अधिक है। लोग इतिहास के बाहर रह सकते हैं, किन्तु सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी वैराग्य-वृत्ति के कारण ही वे वस्तुतः इतिहास का निर्माण करते हैं। अतः यह कहने में कोई त्रुटि नहीं है कि 'हम कर ही क्या सकते हैं; परिस्थितियों का भार हमारे लिए असह्य हो उठता है, और अभी लिए हम उनसे सामंजस्य

घुटने टेक देते हैं।' इतिहास में अपरिहार्यता जैसी कोई बात नहीं। इतिहास की घटनाओं को रोका जा सकता है। समाज की पुनर्रचना में मानवीय शक्तियों का बड़ा हाथ रहता है। हमारे छात्रों को मनुष्य की स्वतंत्र आत्मा में आस्था लेकर यहाँ से जाना चाहिए। वे यह विश्वास लेकर यहाँ से जायें कि वे चाहे तो प्रतिदिन अपना पुनर्निर्माण कर सकते हैं। प्रतिदिन हम अपने स्वभाव को अब से अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम अपने को सतत पुनर्निर्मित कर रहे हैं। यदि हम सभावनाओं को वास्तविकताओं में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आत्मा की इस स्वतंत्रता, मानव प्राणियों की आत्मिकता को व्यवहृत करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही आपसे कहा था, हमें आशा है कि हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अर्थ में सच्ची स्वतंत्रता का रूप दे सकते हैं। हम केवल हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे रहे, तो यह परिवर्तन नहीं ला सकते। यह कार्य तो हम अपने मस्तिष्कों से, अपने हाथों से, अपने बलिदान से और कष्ट-सहम से ही कर सकते हैं। इन्हीं साधनों के द्वारा हम अपनी अभिलाषाओं को वास्तविकताओं में और सभावनाओं को यथार्थताओं में बदल सकते हैं। विश्वविद्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे अपने यहाँ युवकों और युवतियों को केवल जानकारी, ज्ञान और कौशल में ही निपुण नहीं करेंगे, वरन् उनमें आत्म-त्याग और विराग (Detachment) की भावना भी भरेंगे। इस महान् देश के इतिहास के पुनर्निर्माण के अत्यन्त विशाल कार्य के लिए उनमें इन गुणों का होना अत्यावश्यक है।

मैं आशा करता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके निकले हुए युवक और युवतियाँ केवल विद्वान् ही नहीं हों, उनके जीवन का कुछ उद्देश्य भी होता है, उनमें दूरदर्शिता भी होती है। विश्वविद्यालय केवल विद्याध्ययन के स्थान नहीं होते, वे संस्कृति के आवास भी होते हैं। वे पुरुषों और स्त्रियों के निर्माण-केन्द्र हैं। मनुष्य-निर्माण का कार्य आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया है। क्या हम ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर रहे हैं, ऐसे को प्रशिक्षण देकर भेज रहे हैं जो तोते की तरह कतिपय गद्यांशों या पद्यांशों को दोहरा सकते हैं अथवा,

हम उनकी अनुभूतियों को परिष्कृत कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों को सभ्य बना रहे हैं, प्रकृति और समाज—दोनों के प्रति उनकी जानकारी को परिपक्व कर रहे हैं ? किसी विश्वविद्यालय का कार्य अच्छा है या बुरा, इसको परखने की सबसे उत्तम कसौटी यही है। और यदि हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे, तो असफलता के लिए हम उत्तरदायी हैं।

अभी-अभी कुलपति महोदय ने देश के कुछ भागों में छात्रों में व्याप्त रोष की चर्चा की है। मैं अपने जीवन में चालीस वर्षों से भी अधिक समय तक अध्यापक रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे छात्रों में कोई मौलिक त्रुटि नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम उनको वे अवसर नहीं दे रहे, जो उनको मिलने चाहिए। तनिक हमारे अध्यापकों की ही ओर देखिए जिस अध्यापक को अपने विषय में रुचि न हो, तथा जो अपने उत्साह को अपने छात्रों में सक्रमित न कर सके, उसको हम सच्चा अध्यापक कैसे कह सकते हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि अध्यापकों के अभावों को दूर करना चाहिए। परन्तु हम ऐसे अध्यापकों का क्या करें जो किसी दल, या जाति या सम्प्रदाय के सदस्य पहले हैं और अध्यापक वाद में, जो इन मकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर समस्त समाज का हित नहीं देख सकते। हमको अपने बालकों और बालिकाओं को इस महान् देश के नागरिक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यह अत्यावश्यक है कि किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापकों का चुनाव करते समय अधिकतम सतर्कता बरती जाए। उनका चुनाव केवल उनकी बौद्धिक योग्यता के आधार पर न किया जाए, बल्कि उनके चुनाव का आधार यह हो कि अपने विषयों के प्रति उनमें कितना प्रेम है, छात्रों को अपने संरक्षण में लेकर उनका विकास करने का कितना उत्साह उनमें है। ये बातें बहुत आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि कक्षाओं में छात्रों की समस्या बहुत होनी है। जिस कक्षा में लगभग १५० व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो जाता है, उसको ५०० व्यक्तियों के बैठने के योग्य ममक लिया जाता है। अनुशासनहीनता के अनिर्दिष्ट और कौन-सी चीज है जिसे हम किसी कक्षाओं में प्रोत्साहित करने हैं ? जितनी जगह में केवल ११० छात्र अट

सकते हैं, उसमें कितनी भी भीड़भाड़ करके हम ५०० छात्रों को कैसे अटा सकते हैं ? यह असम्भव है। फिर, पाठ्येतर प्रवृत्तियों की क्या व्यवस्था है ? अधिकांश महाविद्यालयों में, जिनमें छात्रों की अधिक भीड़भाड़ रहती है, अध्यापक तो कम होते हैं और उनके अन्तर्गत छात्र बहुत-से ऐसे स्वतंत्र, कलात्मक भावनात्मक, या बौद्धिक कार्य-कलाप भी नहीं संयोजित होते जिनमें छात्र अपनी अभिव्यक्ति के अवसर पा सकें। दूसरे शब्दों में कहे, तो जब तक व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त होने का क्षेत्र नहीं मिलता, तब तक हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय व्यर्थ सिद्ध होंगे। मुझे ज्ञात है कि कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनसे लड़कों के नैतिक और आध्यात्मिक अधःपतन का पता चलता है। यदि हम अपने देश के भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते, तो सबसे पहले हमारा ध्यान शिक्षा की ओर जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को हम शिक्षा दे रहे हैं, यदि वही ओछे और क्षुद्र मन वाले निकले, तो हम देश के आर्थिक जीवन के पुनर्वास के लिए चाहे जितने विशालकाय बाध बना डालें, सब निरर्थक रहेंगे। जब तक लोग स्वयं विशाल-हृदय वाले नहीं हो जाते, उनकी बुद्धि प्रखर नहीं हो जाती, उनके मन सस्कृत नहीं होते, तब तक वे उन सभी सुविधाओं तथा सुखों का सम्यक् उपयोग नहीं कर सकते, जिनको हम उपभोग के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जब तक हम अपने मन में परिवर्तन नहीं करते, तब तक वातावरण में परिवर्तन लाने से लाभ ही क्या ? हमें अपने को बदल डालना चाहिए, और यदि हमको अपने को बदलना है, तो हमें परिवर्तन की इस प्रक्रिया को पहले उन सस्थाओं से प्रारम्भ करना है जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अब इस ओर अधिक ध्यान देना है कि कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध हों, उनमें पर्याप्त सख्या में अध्यापकों की नियुक्ति हो, और अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य जीवित संपर्क स्थापित हो। अध्यापक के साथ आमने-सामने एक मेज पर बैठकर वार्तालाप करना जितना लाभदायक हो सकता है, उतना बहुत दिनों का अध्ययन भी नहीं। साज-सामान और अध्यापकों की न्यूनता के शिकार आज के कॉलेजों में क्या अध्यापकों और छात्रों के बीच उस प्रकार के

सपर्क के अन्वय है ? जब तक हम इस स्थिति में सुधार नहीं करते, तब तक यह कहने से क्या लाभ है कि विद्यार्थियों में बदमजगी है, उनमें अनुशासनहीनता है, या कि विश्वविद्यालयों का स्तर गिरता जा रहा है ? मैं चाहता हूँ कि युवकों के साथ निष्पक्ष और न्यायोचित व्यवहार हो। यह हमारे लिए अत्यावश्यक है और सरकार के लिए भी कि जहाँ तक हमारे देश के शैक्षणिक पुनर्निर्माण का सम्बन्ध है, उसमें आमूलचूल नवीकरण किया जाए और मुझे आशा है कि जो लोग सरकार में हैं, जो लोग देश को प्रशासित कर रहे हैं, वे इन बातों पर विचार करेंगे।

राज्य पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन विधिवत् परसों तक प्रकाशित हो जाएगा, यद्यपि उसका बहुत-सा अंश पहले ही प्रकाशित हो चुका है। उससे जान पड़ता है कि कुछ उच्च स्थानों में अनुशासन का अभाव है। जो हो, हमारे राज्यों की सीमाएँ फिर से निर्धारित होने जा रही हैं। यह सब करते हुए हमें यह स्मरण रखना है कि यह देश शताब्दियों तक एक देश रहा है। जब चीनी यात्री यहाँ पधारे थे, तब वे देश के सभी भागों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी गये थे। जब हमारे यहाँ के लोग हमारी सभ्यता के प्रतिनिधि बनकर चीन गये, तब वे देश के किसी एक भाग से नहीं गये थे। वे देश के विभिन्न भागों से बौद्ध धर्म या जैनमत का संदेश प्रसारित करने के लिए गये थे। अतः उन पूर्व शताब्दियों से लेकर जबकि हमारा 'महाभारत' अंग, अंग, कर्लिंग, काश्मीर आदि की बातें कहता है और अकराचार्य तक जब उन्होंने अपने चार मठों को देश के चारों कोनों में स्थापित किया, एक ही बात पर सब बल देते आ रहे हैं और वह है—इस महान् देश की एकता। राज्यों के पुनर्गठन में यदि कुछ मतभेद हो जाएँ या नीमाओं में हेर-फेर हो, तो भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे इस महान् देश की एकता के विरुद्ध जाता हो। हमारे इतिहास में जब कभी हम पर आपत्ति आई है, तो उसका यही कारण रहा है कि हम प्रांतीय, जातीय तथा साम्प्रदायिक मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने लगे थे, और जब कभी हमने सफलता प्राप्त की, तब उसका कारण यह रहा कि हमने ऐसे मतभेदों की उपेक्षा की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कन्धे से कन्धा भिटाकर पटे हो गये। एकता का अर्थ है शक्ति

और प्रगति । भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद इत्यादि का अर्थ होगा हमारी शक्तियों का बिखर जाना और हमारे देश का अध पतन ।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इस महान् तथ्य को कभी न भूले कि हम चाहे जिस प्रान्त के निवासी हो, उन प्रान्तों में परस्पर चाहे जो मतभेद हो, हम सभी इस महान् देश के सपूत हैं जो अधिकांश पूर्विय कला एवं सस्कृति के लिए उत्तरदायी रहा है । पूर्विय देशों में गया था शैवमत, गया था बौद्धमत । शिव जो 'महायोगी' है और बुद्ध जो कर्णा के महावतार हैं—ये दोनों हमारे लिए धर्म के सार-तत्त्व के प्रतीक हैं ।

अपनी जागरूकता को गभीर बनाओ, अपने प्रेम का विस्तार करो । 'अभय' का अर्थ है भय से मुक्ति, 'अहिंसा' का अर्थ है घृणा से मुक्ति । इनमें से प्रथम तो सच्चे धर्म का अन्त पक्ष है और द्वितीय, उसका बहिर्पक्ष । शेष सब बातें तो ऊपरी कसीदाकारी, दिखावटी सजावट हैं । धर्म के आवश्यक तत्वों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि हम अपने विचारों में कुत्सा, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, प्रभुत्व की भावना और अभिमान को स्थान देते हैं, तो हम धार्मिक मनुष्य नहीं हैं । दूसरी ओर, यदि हम अपने मन और विचार को इन प्रेरणाओं से मुक्त रखते हैं, यदि हम सदा उदारता और प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो हममें सच्चे धर्म की भावना है ।

हम भारतीय कहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है—व्यक्ति और समाज का एकीकरण । उपनिषद् में भी यह प्रश्न उठाया गया था 'तपस क्या है ?' इसके विभिन्न उत्तर दिये गये । अन्ततः एक ने कहा—'स्वाध्याय प्रवचन तपस है' । 'स्वाध्याय' से तात्पर्य है—अध्ययन, मनन, अन्वेषण और ज्ञान की प्रगति, 'प्रवचन' का तात्पर्य है—ज्ञान का बोध कराना, दूसरों तक ज्ञान को सप्रेषित करना । हमें ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए और दूसरों को उसका बोध भी कराना चाहिए । इन समस्त शताब्दियों में ज्ञानार्जन के प्रति प्रेम हमारी बहुमूल्य संपत्ति रहा है । आइए, हम इस संपत्ति को हाथ से न जाने दें ।

नवयुवको से

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’*

पहले जो भाषण हुए हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह स्कूल कल्याणकारी राज्य (welfare state) की धारणा की व्याख्या विस्तृत और मानवीय रीति से करता है। कल्याण से केवल भौतिक या पार्थिव कल्याण का अर्थ लेना ठीक नहीं है। एक महान् अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मॉर्गल ने अपनी पुस्तक ‘अर्थशास्त्र के सिद्धान्त’ के प्रथम अध्याय में कहा है—“विश्व इतिहास की निर्माणकर्त्री शक्तियाँ दो रही हैं—धार्मिक और आर्थिक। यत्र-तत्र सैनिक शक्ति की उग्रता या कलात्मक भावना का प्राधान्य भले रहा हो, परन्तु किसी भी समय धार्मिक और आर्थिक प्रभाव प्रथम श्रेणी से घटकर नहीं रहा। यदि सभी अन्य तत्वों के प्रभावों को एकत्री-भूत कर दिया जाय, तो भी इनका प्रभाव उनसे बढ़-चढ़कर सिद्ध होता है।” धार्मिक और आर्थिक शक्तियों का विच्छेद समाज के लिए बहुत अहितकर हुआ है। हमारे समाज की रुग्णता, इनकी अनागति का मूल कारण हमारी आत्मा में विद्यमान है। जब मानवीय हृदय में द्वन्द्वों का उच्छृंखल नृत्य होने लगता है, तब उनका प्रतिविम्ब वाह्य समारके द्वन्द्वों में भी दिखाई देता है। यदि मनुष्य की आत्मा में जान्ति आ जाय, तो मनुष्य के बीच होने वाले वाह्य द्वन्द्व भी समाप्त हो जाय। इस

* ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स’ में उद्घाटन-भाषण—१८ जनवरी, १९५६।

१ Principles of Economics.

स्कूल की स्थापना किसी यशोलिप्सा से नहीं हुई है, इसकी स्थापना के मूल में है यह गभीर आस्था कि अर्थशास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान पर विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। जो लोग इस स्कूल में कार्य करते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे एक सामाजिक दूरदर्शिता, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक उद्देश्य से ओतप्रोत होकर कार्य करेंगे।

हमको अपने देशवागियों की साम्प्रतिक स्थिति को उन्नत करने के लिए कार्य करना चाहिए। धन और दरिद्रता की आत्यन्तिकता के कारण हमारे समाज का चेहरा कुरूप हो गया है। एक ओर तो अत्यधिक समृद्धि है और दूसरी ओर अत्यधिक अभाव। सत्ता तो कुछ लोगों को ही भ्रष्ट करती है, किन्तु दरिद्रता लाखों-करोड़ों लोगों को भ्रष्ट कर देती है। यदि दरिद्रता समाज की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देती है, तो इसका कारण यह नहीं है कि दरिद्र लोग ईर्ष्यालु हो गये हैं, या लोभी बन गये हैं, या उनमें प्रतिकार की भावना भर गयी है, वरन् कारण यह है कि वे अत्यन्त अभावग्रस्त हैं, अन्यन्त असहाय हैं, और वे अनुभव करने लगे हैं कि वर्तमान वैषम्यपूर्ण स्थितिया अपरिहार्य नहीं हैं, उनका कोई परिहार करना चाहे, तो कर सकता है। समाज एक पूर्ण ईकाई है। यदि इसका एक भाग दूसरे भाग का शोषण करे, तो पूरा समाज उसका कुफल भुगतता है। यदि हम एक हाथ से दूसरे हाथ को आघात पहुँचावें, तो अन्ततः कण्ट तो व्यक्ति को ही होता है। यही कारण है कि यदि हमारे लोकतंत्र को अपनी रक्षा करनी है, तो उसको समाजवादी बन जाना चाहिए। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ ही वर्षों में हमारी सामान्य जनता के आर्थिक स्तरों को ऊँचा नहीं उठा सकी, तो उसका भविष्य सकटापन्न हो जाएगा।

समाजवाद के लक्ष्य तक पहुँचने के कोई वैधानिक उपाय नहीं है। हम किसी भी विचार-पद्धति के बन्दी नहीं हैं। हम किसी भी सैद्धान्तिक विचार से निरोधित नहीं हैं। इसी स्कूल की बात लीजिए। यह डॉ० राव की सूझ, शक्ति, अध्यवसाय, सार्वजनिक सेवा-भावना, भावावेग का बल और मन की शक्ति का परिणाम है, यद्यपि इस सस्था को सरकारी सहायता मिलती है, तथापि यह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए

यह स्वतंत्र अनुसंधान करने और सरकार को सुयोग्य परामर्श देने की स्थिति में है। यह सरकार की आलोचना भी निर्भय होकर कर सकती है। हम यह दावा नहीं करते कि हमारी सरकार कोई गलत काम नहीं कर सकती। भले ही वह जानते-समझते हुए या जान बूझकर गलती न करे, परन्तु सरकारें भी तो मनुष्यों की ही बनायीं सस्थाएँ हैं, अतः उनसे भूल हो जाना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र, सत्यप्रिय, शान्त तथा रचनात्मक ढंग से सरकारों की आलोचना की जाय ताकि वे पथभ्रष्ट न हों।

आज का समारोह इस स्कूल की प्रगति की एक दूसरी स्थिति का सूचक है। किसी स्कूल की प्रतिष्ठा उसके भवनो, उसकी साज-सज्जा पर निर्भर नहीं करती, आवश्यक तो ये भी हैं, परन्तु प्रतिष्ठा तो बढ़ती है उसके सदस्यों के ठोस कार्य के बल पर। हमें अपने कार्य की परत उच्चतम शैक्षणिक मापदण्डों से करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस स्कूल के सदस्य इतने उच्च तत्वावधान में परिश्रम से कार्य करेंगे, सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, अपने कार्य में आनन्द और गर्व अनुभव करेंगे और अपने देश की आर्थिक विचारणा, योजना तथा प्रगति में सहायता करेंगे।

शिक्षित ही नहीं, सुसंस्कृत भी बनें*

मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता हुई है। भारत सरकार और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की महायत्ना से विश्व-विश्वविद्यालय-सेवा' द्वारा निर्मित इस स्वास्थ्य-केन्द्र का उद्घाटन करते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है। 'विश्व-विश्वविद्यालय-सेवा' इस विश्वविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) और अन्य विश्वविद्यालयों में जो बहुत से उपयोगी कार्य कर रही है, इस केन्द्र की स्थापना भी उनमें से एक कार्य है।

'विश्व-विश्वविद्यालय-सेवा' छोटे रूप में सही परन्तु महत्वपूर्ण ढंग से मानव जाति की वृद्धिगत एकता को प्रकट करती है। विश्वविद्यालय की शाब्दिक परिभाषा यह है कि जो विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखे। विश्व-विद्यालय के लिए किसी भी देश या राष्ट्र का मनुष्य पराया नहीं होता। इसका कार्य है एक विश्व-समाज का विकास करना। यह 'सेवा' सत्कार के विभिन्न भागों के लोगों को परस्पर एक-दूसरे को समझने में सहायता करती है।

इस देश में जहाँ भौगोलिक और भाषायी विविधता है, एक राष्ट्रीय समाज को संगठित करने वाले तत्वों को सर्वमान्य आदर्शों के प्रति आदर और स्नेह की भावना रखनी चाहिए। समाज भूत, वर्तमान और भविष्य के सहयोग से निर्मित होता है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले

* विश्व-विश्वविद्यालय-सेवा स्वास्थ्य-केन्द्र (वर्ल्ड-यूनिवर्सिटी-सर्विस हेल्थ सेंटर) में उद्घाटन भाषण—३० जनवरी, १९५६।

देश में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, किन्तु यदि हमें सत्सारा में कुछ प्रगति करनी है, तो हमें इस भिन्नता को राष्ट्रीय एकता के नीचे दबा देना होगा। यहाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न भागों के शिक्षक और छात्र एकत्र किये जाते हैं; यहाँ आकर वे एक-दूसरे को जानने-समझने लगते हैं और उनमें एक विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो जाता है।

जो लोग इस विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, उनको केवल विद्या-जन ही नहीं करना चाहिए, वरन् अपने को संस्कृत भी बनाना चाहिए। उनमें आत्मा की वह परिष्कृति आ जानी चाहिए जिसे हम 'आत्मसंस्कृति' कहते हैं। इस परिष्कार के कारण हम लोभ, अहंकार की आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हम ऐसी जीवन-पद्धति, आचरण का ऐसा मापक निर्धारित कर लेते हैं जिसके कारण हम समाज के अन्य सदस्यों के हितों का भी ध्यान रखने लगते हैं।

आज महात्मा गान्धी की आठवीं बलिदान-वर्षगांठ है। आज के दिन हमें अतर्मुखी होकर अपने हृदयों को टटोलना चाहिए। हममें से कईयों की संस्कृति तो छिछली और दिखावटी होती है, पहले ही भटके में उसकी नकाव उतर जाती है और हमारी कठोरता, क्रूरता एवं दूसरों के प्रति हमारी संवेदनहीनता अपने नग्न रूप में प्रकट हो जाती है। किसी तथाकथित अन्याय के कारण हम जो कुछ कर बैठते हैं, उसको न्यायोचित मिट्ट कराने की चेष्टा करते हैं, हम अपनी बुद्धि को अपनी वामना की सेविका या साधिका बना डालते हैं। मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा ढंग है धैर्यपूर्वक बातचीत चलाना और शान्तिपूर्ण समझौता करना। इनको त्यागकर हिंसा का आश्रय लेना तो कायरतापूर्ण कार्य है। जब हम सत्सारा से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रों के बीच के झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण रीति में किया जाना चाहिए, तब यदि हम अपने अधिकारों को मनवाने के लिए हिंसात्मक रीतियों का सहारा लें, तो सत्सारा हमें पागण्डी, भिश्चाचारी बहकर हमारा उपहास करेगा।

वह यही कहेगा—

'पर उपदेम कुमल बहनेरे।

जे आचरहिते नर न घनेरे ॥'

'तुम कहते कुछ हो, और करते कुछ हो।' और यदि ऐसी दशा मे हमे इस तरह की कटूक्तिया सुननी पडें, तो हमे आश्चर्य नही करना चाहिए ।

यह अत्यावश्यक है कि हम अपने हृदयो को टटोले, मन की उस सकीर्णता को खोज निकाले जिससे हमारी एकता को सक्रम पैदा हो गया है, जिससे हमारा दृष्टि-क्षितिज संकुचित हो गया है और जो हमारी प्रगति के मार्ग मे रोडे अटका रही है । हममे से प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृश्य और आत्मा की एकान्तता मे यह पता लगाना चाहिए कि उसमे क्या कमिया है, वह कहा गलती कर रहा है । अपनी शक्ति और सामर्थ्य से परे के कार्यों मे हमे आज जुट जाना है । अपने जीवन के शीघ्रता से समाप्त होते हुए वर्षों को हमे इस देश और ससार के कल्याण के लिए अर्पित कर देना चाहिए । हमे एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण मे शक्ति और निष्ठा से पिल पडना चाहिए जो क्षुद्र मनुष्यो के छल-प्रपचो से अभेद्य होगा । मैं आशा करता हू कि जो लोग इस विश्वविद्यालय मे अध्ययन करते है और जो लोग इस 'विश्व-विश्वविद्यालय-सेवा' के सदस्य है, वे अपने दृष्टिकोण को विस्तृत और अपने हृदय को उदार बनाएँ तथा हमारे सम्मुख जो समस्याएँ है उनका सामना साहस, शक्ति और धैर्य से करेगे ।

संसदीय लोकतंत्र*

श्री जी० वी० मावलंकर के गभीर रूप से बीमार पड जाने के कारण आज मुझे अध्यक्ष के आसन पर बैठना पड रहा है। उनको संसदीय व्यवहारो और प्रक्रियाओ का काफी लम्बा और विस्तृत अनुभव रहा है। यदि वे यहाँ उपस्थित होते, तो उन्होने आपका प्रभावपूर्ण ढंग से मार्ग-प्रदर्शन किया होता।

हम लोगो के लिए यह अच्छा रहेगा कि हम कभी-कभी सक्रिय राजनीति की उखाड-पछाड से अपने को नि सग करके राजनीति के आधार-भूत तत्वो, आदर्शो और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धान्तो के विषय में विचार-विनिमय कर लिया करे। यद्यपि हमारे यहाँ के संसदीय व्यवहार ब्रिटिश लोक सभा (हाउस ऑफ कामन्स) के व्यवहारो के आधार पर निर्मित है, तथापि हम अपनी विशेष परिस्थितियो के कारण अपनी कुछ परम्पराओ का विकास कर रहे है।

आप अपनी इस गोष्ठी में विचार करने जा रहे है कि विधान सभाओ में राजनीतिक दलो का क्या कार्य और स्थान होना चाहिए, संसद (पार्लियामेण्ट) का सरकार और जनता में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। इसके साथ ही, आप मन्त्रिमंडलीय सरकार (कैबिनेट गवर्नमेण्ट) और राज्य सभा तथा विधान-परिषदो, जिन्हें द्वितीय सभा कह सकते हैं, की रियति पर भी विचार करेंगे। मुझे आशा है कि आपकी इस चर्चा का कुछ

* २५ फरवरी, १९५६—संसदीय अध्ययन-मण्डल में भाषण।

अच्छा परिणाम निकलेगा ।

लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ है—जनता और शक्ति । इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन । हम लोकतंत्र को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं यह जीवन की एक पद्धति है, प्रशासन का एक स्वरूप है, सामाजिक और आर्थिक विकास का एक साधन है और समस्याओं के समाधान की यह भी एक विधि है । इन कई रूपों में लोकतंत्र को समझने और परखने की चेष्टा की जा सकती है । मैं लोकतंत्र के इन कई स्वरूपों में से प्रत्येक पर कुछ सामान्य बातें कहने की आपसे अनुमति चाहता हूँ ।

(१)

एक हिब्रू पैगम्बर ने कहा था—“जहाँ के लोगों में कल्पना नहीं होती, जिनके कोई स्वप्न नहीं होते, वहाँ के लोगों का नाश हो जाता है ।”

लोकतंत्र हमको एक स्वप्न, एक कल्पना प्रदान करता है, वह हमें जीवन की एक पद्धति देता है, वह हमसे माँग करता है कि हम व्यवहार के कुछ आदर्श, कुछ प्रतिमान या मापक निश्चित कर लें । हमारे सविधान की प्रस्तावना और उसके चौथे खंड में जो उद्देश्य और कर्तव्य निर्धारित किये गए हैं उनसे हमको मार्ग-दर्शन मिल सकता है ।

व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धान्त है । आजकल लोगों में यह प्रवृत्ति है कि वे व्यक्ति को विश्व-शक्तियों का, जो अपने निश्चित लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाती जा रही है, एक विवश शिकार समझते हैं । ससार आज गुमनाम बनता जा

१ आगस्टीन ने अपने 'सिटी ऑफ गॉड्स' (देवताओं का नगर) में कहा है—“कोई राष्ट्र विवेकशील लोगों का ऐसा सघ होता है जो अपनी मनोवांछित वस्तुओं को शान्तिपूर्वक प्राप्त करने के लिए सगठित हो जाते हैं । इसलिए किसी राष्ट्र की विशेषता का निश्चय करने के लिए आपको पहले यह विचार करना चाहिए कि वे वस्तुएँ क्या हैं ।”

रहा है और व्यक्ति उसमें खोता जा रहा है। किन्तु जीवन तो व्यक्ति को लेकर ही है। सत्य भी व्यक्ति के मानस में ही उद्भाषित होता है। व्यक्ति ही सीखता है या कष्ट भेलता है, वही आनन्द और शोक का अनुभव करता है, क्षमा और घृणा का पात्र भी व्यक्ति ही होता है। ससार की इस समस्त प्रगति का श्रेय उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है कि जिन्होंने अपने जीवन में आराम नहीं जाना, जो एक नई देन देने के लिए सतत व्याकुल रहे। मानवता के परित्यक्त, अपराधी और बहिष्कृत व्यक्तियों में भी उनकी अपनी आत्मा, उनका अपना व्यक्तित्व होता है। राज्य का काम यह देखना है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य की प्रतिष्ठा का प्रकाश मनुष्य की आँखों में कहीं मन्द न पड़ जाय। जॉन मेसफील्ड एक मर्मस्पर्शी कविता में, जिसमें दूर देशों में स्थित एक एकाकी व्यक्ति द्वारा सकुच-भरा आत्म-प्रोत्साहन देने की बात है, लिखते हैं—

“मैंने देखा है ·

पथरीली धरती में फूल खिला करता है,

मैंने देखा है :

व्यक्ति असुन्दर सब पर दया किया करता है,

मैंने देखा है ·

घुड़दौड़ों में बुरा अश्व विजयी रहता है,

इसीलिए तो—

मेरे मन में भी विश्वास जगा रहता है।”*

आत्मा के लिए जितनी स्वतंत्रता आवश्यक है, यदि उसके साथ हम समझौता करते हैं, तो हमारी अन्य सारी स्वाधीनताएँ ममाप्त हो जाएँगी।

‘कम्युनिस्ट-घोषणा पत्र’ (Communist manifesto) में कार्ल

“ I have seen flowers come in stoney places;
And kindness done by men with ugly faces,
And the gold cup won by the worst horse at the races;
So I trust too ”

—John Masfield.

माक्स को पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध यह शिक्षायत है कि यह व्यवस्था 'अनगिनत बहुसंख्यको को केवल मशीन की तरह काम करना सिखलाती है।' उनका कथन है कि सर्वहारा वर्ग की मनुष्यता का यह विनाश कर डालती है। लोकतंत्र के चिर अभीप्सित अधिकारो में से एक अधिकार यह भी है कि व्यक्ति को अपने ढंग से रहने और अपनी आत्मा का विकास करने की स्वतंत्रता रहे।

आपस्तव ऋषि का कथन है कि "आत्मलाभान् न पर विद्यते। आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्।" आत्मा के लिए तो ससार तक को त्यागा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सारे ससार को प्राप्त कर ले, किन्तु अपनी आत्मा को ही खो बैठे, तो उसको लाभ ही क्या होगा ?

इन दिनों में, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक नियतिवाद (Determinism) को फैशन की चीज़ बना दिया है, जब महान् पुरुषों को निर्वैयवितक शक्तियों का दास या साधन बताया जा रहा है, तब इतिहास में व्यक्ति के अश-दान पर बल प्रदान करना एक अच्छी बात है। एच० ए० एल० फिसर ने कहा था—“इतिहासकारों के लिए एक ही निरापद नियम है कि हम मनुष्य के प्रारब्ध के विकास में आकस्मिक और अदृष्ट शक्ति का हाथ समझ लें।” यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रेखा-गणित में किसी भी नियम का प्रदर्शन अपरिहार्य है, परन्तु मानवीय कार्यों में यह बात लागू नहीं होती। इतिहास के निर्माण में मनुष्य का वास्तव में बहुत हाथ है। 'राजा कालस्य कारणम्'। जबकि हम घोर नियतिपथी होने को भी ठीक नहीं समझते, तब हम यह भी नहीं मानते कि अपने अतीत से पूर्णतया विच्छिन्न होकर मनुष्य, मनुष्य रह सकता है। मनुष्य के ऐच्छिक चुनाव की गुंजाइश चाहे जितनी थोड़ी हो, पर वह है अवश्य। हम भाग्य के हाथों के खिलौने नहीं हैं। जन-समुदाय में अपने निजत्व को विलीन कर देने से हम बाह्य शक्तियों की आधीनता से नहीं मुक्त हो सकते, वरन् हम मुक्त हो सकते हैं विचार, अनुभूति और कल्पना की स्वतन्त्रता का उपयोग करके, आगे कदम उठाने की प्रेरणा वातावरण से

न ग्रहण कर अपने अतः करण से प्राप्त करके। यदि हम आज पहले की अपेक्षा अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं और अच्छे मकानों में रह रहे हैं; यदि हम दरिद्रता और अप्रतिष्ठा से अपने को किमी अंश में छुड़ा सके हैं, तो इसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखने और अपनी सूझ-बूझ के अनुसार आगे कदम बढ़ाने की चेष्टा की है। मानव-प्रगति का समस्त इतिहास उन पैगम्बरों और बहादुरों, उन कवियों और कलाकारों, उन अग्रगण्यियों और अन्वेषकों के जीवन को केन्द्र बनाकर चला है जिन्होंने सत्य, शिव और सुन्दर को भली प्रकार समझने के पश्चात् उनको क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व भी वहन किया है, जिन्होंने अपने प्राणों के लिए सकट उपस्थित होने पर भी, जो विचार कर लिया सो कहा, जो निर्णय कर लिया सो किया, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वे अपनी आत्मा को प्रवर्चित करेंगे।^१ व्यक्ति के प्रति सम्मान लोकतांत्रिक समाज का नैतिक आधार है। इस प्रकार के समाज में न तो किसी को दास होना चाहिए और न किसी को स्वामी।

एक शताब्दी से पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में लिम्बने हुए टोकेविल (Tocqueville) ने कहा है—“हम लोगों के समय तक यह माना जाता था कि स्वेच्छाचारी शासन (Despotism), चाहे वह किसी भी रूप में हो, घृणास्पद वस्तु है। यह तो आधुनिक शोध है कि यदि जनता के नाम पर प्रयोग किया जाय, तो निरंकुशता भी बंध ही जाती है और अन्याय भी पवित्र मान लिया जाता है।” वह आगे कहता है—“मैंने ऐसा कोई देश नहीं मालूम, जिसमें मन की सच्ची स्वतंत्रता और विचार-विनिमय की स्वाधीनता इतनी कम हो, जितनी अमेरिका में है।... यदि वर्तमान समय में अमेरिका में महान् लेनको का अभाव है, तो इसका कारण यह है—विचार-स्वातन्त्र्य के बिना कोई प्रतिभागी नरक उत्पन्न

३. तुलना कीजिए—लॉटिंजर ने रिड्ले से कहा था—“मिस्टर रिड्ले, निश्चित रहो, ईश्वर की कृपा से आज के दिन हम इंग्लैंड में ऐसा दीप जलाएंगे, जो, मुझे विश्वास है, कभी नहीं बुझ पाएगा।”

नहीं हो सकता, और अमेरिका में विचार-स्वातन्त्र्य है नहीं।”

(२)

‘जनवाक्यम् तु कर्त्तव्यम् नरैरपि नराधिपै ।’ जनता के वाक्य को पूरा करना जनता और शासकों—दोनों का कर्त्तव्य है। प्रश्न है कि जनता क्या चाहती है, इस बात का निश्चय कैसे हो ? केवल चीख-पुकार या नारेबाजी तो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

जनता क्या चाहती है, इसका निश्चय करने और इसको अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा ढंग ससदीय लोकतंत्र ही जान पड़ना है। लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन-तंत्र है। आधुनिक राज्यों में यह सम्भव नहीं रह गया है कि शासन प्रत्यक्षत जनता के द्वारा चलाया जा सके, यहाँ तक कि ग्राम-पंचायतों तक प्रतिनिधि-पद्धति को ही अपनाती है। लोकतंत्र जनता को संविधान में सशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार देता है। जब तक संविधान है, जब तक वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बदल नहीं दिया जाता, तब तक उसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, सब उसको मानने के लिए बाधित है। संसद के सदस्य, चाहे वे जिस राजनीतिक दल से सम्बन्धित हों, जब तक एक समान धरातल को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक संसद का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। ससदीय लोकतंत्र में सरकारों को शान्तिपूर्ण ढंग से बदला जा सकता है। समय-समय पर जो निर्वाचन होते हैं, उनसे यह संकेत मिलता है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार प्राप्त है।

हमने सबके लिए वयस्क मताधिकार का नियम स्वीकार किया है। इसका ताकाजा है कि सबको शिक्षा की सुविधा दी जाय। यह होने पर ही, मतदाता राष्ट्रीय उद्देश्य और कर्त्तव्य को समझ सकेंगे और अपने मत का प्रयोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए न करके सार्वजनिक हित के लिए करेंगे। यद्यपि हमारे मतदाता यथानियम शिक्षित नहीं हैं, तथापि उनमें सामान्य ज्ञान है और सत्य एवं न्याय से उनको स्वभावतः प्रेम है।

कभी-कभी जनता प्रचारवादियों (प्रोपेगैन्डिस्ट्स), नये गढ़े हुए आदर्शों के विक्रेताओं, वर्ग-हितों, या जाति-निष्ठाओं के द्वारा प्रलोभन

पाकर सत्य तथा न्याय के पथ से विचलित हो जाती है। हुल्लड़वाज भीड़ के मनोविज्ञान का अनुचित लाभ उठाकर लोगो को बहका लिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तरह-तरह के दबाव उन पर डाले जाते हैं, घूम दिया जाता है और विभिन्न समूहो के अन्तर्गत अपने को मानने के लिए उनको सम्मोहित-सा कर दिया जाता है। तात्पर्य यह कि उनके साथ साम-दाम-दण्ड-भेद—सभी प्रकार के हथकण्डो का प्रयोग किया जाता है। जब चतुर और शिक्षित राष्ट्र तक चुपचाप अधिनायकवाद के सामने घुटने टेक चुके हैं तब इससे तो यही पता चलता है कि लोग कितनी सरलता से अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का परित्याग कर देते हैं।

यदि जनता से यह आशा की जाती है कि सामाजिक तथा आर्थिक मामलो मे उसके विचार ठोस होने चाहिए, तो उसको सही सूचनाएँ प्राप्त होनी चाहिए और प्रश्न के सभी पहलुओ को जानने-सुनने का उसे अवसर मिलना चाहिए। सूचना के साधनो पर स्वार्थपूर्ण हितो का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। जनता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। सर्वग्राह्यराज्यवादी (टोटेलिटेरियन) समाज मे शासनाखंड दल सूचना, सवादवहन और मनोरंजन के सभी साधनो पर नियन्त्रण करके जनता के विचारो को एक साँचे मे ढालने की चेष्टा करता है। सब विरोधियो का मुह बन्द कर दिया जाता है। जनता केवल वही सुन पाती है जिसे सरकार उसको सुनाना चाहती है। ससद् का कर्तव्य है कि वह सामाजिक असन्तोष को दबावे नहीं, वरन् उसको अभिव्यक्त करे। मच्चे लोकतन्त्र मे, जिस विचार से हम घृणा करते हैं, उमको भी हमे तब तक सहन करना पड़ता है जब तक हमारा स्वयं का विचार इतना समर्थ नहीं हो जाता कि वह उम विपक्षी विचार से लोहा ले सके। भयावह विचारो को प्रश्रय देने मात्र को हमे पाप नहीं समझ लेना चाहिए। नास्तिक बहुधा अपने प्रयान मे असफल हुए हैं। दक्षिणी फ्रान्स मे अल्बिगेन्सियनो के विरुद्ध जो धर्म-युद्ध (crusades) किया गया था वह उतना ही बर्बरतापूर्ण था जितना नाजियो द्वारा यूहूदियो की निर्मम हत्या। जिन पपराधियो ने हिंसा का पाप किया हो, केवल उन पर ही नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। लोग जो कुछ सोचते हैं, वह उनका निजी मामला है,

किन्तु वे जो कुछ करते हैं, उससे जनता का सम्बन्ध हो जाता है ।

संसद् राज्य और जनता के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करती है । यही वह स्थान है जहाँ हम वातावरण को समझते और उसका निर्माण करते हैं । नेतागण लोकमत का केवल अनुगमन ही नहीं करते, वरन् उसका नेतृत्व भी करते हैं । वर्क ने जनता को सम्बोधित करते हुए अपनी इन प्रसिद्ध पंक्तियों में कहा है--“आपका प्रतिनिधि आपके लिए अर्घ्य-वसाय ही नहीं करता, बल्कि आपके प्रति न्याय-बुद्धि भी रखता है । यदि आपकी सम्मति के आगे वह अपने निर्णय, अपने विवेक का बलिदान कर देता है, तो वह आपकी सेवा करने के स्थान पर आपके साथ प्रवञ्चना करता है ।” यदि हम इस तर्क के आधार पर कि हमें तो जनता का वोट जीतने से मतलब है, लोकमत को केवल प्रतिबिम्बित करते हैं, तो ससद में आकर हम जो कुछ कहेंगे, वह सब ओछी, अनर्गल और सस्ती लोक-प्रियता प्राप्त करने वाली बातें होंगी । इस सम्बन्ध में हमें जो सोचना है, वह यह कि हम कोई लोकप्रिय कार्य न करें, बल्कि वही करें जो सच-मुच ठीक हो । अधिकांश में तो यही होगा कि यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो अपनी लोकप्रियता खो देंगे । जनता की ओर से पड़नेवाला भयकर दबाव राजनीतिज्ञों को राजनीतिक साहस के कार्य करने से हतोत्साहित कर देता है ।

ससद के सदस्यों का चुनाव बहुत सावधानी से होना चाहिए और जब वे निर्वाचित हो कर आ जायें, तब उनको ससदीय व्यवहार का प्रशिक्षण आपकी ‘व्यूरो ऑफ पार्लियमेण्टरी स्टडीज’ (ससदीय अध्ययन-मण्डल) जैसी संस्था के द्वारा दिया जाना चाहिए । जनता के प्रतिनिधि को सविधान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वही जनता और सरकार के बीच का समझौता है, अनुबन्ध है । सविधान के निर्देशक सिद्धान्तों का उसे भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे ही सिद्धान्त हमारे राष्ट्रीय धर्म या राष्ट्रीय सदाचार के मूलाधार हैं जिनसे जनता के धर्म-निरपेक्ष और आध्यात्मिक हित पूरे होते हैं तथा जिनसे जनता के श्रम्युदय और नि श्रेयम् दोनों सघते हैं ।

हमने राजाओं के दैवी अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्त का जनाजा

निकाल दिया है, यहाँ तक कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत से वनी हुई सरकारें तक कोई दैवी अधिकार नहीं रखती। लोकतांत्रिक सरकार अर्थात् बहुमत के आधार पर संगठित सरकार कभी-कभी बहुत गम्भीर बुराइयों में फँस सकती है। लॉर्ड ऐक्टन का कथन था—“.....जनता की कही जाने वाली सरकार चूँकि देश की अधिकांश जनता और सबसे शक्तिशाली वर्ग की सरकार होती है, इसलिए वह भी उसी प्रकार बुरी चीज है, जिस प्रकार सर्वप्रभुत्तासम्पन्न राजतंत्र। दोनों एक ही काँटे की वस्तुएँ हैं। और लगभग इन्हीं कारणों से जनता की सरकार के पास ऐसी सस्याएँ होनी चाहिएँ जो उसको उसकी ही बुराइयों से बचा सकें और जो मनमानी विचार-क्रांतियों की आंधियों के सामने कानून के स्थायी शासन को प्रतिष्ठापित रख सकें।” हमको सोचने-विचारने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सबल बन सकता है। और इसके लिए हमें अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना आना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र में सदा ही एक विरोधी पक्ष होता है। भले ही वह सख्या की दृष्टि से शक्तिशाली न हो, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें राजनीतिक बुद्धि का भी अभाव है। विरोधी पक्ष समझौते पर भले ही अपना दबाव न डाल सके, लेकिन वह सरकार के विचारों पर तो दबाव डालता ही है। अधिकार के मद में मतवाली होकर जब सरकारें अपने विरोधी पक्ष का दमन करने लगती हैं तभी लोकतंत्र के लिए खतरा उपस्थित होता है। बुद्ध, सुकरात, ईसा मसीह तो प्रतीक-मान हैं। राज्य उनके मुह पर ताला लगा सकता है, किन्तु उनके भीतर जो आग प्रज्वलित हो रही होती है, उसको वह किसी प्रकार नहीं बुझा सकता। सुकरात और ईसा और बहुत से अन्य व्यक्ति अपने समय के ‘शीत युद्ध’ में ‘नुरक्षा के लिए सकट’ समझे जाकर चुप कर दिए गए थे। सदियों के निरकुश शासन और धार्मिक मतवादों पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तब पाते हैं केवल ‘कर्म’, आग की धू-धू करती हुई चिताएँ, तप्त तैल के कढ़ाह, यातना-कष्ट और नजरबन्दी शिविर (कान्सेन्ट्रेशन कैम्प)। हम भारतवासियों ने बुद्ध को या अन्य सनातन-धर्म-विरोधियों को मारने या समाप्त करने की चेष्टा नहीं की। हमारी

यह परम्परा रही है कि हमने कभी जनता को न तो एक मत का अनुयायी बनाने की चेष्टा की है और न ऐसे लोगों को शहीद बनाया है जो प्रचलित विचारा-धारा का विरोध करने का साहस कर चुके हैं। हमने सदा से विचार-स्वातंत्र्य का प्रतिपादन किया है और प्रगति का यही मार्ग है भी। लोगों के इस सोचने में कि हम कभी गलती कर ही नहीं सकते और हम सदा सही हैं, ससार की प्रगति की राह में सबसे अधिक कांटे बिछाये हैं, ससार का सबसे अधिक सहार किया है। यदि हम रूढ़िवादी विचारों से भिन्न विचार रखनेवालों का दमन करते हैं और मनुष्य की अन्तरात्मा को तुच्छ समझते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम अपने को लोकतांत्रिक कहने के अधिकारी नहीं हैं। हम अपने से भिन्न विचार रखने वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे लोकतंत्र की यही कसौटी होगी।

केवल इस बात से कि बहुसंख्यक जनता ने अपना वोट देकर किसी सरकार को पदासीन कर दिया है, कोई सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो जाती। यह भी लोकतांत्रिकता नहीं है कि हम जनता से केवल एक ही पार्टी के लिए वोट देने को कहें। लोकतंत्र की कसौटी यह है कि वह अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार दे पाता है या नहीं, वह अपने विरोधियों को भी विचार रखने की, भाषण देने की और संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है या नहीं। यदि किसी राजनीतिक दल के बाहर उसके प्रतिद्वन्द्वी न हों और भीतर विचार-वैभिन्न्य न हो, तो चाहे भले ही मतदाताओं ने उसे अपना मत देकर सत्तारूढ कर दिया हो, किन्तु वह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता।

हमारे संविधान का तृतीय खण्ड, जिसमें हमारे बुनियादी अधिकारों का वर्णन है, हमें कई प्रकार के अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है। सरकार ने नागरिकों की रक्षा के लिए इन अधिकारों के रूप में कुछ प्रतिबन्ध अपने ऊपर लगा दिये हैं। चूँकि सरकारें भी इन अधिकारों का हारण नहीं कर सकती, इसलिए हम अत्याचारों से सुरक्षित रह जाते हैं। यदि न्यायपूर्ण अधिनियमों से स्वतंत्रता का नियमन किया जाता रहे, तो राजनीति में इससे बढ़कर दूसरी कल्याणप्रद

वात नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त है, तो उन पर यह कर्तव्यभार भी है कि वे दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हमारा अधिकार वही समाप्त हो जाता है जहाँ वह दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगता है। उदाहरण के लिए, वाणी-स्वातंत्र्य का जहाँ तक प्रश्न है, किमी सभा के श्रोताओं को यही अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है।

लोकतंत्र का अर्थ है शक्ति का वितरण, विकेंद्रीकरण। स्वतंत्र न्यायाधिकरण, अक्रक्षण (ऑडिट) और लोक सेवा आयोग आदि सरकारों के स्वेच्छाचारी और अत्याचारी बनने पर अंकुश लगाते हैं। इन संस्थाओं को प्रशासकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव से बचाना चाहिए। केवल यही एक रास्ता है जिससे सार्वजनिक जीवन के प्रतिमान विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी अधिकाराधिक्य से निष्ठुर और असहिष्णु बन जाते हैं। अत्याचार स्वभाव ही नहीं, रोग तरु बन जाता है। शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए।

अरस्तू का कथन है कि समाज का लक्ष्य है मद्जीवन की उन्नति करना, न कि किसी राजा या नवाब की महत्ता को बढ़ाना। स्वेच्छाचारी शासन में सदा यह खतरा रहता है कि शासक के मन में कब क्या आजाय और वह कब क्या कर बैठे, ऐसी परिस्थितियों में सद्जीवन सम्भव हो जाता है। अतः कानून के द्वारा अधिकार पर लगाम लगी होनी चाहिए। अरस्तू लिखता है—“जो व्यक्ति कानून का शासन प्रचलित करता है, वह मानो कहता है कि ईश्वर और विवेक का ही शासन चल सकता है, किन्तु जो व्यक्ति मनुष्यों का शासन प्रचलित करता है, वह शासन के साथ पशु-तत्त्व को और जोड़ देता है।” चूँकि कोई भी आदमी अनियन्त्रित अधिकार के उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह सामान्य समझ की बात है कि कानून का शासन होना आवश्यक है। सिंगेरो इस बात पर बल देता है कि सरकार केवल अनियमित सत्ता का ही नाम नहीं है। “समाज एक ऐसी भीड़ को नहीं कहते जो भानुमती के कुन्बे की तरह किसी प्रकार एकत्र हो गयी हो।” वह कहना है कि समाज “एक ऐसा

प्रजामण्डल है जो कानून को स्वीकार करने और उससे मिलने वाले व्यावहारिक लाभों के समान उपभोग के कारण परस्पर सगठित हो गया है। राजनीतिक शक्ति तभी उचित कही जा सकती है जब वह सबका समान रूप से हित करे, जब वह मानव-धर्म की प्रतिष्ठा करें। स्वेच्छा-चारी निरंकुश शासक शक्ति के द्वारा शासन करता है, किन्तु ससद (पार्लियामेण्ट) कानून के अनुसार शासन करती है। महान् राजनीतिक विचारक एडमण्ड बर्क ने कहा था—“जो लोग स्वेच्छाचारी शक्ति किसी को सौंपते हैं और जो ऐसी शक्ति ग्रहण करता है, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। किसी मनुष्य के पास इसके अलावा दूसरा चारा नहीं कि वह ससार में जहाँ कहीं ऐसे शासन को सिर उठाते देखे, वही उसका प्रतिरोध करे। * * * राजनीति में यह कहना एक बड़ी दुष्टता, शरारत की बात है कि कोई एक व्यक्ति स्वेच्छाचारी शक्ति रख सकता है।” हम न तो अत्याचारी निरंकुश शासक को चाहते हैं और न हम समाज या प्रजा के नाम पर किसी विश्रुंखलित भीड़ को चाहते हैं। स्पिनोजा के शब्दों में, “सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि वह मनुष्यों को विवेकशील प्राणियों के स्थान पर पशुओं या कठपुतलियों में परिणत कर दे, वरन् उसका उद्देश्य तो यह है कि पूर्ण सुरक्षा के वातावरण में मनुष्य अपने शरीर और मन का विकास करें और उन्मुक्त रूप से अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करे।” वास्तव में, सरकार का सच्चा लक्ष्य है स्वतन्त्रता।

लोकतांत्रिक सरकार स्वच्छ और कुशल प्रशासन पर ही टिक सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे-जैसे सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) का विस्तार होता जा रहा है, वैसे-वैसे सरकार सबसे बड़ी सेवा-योजक (employer) बनती जा रही है। हमें चाहिए कि हम केवल उपयुक्त योग्यता के कर्मचारियों को ही नियुक्त करें। प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए और कर्मचारियों का चुनाव योग्यता पर निर्भर होना चाहिए न कि किसी प्रकार के प्रभाव पर।

(३)

लोकतांत्रिक ढंग से किसी समस्या को सुलभाने का अर्थ है समझाना-

बुझाना, तर्क देना और परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय करना। यदि किसी बात पर मतभेद हो, तो कोई या तो यह कह सकता है कि "मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा मिर तोड़ दूंगा" या यह कह सकता है कि "आओ हम लोग बैठकर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की ओर फिर कोई फैसला कर लेने की चेष्टा करें।" यह दूसरा तरीका लोकतांत्रिक है। इस पद्धति का विश्वास है कि प्रेम घृणा से अच्छा है, सहयोग संघर्ष की अपेक्षा अच्छा है और दबाव की अपेक्षा सहमति अच्छी है। वर्तमान सप्ताह में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग अपने अच्छे से अच्छे रूप में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से कायरतापूर्ण पलायन है और अपने बुरे में बुरे रूप में, भविष्य के प्रति पड़्यत्र है।

हम लोगों के सामने आज कई समस्याएँ हैं। आत्मा की स्वतन्त्रता का अनुभव करने के लिए शारीरिक और सामाजिक प्रतिबन्ध प्रत्यावश्यक हैं। जीवन की सही ढंग से आर्थिक व्यवस्था करके और उचित सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करके हम अपने को भौतिक और सामाजिक बाध्यताओं से मुक्त कर सकते हैं। हमारे देश में कई करोड़ मनुष्य बन्दी-ग्रह की यातनाओं से भी कहीं अधिक निष्ठुर दासता के शिकार हो रहे हैं। इन्सानों के साथ कभी-कभी ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वे इन्सान न होकर बाजार में खरीदी-बेची जानेवाली वस्तुएँ ही। संविधान में लिखे हुए वाक्य और कानून की पुस्तक में लिखी हुई धाराएँ समाज के ढाँचे में परिवर्तन की परिचायक नहीं हैं। जो गरीब आदमी इधर उधर काम की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं और फिर भी जिन्हें काम नहीं मिल पाता, कोई मजदूरी नहीं मिलती और जिन्हें भुखमरी का शिकार होना पड़ता है, जिनका जीवन कटु यथार्थ और दारिद्र्य की चूटीली घुमन का एक अविश्राम क्रम बन जाता है, वे अपने संविधान और उसके नियमों पर गर्व नहीं कर सकते। जब तक हम अपने नागरिकों को गरीबी, भूख, रोग और अज्ञानता से मुक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, तब तक हमारा लोकतंत्र बिल्कुल थोड़ा है, घुण की टट्टी है। हमें लोगों को आग्रह में समझा बुझा कर तथा उनकी सहमति प्राप्त करके सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें

विश्वास है कि हम अपने सामाजिक वातावरण में तर्क, समझौता और बहुमत के द्वारा सुधार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी सस्थाएँ होनी चाहिए जो सामाजिक सम्बन्धों के खिचाव को दूर कर आपस में तालमेल बैठा सके और बीच-बिचाव कर सकें।

एक ओर जहाँ श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियनों) को राज्य के हाथ का अस्त्र नहीं समझा जाना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर श्रमिक संघों का भी कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय हित के सामने वर्ग-हितों को प्रधानता देना छोड़ दें। जो सस्थाएँ या रूढ़ियाँ आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय के मार्ग में रोड़ा अटक रही हों, उन्हें दूर कर देने की आवश्यकता है।

यह सच है कि समाज को अपराधों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार की हिंसा कानून के शासन के लिए सकटतुल्य है। परन्तु हमको अपराध या पाप को उसके स्रोत स्थान पर ही रोक देने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देनी चाहिए जिनमें हमारे देश के नर-नारी विश्वास और सुरक्षा के वातावरण में रह सकें, काम कर सकें और भविष्य का सामना कर सकें।

लोकतंत्र एक नये जीवन के लिए निमंत्रण है। हमने जिन आदर्शों को अपने सामने रखा है, वे यथार्थ में भी परिणत होने चाहिए। सन् १९४७ में जो कुछ हुआ, वह एक क्रान्ति का आरम्भ था और हमें उस क्रान्ति को सफल बनाना है। यदि हमारा संविधान एक ऐसे रचनात्मक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला नहीं बनता जिसमें 'सबके विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति का विकास आवश्यक शर्त माना जाता हो' तो यह टूट जाएगा।

लोकतंत्र के दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो है व्यक्ति का निर्माण और दूसरा है ससार में एकता लाना। एक नये समाज का निर्माण तभी सम्भव हो सकता है जब लोग अपनी समस्त सम्पदा से भी अधिक महत्त्व अपनी स्वतंत्रता को देने लगे। हम एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें व्यक्तित्व की पवित्रता कार्यकारी सिद्धान्त बन जाएगी, जिसमें समस्त ससार सहकारिता की इकाई बन जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें

संसार के आर्थिक उत्पादनों का पुनर्वितरण इस प्रकार होगा कि सभी लोगों को समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त होंगी । 'समस्त मानव-जाति का एक ही समाज हो'— यह सुन्दर कल्पना आज कड़ियों के मन में मूर्त्त रूप लेती जा रही है । यदि रचनात्मक समाज की और अविभाज्य लोकतंत्र की कल्पना निर्वल पड़ती है, तो हमारे समाज का हास होने लगेगा । यदि हम इस कल्पना को नहीं त्यागते, इसको साकार करने के लिए दृढप्रतिज्ञ रहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं । रचनात्मक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें अपने हृदय में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना चाहिए । गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि जनता की आत्मा में महान् शक्ति छिपी है, वह शक्ति उन अस्त्र-शस्त्रों में निहित नहीं है जिनसे वह दूसरों को मारती है, वरन् वह शक्ति छिपी है स्वयं मरने के लिए प्रस्तुत रहने में । 'महाभारत' में कहा है—

“नैव राज्य नराद् आसीत्
न दण्डो न च दाण्डिकः ।

धर्मैव प्रजाः सर्वाः

रक्षन्तिस्म परस्परम् ॥”

अर्थात्—कोई जनता न तो अपने मविधान के कारण फलती-फूलती है, न दण्ड के डर से और न न्यायाधीश के भय से, बल्कि इसलिए कि वह धर्म का पालन करती है और एक-दूसरे की सहयोग पूर्वक सहायता करती है ।

² Societas generis humani.

४. शान्तिपर्व

देश की एकता न टूटने पाये*

मुझे यहा आकर और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्, बंगाल के स्वर्ण-जयन्ती-समारोह मे भाग लेकर प्रसन्नता हुई है। सन् १९०६ से १९५६ तक—पचास वर्ष हमारे देश के इतिहास मे घटनापूर्ण वर्ष रहे है और बंगाल ने हमारे इस बहुमुखी पुनर्जागरण (Renaissance) मे बहुत प्रभावशाली योगदान दिया है। कला और साहित्य, राजनीति और सामाजिक सुधार, धर्म और दर्शन के क्षेत्र मे बंगाल की देन बहुत महत्त्वपूर्ण रही है। बंगाल की यह विशेषता है कि यहा के लोगो मे बौद्धिक शक्ति, सवेगात्मक तीव्रता और सत्कार्यों के लिए बलिदान हो जाने की भक्ति पायी जाती है। जिन दिनों हम पराधीन थे और निराशा का घनान्धकार हमे आच्छन्न किये था, उन दिनों भी इस राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् मे स्वतंत्रता की मशाल प्रज्वलित रखी गयी थी।

विदेशी नियंत्रण से मुक्त होने का हमारा जो आन्दोलन था, उसके कई पक्ष थे। यह राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् भी उस नियंत्रण से मुक्त होने के हमारे प्रयासो का ही एक अंग थी।

बंगाल के कई श्रेष्ठ नेताओ का इस परिषद् से सम्बन्ध रहा है और इसकी स्थापना तथा विकास मे उन्होने भाग लिया है। उनमे से कुछ ये हे—रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द घोष, आशुतोष चौधुरी तथा गुरुदास

* राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् (नेशनल कॉन्सिल ऑव एजुकेशन), बंगाल के स्वर्ण-जयन्ती-समारोह मे भाषण—१७ मार्च, १९५६।

वनर्जी। इसका उद्देश्य था 'एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का संगठन करना जो साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक विषयों की शिक्षा राष्ट्रीय भावनाओं के योग्य तथा राष्ट्रीय नियंत्रण में देती हो।'

शिक्षा की जो प्रचलित पद्धति थी, उसमें दो गम्भीर त्रुटियाँ थीं। पहली तो यह कि वह मुख्यतः साहित्यिक थी और दूसरी यह कि वह राष्ट्रीय परंपराओं की उपेक्षा करती थी। छात्रों को कला (arts), कानून और वाणिज्य में शिक्षा देना अपेक्षाकृत अल्पव्ययसाध्य है और विज्ञान अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलॉजी) में शिक्षा देना बहुत व्ययसाध्य। किन्तु देश के साधनों का विकास करने और अपना जीवन-स्तर उन्नत करने के लिए इन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध करना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा-परिपद् ने इस असन्तुलन को ठीक करने की चेष्टा की। राष्ट्रीय शिक्षा-परिपद् ने देश के औद्योगिक विकास की दिशा में सबसे मूल्यवान् योग अभियान्त्रिकी और प्राविधिक शिक्षा का प्रबन्ध करके दिया है। यद्यपि यहाँ से प्रशिक्षित छात्रों को सरकारी मान्यता और संरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त था, तथापि अपने अच्छे कार्यों के कारण उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करा ली। उनकी प्रशिक्षा को देश की सरकार ने ही नहीं मान्यता प्रदान की, वरन् हार्वर्ड, येल तथा मिशिगन जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी उसको मान्य किया। इस परिपद् की योजना थी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चस्तरीय—प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और विद्या के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाय। इसने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया था।

यद्यपि यहाँ पर प्रमुख बल तो अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी पर ही था, तथापि इतिहास, राजनीति और साहित्य के अनिवार्य अध्ययन की भी सुविधा थी। यदि किसी का ज्ञान किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हो, तो वह सच्चे अर्थ में शिक्षित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। विशेषीकरण की चुराइयों को तभी दूर किया जा सकता है जब एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाय जिसमें सभी विषयों की सामान्य शिक्षा का समावेश हो।

अतीत मे कई वैभवशाली और शक्तिशाली राज्य हो चुके हैं। जब वे मूलोच्छिन्न हो गये तब वे शक्तिहीन बन गये। वे इतिहास रूपी आकाश मे उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह घूर्णित होते रहे। क्योंकि वे उस अग्नि से विलग हो गये जिससे वे उत्पन्न हुए और जो उनको जीवित रखे रही, इसलिए वे उल्कापिण्डों की तरह जल उठे। राष्ट्रीय शिक्षा-परिपद् की इच्छा थी कि छात्रों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय बनाया जाय और उन्हें राष्ट्रीय भावना मे दीक्षित किया जाय। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात कहते हैं, तब उससे हमारा यह तात्पर्य नहीं होता कि भौतिक शास्त्र तथा रसायनशास्त्र, अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों मे भी राष्ट्रीय सीमाओं के परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन हो जाता है। इसका इतना ही अर्थ है कि हमारी एक राष्ट्रीय बपीती है, हमारे नैतिक मानों की एक राष्ट्रीय परंपरा है और विद्यार्थियों को उससे परिचित होना चाहिए। भारतवर्ष ससार की अन्य भौगोलिक इकाइयों से पृथक् एक भौगोलिक इकाई-मात्र नहीं है, वरन् यह एक जीवित आत्मा है। इस देश की अपनी एक विचारधारा रही है, जिसको आध्यात्मिक विचारधारा कह सकते हैं। वह यह मानती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जिन नियमों का अध्ययन किया जाता है, उनसे भी उच्चतर कुछ नियम हैं, ससार बस उतना ही नहीं है जितने को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, छूते हैं और मापते हैं।

विज्ञान के नियम व्यावहारिक प्रयोग मे इतने प्रभावोत्पादक हैं कि हमारा यह विश्वास करने को जी चाहता है कि वैज्ञानिक नियमों द्वारा प्रशासित भौतिक ससार ही वास्तविक ससार है। गत पंचास वर्षों मे विज्ञान ने हमारे जीवन मे जितने परिवर्तन ला दिये हैं, वे गत तीन या चार हजार वर्षों में हुए परिवर्तनों से भी बढकर हैं। रेडियो, टेलीफोन, विमान, पेनिसिलिन, प्लास्टिक्स, उग्र विस्फोटक बम तथा अणुबम—चाहे ये हमारे हित का कार्य करते हो या अहित का—ये सभी विज्ञान की ही उपज हैं। किन्तु, इससे भूत-द्रव्य (Matter) की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध नहीं होती। इससे तो मानवीय आत्मा की ही सर्वशक्तिमत्ता प्रकट होती है। मनुष्य की आत्मा ही प्रकृति के रहस्यों का भेदन कर सकी है। एक बात

यह भी है कि वैज्ञानिक को भी सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासित निष्ठा तथा निस्स्वार्थ वृत्ति जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करना आवश्यक है। उसमें सहनशीलता, पूर्वाग्रहहीनता, निष्पक्षता और नये विचारों के प्रति ग्रहणशीलता होनी चाहिए।

विज्ञान हमारे सम्मुख संसार की अखूट समृद्धि, उसकी आकस्मिकता और अद्भुतता का उद्घाटन करता है। विज्ञान हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने का दम नहीं भरता। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ उसके आदेश मान्य नहीं होते। सब कुछ कहने और सब कुछ करने के वाद भी संसार एक रहस्य ही रह जाता है। भगवद्गीता में कहा है—

“अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्त निघनान्यैव तत्र का परिदेवता ॥

जीवन और जगत् सम्बन्धी जो उच्चतम प्रश्न है, उनका उत्तर देना विज्ञान के लिए कठिन है, वे बहुत गहरे और रहस्यमय हैं, विज्ञान उनका पार नहीं पा सकता। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम विश्व के बहुत अल्पांश को ही समझते और नियंत्रण करते हैं।

संसार का वैज्ञानिक अध्ययन करने से ही हमें उसके विषय में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। विज्ञान-प्रदत्त ज्ञान की भी अपनी सीमाएँ हैं। भौतिक शास्त्र से रसायन शास्त्र तक, रसायन शास्त्र से प्राणिशास्त्र तक, प्राणिशास्त्र से मनोविज्ञान तक, मनोविज्ञान से तर्कशास्त्र तक, और तर्कशास्त्र से सौन्दर्यशास्त्र तक, ऐसा लगता है कि कोई अटूट तर्कसंगत शृंखला जुड़ी हुई है, कारण और कार्य की एक परंपरा इनके मध्य है जिसकी परिणति लोकोत्तारिक सरकारों और विशाल विश्वविद्यालयों में होती है। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समाधान हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, जैसे यही रहस्य कि जीवनहीन वातावरण से जीवन का प्रादुर्भाव कैसे होता है, अचेतन वातावरण से चेतनता कैसे प्रकट हो जाती है, सत्य-शिव-मुन्दर विचार उन स्थानों से भी कैसे प्रकट हो जाते हैं जहाँ उनका सर्वथा अभाव जान पड़ता है? कुछ और भी नमरवाएँ हैं, जैसे शरीर और मन का सम्बन्ध, आत्मचेतनता की प्रकृति आदि, जो विज्ञान के लिए पहली ही आत्मा का भी अपना अस्तित्व है, उसका भी एकराज्य है,

उसकी भी एक शक्ति है, इस बात पर विश्वास हमारे ज्ञान की परिधि के बाहर की चीज नहीं है, वह तो सृष्टि के अन्तस्थल में जो रहस्य है, उस पर आधारित है। यह रहस्य इस बात में निहित है कि ससार के कार्य करने की रीति में एक सुव्यवस्थित नियम होने के साथ-साथ एक प्रकार की नवीनता भी दृष्टिगोचर होती है। ईश्वर अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति प्रकृति और इतिहास में केवल सकट और घोर आपत्ति के समय त्वरित आवेशों में नहीं करता। वैज्ञानिक ज्ञान का अन्त कहा हो जाता है और कहा से रहस्य का क्षेत्र आरम्भ होता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, परन्तु दो क्षेत्र तो ऐसे हैं और सदैव रहेंगे जिनमें से एक की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है और दूसरे की नहीं। ससार के अन्तस्तल में एक रहस्य है। हम भले ही उस रहस्य को स्वीकार न करें, परन्तु इससे उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता हो, ऐसी बात नहीं। हम कालिदास के 'मेघदूत' के सौन्दर्य को और साधुता के महत्त्व को न तो किसी तराजू में तोल सकते हैं, न किसी गज से नाप सकते हैं। सच और झूठ का, उचित और अनुचित का, सौन्दर्य और कुरूपता का ससार विज्ञान के ससार से भिन्न होता है। वैज्ञानिक तथ्यों का ससार और नैतिक मूल्यों का ससार—ये दोनों दो भिन्न ससार हैं। ये दोनों एक ऐसे ससार के अंग हैं, जिसका नियंत्रण एक ऐसी शक्ति के द्वारा होता है जो हमसे कहीं बड़ी है और जिसको हम परम सत्य या परंब्रह्म कहते हैं। इस शक्ति के प्रति हमें सम्भ्रम और नम्रता की अनुभूति होती है। हमको इस ससार में विश्व के आध्यात्मिक निर्देशों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। सम्यक् विश्वास, सम्यक् अनुभूति और सम्यक् क्रिया—इन्हीं को धर्म कहते हैं। धर्म तीनों का समन्वित रूप है। यह बौद्धिक सप्रत्यय, सवेगात्मक अत्यानन्द, या सामाजिक सेवा नहीं है। इनमें से कोई एक धर्म नहीं, वरन् तीनों मिलकर धर्म है। बौद्धिक जगत् से आध्यात्मिक जगत् तक का मार्ग कोई पारिमाणिक सचय नहीं है, वरन् वह तो गुणात्मक कुलाँच है। 'विज्ञान' से 'आनन्द' तक का सक्रमण एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कूद कर जाने के समान है।

वैज्ञानिक अभिवृत्ति अपेक्षा करती है कि हम विभिन्न तथ्यों और नैतिक मूल्यों पर निष्पक्ष और पूर्वाग्रहहीन होकर विचार करें। मनुष्य एक

ऐसे समार मे निवान करता है जो एऊ ही साथ भयोत्पादक भी है और आकर्षक भी, उसके प्रति मनुष्य मे सम्भ्रम का भी भाव है और समादर का भी, उमको देखकर मनुष्य को अपनी अकिंचनता का भो बोध होता है और आनन्द का भी । ऐसे समार मे रहते हुए मनुष्य स्वय को पहचानने की चेष्टा करता है । धर्म उमकी इन्ही आचारभूत प्रतिक्रियाओ तथा अनुभवो का अध्ययन करता है । इस प्रकार के अनुभव तभी होते हैं जब इस ससार की विवाची शक्ति के प्रति हममे पूत भावना हो । हम अपने अनुभव के एक अश को लेकर उसको पूर्ण अनुभव की सज्ञा नही दे सकते, और न हम तथ्यो के वैज्ञानिक वर्णनो को परिकल्पित उपकल्पनाओ (speculative hypotheses) से घुलामिला सकने हैं । मार्क्सवादी समाजशास्त्र या फ्रायडवादी मनोविज्ञान तथ्यो को निर्वचनो (interpretations) के साथ मिला देता है ।

अपनी इतनी सचित ज्ञानराशि के होते हुए भी हम भयावह दशा और दु खद स्थिति मे पडे हुए हैं, इसका कारण यह है कि हम विश्व के उच्चतर नियमो के प्रति उदासीन हैं । वे कौन-सी वाघाए हैं जिनके कारण हम आधुनिक महान् आविष्कारो का उपयोग मसार को अधिक सुखी और अधिक अच्छा बनाने मे नही कर पा रहे । वे वाघाए हैं—मानव-हृदय की वासनाए, मानव की दुष्टता, हठधर्मिता, नीचता और असम्यता । हमे मनुष्य की बबंरता को पालतू बनाना है । मानवीय प्रकृति मे पर्याप्त प्रगति हुए विना, यदि अणु-युद्ध को रोक भी दिया गया, तो भी हम उन्नति नही कर सकेंगे । हमारे ढगमगाते चरण ठिठक जाएँगे और हमारी गति अवरुद्ध हो जाएगी । यही पर हमारे देश की परपरा का महत्त्व सिद्ध होता है । हमे मनुष्य के मन मे आत्मा के सत्यो को केन्द्रीभूत करना होगा । यही मत्य हममे परिवर्तन लाएँगे, हममे उदारता, एक-दूमरे को समझने की प्रवृत्ति तथा स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करेंगे । मनुष्यो के मन और हृदय मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हममे ठीक वस्तु का चुनाव करने का विवेक होना चाहिए । यह मध नर-नारियो के प्रतिबोधनो (perceptions) और विचारों पर ममाज के नैतिक मानो पर और हमको नियमित करनेवाली आन्तरिक

सबाधाओं पर निर्भर करता है। हमे मयुष्य की बुद्धि को ही प्रशिक्षित नहीं करना है, वरन् मनुष्य के हृदय को भी गरिमामय बनाना है। 'तेजस्विनावधीतमस्तु'। यदि हम वस्तुतः आध्यात्मिक हैं, तो हम उन सारी चीजों को जो धर्म के नाम पर हमारे समाज में प्रचलित हो गयी हैं और जिसको हमारे मन तथा हृदय किसी प्रकार ग्रहण नहीं कर पाते, काटकर फेंक देंगे। मैं कभी-कभी अनुभव करता हूँ कि ससार की किसी जनता ने सत्य का इतना उत्साहपूर्वक उपदेश और उसका इतना कम प्रभावपूर्ण पालन नहीं किया, जितना कि भारतीय जनता ने।

दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय शिक्षा के कारण हमारा आचरण इस महान् देश के, जो हिमालय से कन्याकुमारी तक और कच्छ से आसाम तक सुविस्तृत है, अनुरूप होना चाहिए। हमारे महान् नेताओं ने हमको देश की एकता का महत्त्व हृदयगम कराने का प्रयत्न किया है। हमारे महाकाव्य, हमारे उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रन्थ, हमारी धार्मिक तीर्थयात्राएँ—सभी हमारे देश की एकता का उद्घोष करती हैं। उदाहरण के रूप में, अशोक के शिलालेख देश के समस्त भागों में—दक्षिण में त्रावनकोर और मद्रास से लेकर उत्तर में तक्षशिला तक—पाये जाते हैं। अपने इतिहास के आरम्भ से ही हम शान्ति और सबके प्रति सद्भावना का व्रत पालन करते आये हैं। अशोक-स्तम्भ के चारों सिंह चारों दिशाओं के प्रहरी हैं और अशोक का 'धर्मचक्र' पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। भारत के इस पुनरुद्भव के समय हमने इन प्राचीन प्रतीकों को पुनरुज्जीवित किया है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ तथा हमारे सांस्कृतिक त्यौहार हमारे देश की एकता के आदर्श हैं। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि देश का टुकड़े-टुकड़े में विभक्त हो जाना कितना भयकर होगा। हमारे इतिहास के पृष्ठों में जातिगत और धर्मगत, भाषागत और क्षेत्रगत आन्तरिक संघर्षों के दुष्परिणामों को कहानी अंकित है। उन्हीं के कारण हमारे मुह पर कालिख पुती, उन्हीं के कारण हम पराधीनता की बेड़ी में जकड़े गये। यद्वा तक कि हमारे देश का विभाजन भी राष्ट्रवाद की हमारी दूषित धारणा का ही परिणाम था। हमारे देश की शक्ति हमारी एकता के अनुपात में घटेगी

या बढेगी । जितने अधिक हम ऐक्यवद्ध होंगे, उतने ही हम शक्तिशाली बनेगे, जितनी ही हमने फूट होगी, उतने ही हम निर्बल होंगे । आपका जीवन स्वच्छ, श्रेष्ठ और निस्स्वार्थ सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए ।

युग की चुनौती स्वीकार करो

यहा आकर और जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त-समारोह में भाषण करके मुझे हर्ष है। जब राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन) की स्थापना हुई थी, तब आशा की गई थी कि यह एक 'राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना' करेगी। आज आपको अपनी उस आशा के पूर्ण होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए। अब आपके पास अध्ययन-अध्यापन के लिए एक विश्वविद्यालय हो गया।

कोई कॉलेज नाम बदल देने मात्र से, प्रधानाचार्य को उपकुलपति बना देने से, अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) को परीक्षा-योजक (रजिस्ट्रार) का नाम दे देने से ही विश्वविद्यालय नहीं बन जाता। नाम बदल देने के साथ-साथ उसकी प्रकृति, स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। कोई संस्था विश्वविद्यालय तभी कहला सकती है जब वह कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। विश्वविद्यालय में जिन विषयों का अध्यापन होता हो, उनमें उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में ऐसे प्राध्यापक होने चाहिए जिन्होंने विशिष्ट अनुसन्धान-कार्य किया हो और जो दूसरों का मार्ग-निर्देशन करने में भी समर्थ हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनको नित्य-प्रति के जीवन-यापन की चिन्ताओं से मुक्ति दिलाई जाए और परेशानियों से उनको अलग रखा

*जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षान्त-भाषण—१८ मार्च, १९५६।

जाए। विद्याव्यसनी व्यक्ति विलासिता में जीवन बितावे, यह आवश्यक नहीं, किन्तु उनको समाज के द्वारा इतनी मुविधाएं अवश्य मिलें कि वे सुखपूर्वक रह सकें। आज ससार इतना उतावला और इतना हठी बन गया है कि विज्ञान और ज्ञान अवकाश के समय अभ्यास किए जाने वाले विषय नहीं रह गए, अब विद्या केवल विद्या के आनन्द के लिए नहीं अध्ययन की जाती, वरन् इसका भी उद्देश्य भौतिक लाभों की प्राप्ति रह गया है। विद्वान् व्यक्ति अब निरन्तर इसी उधेडवुन में रहते हैं। यह अनुभूति कि हमने मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि की है, चाहे वह वृद्धि कितनी ही छोटी क्यों न हो; हमने मानवता की प्रगति में सहायता की है, भले ही वह सहायता अल्प ही हो, हमको जो आनन्द प्रदान करती है, उसकी तुलना ससार के किसी भी आनन्द से नहीं की जा सकती। मुझे आशा है कि आप एक सीमित सख्या में ही छात्रों की भरती करेंगे और उनके अध्यापन के लिए पर्याप्त तथा उच्च कोटि के अध्यापकों को नियुक्त करेंगे। इन्हीं दशाओं में छात्रों और शिक्षकों में घनिष्ट साहचर्य सम्भव हो सकता है।

विश्वविद्यालय को प्रौद्योगिक विद्यालय नहीं बनना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आपके विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान के कॉलेज होंगे और छात्रों को उदार शिक्षा मिल सकेगी। छात्रों को केवल दौढ़िक रूप से सुयोग्य और प्रौद्योगिक रूप से कुशल ही नहीं होना चाहिए, वरन् उनके भावावेगों को सम्य और उनके उद्देश्यों को परिष्कृत भी होना चाहिए। केवल तभी उनके विचार उदार हो सकेंगे और उनमें करुणा और सहानुभूति का विकास होगा।

जो राष्ट्र समय के नव्य विकास के प्रति जागरूक नहीं रहते, वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, उनकी गणना पिछड़े राष्ट्रों में होने लगती है। अतीत में हम अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही विजित हुए। हमारी समस्याएं आधुनिक हैं, इसलिए उनमें निपटने की हमारी रीतियां भी आधुनिक होनी चाहिए। आदिकालीन और प्राचीन उपायों में वे समस्याएं नहीं सुलभ सकती। आज शान्ति और युद्ध दोनों की रीतियों में आधारभूत परिवर्तन हो चुके हैं। यदि हम प्रौद्योगिक उन्नति करना चाहते हैं और अपनी उत्पादनशीलता बढ़ाना चाहते हैं, तो

हमें विधिवत विचार करना पड़ेगा। दूसरे देश हमारा पथ-प्रदर्शन भले करें, पर अन्ततः हमको स्वयं पर ही निर्भर करना है। अमेरिका और सोवियत सघ जैसे उन्नतिशील देश भी एक नये युग में—अणु-युग में—प्रवेश कर रहे हैं और वे अपनी आर्थिक, औद्योगिक एवं सैन्य-नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

हम लोकतांत्रिक उपायों से सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हमें कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण बचाना चाहिए, हमें अधिक न्याय वितरण करना चाहिए और सामाजिक लाभों को सब तक पहुंचाना चाहिए। समस्याओं को सुलझाने का हमारा ढंग अव्यावहारिक सैद्धान्तिकता से प्रभावित नहीं है, हम किसी कठोर सिद्धान्त के बन्धन में नहीं बंधे हैं, हमारा ढंग तो यथार्थ पर आधारित है—बहु लचीला है। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाये बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। हर मानव प्राणी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, उसको उसका महत्त्व देना लोकतंत्र का केन्द्रीय सिद्धान्त है। सभी धर्मों की यही शिक्षा है और हमारे संविधान में भी इसको स्वीकार किया गया है।

विज्ञान की महान उपलब्धियों से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भौतिक जगत् के समान ही ऐतिहासिक कार्यों में भी एक आवश्यकता का नियम लागू है। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है, मानो वे किसी दैवी या अद्वैयव्यक्तिक शक्तियों के परिणाम हों जिनका व्यक्तियों की आकांक्षाओं और प्रयासों से कोई लगाव ही न हो। तीन शताब्दी पहले, फ्रांसीसी कैथोलिक लेखक बूसे (Bossuet) ने लिखा था कि घटनाओं की श्रृंखलावद्धता, जिसे हम इतिहास कहते हैं, ईश्वर की गुप्त इच्छाओं से प्रशासित होती है। यदि हम यह कहे कि मनुष्य की कार्य-पद्धति में हम ईश्वरेच्छाओं को नहीं देख पाते, तो बूसे (Bossuet) कहता है—“हमारी मुक्ति की क्रिया विधाता की इच्छाओं से किस प्रकार परिचालित होती है, यह हम मर्त्यों से अप्रकट ही रहती है।”

मैं नहीं समझता कि दैवी न्याय या वैज्ञानिक निश्चयवाद ऐति-

हासिक घटनाओं की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। मानवीय नियंत्रण में स्वतंत्र होकर घटनाएँ नहीं घटती। इतिहास में अनिश्चित और अकल्पित घटनाएँ भी होती हैं। अस्तु के समय से, यह विचार प्रचलित है कि घटनाएँ किसी आन्तरिक प्रेरणा से अपनी परिणति की ओर बढ़ती हैं। यह प्रयोजन स्वयमेव सिद्ध नहीं हो जाता, इसके मार्ग में बाधाएँ आती हैं और इसे कई शक्तियों से सघर्ष करना पड़ता है। इतिहास के पथ में कई बन्द गलियाँ आती हैं, उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, किन्तु इनके होते हुए भी इतिहास का रथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसकी गति धीमी हो या त्वरित, इसका निर्धारण मनुष्य का प्रयास करता है। यदि सम्यताओं का ह्रास होने लगता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सम्यताओं का ह्रास मनुष्य की भूलों में होता है और वे भूले किन्हीं नियमों द्वारा निर्देशित नहीं होतीं। वे मनुष्य की असफलताएँ होती हैं। जीवन की चुनौतियों का उत्तर देने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। जब लोग अपने मन का लचीलापन खो देते हैं, उनकी आत्मा में थकान भर उठती है, तब वे किसी रचनात्मक प्रयास के लिए अयोग्य हो जाते हैं। हमारे देश का भविष्य मानवीय सम्यता की तरह ही एक खुला प्रश्न है। प्रगति अपरिहार्य नहीं है। यदि हम यह मान लें कि इतिहास चक्र को चलाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, वह अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अदृष्ट के अधीन है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का ही भूलोच्छेद हो जाता है। इससे अशासनीय देवी शक्तियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को जन्म मिलता है, मानव जीवन में आशा की जाए या निराशा, इसका निर्णय करने का विवेक समाप्त हो जाता है। इतिहास के निर्माण में मनुष्य का सामाजिक भाग होना है। वह विकान की विभिन्न सभ्य प्रक्रियाओं में से किसी का भी चुनाव कर सकता है। निजी जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने को स्वतंत्र और कुछ न कुछ मौलिक कार्य करने के योग्य समझना चाहिए। मनुष्य ने जो कुछ किया है, उसे वह विगाउ भी सकता है। स्वतंत्रता और आवश्यकता दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। वे एक-दूसरे के सापेक्ष हैं। जब घटनाएँ घटित हो जाती हैं, तब हम उन्हें भूतकाल से सम्बन्धित कर

सकते हैं, किन्तु जब तक वे होती नहीं, हम उनको पहले से नहीं देख सकते। एक युग के पश्चात् दूसरे युग के आने का कोई सामान्य अनुक्रम नहीं होता। कभी-कभी अविच्छिन्नता की श्रृंखला मानव-जीवन में टूट जाती है, हमें इतिहास में अविच्छिन्नता और नवीन पद्धति के दर्शन होते हैं। यदि हम इतिहास के नियमों पर विचार करते समय व्यक्तियों के उत्तरदायित्व की उपेक्षा कर दें, तो हमें विकृत चित्र प्राप्त होगा। इतिहास में कठोर और पूर्वनिर्धारित प्रतिक्रिया (patterns) नहीं होती। यह सच है कि विचार और विश्वास मनुष्यों के मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। विचारों और विश्वासों का अपना अलग जीवन होता है। जब वे आकस्मिकताओं और व्यक्तित्वों के संपर्क में प्रविष्ट होते हैं, या तो वे विकसित हो जाते हैं, या उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। मनुष्य जाति की मुक्ति मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा ही संभव हो सकती है, अनाकार और अनाम समूह के द्वारा नहीं।

मनुष्य द्वारा परिस्थितियों से संघर्ष करने और उनपर विजय प्राप्त करने के अविरत प्रयास का नाम ही तो सभ्यता का इतिहास है। यह उन महान् व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है जिन्होंने सत्य शिवं एव सुन्दर में अपनी अन्तर्दृष्टि के कारण उत्तरदायित्व लेने का साहस किया, जिन्होंने जीवन को सफ़ाई में डालकर भी अपने मनोवाञ्छित ढंग में चुनाव किये, अपने इच्छानुसार निर्णय किए। जिस सीमा तक हम मत्ता के भय से, जनमत के दबाव से, परिस्थिति से बाध्य होकर कार्य करते हैं, उस सीमा तक हमारा व्यवहार बाह्य प्रभाव के अन्तर्गत माना जाता है। हमारे क्रिया-कलाप सही अर्थ में हमारे निजी नहीं होते। वे हमारी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं करते। हमारे कार्यों का चुनाव दूसरे लोग हमारी ओर से करते हैं, अथवा घटनाएँ स्वयं हमें उनको करने को बाध्य कर देती हैं। विधायक उत्तरदायित्व कुछ कष्ट महान् के पश्चात् ग्रहण किया जाता है। जब हम बाह्य शक्तियों के प्रभुत्व से अपने को मुक्त कर लेते हैं या अपनी आन्तरिक वासनाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं, तभी हम विधायक उत्तरदायित्व सभालने की स्थिति में हो पाते हैं। मनुष्य परिस्थितियों का खिलाड़ी या शिकार नहीं है। हमको अन्व-विश्वास, अज्ञानता, निर्दयता,

दमन और भयाक्रातता के विरुद्ध सघर्ष करना है। हम अपनी सभ्यता को अपने अध्यवसाय से बचाने की शक्ति रखते हैं।

लोकतंत्र हमें एक ऐसे नव-जीवन का निर्माण करने को आमंत्रित करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उत्तरदायी समझता हो और जिस समाज का वह सदस्य हो, उसके भविष्य की रचना कर सकता हो। राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिष्ठित करके हमें लोगों की रचनात्मक शक्तियों को उन्मुक्त करना चाहिए। हम एक भी प्रतिभा को व्यर्थ नहीं खो सकते, एक भी युवा शरीर को भूखों नहीं मरने दे सकते, एक भी युवा मन को कुठिन नहीं कर सकते।

संसार में सबसे पहले प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। एथेन्स की पराजय के पश्चात् पेरिक्लिस (Pericles) ने जो शोक-भाषण किया था, उसका विवरण हमें थुसिडिडस (Thucydidas) के द्वारा प्राप्त है। भाषण से लोगों को पता चलता है कि वह प्रिय नगर अपनी महानता के समय अपने उस महानतम नेता के प्रशासन में वस्तुतः कैसा रहा होगा। जिस आदर्श को एथेन्स मानता था, वह था कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र भी ऐसा कि उसे न किसी का भय हो, न वह किसी में घृणा करता हो और न वह अपनी आंतरिक वासनाओं का दास हो। स्वतंत्र मनुष्य ज्ञान में, उस ज्ञान में जो क्रिया का मार्गदर्शक हो, विश्वास करता है, वह सौन्दर्य और मैत्री में भी विश्वास करता है। "मैं चाहूंगा कि आप दिन पर दिन एथेन्स पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करें, उसकी गुप्त शक्तियों पर मनन करें, उनकी वर्तमान स्थिति पर ही नहीं, वरन् भविष्य में क्या होने की शक्ति उसमें है, इस पर भी विचार करें— और ऐसा तब तक करें जब तक आप उस नगर के प्रेमी न बन जायें। ध्यान दीजिए कि उसको इस गौरवपूर्ण पद पर पहुँचाने वाले वे व्यक्ति थे, जो अपना कर्तव्य जानते थे और जिनमें कर्तव्य का पूरा करने का साहस भी था। उनको आप अपना आदर्श बनाइए और उनमें यह वान सीनाए कि मुख का रहस्य है स्वनयना और स्वनयना का रहस्य है साहस।"

लोकतांत्रिक समाज में, जहाँ सभी मनुष्य भाग्य भी हैं और

शासित भी, शिक्षा का अधिक प्रसार होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि यह शिक्षा साहित्यिक या शास्त्रीय ही हो। हमें सद्भावना, धैर्य और सहनशीलता का विकास करना चाहिए। आजकल जब कि विशेषज्ञता (specialization) की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, मानसिक रोगों में भी वृद्धि हो रही है, तब उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों में मनुष्य की खोई हुई आस्था को पुनः प्रतिष्ठित करना अत्यावश्यक है। मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के विकास का यही एक मार्ग है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि आप धार्मिक शिक्षा पर भी बल देते हैं। इतिहास के घरातल पर जो कुछ भी दिखायी देता है, वह गहरी जड़ वाले पौधे का फल है। वह पौधा आत्मा की गुप्त शक्तियों से अपना आहार संग्रह करता है। यदि किसी वृक्ष की जड़े सूख जायँ, तो उसमें कोई फल नहीं लग सकता।

लोकतंत्र की भावना समस्त मानव जाति को दासत्व, शोषण, भय और बुभुक्षा से मुक्त करने की चेष्टा करती है। सभी पीड़ित और न्यून-सुविधाप्राप्त राष्ट्रों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का विस्तार करके हम शान्ति और न्याय की दृढ़ नींव रख रहे हैं। इसके पश्चात् इस ससार की तीव्र वेदना के फलस्वरूप मानव जाति की एकता का जन्म होगा, जिसमें हमारे आदर्श अभय और सुरक्षित रह सकेंगे।

इस विश्वविद्यालय के स्नातकों से मुझे बस यही कहना है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो एक ऐसे समय में जीवित हैं जब सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और बड़ी से बड़ी संभावनाएँ आपको प्रेरित कर रही हैं, ऐसा सुयोग इतिहास के किसी अन्य काल में उपस्थित नहीं हुआ था। इतिहास का निर्माण इतनी तीव्र गति से हो रहा है जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और यदि हम प्रयत्न करने के इच्छुक हैं तो हम इतिहास के इस निर्माण में उसकी सहायता कर सकते हैं।

इस महान् निर्माण-यज्ञ में आप भी भाग ले सकेंगे, यदि आपके विश्वविद्यालय ने अपनी उत्पत्ति के प्रति निष्ठा रखते हुए, आपको केवल प्रौद्योगिक प्रवीणता ही नहीं, प्रत्युत् नैतिक विवेक और हमारे पूर्वजों की

महती उपलब्धियों द्वारा हमारे लिए निर्धारित जीवन-दर्शन भी प्रदान किया होगा। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि हमारे पूर्वज वीर पुरुषों में जितनी प्रेरणा थी, जितनी प्रतिभा थी और जितने गुण थे, उनका अल्पांश ही हमारे भाग में आया है। हम कई युगों तक विदेशी शासन की छत्रछाया में निवास करते रहे हैं, जब कि दूसरे लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। फलतः हम अत्यधिक विलासी, अत्यधिक सुखप्रिय, अत्यधिक स्वार्थी बन गये। हम अपने को बहुत न्यायप्रिय समझने लगे, क्योंकि हमने कभी एक-दूसरे से मीठे मुह बात तक नहीं की थी। आप जो कुछ भी करे या कहें, उसमें यह भ्रमकता हो कि आपको अपने राष्ट्र की महानता में तथा मानव जाति के कल्याण में योग देने की उसकी आकांक्षा में विश्वास है। मैं भरोसा करता हूँ कि आप अपने युग की, अपनी पीढ़ी की अपने तन-मन और हृदय से सेवा करेंगे और अपने आगे आनेवाले युग को भी प्रभासित करेंगे।

नाटक और नाटककार*

यहाँ उपस्थित होने और नाटक-सम्बन्धी अध्ययन-गोष्ठी का उद्घाटन करने में मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आपके कार्यक्रम को देखने से पता चलता है कि हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में नाटक का जिस रूप में विकास हुआ है और जिस दशा में वह इस समय है, इस विषय पर आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं। निस्संदेह आप नाट्य-कला की प्राविधिक समस्याओं, लेखन के शिल्प, नाटक में गीत और नृत्य के स्थान, रंगमंच की दृश्य-सज्जा, नाटको की अभिनय-अवधि, रंगमंच-निर्देशन और पात्रों की वेश-भूषा पर विचार करेंगे। मैं तो कुछ सामान्य बातें करके ही सतोप कहूँगा। इससे अधिक के लिए न तो मेरे पास ज्ञान ही है, न योग्यता ही।

गत वर्ष हम लोग फिल्म-सम्बन्धी अध्ययन-गोष्ठी कर चुके हैं। फिल्म जब कि एक आधुनिक आविष्कार है, तब नाटक हमारे साथ बहुत प्राचीन काल से है। 'नाट्य-शास्त्र' में सुरक्षित भारतीय परम्परा के अनुसार नाटक की उत्पत्ति देवी मानी जाती है। इसको पञ्चम वेद कहा जाता है जिसका उद्देश्य आखी और कानो—दोनों को आनन्द देना तथा परम सत्यो का ज्ञान कराना है।^१ कहते हैं कि ब्रह्मा ने कथन का

^१ नाटक-सम्बन्धी अध्ययन-गोष्ठी, दिल्ली में उद्घाटन-भाषण—२५ मार्च, १९५६।

१ "सर्वशास्त्रार्थ सम्पन्न सर्व-शिल्प प्रदर्शनम्।

नाट्यारव्य पञ्चम वेदम् सेतिहासम् करोम्यहम् ॥"

तत्त्व ऋग्वेद से, गान का तत्त्व सामवेद से, अनुकरण का तत्त्व यजुर्वेद से और भाव का तत्त्व अथर्ववेद से लिया है। ब्रह्मा के आदेश पर देवी शिल्पी विष्वकर्मा ने एक नाट्य-गृह का निर्माण किया। फिर भी भारतीय नाटक में रगमच की माज-सज्जाएँ थोड़ी और सीधी-सादी होती थी। हमारे नाटको में बहुत विस्तृत कृत्रिम दृश्य-रचना (सीनरी) नहीं होती थी, बल्कि सकेतो और मुख-मुद्राओं के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। किसी पौड़े में पानी देने का दृश्य दिखाना होता था, तब उम प्रक्रिया का अनुसरण सकेत के द्वारा कर दिया जाता था और दर्शक इससे संतुष्ट हो जाते थे। रगमच पर पौड़े नहीं लाए जाते थे और न वास्तव में उन्हें पानी से सींचा जाता था। सामान्यतया हमारे यहाँ नट (अभिनेता) और नटी (अभिनेत्रियाँ) होती हैं। कभी-कभी नायक का पार्ट भी किसी लडकी के द्वारा पूरा किया जाता है।

जब कथन सकेतो, गतियों और नृत्य के द्वारा दर्शको के मन में स्थायी भाव का उद्रेक किया जाने लगा, तब नाटकीय प्रदर्शन एक कला बन गया। 'नाट्यदर्पण' में लिखा है—“नाटकम् इति नाट्यति विचित्र रञ्जनात् प्रवेशेन सभ्यानाम् हृदय नर्तयति इति नाटकम्।”

कविता और नाटक के माध्यम से मनुष्य अपना साक्षात्कार स्वयं करता है। वह अपनी आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है, वह अपनी इच्छाओं, उत्तेजनाओं, आशाओं, स्वप्नों और ससार में अपना स्थान बनाने के लिए किए गए सघर्षों में अपनी सफलताओं तथा असफलताओं को अभिव्यक्त करता है। समस्त साहित्य अनुभूति की तीव्रता की अभिव्यक्ति है, 'वाक्य रसात्मक काव्यम्।' पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं—“रमणीयार्थप्रतिपादक वाक्य काव्यम्।” 'कविकृतम् काव्यम्' भी कहा गया है। काव्य के दो प्रकार हैं—श्रव्य और दृश्य। 'दृश्य' ही नाटक या ड्रामा है। नाटककार अपनी कला की पूर्णता, उसके वैचित्र्य, उसके संगीत और उसकी भाव-दशा से हमें आनन्दित करता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह स्वाध्याय और तप का अभ्यासी हो। यदि नाटक को मानव-मन के प्रकाशन का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम बनना है, तो नाटककार के मन को प्रौढ़ और उमकी आत्मा को महान् होना ही चाहिए

इसके बिना हम काल और स्थान की दूरी का व्यवधान पार करके जनता के स्नेह को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी साहित्यिक कृति तभी स्थायी गुण और अभिभूत करने की शक्ति पा सकती है जब उसके रचयिता का मन महान् हो और उसकी कल्पना प्रखर हो। यदि हम ऊपरी सतह पर ही अधिक रह जाते हैं, तो जीवन की अधिक गहरी और अधिक अस्पष्ट अनुभूतियाँ उचित अभिव्यक्ति नहीं पाती। अपने जीवन में यदि हम मूलोच्छिन्न हैं, आस्था-विहीन हैं, तो हमारे जीवन में गरिमा का अभाव दिखाई देगा और हमारी रचनाओं में भी कृत्रिमता आ जाएगी। हमारे नाटक, अन्य कई प्रकार से आकर्षक और प्रशंसनीय होते हुए भी, उपर्युक्त बातों का अभाव होने पर हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने में असमर्थ रह सकते हैं। वे भले ही हमारे मन में तूफान उठा सके, परन्तु फिर भी वे हमारे अन्तस्तल को स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे। एक महान् नाटक हमें अभिभूत कर लेता है, हमारे मन की वस्ती को उजाड़ फेंकता है, हमारी मान्यताओं को भँभोड़ डालता है, उनको ध्वस्त कर डालता है, किन्तु इतना करते हुए भी वह हमें आनन्दित करता है और हममें ताजगी, नई स्फूर्ति भर देता है।

नाटककार की आन्तरिक कल्पना अपनी विशदता और सम्पूर्ण तीव्रता के साथ ससार की समस्त इयत्ता, उसकी सारी गहराइयों और ऊँचाइयों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेती है। ससार का कोई भी विषय, कोई भी घटना—पुण्य और पाप, आनन्द और शोक, गर्व और पूर्वाग्रह—तात्पर्य यह कि सब कुछ नाटकीय प्रदर्शन का विषय बन सकता है। ससार बड़ा जटिल और डुरूह है।

कृचिद् वीणावाद्यम् कृचिद् अपि च हाहेति रुदितम् ।

कृचिन् नारी रमया कृचिद् अपि जराजर्जरवपु ॥

कृचिद् विद्वद्-गोष्ठी कृचिद् अपि सुरामत्तकलहो ।

न जाने ससारः किम् अमृतमय किम् विषमय ॥

—‘कही तो वीणा की सुमधुर रागिनी है, कही रुदन का हाहाकार है; कही प्रमदा रमणियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, तो कही जराजर्जर शरीर वाली ककालावशेष वृद्धाएँ, कही तो विद्वानों की गोष्ठी दिखाई दे रही

है और कहीं मद्यपो के लडाई-भगडे दीख रहे हैं । मैं नहीं समझ पाता कि इस ससार को अमृतमय स्वर्ग समझू या विषमय नरक ?' कवि अपना दर्पण प्रकृति के सामने कर देता है और उसके प्रत्येक स्वरूप का प्रति-बिम्ब ग्रहण करने की चेष्टा करता है ।

यद्यपि हमारे सम्मुख भलाई और बुराई, पुण्य और पाप का सघर्ष उपस्थित होता है, तथापि इस सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण पश्चिम के दृष्टिकोण से भिन्न है । हम यह नहीं मानते कि भलाई और बुराई कहीं मिल नहीं सकेगी और दोनों का द्वन्द्व कभी समाप्त नहीं होगा । हम तो यह मानते हैं कि कुछ भी हो, अन्ततः विजय भलाई की, पुण्य की, सद्गुण की ही होगी, क्योंकि विश्व में नैतिकता का शासन है । 'सत्यमेव जयते' सत्य की सदा विजय होती है और यही बात शिवम् और सुन्दरम् के साथ भी है ।

पीडा या दुःख में ही जीवन की परिणति नहीं है । कदाचित् यही कारण है कि हमारे यहाँ दुःखान्त नाटको का अभाव रहा है । हमारे काव्य में दुःखद परिस्थितियाँ तो आती हैं जहाँ जान पड़ता है कि मनुष्य भाग्य नियति के चगुल में जा फँसा है, वही चरित्र और परिस्थिति का पैतरा चलता है, कभी कोई जीतता दीखता है, कभी कोई; परन्तु अन्त कभी दुःखद नहीं होता । इसका कारण यह है कि लेखक किसी चीज को सर्वांश में बुरा नहीं मानता, हर वस्तु अपना शुक्लपक्ष रखती है, लेखक उसी को ग्रहण करने की चेष्टा करता है ।

जबकि नाटककार हमको उन ऊँचाइयों का दर्शन कराता है जहाँ तक मनुष्य ऊपर उठ सकता है और उन गहराइयों को दिखाता है जहाँ तक मनुष्य नीचे गिर सकता है, तब वह हमारे भीतर ऐसी भावना भी उत्पन्न कर देता है कि हम अन्धकार से सहानुभूति रखने लगते हैं और बुराई में घृणा करने लगते हैं । वह हमारी अनुभूतियों पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालता है और हमारे मन में विचारों को अप्रत्यक्ष रूप में आरोपित करता है । लेखक अपने विचारों का ढिंढोरा नहीं पीटता, डींग नहीं झाँकता, परन्तु चुपके-चुपके वह हमारे जीवन को बदल डालता है । जैसा कि मम्मटाचार्य ने अपने 'काव्यप्रकाश' में कहा है—“कान्तामस्मिन्नयोप-

देशयुजे।” वह इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं—“कान्तेव सरसता-पादनेनाभिमुखी—कृत्य रामादिवद् वर्तितव्यम् न रावणादिवद् इत्युप-देशञ्च यथायोग कवे सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यत्नीयम्।”

अभिनेता को इस योग्य होना चाहिए कि वह जिन पात्रों का प्रति-निधित्व कर रहा है, उनकी अनुभूतियों को अपने प्रेक्षकों के हृदय में जगा सके। कुछ लोग इस विचार के हैं कि अभिनेता को अपनी भूमिका (पार्ट) में तद् रूप हो जाना चाहिए और कुछ लोगों का विचार यह है कि उसको अपनी भूमिका से निःस्पृह, विरक्त रहना चाहिए। कभी-कभी हम अति-अभिनय (Over-acting) से भावों को चिथड़े-चिथड़े कर डालते हैं। अभिनेता को भावावेश से इतना अभिभूत नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसे भावनाओं को बौद्धिक रूप में, सयत् प्रकार से प्रकट करना चाहिए।^१ कहा जाता है कि तमिलनाडु के राजा कुलशेखर (१२वीं शताब्दी) ने जब यह श्लोक सुना कि चौदह हजार राक्षसों से लड़ने के लिए राम अकेले जा रहे हैं, तब वह इतना उत्तेजित हो उठा कि उसने तुरन्त अपने को आपादमस्तक शस्त्र-सज्जित कर लिया और राम के सहायक के रूप में रावण से लोहा लेने के लिए अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ कूच करने को वह उद्यत हो उठा।

“शुश्राव तम् इमम् श्लोक भक्तिमान् कुलशेखर ।
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसाम् भीमकर्मणाम्,
एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ।
असहिष्णुस् ततोऽधर्मयुद्धं शीघ्रम् स्वल्पदगति,
घनुर्वाण समादाय खड्ग चर्म च वीर्यवान्,
चतुरगबलोयेतो जनस्थानं कृतत्वरा,
तत् क्षणे तस्य प्रतस्थे सहायार्थं हरि-प्रिया ॥”^१

१ देखिए, ‘मन्दार-मरन्द’—

“उत्पादयन् सहृदये रसज्ञानम् निरन्तरम् ।

अनुकृत् स्थितो योऽर्थोऽभिनयः सोऽभिधीयते ॥”

^१ अनन्ताचार्य प्रपन्नामृत, अध्याय ८६

भारतीय नाटक का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मानव-मन में बहुत गतिशीलता आई है, कलात्मक नृजन की दिशा में पुनर्जागरण दिखाई दिया है। हमें आशा है कि इस युग में चिर-स्थायी महत्त्व की रचनाएँ की जाएँगी। लेखक और अभिनेता दोनों अब अधिक संख्या में मिलने लगे हैं। भारतीयों में अभिनय का गुण प्रकृत्यया पाया जाता है। नगरो और सड़को से दूरस्थ स्कूलों और कॉलेजों में मैंने लड़कों और लड़कियों को इतनी उच्च कोटि की कुशलता और गरिमा के साथ अभिनय करते देखा है कि मुझे अपने देश में नाटक के भविष्य के प्रति बहुत आशा बंधी है। हमारे सभी प्रमुख केन्द्रों में नये-नये नाट्य-गृह स्थापित होते जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष महोदय तेलुगु के एक प्रतिष्ठित नाटककार हैं। आपकी उपाध्यक्षा श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय 'थियेटर सेटर आफ इण्डिया' की अध्यक्षा हैं। थियेटर क्लब में अभिनेता और लेखक गण तथा नाटक में दिलचस्पी रखने वाले लोग नाटक-प्रेमियों में अधिक समझ-बूझ ला सकते हैं। हम अन्य देशों के रंगमंच-सम्बन्धी आन्दोलनों का अध्ययन करके उनसे भी लाभान्वित हो सकते हैं। हम कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे सदा पिटी पिटाई लीक पर न चलकर नये प्रयोग करने की भी चेष्टा करें।

यद्यपि कलाकार जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, तथापि प्रशिक्षण से दोनों प्रकार के अभिनेताओं को सहायता मिलेगी। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में एक नाट्य-परिपद होनी चाहिए। हमें अपने स्वभावों और परम्पराओं के अनुरूप अपने नाटक का विकास करना चाहिए। नाटक शिक्षा है, मनोविनोद है, और है मनोरञ्जन का एक साधन।

यह कहा जाता है कि नाटक युग चेतना का निर्माण करता है, युग की अन्तरात्मा को चैतन्य करता है। हम ससद् के अधिनियमों के द्वारा लोगों को भलामानुष नहीं बना सकते और न वैधानिक उपायों के द्वारा समाज में गहरी जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रहों और भेदभावों को ही दूर किया जा सकता है। हम लोकमत का निर्माण करके सामाजिक व्यवहार नों प्रभावित करते हैं। मैं कई नाटककारों को जानता हूँ जिन्होंने हमारे देश में आचरण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नून-धमीना एक कर दिया

है यहाँ उनका नाम लेने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता । हमारे यहाँ सामाजिक सुखान्त, व्यग्यात्मक, गम्भीर और छाया-नाटको के लिए खूब गुजाइश है ।

मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन-गोष्ठी में जो चर्चाएँ करेगे, उनसे रगमच-सम्बन्धी आन्दोलन और नाट्य-कला के प्रति जनता में रुचि जागेगी, फलस्वरूप हमारे प्रतिमानों (Standards) में सुधार होगा ।

विज्ञान की विनाशक शक्ति से मानव जाति कैसे बचे ?

अपने विद्वत्समाज में मुझे सम्मिलित करके आपने मेरा और मेरे द्वारा मेरे देश का बहुत सम्मान किया है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ।

यद्यपि आकार और जनसंख्या की दृष्टि से आपका देश अपेक्षाकृत छोटा है, किन्तु कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। आपके अग्रणी लेखकों से मेरे देश के लोग भली भाँति परिचित हैं, विशेषतः मैटरलिनक (Maeterlink) और कवि वरहेरेन (Verhaeren) तो बहुज्ञात हैं। शास्त्रीय, रोमानी और प्रभाववादी विचारधाराओं के माध्यम से आपका जो प्रभाव चित्रकला पर पड़ा, वह केवल यूरोप तक सीमित न रह सका। आपने केवल ललित कला और साहित्य से ही संसार को प्रभावित नहीं किया है। यद्यपि आपके प्राकृतिक साधन सीमित हैं, तथापि अपने कठिन श्रम से और अध्यवसाय की भावना से आपने मरार के व्यापार में अपना उच्च स्थान बना लिया है। बेल्जियम एक बहुत औद्योगिक देश है और इस्पात, शीशा, सूती वस्त्र आदि में उमने विशेष कुशलता प्राप्त की है। हमें आपकी जो चीजें सबसे अधिक पसन्द हैं, वह हैं लोकतांत्रिक विधि से आपके द्वारा अपने देश का किया

* 'फ्री यूनिवर्सिटी,' ब्रुसेल्स में भाषण—४ जून १९५६।

दुआ विकास । हम भी अपने देश में लोकतांत्रिक उपायों से 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लोकतंत्र की आपकी परंपरा की जड़ बहुत गहरी और दृढ़ है। इसकी जड़ मध्य युग तक जाती है जब कि यहाँ नॉर्स, वेन्ट, लीज इत्यादि 'कम्यून' या स्वतन्त्र नगर-राज्य स्थापित थे। चौदहवीं शती में आपके यहाँ भी इलैण्ड के मैगना चार्टा (Magna Charta) जैसी चीज हुई जिसमें आपको स्वतंत्रता और ममानता की वैधानिक गारण्टी दी गयी। आप अतीत में कई परिवर्तनों से गुजर चुके हैं और आपका लोकतंत्र दो महायुद्धों की उथल-पुथल तथा आक्रमणों को झेलकर जीवित बच रहा है।

आज जब चारों ओर आपाधापी मची हुई है, तब आपने अपने लोकतंत्र को दृढ़ रखा है। इसकी शक्ति राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं है, प्रत्युत बौद्धिक और नैतिक भी है। लोकतंत्र के मुद्दों में संचालन के लिए अन्य प्रकार के शासन-तंत्रों की अपेक्षा अधिक गुणों की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय ही वे स्थान हैं जहाँ हम लोकतंत्र की मजबूती की भावना का विकास कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को सहानुभूतिपूर्वक समझना सीख सकते हैं और बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने का अभ्यास डाल सकते हैं। व्यक्ति में उत्तरदायित्व और निर्णय की भावना का विकास करके लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में हमें भूतकाल के मधुर्षों को स्मरण करना है, और वर्तमान के सकटों तथा सभावनाओं, चुनौतियों तथा अवसरों को समझने की चेष्टा करनी है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण हमारे लिए विश्व कल्याण की बात सोचना सम्भव हो गया है। यद्यपि धार्मिक महात्मा और पैगम्बर बहुत पहले से ही मनुष्यों में भाईचारा स्थापित करने और समस्त पृथ्वी के मानवों का एक परिवार बनाने का स्वप्न देखते आये हैं, तथापि इन आदर्शों को व्यवहृत करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता है, वे अब उपलब्ध हुई हैं। इस सम्भावना को यथार्थ बनाने के लिए हमें मानवता और विवेक की आवश्यकता है।

मानव जाति का भविष्य मानव के भविष्य पर, उसकी शक्ति पर

और अपने सामने उपस्थित समस्याओं का समाधान करने की उसकी रीति पर निर्भर करता है। यदि मानव शक्ति पर भरोसा करता है और सैन्यशक्ति का उपयोग करता है, तो उसका भविष्य निश्चय ही अन्धकार-मय है; किन्तु यदि दूसरी ओर, वह आत्मिक शक्ति में विश्वास करता है, तो वह फूलेगा, फलेगा।

विज्ञान की प्रगति के लिए स्थापित ब्रिटिश सघ The British Association for the Advancement of Science) के ११६वें वार्षिक अधिवेशन में 'विज्ञान और मानव प्रकृति' विषय पर उद्घाटन भाषण करते हुए प्रोफेसर ऐड्रियन ने जो 'रॉयल सोसाइटी' के अध्यक्ष हैं, कहा था कि प्रकृति की शक्तियों पर इतना पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है कि 'हम शीघ्र ही इस योग्य हो जायेंगे कि एक बटन दबाते ही दो तिहाई सप्ताह का सहारा कर सकें।' प्रकृति पर मनुष्य का जो इतना नियंत्रण हो गया है, उससे हमें बाध्य होकर अपने स्वभावों को सुधारना होगा और उसके लिए सम्यक् जीवन की कला में अधिक दीक्षित होना होगा। प्रो० ऐड्रियन ने आगे कहा था—“यदि हम मानवीय व्यवहार को अधिक सूक्ष्मता से समझ सकें, तो हम सभवतः स्वयं को अधिक शीघ्रता से उन्नत कर सकेंगे।” हमें यह स्मरण रखना है कि प्राकृतिक विज्ञान तो प्रकृति की शक्तियों पर मानव का नियंत्रण स्थापित कर देते हैं, परन्तु सामाजिक विज्ञान मानव-प्रकृति का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं दे पाते। सामाजिक विज्ञान हमें तथ्य और आंकड़े प्रदान करते हैं। सामाजिक अन्वेषणों का निस्सन्देह महत्त्व है। परन्तु वे हमें सामान्यक और लक्ष्य नहीं दे पाते। प्रो० ऐड्रियन ने स्वीकार किया है—“हम आज भयभीत हैं और यह ठीक ही है। हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम शान्तिपूर्वक कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपनी कुछ प्राचीन निष्ठाओं, उत्तरदायित्वों को नहीं छोड़ देते, तो हम एक ऐसे युद्ध में धकेल दिये जायेंगे, जो मानव प्रजाति को ही नष्ट करने वाला होगा। आज हम जिस दशा में पहुँच गये हैं, वह हमारी विज्ञान-वृत्ति का और हमारे समाज की भौतिक प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम है, किन्तु यदि हम अपने बड़े हुए ज्ञान के योग्य अपना आचरण भी बना सकें,

तो हम सुरक्षित रह सकते हैं।" समाज में रहते हुए मनुष्य जो आचरण करता है, उनके विषय में हमें सामाजिक विज्ञानों से ज्ञात होता है। किन्तु इन ज्ञान का उपयोग भलाई के लिए भी हो सकता है और बुराई के लिए भी। हमको दर्शन शास्त्र, धर्म-शास्त्र और साहित्य तथा कला का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमको निर्देशन और मार्ग-दर्शन मिल सकता है। दुर्भाग्य से लोगों में यह भ्रान्त धारणा बन गयी है कि मनुष्य में मानवता और विवेक लाने के लिए जिन अनुष्ठानों की आवश्यकता पड़ती है, विज्ञान उनके अनुकूल नहीं पड़ता।

कैथोलिक देश होने के कारण आप लोगों का विचार है कि न्याय, दान तथा दया जो ससार की सबसे बड़ी आवश्यकताएँ हैं, वे धर्म की सारतत्त्व हैं, मनुष्य न तो प्राणिशास्त्रीय प्राणी है और न अर्थशास्त्रीय। वह आध्यात्मिक व्यक्ति है। वह सासारिक सम्पत्तियों से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता। मानव जाति के महान् शिक्षकों—हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुसलमान तथा सिख धर्म पृथ्वी पर शान्ति की बात करते हैं। शान्ति की यह भावना मनुष्य की आध्यात्मिक शोध का ही मूर्तिमान रूप है। मानव-एकता के नाम पर जो बड़े-बड़े उथल-पुथल होते हैं, वे एकता स्थापित नहीं करते, वरन् बड़ी भयकर भूल करते हैं। इसाइयाह (Isaiah) ने एक बार कल्पना की थी कि एक समय आएगा जब राष्ट्र अपनी तलवारों को हल के फार (ploughshares) बना डालेंगे और अपने भागों को हैंमियों का रूप दे देंगे, वे युद्ध-कौशल सीखने की भूल फिर कभी नहीं करेंगे। यह कल्पना बतलाती है कि जब मनुष्य में उच्चतम मानवता जागती है, जब वह विचार और महयोग की उच्चतम मानसिक स्थिति में होता है, तब वह अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तिवश किस प्रकार की कल्पना क्रिया करता है।

अन्तरराष्ट्रीय समझ-बूझ और अन्तरराष्ट्रीय शान्ति को बढ़ाने की दिशा में विश्वविद्यालयों को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। विश्वविद्यालयों में ही हमें नये प्रकार से विचार करने और अनुभव करने का अभ्यास करना होगा। मन् १८८८ में फ्रांस के लुई पौञ्च्योर ने कहा था—“मेरे विचार में इस समय दो परस्पर विरोधी नियमों में प्रतियोगिता चल रही है। पहला है स्वतन्त्रता और मृत्यु का नियम, जो प्रतिदिन विनाश के नये-

नये उपाय निकालता जा रहा है, जो राष्ट्रों को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बाध्य करता है। दूसरा नियम है शान्ति, श्रम और स्वास्थ्य का नियम, जिसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को विचलित करने वाली आपत्तियों से बचाना है।¹⁰ इन दोनों में से कौन-सा नियम दूसरे पर हावी होगा, यह तो ईश्वर ही जाने। परन्तु, एक बात तो निश्चित है कि विज्ञान मानवता के नियम का पालन कर रहा है और वह सदा जीवन की सीमाओं को विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।¹¹ यदि हम अपने मन को नहीं बदल सकते, तो हम किसी चीज को नहीं बदल सकते। राजनीतिज्ञों के कार्यों के द्वारा इतिहास की घटनाओं का स्वरूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। वे निर्धारित होगी उन गुप्त धाराओं के द्वारा जो राजनीतिक इतिहास के धरातल के नीचे-नीचे निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं और जिनके परिणाम के विषय में हम पहले से ही कुछ नहीं कह सकते। अपने विचारों में परिवर्तन करके ही हम उन गुप्तधाराओं को प्रभावित कर सकते हैं। और विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है मृत्यु की पुष्टि करके, मिथ्या का पर्दाफाश करके, घृणा को दूर करके और मनुष्यों के मन तथा हृदय को विस्तृत करके।

विज्ञान के कारण हम इतिहास के विषय में कोई निश्चयात्मक विचार बनाकर नहीं चल सकते। एच० ए० एल० फिशर के शब्दों में इतिहासकार के लिए एक ही सुरक्षित नियम है कि वह मानकर चले कि मनुष्य के भाग्य के विकास में आकस्मिक और अदृष्ट शक्तियों का भी हाथ होता है। घटनाएँ ऐसी नहीं होती, जिन्हें रोका न जा सके। उनके लिए पहले से ही निश्चित कोई ढाँचे नहीं होते। मनुष्य के मनो और कार्यों पर विचारों तथा विश्वासों का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। विचारों का भी अपना जीवन होता है, जब वे आकस्मिक घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के भवर में जा फसते हैं, तब या तो वे विकसित हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। यदि हम उदार अहृद्यधर्मों विचारों का उपदेश देने वाले लोगों को नगण्य समझते हैं, यदि हम विचार-शक्ति का दमन करते हैं, यदि हम मनुष्य की आत्मा का गला घोट देने हैं, यदि हम उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं, तो हम लोग-

तांत्रिक नहीं कहे जा सकते। मनुष्य ने जो कुछ किया है, उसे वह बिगाड़ भी सकता है। मानव जाति का भविष्य केवल तभी निरापद होगा जब उसके लिए मनुष्य व्यक्तिशः प्रयत्न करेगा। विश्वविद्यालय के लोगों को अपने विचारों का विस्तार करने में काल और स्थान की सीमा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग हमारी प्रजाति या धर्म के न भी हों, उनको भी मनुष्य समझना चाहिए। वे हमारे समान ही हैं, हमसे बहुत भिन्न नहीं हैं। हमें अपने युवकों में ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वे समस्त मानव जाति के लिए एक समान उद्देश्य तथा मनुष्य की बन्धुता में विश्वास कर सकें। ससार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अपनी मनुष्यता, अपने बन्धुत्व, ज्ञान, प्रेम और सौन्दर्य के आदर्शों के प्रति अपने अनुराग के कारण ही सर्वश्रेष्ठ बन सके हैं। वे मानवों के शिल्पी हैं। विश्वविद्यालयों में हम ऐसे व्यक्तियों को गौरव प्रदान करते हैं जिन्होंने मानवता का हित साधन किया और हिंसा तथा रक्तपात में जिन्होंने कोई भाग नहीं लिया। बुद्ध, सुकरात और ईसा ऐसे ही व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी प्यार करने का उपदेश दिया था।

विज्ञान और पाण्डित्य एकदेशीय नहीं होते, वे समस्त ससार के होते हैं। वे किसी एक युग या एक संप्रदाय से सम्बन्धित नहीं होते। वे राष्ट्रों की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं। जो लोग सरस्वती के पुजारी हैं, विद्याव्यसनी हैं, वे सब आपस में भाई हैं, वे सभी साहित्य गणराज्य के नागरिक हैं।

मानव जाति के विकास को अधिक गहराई से समझने और उसके सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जो सतत सचेष्ट हैं, उसमें हमें एक-दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। मुझे आशा है और मेरी यह इच्छा है कि यह महान् विश्वविद्यालय अपनी उदार परंपरा को जारी रखेगा और आपके देश की प्रगति तथा ससार के कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा।

व्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है*

आपने इस प्रमुख विश्वविद्यालय का मुझे सम्मानित प्राध्यापक नियुक्त करके मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कुछ वर्ष पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आप अब इस विशाल भवन में आ गये हैं।

सन् १९१७ की अक्टूबर-क्रांति के समय से बच्चों की देखभाल पर, युवकों के प्रशिक्षण पर एवं कलाकारों, विद्वानों, विश्वविद्यालयों और अकादमियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह विद्यालय और साज-सज्जा से सज्जित भवन ही इस बात का उदाहरण है कि आप समाज के बौद्धिक जीवन में कितनी रुचि ले रहे हैं।

किन्तु, भवनो से ही कोई विश्वविद्यालय नहीं बनता। अध्यापक, छात्र और उनके द्वारा विद्या का अध्ययन-अध्यापन—यही विश्वविद्यालय की आत्मा है। विश्वविद्यालय किसी देश के बौद्धिक जीवन का मन्दिर होता है। जनता में ही राष्ट्रीय जीवन की स्वस्थ जड़ पायी जाती है, राष्ट्रीय जागृति का स्रोत जनता ही है। समाज के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के पीछे जनता की ही शक्ति कार्य करती है। जब हम शिक्षा देते हैं तब हम प्रारम्भिक सिद्धान्तों के विषय में गरमा-गरम बहस करने हैं। शिक्षित युवक अपने विचारों को अभिव्यक्त

*मास्को विश्वविद्यालय में भाषण—१८ जून १९५६।

करेगा और वस्तुओं की वर्तमान स्थिति में मीन-मेप निकालेगा। हम इस विश्वविद्यालय में केवल डॉक्टरों और इंजीनियरों को ही नहीं प्रशिक्षित करते, वरन् उन लोगों को भी, जो स्वयमेव विचार करने की क्षमता रखते हैं। वे सभी चीजों को दलगत आधार पर नहीं परखते। यदि हम जनता की आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति को और उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं, तो हम ऐसा करके अपने ऊपर सकट ही मोल लेते हैं। यदि लोग अपना बौद्धिक अंश खो देते हैं, तो सभ्यता का भविष्य निश्चय ही अन्धकारमय समझना चाहिए।

यात्रिक कौशल या बौद्धिक ज्ञान को ही मानवीय विकास समझ लेने का भ्रम नहीं करना चाहिए। ये एक वस्तु नहीं है। मानवीय विकास से तात्पर्य है मनुष्य की आत्मा का विकास। आधुनिक मनुष्य जनसमूह में खो गया है। समाज तथा उसके प्रवक्ता फिल्म, रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार-पत्र आदि जो कहते हैं, मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है। हममें आत्मग-चिन्तना (automatic thinking) का अतिरेक हो गया है। बौद्धिक अखण्डता सकटग्रस्त है और सत्य की हानि हो रही है। महान् पुस्तकों का शान्तिपूर्वक अध्ययन करने से हममें स्वतंत्र रूप से मनन की क्षमता उत्पन्न होती है। उच्चकोटि के प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों, जिनमें महान् मस्तिष्कों ने अपने को अभिव्यक्त किया है, के अध्ययन से हमारी आत्मा का विकास होता है। यद्यपि हम शारीरिक रूप से अपने देश और अपने ही युग से सम्बन्धित हैं, तथापि विश्वविद्यालयों के छात्रों के रूप में हम सभी देशों और समस्त युगों के हैं। हमारे समय में, विश्व-विद्यालय में हमने आपके महान् लेखकों—पुश्किन, टॉल्स्टॉय, डॉस्टॉवस्की, तुर्गनेव, चेकव और गॉर्की के ग्रंथों को पढ़ा था। उनको पढ़कर हम आपकी जनता और आपकी प्रतिभा के प्रशंसक बन गये थे। उन्होंने आपके यातना पाये हुए अतः करण और आपकी आध्यात्मिक बुभुक्षा को हमारे सामने व्यक्त कर दिया है। मनुष्य नीरसता और रिक्तता से सन्तुष्ट नहीं होता। हमको ज्ञात है कि आपके सन्तों और सिद्धों ने सत्य, गिव, सुन्दर में अपनी अन्तर्दृष्टि के लिए किस प्रकार उत्तरदायी होने का साहस किया था, उन्होंने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर अपने निर्णय

किये थे। आपकी जनता गम्भीर, रहस्यमय है। मुझे आशा है कि आपके अध्ययन और प्रशिक्षण सत्य, शिव और सुन्दर के प्रति आपके स्वाभाविक प्रेम को बढ़ाने में महायुक्त होंगे और अदृष्ट के प्रति आपकी भूल को विनष्ट नहीं कर देंगे। हमें याद रखना चाहिये कि बड़े क्षेत्रफल या सम्पदा से ही कोई राष्ट्र महान् नहीं होता। यदि हम अपने भौतिक साधनों का प्रयोग आत्मा की मुक्ति के निमित्त करें, आत्मा के विस्तार के लिए करें, तभी हम महान् समझे जाने के योग्य हो सकते हैं।

कई ऐसे अनीश्वरवादी हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और कार्य ऐसे करते हैं मानो वे विश्वास करते हैं। दूसरी ओर, कई ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, परन्तु उनके कार्यों से लगता है, मानो वे उस पर विश्वास नहीं करते। जिन वैज्ञानिकों ने अणु-शक्ति का विकास किया, उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डालकर ऐसा किया और एक सच्चे मानव-समाज के निर्माण में सहायता करने की चेष्टा की। हमें आज मनुष्य की दयालुता, बन्धुत्व और गरिमा को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है।

यदि सोवियत सभ में सगठित धर्म-समस्या के प्रति अमैत्रीपूर्ण भाव हैं, तो इसमें सारा दोष सोवियत सभ का ही नहीं है। जो लोग अपने साथियों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए अन्त्युत्साह में आकर धार्मिक प्रचार का आयोजन करते हैं, वे मुक्ति के उपायों के विषय में एक अशिष्ट प्रतियोगिता में जा पड़ते हैं। जो समस्याएँ धर्म-परिवर्तन कर्तव्य का कार्य करती हैं, वे आत्माओं की उन्नति के लिए उत्कट प्रयत्न करती जान पड़ती हैं, परन्तु उनका यह कार्य धर्म की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं होता। सोवियत सभ की जनता उस धर्मान्विता से परिचित है जिगने 'धर्म-युद्धों' में यूरोप का सत्यानाश कर डाला था। ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही धर्म को ईश्वरीय वाणी का एकमात्र ठेकेदार समझते हैं। वे अन्त्युत्साह में प्रतिपादित करते हैं कि ईश्वरीय वाणी की जितनी पूर्ण, अनूठी, एकान्त और अतुल अभिव्यक्ति उनके अपने धर्म में हुई है, उतनी किसी दूसरे धर्म में नहीं। अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे ही लोग धर्म को राष्ट्र-भ्रष्ट करने

और ससार के एक बड़े क्षेत्र में अविश्वास का मुर्चा लगाने के लिए उत्तर-दायी है। उनकी विफलता का कारण उनमें विनम्रता का अभाव और उनकी धार्मिक आक्रामकता है। जो लोग विज्ञान और आलोचना की भावना में दीक्षित हैं, वे यदि धार्मिक सकीर्णता में फँसे, तो इसे उनकी आध्यात्मिक कायरता ही कहा जाएगा। कई आधुनिक विद्वान् प्राचीन कहर धर्मों को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। मैं यहाँ एक-दो उदाहरण देना चाहूँगा। स्वर्गीय प्रोफेसर ए० एन० ह्याइटहेड का विचार था कि ईसाई धर्म के व्याख्याताओं ने ही सारी गडबड फैलायी। उन्होंने विचार-विनिमय का द्वार बन्द कर दिया और यह घोषित किया कि उस विषय पर जो कुछ जानने योग्य था, वह सब कुछ वे जान चुके हैं। विचारों को अन्धविश्वास की शृंखला में जकड़ दिया गया। प्रोफेसर ह्याइटहेड के ही शब्दों में—“वाइबिल के अर्थ का अनर्थ करनेवाले भी उसके व्याख्याता ही रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की अनन्तता की भावना को काट-छाटकर शान्त एव सीमित धारणाओं में बदल डाला। ‘न्यू टेस्टामेंट’ का प्रथम व्याख्याता पॉल ही उसका सबसे बुरा व्याख्याता सिद्ध हुआ।”^१ ‘वे ईसाई धर्म के अध्यात्मवाद को मानव जाति के जीवन में घटित एक बड़ी दुर्घटना’^२ समझते थे। धार्मिक अनुभव और अध्यात्मवाद की प्रकृति के विषय में उनके विचार भारतीय चिन्तकों के समान ही थे। “रहस्यवाद के अनुसार हम अपनी रहस्यानुभूति के आधार पर कोई ऐसी रचना करने की चेष्टा करते हैं जिससे वह अनुभूति रक्षित रह सके, या कम से कम उसकी स्मृति ही शेष रह सके।”^३ शब्दों के द्वारा वह अनुभूति केवल अस्फुट रूप में ही प्रकट हो पाती है, हम अनन्त के साथ अपने सम्पर्क के विषय में अवगत हैं और हम जानते हैं कि किसी भी सीमित रूप के माध्यम से हम उस अनुभूति को यथावत् दूसरों को नहीं समझा सकते। धर्म के

१. ‘डॉयलॉग ऑफ अल्फ्रेड नार्थ ह्याइटहेड’ जिसे लूसीन प्राइस ने अंकित किया; १९५४, पृष्ठ १३१

२ वही, पृष्ठ १७१

३ वही, पृष्ठ १७१

प्रति हमारा विश्वास है कि वह ईश्वर से हमारा संपर्क (communion) करा सकता है। धर्मों के बीच जो विभेद है, उनको हम महत्त्वहीन या अप्रासंगिक नहीं समझते। हम भेदरहित विश्वात्मवाद या धर्मों के प्रति तटस्थ भाव का सुभावा नहीं रखते। हम तो यह विश्वास करते हैं कि सभी धर्मों में आपस में साभेदारी की भावना होनी चाहिए। प्रोफेसर आर्नल्ड तोयन्वी लिखते हैं—“वचन से ही मुझे यह विश्वास कराया जाता रहा कि सम्पूर्ण सत्य का जितना अनूठा देवी प्रकाशन ईसाई धर्म में हुआ है, उतना अन्य किसी धर्म में नहीं। मैं अब यह विश्वास करने लगा हूँ कि जितने भी ऐतिहासिक धर्म और दर्शन हैं, वे सत्य के किसी एक या दूसरे पक्ष का ही आशिक देवी प्रकाशन करते हैं। विशेषतः मेरा विश्वास है कि ‘एक ससार’ के जिसकी ओर हम दूरी के मिट जाने के कारण बढ़ते जा रहे हैं, विषय में बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म को बहुत कुछ सिना सकते हैं। यहूदी (Judaic) धर्मों की भाँति भारतीय धर्म यह नहीं मानते कि एकमात्र वही सम्पूर्ण सत्य को व्यक्त कर सकते हैं। वे इसकी सम्भावना स्वीकार करते हैं कि जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने के एक से अधिक मार्ग हैं, और मुझे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के इस दावे से कि वही अकेले ईश्वरीय वाणी का अनूठा और पूर्ण प्रकाशन कर सकते हैं, यह बात अधिक सत्य के समीप जान पड़ती है। इसी भारतीय दृष्टिकोण को लेकर मैंने अपनी पुस्तक के चार खण्ड लिखे हैं। निम्नान्वेह, हमसे प्रत्येक व्यक्ति विश्व के रहस्य को अपने ही पैतृक धर्म के माध्यम से अधिक मरलता से समझ सकता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस रहस्य तक पहुँचने के लिए अन्य धर्म जो मार्ग सुझाते हैं, उनकी सम्भावना को ही हम अस्वीकार कर दें। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को समझने के साथ-साथ दूसरे धर्मों के तत्त्वों को भी समझने की चेष्टा करता है, तो वह लाभ में ही रहता है, हानि में नहीं।”

१. 'इटरनेशनल अफेयर्स', (१९५५), पृष्ठ १-४-ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री : ह्याट आई एम ट्राइंग टु टू।

हमें धार्मिक सकीर्णता के रोग से तो वचना ही चाहिए, परन्तु हमें एक उचित धर्म की आवश्यकता पर भी बल देना चाहिए। आधुनिक मनुष्य एक आत्मभरित सत्ता बन गया है और एक ऐसी शक्ति को भूल गया है जो हमारी समझ और हमारे नियंत्रण से परे है। इससे मनुष्य खण्डित हो जाता है। मनुष्य की श्रेष्ठता को पूर्ण बनाने के लिए हमें बौद्धिक विश्वास की आवश्यकता है। इस प्रकार का बौद्धिक विश्वास विज्ञान की भावना के साथ भी असंगत नहीं है। आइन्सटीन अपनी पुस्तक “दि वर्ल्ड ऐज आइ सी इट्” (ससार—मेरी दृष्टि में) में लिखते हैं—“मनुष्य की धार्मिक अनुभूति प्राकृतिक नियम की एकता को देखकर विस्मय-विमुग्ध हो जाती है। प्राकृतिक नियम में इतनी श्रेष्ठ बुद्धि के दर्शन होते हैं कि उसकी तुलना में मानव जाति की समग्र नियमबद्ध विचारणा और क्रिया नितान्त तुच्छ, महत्वहीन प्रतिच्छाया-सी जान पड़ती है। जहाँ तक मनुष्य स्वार्थपूर्ण इच्छा के वशीभूत नहीं होता, यह अनुभूति उसके जीवन का मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बन जाती है। सभी युगों की धार्मिक प्रतिभाओं को जिन विचारों ने प्रभावित किया है, उनसे यह अनुभूति भिन्न नहीं है, यह निर्विवाद है।” मुझे आशा है कि आप एक ऐसे धर्म का पालन करने का विवेक प्रदर्शित करेंगे जो बौद्धिक और नैतिक दोनों ही हो।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अज्ञानता, अन्याय, दमन और भय के विरुद्ध सघर्ष करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। महान् क्रातियों से—आंग्ल, फ्रांसीसी, अमेरिकी और रूसी क्रांति से—स्वतंत्रता की प्रगति की प्रमुख मजिलों का पता चलता है। उनकी प्रतिध्वनि ससार के सभी भागों में सुनायी दी थी और उससे लोगों के मन स्पन्दित हो उठे थे। ये सभी क्रांतियाँ इस मान्यता पर आधारित रही हैं कि व्यक्ति पवित्र है, उसको अपनी धारणा के अनुसार सोचने की, अभिव्यक्ति की और आराधना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की दृष्टि से व्यक्ति को समानाधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसको अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए न्यायोचित अवसर मिलने ही चाहिए। ससार में बहुत-से भाग ऐसे हैं, विशेषतः एशिया और अफ्रीका में, जहाँ इन विश्वव्यापी

सिद्धान्तों को मान्यता नहीं प्राप्त है। वही राष्ट्र जिनके क्रांतिकारी सिद्धान्तों ने मानवता को अनुप्रेरित किया था, आज उन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में बाधा डालते जान पड़ते हैं। वे भूलते प्रतीत होते हैं कि समय स्थिर नहीं रहता और परिवर्तन राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मानव-जीवन का स्वभाव है।

इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति विद्या के ससार की एकता का प्रतीक है। हम लोगों को जो विश्वविद्यालयों में कार्य करते हैं, ससार के मन को इस योग्य बनाना है, ताकि एक विश्व समाज की स्थापना हो सके जिसकी एक-ही चेतना हो, जिसका एक-ही अन्तःकरण हो। यह तभी सम्भव है जब वे राष्ट्र जिनके पास एक-दूसरे को मटियामेट कर देने की शक्ति है, उस शक्ति को तिलाञ्जलि दे दें। इनके लिए आस्था की आवश्यकता है।

अध्यापक का कार्य है कि वह विद्यार्थियों को वह चीज न बतावे, जो वे चाहते हैं, वरन् उसका कार्य है विद्यार्थियों में उस चीज के लिए चाह उत्पन्न कर देना, जिसे वह उनको बताता है। यदि मैं यह देखूंगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो प्राध्यापक के रूप में मैं आपको झिड़कने का अपना विशेषाधिकार काम में लूंगा। मुझे आजा है कि आप यह दावा नहीं करते कि हम कभी गलती कर ही नहीं सकते।

हमारा वर्तमान संकट और हमारा कर्तव्य

सयुक्त राष्ट्र संघ से जितने सगठन सम्बन्धित है, उनमें 'यूनेस्को' (संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सगठन) का महत्त्व किसी से कम नहीं है, क्योंकि यह हमारे विचार और जीवन की धुरी को बदल देने में रुचि लेता है। पिछले दस वर्षों में इस सगठन ने शान्ति और सुरक्षा के निर्माण के लिए ससार में सहानुभूति की वृद्धि के लिए और शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक उन्नति के निमित्त जो कुछ किया है, उसके विषय में यदि मैं बतलाने लगू तो मुझ पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि मैं यूनेस्को का ढिंढोरा पीट रहा हूँ, क्योंकि इसी अवधि में मैं इस सगठन के साथ सम्बन्धित रहा था। यह कार्य मैं दूसरों पर छोड़ता हूँ।

आज ससार की जो दशा है, उससे प्रत्येक विचारवान् मनुष्य को गर्व, व्याकुलता और आशंका हो सकती है। यह गर्व का ही विषय है कि हमारी पीढ़ी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतनी महान् उन्नति कर ली है कि आज हम आकाश पर शासन करने लगे हैं, हम नक्षत्रों तक पहुँचने लगे हैं और ससार के किसी भी भाग में जा सकते हैं। हमारी सभ्यता इस अर्थ में अनूठी है कि यह ससारव्यापी सामाजिक व्यवस्था के लिए हमें एक आधार प्रदान करती है। आज के पहले कभी ससार इस रूप में एक हुआ

यूनेस्को के दिल्ली-अधिवेशन में स्वागत भाषण—५ नवम्बर, १९५६।

था, इसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। इस नवीन परिस्थिति की चुनौती का सामना करने के लिए हमें नवीन साधनों और उपायों की खोज करनी है, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की विरासत में प्राप्त ढर्रे पर ही नहीं चलते जाना है। हम लोग यह देखकर परेशान हो उठे हैं कि सामाजिक न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर-राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एक विश्व समाज-व्यवस्था स्थापित करने के हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। यद्यपि हम यह जानते हैं कि सत्तार एक है, इस बात को हम पसन्द करते हैं या न करते हैं और राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा प्रजातीय विभेदों और विभागों के होते हुए भी हममें से हर आदमी का भाग्य हर दूसरे आदमी के भाग्य से जुड़ा हुआ है—हम इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं—तथापि हम अपने अन्तरगत में इसकी अनुभूति नहीं करते। जब हम पाते हैं कि बड़े-बड़े राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों में व्यवहार करने के अपने तरीकों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं और पुराने ढंग के खतरनाक तरीकों को अपनाने की हठधर्मी पर अड़े हुए हैं, तब हम न केवल परेशान हो उठते हैं, बल्कि आशक्ति भी। सत्तार के राष्ट्र बहुत आकस्मिक रूप से एक-दूसरे के समीप आ गए हैं, दूरी का व्यवधान मिट गया है, इस प्रकार जो बलात् सामीप्य सत्तार पर थोप दिया गया है, उससे विभेदों में तीव्रता आ गई है और संघर्ष की सम्भावनाएँ बढ़ गई हैं। हमारे युग ने हमारे सम्मुख जिन और जैसी समस्याओं को ला रखा है, उससे हम हतवृद्धि से हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि जिन बड़े राष्ट्रों से हम इस अवसर पर नेतृत्व की आशा करते हैं, वे अपने कर्तव्य में विमुख हो रहे हैं। उन्होंने 'लीग ऑफ नेशन्स' को तहस-नहस कर डाला और यदि हम सतर्क नहीं रहे, यदि जनमत ने उनमें नकेल नहीं डाल दी, तो इसकी भी सम्भावना है कि वे 'युनाइटेड नेशन्स' (संयुक्त राष्ट्र संघ) की भी वधियाँ बँठा दें।

पहले हम सोचते थे कि हम विकास की वेगवती धारा में आ पड़े हैं और हम चाहें न चाहे, अब में अच्छे एक समार में हम पहुँच ही जाएंगे। परन्तु हमारा यह सोचना गलत निकला। पिछले युग में हमें प्रगति की अपरिहार्यता में आस्था थी। जब यह पृथ्वी केवल एक द्रवित पदार्थ के रूप

मे थी तब किसी को यह कल्पना भी न रही होगी कि वह कभी इस प्रकार हरी-भरी और जीवन से स्पन्दित हो उठेगी। धीरे-धीरे पृथ्वी ठडी पडी, महासागर अस्तित्व मे आये और वाद मे वनस्पतिया भी उगने लगी। इम मृष्टि मे प्राणियो के विकास की प्रक्रिया भी बडी निश्चित और क्रमशः ऊर्ध्वमुखी रही है। पहले अमीबा (Ameaba—कामरूपी या एक कोशा जन्तु) की स्थिति रही, उससे अनन्त प्रकार के जीव-जन्तुओ, का विकास हुआ—रेंगने वाले जन्तुओ, वन्दरो, वनमानुषो से होते होते आदिकालीन असभ्य मनुष्य और अन्त मे सभ्य मनुष्य का विकास हुआ। यदि हम सकुचित दृष्टि से देखे, तो इस प्रक्रिया मे कही-कही ह्लास भी दिखाई देता है, परन्तु यदि विस्तृत दृष्टि से देखे तो हमे यह प्रक्रिया क्रमश ऊपर की ओर ही आती हुई दिखाई देती है—भले ही कुछ समय के लिए इसमे अवरोध आते रहे हो। इसलिए यह मान लिया गया है कि हम एक निष्ठुर तार्किक क्रम से आगे की ओर, सम्भवत आख मूदकर ही, बढ़ते रहेगे। बहुधा हमारी यह प्रगति रुकती हुई जान पडेगी, कभी हम स्वय नही बढना चाहेगे, परन्तु यह विकास-यात्रा तब तक नही रुकेगी जब तक हम सभ्य जीवन की उच्चतर स्थितियो मे नही पहुच जाते। उन्नीसवी शताब्दी मे हम प्रगति की इस अपरिहार्यता के प्रति पूर्ण आस्था-वान थे। विकासवाद के सिद्धान्त मे विश्वास रखने वाले हमे बतलाते है कि प्राकृतिक चयन के नियमो के फलस्वरूप हमारा वर्तमान अपूर्ण समाज अब से अधिक पूर्ण समाज मे रूपान्तरित हो जाएगा और उस समाज की मनुष्यता भी आज की मनुष्यता की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत, अधिक अच्छी होगी। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या इसी मत की पुष्टि करती है। गत दो महायुद्धो के पश्चात् हम अब अपने भविष्य के प्रति इतने आश्वस्त नही है। प्रथम महायुद्ध के बाद हम सबने कल्पना की थी कि हम सब ममभ-दार आदमी है और हम सबके हित समान है। हमने सोचा था कि चूकि हम सभी शान्ति चाहते है, इसलिए हम एक नयी सामाजिक एकता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध ने प्रगति के इस बुलबुले मे छेद कर दिया। हमारा सपना टूट गया।

इम तर्क मे जो आधारभूत भ्रान्ति है, वह यह कि हमने प्राकृतिक

इतिहास और मानव-इतिहास दोनों को एक ही तार्किक क्रम से समझने की चेष्टा की है; मनुष्य से मिलते-जुलते प्राणियों के साथ लागू होने वाले नियमों और मानव-समाज पर लागू होने वाले नियमों को हमने एक ही समझ लिया है। हमें इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य ने काफी प्रगति कर ली है, किन्तु हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे सुख और हमारी सामाजिक नैतिकता में भी उन्नी अनुपात में प्रगति हुई है। यदि हम अतीत की कुछ सभ्यताओं के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमको यह क्रम दिखाई देगा—चढ़ाव और उतार, ऊपर की ओर तेजी से उठान, समस्याओं के जाल में उलझ जाना, एक थकान, धीमी गति से, परन्तु निरन्तर ह्रास, सभ्यता-रूपी शरीर के तन्तुओं का सूखना, रक्तवाहिनी नलिकाओं का कड़ा हो जाना और अंत में रचनात्मक शक्तियों का क्रमशः प्राणान्त।

जिस सभ्यता का विकास हमने किया है, वह भी परिवर्तन के नियम से मुक्त नहीं है। हमारी यह सभ्यता उठेगी या गिरेगी, यह आकाश के ग्रहों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं हम पर निर्भर है। सभ्यता की रचना मनुष्य के द्वारा होती है, वह मनुष्य के मन और इच्छा की विजय है। इन आणविक क्रान्तियों को ही लीजिए। यह मनुष्य के विशाल प्रयत्नों की कहानी है, वैज्ञानिक कौशल और आदर्शों के निमित्त वाञ्छित नयी शक्ति की प्राप्ति के लिए यह एक जागरूक अनुमन्वान का परिणाम है। यह मानव-कृत है। इतिहास भाग्य नहीं है, जो अटल हो। इतिहास के सामने मदा ठोम विकल्प रहते हैं। हम उन विकल्पों में से चनाव कर सकते हैं। हमारा चुनाव गलत भी हो सकता है और सही भी। यदि हम समझदारी से चलें तो यह महान् प्रायोगिक क्रान्ति सबको समृद्धि और शान्ति के राजमार्ग पर ले जाएगी, और यदि हमने नासमझी दिखाई, तो यही क्रान्ति हमारी समस्त आशाओं, समार के समस्त जीवन को निःशेष कर देगी। हमारे युगयुगीन लोक सग्रह के स्वप्न के साकार होने में जो चीजें बाधक होती हैं, वे हैं हमारे पुराने तरीकें और पुराने मूल्यों तथा रीति-नीतियों के प्रति हमारी निष्ठाएँ। हम अपनी दशा को जानने हैं। जब मनुष्य अपने प्रारब्ध से परिचित हो जाता है तब उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, फिर वह

अपने असली रंग में आता है और अपने भविष्य का उत्तरदायित्व स्वयं सभाल लेता है ।

कुछ भी हो, यह सगठन (यूनेस्को) यह जानता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी क्या कमियाँ हैं । यदि यह ज्ञान तीव्र हो उठे तो इससे हमें अपनी हार्दिक इच्छा के अनुसार अपने भविष्य का स्वरूप निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है । कुछ ऐसे आवश्यक कदम हैं जो सभी राज्यों को उठाने चाहिए, जैसे— (१) सदियों से जिन सैनिक उपायों का उन्होंने अवलम्बन किया है, उनमें आस्था करना छोड़ दे । हम अब भी उसी सिद्धान्त का पालन करते जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्नतिशील देश यह अनुभव करते हैं कि जब तक वे उद्‌जन वम नहीं बना लेते तब तक उनका सम्मान नहीं हो सकेगा । आज ससार की उच्च शक्तियों में एक घृणास्पद प्रतिद्वन्द्विता आरम्भ हो गई है । प्रत्येक शक्ति यह दिखा देना चाहती है कि इन अस्त्रों को बनाने की दौड़ में वही सबसे आगे है । वे शक्तिशाली देश भूल जाते हैं कि लडाईं के तरीके इतने बदल चुके हैं कि आज हार और जीत में बहुत अन्तर नहीं रह गया है । आणविक युद्ध में जीतने जैसी कोई बात है ही नहीं । यदि कोई राष्ट्र आणविक युद्ध का श्रीगणेश करता है तो यह उसकी एक दुःखद भूल होगी, क्योंकि आणविक युद्ध का अर्थ है युद्ध में भाग लेने वाले सभी देशों का पारस्परिक सहार । किन्तु हम फिर भी इन पैशाचिक अस्त्रों का निर्माण करते जा रहे हैं और मानव जाति पर भय के काले बादल घिरते जा रहे हैं । यदि हम यह समझते हैं कि इन अस्त्रों की विनाशकारी शक्ति का भय ही हमें इनका प्रयोग करने से रोकता रहेगा, तो हम अपने-आपको धोखा दे रहे हैं । घृणा से भी अधिक डरावनी वस्तु है भय । कोई राष्ट्र इस भय से कि एक दूसरा शत्रु राष्ट्र कहीं उस पर पहले इन अस्त्रों का प्रयोग न कर दे, इस आशा में इनका स्वयं प्रयोग कर दे सकता है कि इस प्रकार से वह अपना विनाश रोक लेगा । हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आणविक अस्त्रों का निर्माण करके हम एक भारी इन्द्रजाल से खेल रहे हैं, हम स्वयं को भारी भ्रम में रख रहे हैं । अब तो दो में से एक ही रहेगा—युद्ध या मनुष्य । यदि युद्ध का भविष्य है तो मानव जाति का भविष्य समाप्त समझना चाहिए ।

यदि मानव जाति को रहना है, तो युद्ध की सम्भावना को सदा के लिए विदा लेनी होगी ।

(२) राष्ट्रवाद को विश्व-निष्ठा के अधीन होकर रहना चाहिए । पाचवीं शती ई० पू० के एक चीनी विचारक मो-त्जु ने तत्कालीन चीन की अगान्त स्थिति का वर्णन जिन शब्दों में किया है वे हमारी आज की विपन्न अवस्था के साथ अप्रासंगिक नहीं है । चोर भी अपने परिवार को प्यार करता है और अपने प्रेम के लिए वह सोचता है कि वह दूसरे परिवारों का विनाश कर सकता है और उनको ठग सकता है । एक रईस अपने खानदान को प्रेम करता है और दूसरे खानदानों का दुरुपयोग करने और उनका शोषण करने में कोई अनिच्छित नहीं अनुभव करता । एक बड़ा जागीरदार अपनी जागीर को प्यार करता है, परन्तु दूसरे जागीरदारों को अपशब्द बकना वह बुरा नहीं समझता । आज राष्ट्रीय राज्य ने हम पर कब्जा जमा रखा है । राष्ट्रवाद तभी तक एक उपयोगी शक्ति रहता है जब तक वह जनता को कर्तव्य के उच्चाःश्यों के लिए, सार्वजनीन कल्याण की लगेन के लिए और सार्वजनिक हित के निमित्त त्याग करने के लिए प्रेरित करता रहता है । किन्तु यदि राष्ट्रवाद हमें गलत रास्तों पर ले जाता है, यदि वह हमें अनुभव कराता है कि अपना देग चाहे उचित कर रहा हो या अनुचित, हर हालत में उसका समर्थन किया जाना चाहिए, तो उसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी थोड़ी । हम एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं जब केवल राष्ट्रवाद में काम नहीं चल सकता । हमारी आवश्यकताएँ और समस्याएँ वीसवीं शताब्दी की हैं । हमारी निष्ठा सम्पूर्ण मानवता के प्रति होनी चाहिए । हमें यह अनुभव होना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचाकर यदि मानवता को बचाया जा सकता हो, तो राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह न की जाए । हमारी राष्ट्रवादी निष्ठा के कारण संसार की आध्यात्मिक एकता भंग नहीं होनी चाहिए ।

(३) हमें व्यक्तिगत और सामूहिक अभिमान और अहंकार को निलाञ्जलि दे देना चाहिए । मानव-इतिहास में मारी बुराइयों की जड़ यह अभिमान ही है कि हम संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं और निराना में हमें यह

उत्तरदायित्व सौपा है कि हम दूसरो को भी अपनी जीवन-पद्धति पर ढालने की चेष्टा करे। यूनानी कवि हुब्रिस (Hubris) के अभिमान, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दुखो का मूल कारण है अभिमान करने की घृष्टता। यह अभिमान का ही प्रतिफल था कि मिस्र के फरोहो (वादशाहो) यूनान के शासको, फारस के बादशाहो, बगदाद के खलीफाओ तथा मध्य-कालीन रोम के पोपो को मुंह की खानी पडी। अभी हाल के कुछ उदाहरणो का उल्लेख तो मैं आवश्यक नहीं समझता। केवल उदृण्ड व्यक्ति ही यह विश्वास करते है कि शेष लोगो पर शासन करने का विवेक और योग्यता केवल उन्ही के पास है जो अभिमान नम्रता के आवरण मे छिपा होता है, वह तो और भी भयकर होता है। जो लोग बहुत समय तक जान बूझकर महान् यथार्थ तथ्यो, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मानव-मानव की समानता और सभी लोगो के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की हठपूर्वक उपेक्षा करते रहते है, उनको विधाता किसी न किसी प्रकार पाठ पढा देता है।

आज हममे विनम्रता की भावना होनी चाहिए। हमे इस प्रकार का रुख छोड देना चाहिए कि हम सही है और हमारे विरोधी गलती पर। हमे यह मनोवृत्ति भी त्याग देनी चाहिए कि हम भले ही पूर्ण नहीं है, पर हम अपने शत्रुओ से तो निश्चित रूप से अच्छे है। ऐसा जान पडता है कि वर्षो के सामूहिक हत्याकाण्ड के कारण हम कठोर हो गए हैं और भयानक से भयानक परिस्थिति हमे भयभीत नहीं कर पाती। गत सप्ताह की घटनाए सूचित करती है कि हम अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो मे सब प्रकार के सौजन्य गवा चुके है। जो लोग अपने को सबसे अधिक सभ्य होने का दावा करते है, उनमे बर्बरता और जो लोग पिछडे हुए कहे जाते है उनमे सभ्यता की अधिक मात्रा दिखाई देती है। एक समय ऐसा था, जब बाहर से आए बर्बर आततायियो ने हमारी सभ्यता का विनाश किया, किन्तु डम युग मे तो हमे अपनी भीतरी बर्बरता से, जिसको हम पाल रहे है, सभ्यता के विनाश की सम्भावना दिखाई दे रही है। प्रौद्योगिक क्रान्ति से मेल बैठाने के लिए हमे एक नैतिक क्रान्ति करनी है। हमे नए मानवीय सम्बन्धो का विकास करना चाहिए, राष्ट्रो के बीच बौद्धिक सहयोग और नैतिक एकता

लाने की चेष्टा करनी चाहिये, और 'यूनेस्को' का भी मुख्य उद्देश्य यही है। सभी सरकारों को हृदय और अन्तरात्मा का विकास भी करना चाहिए, उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि हम सभी एक विरादरी के सदस्य हैं जिसमें प्रजाति और वर्ग का कोई विभेद नहीं है।

'यूनेस्को' ने विश्व-चेतना के विकास में बड़ा योगदान दिया है। एक उदाहरण लीजिए, 'यूनेस्को' के एक विशेषज्ञ-दल ने घोषणा की है कि मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जा सकते हैं, उनको करने के लिए कोई भी प्रजाति वास्तविक या काल्पनिक क्षमता की दृष्टि से न तो किसी प्रकार हीन है और न प्रजाति के आधार पर उसके लिए अनुपयुक्त ही मानी जा सकती है। उपनिवेशवाद इस धारणा के आधार पर दूसरों पर शासन करने का अपना अधिकार समझता है कि अनुन्नत तथा अशिक्षित लोगों को सभ्य नहीं बनाया जा सकता। ज्ञात या अज्ञात रूप से संसार के कई अग्रणी देशों में एक वडप्पन की भावना है, वे अन्य देशों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ समझते हैं।

यदि विश्व-निष्ठा की भावना को प्रोत्साहित करना है तो हमें जीवन की अन्य परम्पराओं को भी समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। बहुत समय से यह देश कई मस्कृतियों का मिलन-स्थल रहा है। आर्य और द्रविड, हिन्दू और बौद्ध, यहूदी और पारसी (जोरोस्ट्रियन), इस्लामी और ईसाई मस्कृतियाँ यहाँ समय-समय आयी और परस्पर घुल-मिल गयीं। अब चूँकि ससार सिमट कर छोटा होता जा रहा है, इसलिए हमें सभी प्रजातियों और मस्कृतियों के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम एक-दूसरे को अधिक अच्छी तरह जानना चाहते हैं, तो हमें अपने एकाकीपन और श्रेष्ठता की अपनी भावना को त्याग देना चाहिए और यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि दूसरी मस्कृतियों का दृष्टिकोण भी उतना ही ठीक है, उनका प्रभाव भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि हमारी अपनी मस्कृति का। मानव जाति के इतिहास के इस नाजुक क्षण में हमें मानवीय प्रकृति को पुनः स्थापित करना है। उस सम्बन्ध में 'यूनेस्को' पूर्व और पश्चिम में महानुभूति बढ़ाने की दिशा में, जो बहुमूल्य कार्य कर रहा है, उनकी हमें प्रशंसा करते हैं।

आज भी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अगान्ति और संघर्ष की स्थिति उपस्थित है। जबकि संसार को दूसरे महायुद्ध की भट्टी में भोकने का खतरा पूरी तरह दूर नहीं हुआ है, तब हमें विनम्रता और पक्षपातहीनता से कार्य करना चाहिए। हमें यह दिखा देना चाहिए कि जैसे व्यक्ति कभी-कभी निःस्वार्थ भाव से भी कार्य करते हैं, वैसे ही राष्ट्र भी यदा-कदा स्वार्थरहित होकर आचरण कर सकते हैं, और यह सर्वथा स्वाभाविक है। भविष्य की सुरक्षा के लिए युद्ध लोगों के मनो और हृदयों में जीता जाना चाहिए। हममें से प्रत्येक को अपना मन ऐसा बना लेना चाहिए जो दूसरों के दृष्टिकोण को सहानुभूति से समझ सकता हो, हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के दुःख से द्रवित हो सके, जिसमें अपना ही सुख-दुःख नहीं, दूसरों का सुख-दुःख भी अट सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम ऐसा कर सके तो राष्ट्रों के मध्य युद्ध भी उसी प्रकार विलुप्त हो जाएंगे जिस प्रकार आजकल व्यक्तियों के मध्य द्वन्द्व-युद्ध की प्रथा विलुप्त हो चुकी है।

हम इस देश और इस नगर में 'यूनेस्को' के साधारण सम्मेलन का स्वागत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और हम सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अधिवेशन की सफलता के लिए हमारी सर्वोत्तम शुभकामनाएँ उन्हें प्राप्त हैं।

शान्ति का आधार सद्भावना है*

इस महान् विश्वविद्यालय के शताब्दी-समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर दीक्षान्त-भाषण करने के लिए मुझे आमन्त्रित करके आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। मैं विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में ३५ वर्षों से भी अधिक से सम्बन्धित रहा हूँ। विश्वविद्यालय के एक पुराने मदस्य के रूप में, मैं नये स्नातको का, जिन्होंने कला और विज्ञान, साहित्य और कानून में विशेष योग्यता प्राप्त की है, स्वागत करता हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि हम अपनी अधिसदस्यता (fellowship) में उनके सम्मिलित होने पर कितने हर्षित हुए हैं ! यह समारोह इस विश्वविद्यालय की जो मदा से ससार के विश्वविद्यालयों के सम्पर्क में रहा है सर्वोत्तम परंपराओं की हा एक कड़ी है। इसने अपने छात्रों को उन विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए भेजा है और उनके विद्वानों को अपने अध्यापक मण्डल में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया है। कला और साहित्य, विज्ञान और ज्ञान भौगोलिक सीमाओं में आवद्ध नहीं होते; वे राजनीतिक भावावेशों में ऊपर होते हैं। राजनीतिक मतभेद मनुष्य को अलग-अलग कर गार्त है किन्तु व्यावसायिक सहकार मनुष्य को एक करता है।

वगात में अपने शासन के प्रथम दो युगों तक तो ईस्ट इण्डिया

* कलकत्ता विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षान्त-समारोह में भाषण—
२३ जनवरी, १९५७।

कम्पनी ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को प्रचलित नहीं किया। इसका एक कारण था। उस काल का एक अग्रणी और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स भारत के उत्कृष्ट साहित्य एवं शास्त्रों का निष्कपट प्रशंसक था और उसने भारत की प्राचीन देशीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने की चेष्टा भी की थी। भारत स्थित ब्रिटिश नेता भारतीय जनता के मन में उद्वेग पैदा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को अपनी प्राचीन विद्या और विचार-पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। आधुनिक विद्याओं में शिक्षा देने की प्रेरणा ईसाई मिशनरियों और डेविड हरे तथा राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील नेताओं की ओर से हुई। जब मैकाले सार्वजनिक शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष हुआ, तब उसने फरवरी सन् १८३५ में अपना प्रसिद्ध शिक्षा सम्बन्धी विवरण तैयार किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के परामर्श को स्वीकार कर लिया। उसने आदेश दिया कि शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों पर जितना भी रुपया व्यय होगा, वह सब मुख्यतः उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को चलाने पर होगा, जो अंग्रेजी के माध्यम से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए स्थापित किए गए होंगे। सार्वजनिक शिक्षा के लिए विभागों की स्थापना सन् १८८५ में और विश्वविद्यालयों की स्थापना सन् १८५७ में हुई।

प्रारम्भिक वर्षों में इस विश्वविद्यालय के नियंत्रण में भारत के एक बड़े भाग की कॉलेजीय शिक्षा थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, तत्कालीन संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त तथा ब्रह्मदेश और श्रीलंका तक के कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा ही नियंत्रित थे। धीरे-धीरे अन्य विश्वविद्यालय भी खुल गये और इस विश्वविद्यालय का कार्य-क्षेत्र सीमित होता गया। ये विश्वविद्यालय जब पहले-पहल स्थापित हुए तब ये कॉलेजों को अपने से सम्बद्ध करते थे, क्योंकि ये मात्र परीक्षा लेने वाले सगठन थे। हमें स्वर्गीय श्री आशुतोष मुखर्जी के साहसपूर्ण और बहुमुखी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सद्प्रयत्न से कला और विज्ञान (सैद्धान्तिक और प्रायोगिक) में स्नातकोत्तर विभाग इस विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण में प्रारम्भ किये गये। विश्वविद्यालय की प्रारम्भिक मुद्रा

पर विद्या की उन्नति सम्बन्धी जो सूक्ति अंकित थी, वही अब इसका प्रधान लक्ष्य बन गयी ।

इस विश्वविद्यालय ने महान् वैज्ञानिकों और श्रेष्ठ विद्वानोंको उत्पन्न किया है । हम लोगों के समय में राँयल सोसाइटी के जो नौ अधिसदस्य (Fellows) निर्वाचित हुए थे, उनमें से पाँच इस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे थे । वे थे—जगदीशचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर व्यंकट रमण, मेघनाद साहा, कृष्णन् और महालनोविस । साहित्य और भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार-विजेता श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री सी० वी० रमण इसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित थे । इस विश्वविद्यालय से निकले हुए कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने अपने विशुद्ध विचार और विद्यानुराग के बल पर साहित्य एवं कला, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है ।

यदि हम ससार के इतिहास की ओर दृष्टिपान करें, तो हम देखेंगे कि सभ्यता का निर्माण उन भविष्यद्रष्टा सिद्धों और वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ है जो स्वतंत्र रूप से विचार करने में समर्थ हैं तथा जो स्थान और काल की गहराइयों में पहुँचकर उनके रहस्यों को जानने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार उपलब्ध अपने ज्ञान का सदुपयोग वे विश्व-श्रेयम् एवं लोककल्याण के लिए करते हैं । विश्वविद्यालय मनुष्य की अविज्ञेय आत्मा में विश्वास करते हैं अतः उन्हें अपने विद्वान् एवं पण्डित प्राध्यापकों को अपना अव्ययन बढ़ाने के लिए पूरी-पूरी सुविधा देनी चाहिए तथा उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुँचाना चाहिए । विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक विद्वान को उसकी रुचि के विषय की सीमाओं के भीतर, पूरी सुविधाएँ प्रदान करें ताकि वह अपनी बुद्धि, कल्पना और एकनिष्ठता के अनुसार अपने ढंग से सत्यान्वेषण कर सकें । यदि कोई स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती तो उसे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता । सत्यान्वेषण के कार्य में किसी धार्मिक सिद्धान्त या राजनीतिक मतवाद का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

इस विश्वविद्यालय ने गत मी वर्षों में उम्र देश की जनता के सामने विचारों का एक नया नमारा म्पल दिया है, नवीन ज्ञान-क्षितिजों का

विकास करने में सहायता की है, महान् उद्देश्यों का समर्थन किया है, विचार और जीवन के नये आन्दोलनों को उत्पन्न किया है तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के विस्तार में सहायता पहुँचायी है। गत एक शताब्दी में हमारे देश में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, वह आधुनिक विचारों के प्रभाव से और हमारी प्राचीन विद्या की समीक्षा से सम्भव हो सका है। जब हम छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित करते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि वे राजनीतिक स्वतंत्रता और आन्तरिक लोकतंत्र की माँग करें। भारत में आने से पूर्व मैकॉले ने ब्रिटेन की लोक सभा में कहा था—

“क्या हम भारत की जनता को इसलिए अज्ञानान्धकार में रखना चाहते हैं कि वह हमारे अधीन बनी रहे ! या, हम यह सोचते हैं कि हम उसको ज्ञान तो दें, परन्तु उसमें महत्त्वाकांक्षा अँगड़ाई न ले ? या, हमारा मन्तव्य यह है कि हम उसमें महत्त्वाकांक्षा तो जगावे, परन्तु उसकी पूर्ति का कोई वैधानिक मार्ग न खोले ? यह सभव है कि हमारी शासन पद्धति के अन्तर्गत रहते-रहते भारत का लोकमानस इतना विकसित हो जाय कि यह पद्धति उसके लिए अनुपयुक्त हो उठे, यह भी सभव है कि अच्छे प्रशासन के द्वारा हम अपनी प्रजा को इतना शिक्षित कर दें कि उससे अच्छे प्रशासन के संचालन की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाय, यह भी हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा पाकर, वह भविष्य में कभी यूरोपीय सस्थाओं की माग करने लगे। ऐसा दिन कभी आएगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। किन्तु जब कभी वह दिन आया, अंग्रेजी इतिहास का वह सबसे गौरवपूर्ण दिन होगा। हमारे हाथ से राजदण्ड निकल जा सकता है। हमारे अस्त्र-शस्त्र हमें भले ही निरन्तर विजय-श्री न प्राप्त करावे, किन्तु ऐसी भी विजय होती है जिसके बाद पराजय नहीं होती। एक ऐसा भी साम्राज्य है जो ह्रास के सभी प्राकृतिक कारणों से परे है। यह विजय है बर्बरता के ऊपर विवेक की शान्तिपूर्ण विजय और वह साम्राज्य है हमारी कलाओं, हमारे नैतिक आदर्शों, हमारे साहित्य और हमारे अधिनियमों का अविनाशी साम्राज्य।

जब हम देश के युवकों को ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें स्वतंत्रता पर

विद्रोह के अधिकार पर बल दिया गया हो, जिसमें यह बताया जाता हो कि सरकार का कर्तव्य शासित की स्वीकृति से शासन करना है, तब वे पराधीनता से स्वतंत्र होने की माँग अवश्यमेव करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातकोत्तर से एक बकिमचन्द्र चटर्जी ने हमें वन्देमातरम् गीत दिया जिसमें भारत की गहरी धार्मिक आस्था को आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा के साथ राष्ट्रीय हित के निमित्त नियोजित किया गया है। देश के युवकों का धर्म राष्ट्रीयता बन गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हमें 'जन गण मन' वाला राष्ट्रीय-गीत दिया जो सर्वप्रथम इसी नगर में २७ दिसम्बर, १९११ को कांग्रेस के महाधिवेशन में गाया गया था। भारत की संविधान परिषद् ने २४ जनवरी, १९५० को इस गीत को राष्ट्र-गीत के पद पर प्रतिष्ठित किया। इस गीत में हमें देश को एक माना गया है; इसमें हमसे माँग की गयी है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इस देश की सांस्कृतिक और भावात्मक एकता के लिए प्रयोग करें।

जब देश में अशान्ति और असन्तोष फैलने लगे, जो आधुनिक शिक्षा के स्वाभाविक परिणाम थे, तब श्री ऐलन आँकटेवियन ह्यूम ने एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का निश्चय किया, जो उस अशान्ति और असन्तोष को रोक सके। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के बीच १ मार्च, १८८३ को भाषण करते हुए कहा कि मुझे लगन और साहस वाले ५० व्यक्तियों की आवश्यकता है। "यदि केवल ५० अच्छे और सच्चे व्यक्ति इस संस्था के संस्थापक बनने के लिए प्राप्त हो जाय, तो यह संगठन बन जाय। आगे की बातें तो अपेक्षाकृत सरल हो जाएंगी।" उन्होंने स्नातकोत्तर से स्पष्टतया कहा—"यदि वे अपनी निजी सुख-सुविधा को त्याग नहीं सकते, तो इस समय उनकी उन्नति की समस्त आशाएँ समाप्त ममभन्नी चाहिए", फिर यह मान लेना होगा कि भारत आजकल की सरकार से बढ़िया सरकार का न तो इच्छुक है, न उम्मेद योग्य ही।" श्री ह्यूम ने यह शाश्वत सत्य कहा कि 'आत्म-बलिदान और निस्स्वार्थता ही किसी को स्वतन्त्रता और सुख की मजिल तक पहुँचा सकते हैं।' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई जिसके अध्यक्ष बंगाल के एक प्रसिद्ध नेता श्री उमेश चन्द्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना प्रगेजी

की सदेच्छा मे विश्वास के साथ हुई थी और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने उसको अपने आशीर्वाद दिये थे। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन कर दिया, तब अंग्रेजों के प्रति लोगों का विश्वास छिन्न-भिन्न हो गया। इसके बाद जो क्षोभ की लहर उठी, उसने लोगों की राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध कर दिया। फिर क्या था, निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी प्रचार, विदेशी मालों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, लोकमत का संगठन और अन्य प्रकार के राजनीतिक कार्य जनता ने अपना लिए। इनको बाद मे गांधी जी ने पूर्णता प्रदान की। दिसम्बर, १९०६ मे कलकत्ता कांग्रेस मे, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय जनता का लक्ष्य 'स्वराज्य' घोषित किया। जब बग-भग रद्द कर दिया गया, तब अंग्रेजों मे लोगों का विश्वास पुन बढ गया। प्रथम महायुद्ध मे भारत ने ब्रिटिश सरकार की पुकार पर उदारतापूर्वक युद्ध-प्रयासों मे इस आशा से सहायता दी कि जो युद्ध सप्तार मे लोकतंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए लडा जा रहा है, उसमे विजय पाने का यह परिणाम तो होगा ही कि भारत को स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भारत की आशाएँ पूर्ण नहीं हुई। भारत ने सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण किया जिस की परिणति सन् १९४७ के सत्ता-हस्तान्तरण मे हुई। इस विश्वविद्यालय ने असाधारण साहस और सहनशीलता-सम्पन्न व्यक्तियों को उत्पन्न किया है, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष मे भाग लिया और अतुलनीय बलिदान किये। कई वीर नर-नारियों ने, जिनमे कुछ अभी तक जीवित है और कुछ दिवगत हो चुके है, प्रतिगामी और निरंकुश अत्याचारी शक्तियों का विरोध किया। आज हम सुभाषचन्द्र बोस का ६१वा जन्म-दिवस मना रहे है। बंगाल के प्रतिभाशाली लोग आज भले ही नैराश्यग्रस्त हो, किन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं कि वे विरोध और प्रतिरोध करते रहेगें, और पीडा सहन तथा बलिदान की वही भावना तब तक प्रदर्शित करते रहेगें जब तक शोषण और अन्याय के स्थान पर न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था नहीं स्थापित हो जाती।

भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता न केवल उसके अपने लिए है, वरन् सप्तार के हित के लिए है। गांधी जी ने एक बार कवीन्द्र रवीन्द्र को लिखा

था—“यूरोप के चरणों पर साष्टांग दण्डवत् करता हुआ भारत मानवता को कोई आगा नहीं बँधा सकता किन्तु, जागृत और स्वतंत्र भारत के पास पीडा से कराहते हुए विश्व के लिए शान्ति और सद्भावना का एक सन्देश है।” हम ससार को इस योग्य बनाने को उत्सुक हैं कि उसमें सभ्यता सुरक्षित रह सके। हमारी दृढ़ मान्यता है कि जब युद्ध की सर्वनाशकारी शक्तियाँ इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं, तब वर्तमान परिस्थिति में शान्ति के अतिरिक्त मानव-जाति के पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। जब ससार दो दलों में बँट गया है, जिनके पास अणु-शस्त्रों का भारी भण्डार है, जिसका उपयोग ससार के विनाश के लिए हो सकता है, तब किस क्षण वह सकट-पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यह कहना कठिन है।^१

१ हवाई युद्ध के एक बड़े विशेषज्ञ सर जॉन स्लेसर का कथन है—

“आज के दिन और इस युग में विश्व-युद्ध छिड़ने का अर्थ होगा—सर्वसाधारण की आत्महत्या। ‘युद्ध के किसी विशेष आयुष’ को समाप्त कर देने की चेष्टा न तो इसके पहले कभी सफल हुई है और न आगे वैसे चेष्टा करने में कोई तुक है। जिस चीज को हमको समाप्त करना है, वह युद्ध है”—‘दि लिसेनर,’ ११-२-१९५४।

ब्रिटिश एसोसिएशन के अध्यक्ष लार्ड ऐडमन ने एसोसिएशन की आक्सफोर्ड में हुई ११६वीं वार्षिक बैठक में कहा—“इस बात की बड़ी सभावना है कि वार-वार जो अणुबम-परीक्षण हो रहे हैं, उनसे वायुमण्डल में रेडियम धर्मिता इतनी बढ़ जाएगी जिसको न तो कोई सहन कर पायेगा और न जिससे कोई बच हो पाएगा।” उन्होंने आगे कहा है—“जब तक हम कुछ देशों को दिए हुए अपने पुराने रक्षात्मक आश्र्वामनों को त्यागने के लिए प्रस्तुत नहीं होते, तब तक यह सभावना बनी रहेगी कि हम किसी ऐसे युद्ध में उलभ जायें जो मानव जाति की ही समाप्ति कर दे।”

‘एयर चीफ मार्शल’ सर फिलिप जोवेंट कहते हैं—“उद्जन बम के आविर्धार के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि मानव जाति एक ऐसे स्थल पर पहुँच गई है जहाँ उसे या तो नीचियस युद्ध का परित्याग

किन्तु, भविष्य हमारे हाथों में है। यदि परमार्थ की बात छोड़ दे, तो इसमें हमारा शुद्ध स्वार्थ भी है कि हम ससार को विक्षुब्ध बनाने वाली पारस्परिक तनातनी को कम करने की चेष्टा करें और ससार जिस शील तथा मंत्री को भूल गया प्रतीत होता है, उनकी स्थापना उसमें फिर से करें। हमको आध्यात्मिक शक्तियों का निर्माण और विकास करना चाहिए, क्योंकि लोगों की विनष्ट आशाओं और उपेक्षित नैतिक मूल्यों को वही शक्तियाँ पुनरुज्जीवित कर सकती हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि पारस्परिक घृणा पारस्परिक हिंसा से भी अधिक भयकर, प्राणान्तक होती है। हमें विश्वविद्यालय की भावना को अपनाकर मानवीय प्रकृति को सभ्य बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय की अन्तर्निहित भावना उन्माद के समय बुद्धि को सतुलित रखने की प्रेरणा देती है, असयम के स्थान पर सयम रखने को कहती है, और दलीय नारेवाजी के आगे सरलता से घुटने टेक देने की अपेक्षा वह विचार की दृढ़ता पर बल देती है।

यदि ससार को ऐक्य-सूत्र में आवद्ध होना है, तो विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को यह अवगत कराना चाहिए कि कौन-कौन-सी बातें उनमें समान रूप से मिलती हैं। ससार में राजनीतिक एकता व्यवहारतः स्थापित हो सके, इसके पूर्व उसमें सांस्कृतिक एकता स्थापित होनी चाहिए। कलह का न होना ही शान्ति नहीं है, और न बन्दूकों की चुप्पी शान्ति कहलाती है। कलह की अनुपस्थिति तो नकारात्मक है, वह भयावह है, वह किसी भी क्षण छिन्न-भिन्न हो सकती है। शान्ति का तात्पर्य है दूसरों के प्रति सद्भावना होना। जो लोग हमारी प्रजाति के नहीं हैं, भिन्न धर्मावलम्बी हैं, उनके प्रति सहानुभूति होना ही शान्ति का आधार है। शान्ति यह है कि हम उन लोगों की भी भावनाओं की सराहना करें जिनकी पूजा-पद्धति हम लोगों से भिन्न है। इसी का नाम सद्भावना है, इसी का नाम शान्ति है।

सन् १८३१ में राममोहन राय ने फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री को लिखा था—“अब यह सामान्यतया स्वीकार किया जाने लगा है कि केवल धर्म ही नहीं, निष्पक्ष सामान्य-बुद्धि और वैज्ञानिक शोध के सटीक निष्कर्ष भी

त्याग कर देना पड़ेगा, या उसे संपूर्ण सहार की सभावना को स्वीकार करना होगा।”

इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि समस्त मानव जाति एक विशाल परिवार है और वर्तमान विभिन्न राष्ट्र तथा जातियाँ उसकी ही शाखाएँ हैं। अतः सभी देशों के समझदार लोग यह अनुभव करते हैं कि एक राष्ट्र के लोगों को दूसरे राष्ट्र के लोगों से मिलने-जुलने में जो भी रुकावटें हैं, उनको यथासंभव दूर किया जाए और उनके परस्पर आवागमन को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाय और इसके लिए उनको सुविधा प्रदान की जाय, ताकि समस्त मानव जाति इस आदान-प्रदान से परस्पर लाभान्वित हो सके और उसके आनन्द में वृद्धि हो सके।” विश्व-वन्धुत्व की यह भावना आदि काल से ही भारतीय विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय सस्कृति की आत्मा स्वीयकरण और सदलेपण की रही है, निषेध और अलगाव की नहीं। आर्य और द्रविड, हिन्दू और बौद्ध, मुसलमान और ईसाई—ये सभी भारतीय इतिहास में घुल मिल गए हैं। हम दूसरों से सीखने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, किन्तु हम किसी के अधीन बनकर नहीं रहना चाहते। हममें यह मिथ्याभिमान नहीं है कि भारतीय सस्कृति अपने-आप में पूर्ण है और उसको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। हम अपना व्यक्तित्व खोए बिना, दूसरी सस्कृतियों में जो कुछ मूल्यवान है, उसे ग्रहण कर लेते हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व-सहयोग के युग का उद्घाटन किया था। उन्होंने ससार के विभिन्न भागों की, पूर्वी और पश्चिमी देशों की यात्रा की और लोगों को सहिष्णुता, विश्व-वन्धुत्व और सहानुभूति का सन्देश दिया था। सांस्कृतिक सहयोग में उनकी जो आस्था थी, उसका साक्ष्य हमें उनकी 'विश्व-भारती' से मिलता है।

महात्मा गान्धी ने राष्ट्रीय स्वशासन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परिभाषा देते हुए एक बात बड़े विवेक की कही थी; उसको चेताने भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था—“राष्ट्रीयता के विषय में मेरा यह विचार है कि मेरा देश स्वतन्त्र हो जाय, और यदि आवश्यकता पड़े, तो मानव जाति को जीवित रखने के लिए मेरा मेरा देश अपने ही मर जाय। यहाँ जालि-विद्धेय के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी राष्ट्रीयता का यही स्वरूप होना चाहिए।” शारीरिक रूप से जीवित

वचे रहना ही सब कुछ नहीं है, आत्मा की अखण्डता अधिक महत्त्वपूर्ण है। जो लोग 'क्रॉस' की पूजा करते हैं, वे जानते हैं कि भौतिक पराजय और मृत्यु मनुष्य को आध्यात्मिक विजय के योग्य बनाती है।

विश्वविद्यालय शान्ति-स्थापना की दिशा में बहुत प्रभावकारी कार्य कर सकते हैं। राजनीति तत्काल की कला है। राजनीतिज्ञता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिज्ञ के विचारों में कितनी दूरदर्शिता और कितनी गम्भीरता है। विश्वविद्यालय और विद्वत्-समाज ही ऐसे विचारों की प्राप्ति में हमारी सहायता कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों को ज्योतिष-विज्ञान और अध्यात्म-विद्या तथा विश्व-इतिहास के पठन-पाठन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें हमको समत्व बुद्धि और समदर्शिता का पाठ भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे समाज को एक समाज मानकर चलते हैं और ऐसे नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं जो समस्त विश्व के लिए व्यवहार्य हों तथा जो राष्ट्रीयता की सकुचित सीमा का अतिक्रमण कर गए हों। वे राष्ट्रीय समूहों को भी स्थिर सतुलन में रखने का प्रयत्न करते हैं। विश्व-विद्यालय हमको ज्ञान एवं निष्पक्षता सिखाते हैं और उन बातों की भी निरपेक्ष जानकारी कराने की चेष्टा करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी होती हैं या जिनसे हमारा मत नहीं मिलता। काल-द्रष्टा बनना मन की तिकता और आत्मा की दुर्बलता की चिकित्सा है। ससार के समस्त विश्वविद्यालयों की एक बड़ी विरादरी है जो ससार भर में फैले हुए अपने सदस्यों को बन्धुत्व के सूत्र में आवद्ध कर देती है।

प्रायः यह कहा जाता है कि वर्तमान युग की निर्बलता इस बात में है कि यह जड़-रहित है। विश्वविद्यालय का सच्चा कार्य है इसकी जड़ को फिर से जमाना। हमको ऐसा सहानुभूति और समझदारी के साथ ही करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि आधुनिक जीवन की तीव्र गति, स्नायविक तनाव और दिन पर दिन बढ़ने वाली असगति को छूट हमें भी न लग जाय, तो हमें अपने दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच कुछ ऐसे एकान्त क्षण अवश्य अलग निकाल लेने चाहिए जिनमें हम अपनी आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। धर्म मनुष्य के मन्मुख जीवन के उच्चतम सत्य को प्रस्तुत करता है। एक निरर्थक ससार में मनुष्य ही

अकेला प्रतियोगी नहीं है। धर्म भी उसका साथ दे रहा है। दुर्भाग्य से, ससार के अन्य भागों की भाँति धर्म इस देश में भी पतित हो गया है और धर्म अन्धविश्वास, साम्प्रदायिकता, मानसिक दासता, विश्वासातिरेक और हठधर्मिता का पर्याय बन गया है। धार्मिक सुधारकों ने धर्म को विशुद्ध बनाने की चेष्टा की और परब्रह्म के साथ सम्पर्क तथा मनुष्य के प्रति प्रेम के तात्त्विक सरल नियमों पर उसे आधारित करने का प्रयत्न किया। धर्म का कर्त्तव्य है कि वह मानव के द्वारा अनुभूत सत्य को प्रकट करे और प्रत्येक नयी पीढ़ी को वह उस सत्य को समझावे। सत्य की परिस्थिति के अनुरूप अपना स्वरूप बदलना चाहिए। इस युग के महान् धर्मगुरुओं ने काल और कालातीत, वर्तमान जीवन और शाश्वत जीवन दोनों छोरों की आवश्यकताओं को समझते हुए उपदेश किया है। शाश्वत सत्य आधुनिक मन को भी ग्राह्य होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। यदि बहुत वास्तविक बात कही जाय, तो आज हम एक नए ससार में रह रहे हैं। ज्ञान की एकता आज नयी है, मानव-समाज की प्रकृति आज नयी हो गई है और विचारों का अनुक्रम आज नया है; वे भूतकाल में कैसे थे, इस बात को भूलकर अब हमें उनके नये स्वरूप को ही सत्य मानकर चलना होगा। धार्मिक सत्य विज्ञान की आकस्मिकताओं या आलोचना से परे है। वे मानव प्रकृति के नैतिक और आध्यात्मिक तथ्यों को अपना उपादान बनाकर चलते हैं। इस युग के धार्मिक विचारकों 'प्रस्थान-त्रय' की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने बताया कि इन तीन कार्यों में विकसित धार्मिक मन्देश विवेकपूर्ण, नीति-सम्मत और आध्यात्मिक है। वह गम्भीर है, व्यापक है और पूर्ण है। यही 'ब्रह्मविद्या', 'योगशास्त्र' और 'कृष्णाजुन सवाद' है—यही है सत्य, साधन और जीवन। सिद्धो ने घोषित किया है कि उन्होंने परब्रह्म के दर्शन किए हैं, वह सूर्य की भाँति प्रकाशमान है और अन्धकार के परदे के पीछे जगत्का निवास है।

धर्म का फल है शील-आचार। यह शील-आचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हो सकता है। ईना मसीह तो आकर्षित करते हैं, गिन्तु

ईसाई धर्म-संस्था (चर्च) पीछे धकेलती है।^१ राममोहन राँय और ईश्वर-चन्द्र विद्यासागर जैसे समाज-सुधारको ने हमारे समाज की सती तथा जाति-प्रथा जैसी दूषित प्रवृत्तियों के विरुद्ध सघर्ष किया। उन्होंने विधवा-विवाह का समर्थन किया, बहुविवाह-प्रथा को मिटाने पर बल दिया और स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। समाज ने स्त्रियों को जिन कार्यों के लिए अयोग्य बतला दिया था, उनके प्रतिबन्ध से स्त्रियों को मुक्त करने के प्रयत्न अधिकतर सफल हुए हैं, और उसी का यह परिणाम है कि आज हम इस विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रथम बार इसके कुलपति पद पर एक महिला को सुशोभित देख रहे हैं।

पुराने विश्वविद्यालयों के कार्य की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में यथाशक्ति अपना कर्तव्य निभाया है। किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। हमारी क्रान्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। हमको हिंसा, धर्मोन्माद और अविवेक की शक्तियों से अपनी रक्षा करनी है। हमको दारिद्र्य और रोग, अशिक्षा और बेकारी के विरुद्ध सघर्ष करना है। हमको मानव-मन के अज्ञानान्धकार के विरुद्ध एक लम्बा युद्ध छेड़ना है। अपनी सततियों की बौद्धिक न्यूनता, उनकी आध्यात्मिक अशिक्षा, सामाजिक अन्यायों की उनके द्वारा मौन स्वीकृति और समाज की बुराइयों के विरुद्ध उनमें धर्मयुद्ध की भावना के अभाव के लिए हम भी कुछ अश तक उत्तरदायी हैं। आइए, हम आस्था से कार्य करें और अपनी जनता को एक सगठित समाज के रूप में ऐक्यबद्ध कर दें तथा उसको शान्ति का रक्षक बना दें। वर्बर हिंसा पर आधारित शासन-सत्ता सदा नहीं टिक सकेगी। मानवता का फिर से उद्धार होगा, पारस्परिक सहनशीलता की भावना फिर उभरेगी और सत्य तथा प्रेम की विजय होकर रहेगी। 'सत्यमेव जयते, नानृतम्।'

१. ईसाई धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में आर्कबिशप आयोग का प्रतिवेदन, १९४५।

विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं है^१

आज अपने बीच भाषण करने का अवसर देकर आपने मेरा बड़ा सम्मान किया है।

जिन स्नातको ने आज उपाधि-पत्र प्राप्त किये हैं, वे हमारे इतिहास के एक उत्तेजनापूर्ण समय में अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें आशा की जाती है कि वे देश के उत्थान में अपना यत्किञ्चित् सहयोग देंगे। मैं उनका स्नेहपूर्ण अभिनन्दन करता हूँ। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में स्त्रियाँ भी प्रौद्योगिकी (टेकनोलॉजी) और अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) में स्नातिका बनने लगेगी। भूतकाल में हम अपने प्राविधिक पिछड़ेपन और राष्ट्रीय असंगति के कारण हानि उठा चुके हैं। यह सत्था इन कमियों को कुछ अंग में दूर करने में सहायक हो रही है।

मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि उन सभी विभागों के नाम गिनाऊँ जिनमें आपको यहाँ शिक्षा दी जा रही है। आपके यहाँ स्नातक-पूर्व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और स्नातकोत्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान की भी। यहाँ अनुसन्धान की व्यवस्था होने में हमारे सामने यह आदर्श उपस्थित होता है कि हमें ज्ञान का केवल प्रसार ही नहीं करना चाहिए, उसकी प्रगति में भी योग देना चाहिए।

यद्यपि यह विद्यापीठ बंगाल में अवस्थित है, तथापि इनमें ३० प्रति-

^१ इंडियन इस्टीमेट्स ऑफ टेकनोलॉजी, सट्टगपुर के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में भाषण—२४ जनवरी, १९५७।

शत से अधिक विद्यार्थी भारत के अन्य भागों से आए हुए हैं। भारतीय अध्यापक और छात्र भारत के सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे समय में, जब लोगों में सकीर्ण और स्थानीय पक्षपात का बोलबाला हो रहा है, जब साम्प्रदायिक तनाव और प्रान्तीय प्रतिद्वन्द्विता अपना सिर उठा रही है, उस समय एक इस जैसी सस्था का होना, जहाँ देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थी साथ-साथ रहते हैं, इन भयंकर प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक हो सकता है।

आधुनिक युग की दो प्रमुख विशेषताएँ आपकी इस सस्था में हैं। उनमें से एक तो यह है कि हम एक-दूसरे के भागीदार हैं, और दूसरी यह कि भगवान या मनुष्य की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जिससे बाध्य होकर हम रोगी और भूखे रहे, दरिद्र और बेकार रहे।

सम्य-जगत् का यह मूलाधार है कि बलवान को निर्बल की सहायता करनी चाहिए। यह विद्यापीठ अन्तरराष्ट्रीय सहकार का एक उदाहरण है। टी० सी० एम०, कोलम्बो योजना, यूनेस्को और इलिनोइस विश्व-विद्यालय ने आपको भवन-निर्माण में सहायता की है—आपके भवन स्वच्छ हैं, आकर्षक हैं और उनमें पर्याप्त स्थान है—तथा आपके यहाँ अपनी ओर से कुछ अध्यापक भी इन्होंने भेजे हैं।

हम यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, तथापि आर्थिक दृष्टि से हम अब भी पराधीन हैं। एक समय था, जब हमने मान लिया था कि हमारा पतन अपरिहार्य है। अब हम यह समझ गए हैं कि अपनी स्थिति को उन्नत करने के कुछ उपाय भी हैं। प्रौद्योगिक रूप से आज यह संभव हो गया है कि गरीबी पूर्णतया समाप्त की जा सके। मानवीय कल्याण के मार्ग में जो भौतिक कठिनाइयाँ हैं, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रगति का सहारा लेकर हटाया जा सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जनता के भौतिक रहन-सहन का स्तर पर्याप्त ऊँचा उठ जाए, तो इस प्रकार की अन्य सस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए।

संसार को एकीकृत करना भी संभव है। हम सभी भले पड़ोसियों की तरह साथ-साथ रह सकते हैं। भूत से भी अधिक गौरवपूर्ण भविष्य हमारे सामने है। फिर भी हम अपने वर्तमान से भयभीत हैं। इसका कारण यह

है कि वैज्ञानिक आविष्कारो द्वारा कितना-कुछ विनाश किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव-कल्याण के मार्ग में जो रुकावटें हैं, उनका अस्तित्व मनुष्यों के मन में ही है। घृणा, अज्ञानता, भ्रान्तविश्वास और हमारे कुत्सित भाव हमें सत्य-दर्शन के अयोग्य बना देते हैं और हम सत्य के लिए कार्य नहीं कर पाते। इन प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए हमें प्रौद्योगिक ज्ञान और कौशल के अतिरिक्त सहानुभूतिशील हृदय और विवेक भी होना चाहिए। विवेक के अभाव के कारण ही हम लोगों में से कई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर और नैतिक रूप से निर्बल हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके इस विद्यापीठ में केवल इंजीनियर ही नहीं उत्पन्न किए जा रहे, जो यांत्रिक कुशलता से अपना कार्य करते हैं। आप उनमें मानवीय दृष्टिकोण पैदा करना चाहते हैं, उनको दूरदर्शी और सोद्देश्य बनाना चाहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में मानव-शास्त्रों के लिए भी स्थान है, जिनमें साहित्य, नागरिकशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिक मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र आदि सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम में इनको इसीलिए स्थान दिया गया है, ताकि आपको जीवन के नैतिक मूल्यों का ज्ञान हो सके। जैसा कि श्री भगवद्गीता में कहा है— हमको विवेक और ज्ञान दोनों को प्राप्त करना चाहिए ('ज्ञान विज्ञान सहितम्')। एक ऐसी घड़ी में जब हमारा सारा ध्यान उच्चतम नैतिक मूल्यों से हटकर प्रौद्योगिक उपलब्धियों पर केन्द्रित हो गया है, जब हम पूर्ण जीवन की अपेक्षा व्यावहारिक कार्य को अधिक महत्व देने लगे हैं, तब यह जान लेना कल्याणकर रहेगा कि प्रौद्योगिक (टेक्नोलॉजी) मनुष्य के लिए है, मनुष्य प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ससार की भौतिक वस्तुओं का उपयोग मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और आत्मा के कोप को समृद्ध बनाने के लिए किया जाना चाहिए। मानव-प्राणी को भर पेट भोजन देना या उसके मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें मनुष्य की आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें एक नये आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, अध्यात्म के मुरक्षित मूल्यों की गोज करनी चाहिए, हमें

सभी धर्मों में पाये जाने वाले पवित्र विचारों को ग्रहण करना चाहिए।

विज्ञान और धर्म की भावनाओं में कोई असंगति नहीं है। विज्ञान और धर्म के अनावश्यक स्वरूप को देखकर ही यह प्रतीत होता है कि दोनों में संघर्ष है। हमारी धार्मिक मान्यताओं को बौद्धिक विचारों का खण्डन नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐहिक जीवन को समझेंगे, तभी पारलौकिक प्रकाश का दर्शन कर सकेंगे।

आज हम जिसको आधुनिकता कहते हैं, वह वैज्ञानिक क्रियाशीलता का परिणाम है। केवल यांत्रिक पद्धति का विकास ही आधुनिकता नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य उस दृष्टिकोण से भी है जो मन के रचनात्मक कार्यों के विरुद्ध है। कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि हमारा यह भू-ग्रह विश्व का केन्द्र नहीं है। डार्विन ने यह प्रदर्शित किया था कि मनुष्य भी प्राकृतिक ससार का ही एक भाग है और अन्य समझदार प्राणियों में और उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। फ्रायड ने बताया कि अचेतन मस्तिष्क हमारे जीवन में बहुत बड़ा भाग लेता है। अपने विचारों और आवेगों को नियंत्रण करने की जितनी शक्ति हम अपने-आपमें समझते हैं, वास्तव में उतनी शक्ति हममें ही नहीं, वरन् उससे बहुत कम है। अपनी शक्ति के प्रति हमें जो भ्रम है, उसके आधार पर हम विज्ञान की जो व्याख्या करते हैं, उसके कारण हम मनुष्य की रचनात्मक प्रेरणा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। मानव-प्रकृति के जो पक्ष वैज्ञानिक सिद्धान्तों के साक्ष्य में ठीक नहीं बैठते, उनका हम दमन करने की चेष्टा करते हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेत्ता लॉर्ड रदरफोर्ड (Lord Rutherford) ने एक बार प्रमुख दर्शनशास्त्री सैम्युएल अलेग्जैण्डर से विनोद करते हुए कहा था—
“अलेग्जैण्डर ! तुम इतने वर्षों तक इतने सारे विषयों के बारे में बातें करते रहे, तबकि सोचो तो तुमने ससार में किस चीज की वृद्धि की ? केवल ‘गरम हवा’ की। ‘गरम हवा’ के अतिरिक्त किसी और चीज की नहीं।”

प्राकृतिक वैज्ञानिक का लक्ष्य वास्तविक वास्तव ससार की खोज है। वैज्ञानिक विधियों से हम वास्तविकता (सत्य) के विषय में प्रत्यक्षतः कुछ भी नहीं जान सकते। वैज्ञानिक सूचना का अर्थ अनिश्चित और सदिग्ध होता है। यह हमको कुछ चिह्न बताती है, जिनका तात्पर्य हमें निकालना

होता है। वैज्ञानिक यह मानकर चलता है कि ससार का नियमन एक नियम-पद्धति से होता है, जिसे हम समझ तो सकते हैं, परन्तु बहुत विस्तृत रूप से नहीं। केवल वही व्याख्या तर्कसगत कही जा सकती है जो इस ससार के केन्द्रीय रहस्य की ओर इंगित करती है। हम उस रहस्य का कुछ अंश ही जानते हैं, न तो उसका आदि जानते हैं, न उसका अन्त। हमें यह तो स्वीकार करना चाहिए कि वह रहस्य ऐसा है जिसके विषय में कोई तर्कसगत विवरण या भाषावद्ध वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हमें दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति न केवल सहनशील होना चाहिए, वरन् उसकी सराहना भी करनी चाहिए। गान्धीजी ने अपने हिन्दू बने रहने का यह कारण बताया था—“मैं वशानुक्रम में विश्वास करता हूँ। क्योंकि मैं हिन्दू परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए अपने इस विश्वास के कारण मैं हिन्दू धर्म में बना रहा। यदि मैं देखता कि मेरी नैतिक भावना या मेरे आध्यात्मिक विकास के साथ इस धर्म की सगति नहीं बैठ रही, तो मैं इसे त्याग देता। किन्तु, परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह मेरे परिचित सभी धर्मों में सबसे अधिक सहिष्णु है क्योंकि यह हिन्दू को आत्माभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र प्रदान करता है। ससार में यह अकेला ही धर्म तो है नहीं, इसलिए यह अपने अनुयायियों को इस बात की अनुमति देता है कि दूसरे धर्मों का आदर करो, और उनमें जो भी अच्छाई हो, उसकी न केवल प्रशंसा करो, बल्कि उसे आत्मसात् कर लो।” कवीन्द्र रवीन्द्र के शान्तिनिकेतन में “किसी भी व्यक्ति के धर्म या आस्था की निन्दा नहीं की जाती।” गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ इन बातों में स्पष्ट विचार रखते हैं कि हमें ऐसे किसी धार्मिक विश्वास को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का समाधान न होता हो और जो नैतिक दृष्टि से घृणास्पद हो।

उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रन्थों के अध्ययन ने हमारे चित्त में निर्मलता आती है, हमें उन परम्पराओं का ज्ञान होता है जिनके बनने में शताब्दियाँ लगी होती हैं। जब हम कात्पनिक रूप से एक क्षण के लिए, एक अन्य युग में जा गड़े होते हैं तब हम वर्तमान की समस्याओं को भी पूर्वापेक्षा ठीक से समझ सकते हैं। आधुनिक जीवन की शान्तिमय भाग-

दौड मे यदि हम मानव मस्तिष्क और आत्मा की महान् कृतियों से अपना परिचय फिर से ताजा कर ले, तो हम सभ्दारी का ही काम करेगे। इससे हमको मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों की जानकारी पाने मे सहायता मिलती है। हमारी कल्पना महान् होनी चाहिए, और उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थो मे हमे इसकी प्रचुरता मिलती है। जब विभिन्न अस्त्र-शस्त्रो के प्रयोग से भी इन्द्रजीत न मर सका, तब लक्ष्मण कहते है—“यदि यह सच है कि राम धर्मात्मा और सत्यसन्ध है, तो इस बाण से इन्द्रजीत मारा जाए।”

“धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि शरैनम् जहि रावणम्।”
सीता कहती है—“यद्यपि राम दीन है और राज्य विहीन है, तथापि राम ही मेरे पति है, राम ही मेरे गुरु है।”

“दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः।”

हम एक ऐसे भयकर ससार मे रह रहे है जहा अब भी कई राष्ट्र शक्ति के निर्लज्ज प्रयोग द्वारा अपना स्वार्थ-साधन करना चाहते है, जहा अब भी शस्त्रो के बल से और रक्तपात से अन्याय थोपने की कुचेष्टाए हो रही है। कठिनाई के इस समय मे, हमे अपने मन को स्थिर और हृदय को उदार रखने की आवश्यकता है। कल्पना और उद्देश्य का सामजस्य हो जाने पर ही शान्ति स्थापित हो सकती है। हमारा लक्ष्य शत्रु को पराजित करना या किसी विवाद मे सफलीभूत होना नहीं है। हम तो समझाते के लिए कृतसकल्प है। मै यह कहने का साहस करता हू कि इस विद्यापीठ मे अध्ययन करके आप न केवल विशेषज्ञ प्रौद्योगविद् (टेकनालॉजिस्ट) ही बनेंगे, वरन् एक अच्छे नागरिक भी सिद्ध होंगे।

चिन्तन-मनन करो*

मुझे यहाँ आकर, आप सबसे मिलकर और जिस सस्था के साथ मेरे पुराने मित्र वी० एल० एथिराज का नाम जुड़ा है, उसके सम्बन्ध में कुछ परिचय प्राप्त करके मुझ मिला है।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमें यह कॉलेज दिया है। मैं आशा करता हूँ कि वे इसको ठोस आधार पर खड़ा करने के निमित्त जो कुछ आवश्यक होगा, करेंगे।

एच० जी० वेल्म ने प्रश्न किया था—“हमें अपने जीवन में क्या करना है?” और स्वयं ही उसका उत्तर दिया था—“अपने को सुव्यवस्थित करना है।” दूसरे शब्दों में कहे तो नगर की गन्दी वस्तियों को स्वच्छ करना जितना आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक मानसिक गन्दी वस्तियों की स्वच्छता है। शिक्षा वह साधन है जिस से हम अपने मन को साफ सुथरा कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के उच्चतम मूल्यों से परिचित हो सकते हैं। शिक्षा से हमें न केवल सामान्य ज्ञान के तत्त्व या प्रौद्योगिक कुशलता ही प्राप्त होनी चाहिए, वरन् उससे हमें वह मनोवृत्ति, वह बौद्धिक रुझान, लोकतंत्र की वह भावना भी प्राप्त होनी चाहिए जिसमें हम देश के उत्तरदायी नागरिक बन सकें। सच्चा लोकतंत्र नागरिकों का वह समाज है जिसमें सब एक दूसरे से भिन्नता

* एथिराज कॉलेज के पारितोषिक वितरणोत्सव में किया गया भाषण—
२७ जनवरी, १९५७।

रखते हुए भी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में सलग्न होते हैं ।

दुर्भाग्य से, हम जिस नये समाज का निर्माण कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक मनुष्य अपने ढंग से अपने भावावेगों को व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है । उसे अपने भावावेगों को प्रमाणित (Standardized) भावावेगों के स्तर के अधीन करना पड़ता है । मनुष्य अपना साध्य स्वयं न होकर एक साधन-मात्र समझ लिया गया है । हमारे मतभेदों का नुकीलापन समाप्त करके उन्हें समतल कर दिया गया है और हमारी वृत्तियाँ एकरूप हो गयी हैं । सन्देहास्पद भविष्य और दूरवर्ती लाभ के नाम पर हमसे कहा जाता है कि हम अपनी प्रेरणाओं (impulses) और भावावेगों (emotions) को इनके अधीन कर दें । हम यह भूल जाते हैं कि व्यक्ति का कल्याण ही राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य है ।

जब हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तब उससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि राज्य का अस्तित्व अपने सदस्यों का हित करने के लिए है । हमारा वास्तविक हित अपनी आन्तरिक शक्तियों का विकास करने में है । फिर भी, हममें से कई व्यक्ति जीवन के ऊपरी तल पर निवास करते हैं, उसकी गहराइयों में पैठने की चेष्टा नहीं करते । वे उन्हीं भावों की प्रतिध्वनि करते हैं जिनको रेडियो, सिनेमा और समाचार-पत्र हमारे मस्तिष्क में भरते रहते हैं । हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं भी विचार करें, हमारे सामने जो आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके औचित्य, अनौचित्य को समझे । उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रन्थों का अध्ययन करने से हमें घटनाओं का उचित मूल्यांकन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है । उत्कृष्ट साहित्य से हमारी भावनाओं का जो परिष्कार हो जाता है, उसके कारण हम तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, प्रचलित फैशनों और रुचियों की मानसिक दासता हम स्वीकार नहीं करते तथा जो कुछ सुलभ और प्रत्यक्ष होता है, केवल उसी को पाकर हम सन्तुष्ट नहीं हो जाते । इससे हममें वह सकल्प जागृत हो जाता है जो कठिन और दुर्लभ लक्ष्यों तक पहुँचने को हमें प्रेरित करता है । इस देश में हमने सदा से मौन चिन्तन एवं मनन पर बल दिया है । हम अधिकांशतः बहिर्मुखी हैं । यह कहा जाता है कि ईश्वर ने नारी को

सौन्दर्य की प्रतिमा बनाया, फिर उसे एक जीभ दे दी और इसी से सब गुड गोबर कर दिया। हम अन्तर्मुखी होकर यह पता नहीं लगाते कि हममें क्या कमियाँ हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारे मनन-चिन्तन में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। चाहे कार्यालय हो या कारखाना, दूकान हो या कॉलेज—हम हर जगह इसका अभ्यास कर सकते हैं। मन-नपूर्ण जीवन बिताने का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने तात्कालिक कर्तव्यों या प्रमुख सम्बन्धों से अपने को विमुख बना लें। आपको केवल निरर्थक और खेदोत्पादक सामाजिक नैतिक (routine) कार्यों से अपने को विलग रखना होगा।

कहा जाता है कि जीवन-पथ पर चलना उतना ही दुष्कर है जितना तलवार की धार पर चलना। हमें विचार-सयम की आवश्यकता है। हमको अपने विरोधियों को विनष्ट करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, केवल उनकी अभिवृत्तियों और उनके व्यवहारों को प्रभावित करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो लोग हमसे मतभेद रखते हैं, उनसे अपनी बात मनवाने की चेष्टा हमें दो ही प्रकार से करनी चाहिए—एक, मिष्टभाषण से, दूसरे, अपने सहानुभूतिपूर्ण आचरण से।

जब हम कॉलेज में विद्याध्ययन कर रहे हों, तब हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। उनके जीवन और संपत्ति का ही सम्मान हमें नहीं करना चाहिए, वरन् उनके अग्राह्य स्वत्वों, उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा का भी। हमको ओछी बातें करने, गपगप करने और दूसरों पर कीचड़ उछालने में बड़ा मजा आता है। हमें इनसे बचने की चेष्टा करनी चाहिए।

आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं की सामाजिक कार्यों, मार्गजनीक जीवन और प्रशासन में भाग लेने के महान् अवसर प्राप्त हैं। समाज को ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जिनके मन अनुशासित हो और जिनके आचरण सवमित हो। आप चाहे जो कार्य करें उसमें आपको सच्चे और अनुशासित मन से जुट जाना चाहिये। तभी आप सफल होंगी और तभी आपको अपने कार्य में आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

मुझे आशा है कि यह संस्था आने वाले वर्षों में, छान-सराया और गुणों की दृष्टि से उत्तरोत्तर उन्नति करती रहेगी।

संस्कृत-साहित्य का अध्ययन क्यों ?*

आज की सध्या मे यहाँ उपस्थित होकर इस महाविद्यालय के सस्था-
पक स्वर्गीय श्री वी० कृष्णास्वामी अय्यर के प्रति तथा गत वर्षों मे इस
महाविद्यालय द्वारा किये गये अच्छे कार्य के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित
करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

अपनी युवावस्था मे, जब मैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था,
मैं अर्बुथनाट (Arbuthnot) के प्रसिद्ध मुकदमे मे स्वर्गीय श्री वी० कृष्णा-
स्वामी अय्यर की बहस सुनने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय मे दौडा चला
जाता था । उनसे एक या दो बार भेट करने का अवसर भी मुझे मिला
था । उन भेंटो मे मैंने उन्हे आनन्ददायक और स्नेहशील व्यक्ति पाया
था । मनुष्य के जिन गुणो के वे सर्वाधिक प्रशंसक थे, वे गुण थे—दया-
लुता और सत्यनिष्ठता । निष्ठुरता और पाखण्ड तो उन्हे फूटी आँखो
नहीं सुहाते थे । वे बडे कुशल वक्ता और अच्छे लेखक थे । मुझे मद्रास
विश्वविद्यालय के सन् १९११ के दीक्षान्त-समारोह की अभी तक स्मृति है ।
उसमे उनका भाषण हुआ था । जब वे भारतीय सस्कृति की महानता
पर धाराप्रवाह भाषा मे भावावेश के साथ बोलने लगे, तब उन्होने अपने
श्रोताओ की विशाल सख्या की हृदयंत्री के तारो को भनभना
दिया था ।

*संस्कृत महाविद्यालय, माइलापुर (मद्रास) के स्वर्ण-जयन्ती
महोत्सव मे भाषण—२७ जनवरी, १९५७ ।

वकिमचन्द्र चटर्जी, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विवेकानन्द, अरविन्द, स्वामी श्रद्धानन्द तथा लोकमान्य तिलक आदि जिन महान् नेताओं ने गत गताब्दी में हमारी विचारधारा को नये मोड़ दिये, वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। आज फिर लोगों में संस्कृत-अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न होने लगी है।

कई भारतीय भाषाएँ तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, यहाँ तक कि द्रविड भाषाएँ भी उससे बहुत-कुछ प्रभावित हुई हैं। आज भी देश के विभिन्न भागों में, पण्डित-वर्ग के वार्तालाप का माध्यम संस्कृत ही है। संस्कृत साहित्य ने हमारे मन और आचरण को बहुत प्रभावित किया है। एशिया के विस्तृत भू-भाग में इस भाषा का प्रसार हो चुका है।

स्वर्गीय श्री वी० कृष्णास्वामी अय्यर ने हमारे प्राचीन साहित्य-ग्रंथों से कुछ प्रमुख कथाओं का संकलन 'आर्यचरितम्' नामक पुस्तक में किया था। महान् साहित्य-ग्रंथ हमारी मास-मज्जा में इस प्रकार रम गये हैं कि हम बहुधा यह भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ हैं, वह सब उन्हीं के बनाये हुए हैं। संस्कृत साहित्य ने मानवात्मा की गहराइयों को माप लिया है। हमारे महाकाव्य, पुराण, काव्य और नाटक शताब्दियों पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हैं और हमारे अनुभव के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। वे अनुभूति के किसी क्षण को, सौन्दर्य के किसी स्वप्न को, आनन्द के किसी स्फुरण को, पीड़ा की किसी कसक को, जिसको मनुष्य यों ही खो देना नहीं चाहता था, चिरस्थायी बना देते हैं। कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भावना के उच्च जिलसों को माप कर उनको हमारे लिए सहजगम्य बना दिया है। इन महान् लेखकों के पास कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे वे हममें से प्रत्येक स्त्री-पुरुष में उनके द्वारा भली प्रकार समझी जाने योग्य भाषा में बातें कर लेते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसके कुप्रभाव से मुक्त होने में और मस्तिष्क को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में वे हमारी सहायता करते हैं। यदि हम अपने युग की ही समस्याओं में उलझे रह गये, तो हम एक काल के बन्दी बनकर रह जाते हैं। हम एक ऐसा मस्तिष्क निर्मित कर लेंगे, जिसमें रहने की प्रत्येक सुविधाएँ तो होंगी, परन्तु उम्र में उन

आदर्शों का ही अभाव होगा जिनके लिए हम जीवित रहना चाहते हैं। सस्कृत के प्राचीन उच्च ग्रन्थ हमें उस गुप्त देश का मार्ग बताते हैं, जहाँ हमारी वास्तविक आत्मा निवास करती है। हमें जो छोटा-सा जीवन मिला है, उसका उपयोग हमें अपने भीतर की शाश्वत, विश्वव्यापक और आध्यात्मिक सत्ता की अभिव्यक्ति में करना है।

“मौनान् न स मुनिर्भवति नारण्यवसनान् मुनि ।

स्वलक्षण तु यो वेद स मुनि श्रेष्ठ उच्यते ॥”

मुनि वह नहीं है जो मौन धारण किये रहता है, न वही मुनि है जो अरण्य में निवास करता है, वरन् जो अपने स्वभाव को समझता है, उसी को श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। हमारे प्राचीन उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थ भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं।

महान् ग्रन्थ एक अर्थ में तो राष्ट्रीय होते हैं, किन्तु उनकी विशेषताएँ विश्वव्यापी होती हैं। यदि किसी साहित्य को साहित्य के नाते अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है, तो उसे अपनी कालगत विशिष्टताओं की सीमित सीमाओं के पार जाना ही होगा और उसे उन अनुभूतियों तथा भावों का चित्रण करने की चेष्टा करनी होगी, जो समस्त मानवता में समान रूप से पायी जाती हैं, तथा उसे मनुष्य में पायी जानेवाली अत्यावश्यक विश्वव्यापकता को प्रदर्शित करना होगा। केवल इसी प्रकार कोई राष्ट्रीय साहित्य अपने विशिष्ट स्वरूप को बनाये रखकर भी विश्वसाहित्य का अंग बन सकता है।

जिन हिन्दू धर्म-ग्रन्थों ने एक विशिष्ट जीवन-पथ का निर्देश किया है, वे मुख्यतः सस्कृत भाषा में ही लिखे गये हैं। वे हमें बताते हैं कि हिन्दू-धर्म केवल धार्मिक विश्वास (creed), धार्मिक मत या धार्मिक सस्कार नहीं है, वह इनसे भी अधिक कुछ है। वह एक वृत्ति है जो हमें व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज के जीवन को भी सगठित करने की प्रेरणा देती है। हिन्दू धर्म-संस्था को विभिन्न धार्मिक मतवादों—अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत—के आचार्यों के आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं। अन्य धार्मिक विचारों के प्रति आदर की भावना अहिंसा या प्रेम की ही अभिव्यक्ति है।

“अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च गास्त्रेभ्य कुशलो नरा ।

सर्वत मार आदद्यात् पुष्पेभ्य इव पट्पदा ॥”

जिस प्रकार मधुमक्षिका पुष्पो से मधु सग्रह करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्तियों को छोटे या बड़े, सभी धर्मशास्त्रों से सत्य को चुन लेना चाहिए ।

धार्मिक सिद्धान्तों की कट्टरता के नाम पर अनावश्यक और अनुचित रूप से बहुत-सा रक्तपात हुआ है ।

हम ऐसा ससार चाहते हैं जो क्षेत्रीय सस्कृतियों की रक्षा करता हो, हम ऐसा ससार नहीं चाहते, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक ही से वस्त्र पहनता है, एक ही से शब्द बोलता है और एक ही से विश्वास रखता है । हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, और वह यह कि हम राष्ट्रों का एक ऐसा विशाल परिवार बनाना चाहते हैं, जो गान्तिपूर्वक एक साथ मिल-कर रह सके और जिसका प्रत्येक सदस्य अपने-अपने विश्वासों के अनुसार आचरण कर सके तथा नियमानुमोदित न्याय के द्वारा जिसका नियमन हो सके ।

हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने प्राचीन ऋषियों की भावना के प्रति तो एकनिष्ठ रहे किन्तु युग की आवश्यकता के अनुसार उनके निर्देशों की भाषा में परिवर्तन कर डालें । हम एक पुराने प्रश्न को बार-बार दोहराते हैं, केवल इसीलिए यह सिद्ध नहीं होता कि वह प्रश्न भी वही है । प्रश्न अपने प्रसंगानुसार गढ़े जाते हैं । एक युग की बौद्धिक मान्यताएँ, अपने उसी रूप में, दूसरे युग की मान्यताएँ नहीं बन सकती । गत दो या तीन हजार वर्षों में भी हमारे जीवन में जितना परिवर्तन नहीं हुआ था, उमसे कहीं अधिक आधारभूत परिवर्तन हमारे जीवन की दशाओं में पिछले पचास वर्षों में हो गये हैं ।

सम्यक्ता कोई जड़ दशा नहीं है । यह मतत गतिशील है । हमें उत्तराधिकार में केवल महान् बनाने वाले तत्त्व ही नहीं प्राप्त हुए हैं, नरन् प्रतिगामिता, सकीर्णता और अनेकता की शक्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं । किसी पूर्वकथन को दोहराते रहने से ही हम किसी परंपरा को जीवित नहीं रख सकते, परंपरा को जीवित रखने की विधि यह है कि हम अपनी

समस्याओं का सामना उसी भावना से करे, जिस भावना से हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि अपनी समस्याओं का सामना करते थे। परंपरा के प्रति हमारा सम्मान इतनी अथभक्ति का रूप न ले लेवे कि हम स्वतंत्र रूप से विचार करना ही छोड़ बैठे और सत्ता के सम्मुख निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दे। हमारी न्याय-भावना के मार्ग में जो भी चीज बाधक बने, भले ही वह युग के इतिहास द्वारा सम्मानित रह चुकी हो या घनिष्टता के कारण पवित्र सस्कार का रूप ले चुकी हो, उसे दूर हटा फेंकना हमारा कर्तव्य है।

दक्षिण भारत के कई प्रख्यात पण्डित गण इस सस्था में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इसका कार्य और प्रभाव दृढता से बढ़ता आया है। भारत सरकार ने एक 'संस्कृत शिक्षा आयोग' की नियुक्ति कर दी है। आशा है, वह संस्कृत के अध्ययन में उन्नति करने के लिए उपाय सुझाएगा। देश के विभिन्न भागों में संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रयत्न हो रहे हैं। यहाँ, इस संस्कृत महाविद्यालय के अतिरिक्त 'कुप्पुस्वामी शास्त्री संस्कृत-अनुसन्धान विद्यापीठ' भी है। ये दोनों विस्तृत होकर एक महान् विद्यालय में परिणत हो सकते हैं और देश के इस भाग में संस्कृत विद्या के अध्ययन का सफल संयोजन कर सकते हैं।

अतीत को मत भूलो, भविष्य को देखो*

मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह जैसे ऐतिहासिक अवसर पर, विशिष्ट व्यक्तियों की इस सभा में भाषण करने के लिए आमन्त्रित करके आपने मेरा बड़ा सम्मान किया है। विश्वविद्यालय ने आज अपने प्रतिष्ठित स्नातको की सूची में मेरा नाम लिखकर मेरे साथ जो विशिष्ट व्यवहार किया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। अब मैं ५० वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय के १९०७ ई० के दीक्षान्त-समारोह में मैंने बी० ए० की उपाधि, जो मेरे जीवन में प्राप्त पहली उपाधि थी, ग्रहण की थी। अपनी एम० ए० की उपाधि मैंने सन् १९११ में ली। ये उपाधियाँ मेरी अर्जित थी, किन्तु आज की उपाधि तो अनुग्रहपूर्वक मुझे प्रदान की गई है, यत मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ।

अपने जीवन में मेरा कई विश्वविद्यालयों से संपर्क रहा है। मुझे यह प्रमाणित करते हुए हर्ष हो रहा है कि देश और विदेश में उस विश्वविद्यालय की बड़ी प्रतिष्ठा है। इस अवधि में उस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध जिन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व में रहा है, वे हमारी हादिक बधाई के पात्र हैं, विशेषतः इसके वर्तमान उपकुलपति, जो इस विश्वविद्यालय के साथ एक युग से भी अधिक समय से सक्रिय रूप से सम्बन्धित रहे हैं।

यह विश्वविद्यालय देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है। अपने

* मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में दीक्षान्त-भाषण—
२९ जनवरी, १९५७।

लम्बे जीवन-काल में इसने कई विशिष्ट कार्य किए हैं। दक्षिण भारत में कला, विज्ञान, चिकित्सा-गास्त्र, इंजीनियरिंग, शिक्षण तथा कानून की उच्चतर शिक्षा देने का उत्तरदायित्व इसी विश्वविद्यालय पर रहा है। इसी मातृ-संस्था में मैसूर, आन्ध्र, उस्मानिया, अन्नामलाई, त्रावनकोर और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय शाखा-रूप में विकसित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये नवीन विश्वविद्यालय भी शिक्षण तथा विद्याध्ययन का वही उच्च स्तर बनाए रखेंगे जिमके लिए मद्रास विश्वविद्यालय प्रस्थान है।

इस विश्वविद्यालय के स्नातक भारत के सभी भागों में विसरे हुए हैं। उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के कारण इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। इसने विज्ञान और साहित्य, शिक्षा और सामाजिक कार्य, प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इस देश को दिए हैं। हमारे समय में, 'रॉयल सोसाइटी' के प्रथम भारतीय सदस्य एम० रामानुजन् इसी विश्वविद्यालय में सम्बन्धित थे। उनकी नोटबुकों का अभी तक सावधानी से अध्ययन किया जा रहा है। उनके पञ्चात् इस विश्वविद्यालय के तीन स्नातक—चन्द्रशेखर व्यकट रमण, डॉ० कृष्णन् और चन्द्रशेखरन्—'रॉयल सोसाइटी' के ग्रहिसदस्य (Fellows) हुए। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय प्रोफेसर चन्द्रशेखर व्यकट रमण, जो अब भी महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानों में मग्न हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हैं। मद्रास विश्वविद्यालय ने हमारे देश को महान् प्रशासक भी प्रदान किये हैं, जिनके नाम सबको भरी-भरि ज्ञात हैं। भारत के अन्तिम गवर्नर-जनरल श्री चक्रवर्ती राज-गोपालाचारी, जो एक लम्बे समय में देश की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की आलोचनाएँ हुई हैं, परन्तु उनके होने हुए भी, यह कहा जा सकता है कि मद्रास विश्वविद्यालय का कार्य अच्छा रहा है।

आज यहाँ एकत्र विद्वान् श्रोताओं को विस्तार में यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि प्राचीन काल में ही दक्षिण भारतीयों ने वैज्ञानिक

साहसिकता और अग्रगामिता की भावना का प्रदर्शन करके बहुत नाम कमाया है। ईसापूर्व दूसरी शताब्दी में काञ्ची में चीन का जो सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल आया था, उसके अभिलेखों से यह प्रकट है कि दक्षिण भारत और चीन में आवागमन का सम्बन्ध बना हुआ था। लगभग उसी समय की एक मुद्रा मैसूर के चन्द्रवल्ली नामक स्थान में प्राप्त हुई है। हिन्दुचीन और आर्किपेलागो के राज्यों का दक्षिण भारत से सक्रिय संपर्क था। कई बौद्ध भिक्षु दक्षिण भारत से चीन और अन्य देशों में गए थे और बुद्ध भगवान् का सन्देश फैलाने के लिए उन्हीं देशों में स्थायी रूप से बस गए थे। चीनी इतिहासकारों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि षठी शती ईस्वी में काञ्ची के पल्लव राजाओं और चीनी शासकों के मध्य दौत्य सम्बन्ध स्थापित थे।

दक्षिण भारत से कई शताब्दियों तक भारतीय जावा में जा-जाकर बसते रहे। परिणाम यह हुआ कि सातवीं शती ईस्वी में एक हिन्दू जावाई सभ्यता पुष्पित-पल्लवित होने लगी। जावा की हिन्दू रग में रंगी सभ्यता के सर्वाधिक लोकप्रिय सन्त हुए, अगस्त्य। आठवीं शताब्दी के मध्य में कुछ ही पहले सुमात्रा (सुवर्णाद्वीप) में एक हिन्दू-बौद्ध राज्य स्थापित हो गया था जिसकी राजधानी श्रीविजय में थी और जैलेन्द्र-वर्ग के राजाओं का उस पर शासन था। जैलेन्द्र राजागण आर्किपेलागो में भारतीय सभ्यता के सबसे अधिक उत्साही प्रचारक थे। उनके शासन-काल में बौद्धधर्म जावा का एक प्रमुख धर्म बन गया था। बोरोबुदुर का मन्दिर बनवाने का श्रेय इन्हीं राजाओं को है। इस मन्दिर का जड सौन्दर्य सर्वोत्तम कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसी सर्वोत्तम कला तपस्या का ही फल होती है। तपस्या नाम और प्रसिद्धि की मारी लालसा को मिटाकर, व्यक्ति में जो सर्वोत्तम होता है, उसको प्रेम और भक्ति के माध्यम से उड़ेल देने के लिए कलाकार को प्रेरित करती है। मन्दिर के चरण-प्रान्त में जो प्रस्तर-लेख अंकित हैं, वे प्राचीन जावाई लिपि में हैं, जो एक दक्षिण भारतीय लिपि में, जिसे पल्लव लिपि कहते हैं, निकली थी। प्राम्बनन में, उसी काल में निर्मित जैव मन्दिर भी हैं। उनकी भित्तियाँ उद्भूत चित्रों (Reliefs) से नजायी गयी हैं, जिनमें रामायण की कथा अंकित

की गयी है। शैलेन्द्र काल के दो राजकीय धर्म थे—वैदिक और जैव। दक्षिण भारत के विद्वान् तथा उपदेशक सुदूर देशों में जाकर भी अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहे हैं।

अतीत की हमारी गाथाएँ हमें याद दिलाती हैं कि उस समय हममें स्वतंत्रता, सम्मान, बन्धुत्व, और सद्भावना जैसे आध्यात्मिक गुण थे। इन गुणों के कारण हम अपने को ऐक्यसूत्र में आवद्ध समझते थे और अपने ऐश्वर्य का उपभोग हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर करते थे। जब तक इन गुणों से हम स्पन्दित रहे, हम शताब्दियों तक समृद्ध होते रहे, किन्तु भयभीत और उद्वेग लीनों ने जब इन गुणों को अतल-तल में डुबो दिया, तभी से हमारा पतन प्रारम्भ हुआ। इन लोगों ने हमारे मन को सन्देह और भय से भर दिया और हमारी दृष्टि को इन्होंने दुर्भावना के मेघों से आच्छादित कर लिया। यदि हम अपनी अग्रगामिता, नेतृत्व, साहसिकता और अध्यक्ष-भावना को बनाये रखें तथा उस आस्था और आदर्श को भी न भूले जिन्होंने प्रारम्भिक शताब्दियों में हमसे कई महान् कार्य करा लिये, यदि हम उन पूर्वाग्रहों को हटा फेंके, जो हमें एक-दूसरे से अलग करते हैं, तो हमें ससार में भयभीत होने का कोई उचित कारण नहीं दीखता। हम निर्वैयक्तिक शक्तियों के, जिनको हम समझते नहीं, तथा जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, हाथ के असहाय खिलौने नहीं हैं। हम चीजों का भविष्य निर्माण करने में भी भाग ले सकते हैं।

इतिहास के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। कोई इसे चक्राकार (Cyclical) बताता है, कोई रेखाकार (Linear) और कोई कुन्तलाकार (Spiral)। यूनानियों का विश्वास था कि इतिहास की गति चक्राकार है और वह कतिपय निर्वैयक्तिक नियमों से परिचालित है। 'एन्विलजियास्टीज' के उपदेशक की दृष्टि में यह आया कि "जो चीज हो चुकी है, वही आगे भी होगी, जो चीज की जा चुकी है वही चीज आगे भी की जाएगी।" और ससार में नयी कही जाने योग्य कोई वस्तु नहीं है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का यह विचार है कि इतिहास ब्रह्माण्ड की अनुकृति का ही उद्घाटन है, यह ईश्वर की एक क्रिया है

जो मृष्टि-रचना के समय प्रारम्भ हुई थी और कयामत (निर्णय-दिवस) के दिन तक चलेगी। कयामत का यह अन्तिम दिन उस विधि-लेख को पढ़ेगा जो मृष्टि-रचना के समय लिखा गया था। चीनियों का विश्वास था कि इतिहास एक सामान्य वस्तु (theme) में उत्पन्न की गयी विविधताओं की अविरत शृंखला है। इतिहास को कुन्तलाकार मानने वालों के मन से इतिहास डूबती-उतराती-भँवर में फँसती, अधगतियों से टकराती, पुनः पीछे लौटती एक प्रक्रिया है, जो इसी गति से चलकर उच्चतर लक्ष्य पर पहुँचती है। हममें से कई लोग वैज्ञानिक विचारों से अभिभूत होकर यह सोचने लगते हैं कि ऐतिहासिक निश्चयवाद (historical determinism) जैसी भी कोई चीज होती है। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि इतिहास एक अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित प्रवाह है और अस्थिरता या चञ्चलता ही उसकी प्रधान विशेषता है। एक अन्य विचार धारा भी है जो इतिहास को हमारे आदर्शों और विचारों, आशाओं और भयों, महत्वाकांक्षाओं और नीतियों का प्रतिफलन मानता है। यह कई कारणों के मेल से उत्पन्न होता है। इनमें से कुछ कारण आवश्यक होते हैं और कुछ आकस्मिक। मानवीय आत्मा की शक्ति एक अत्यावश्यक तत्त्व है। मनुष्यों और वस्तुओं में एक आधारभूत अन्तर है। हम जो चाहते हैं उसी को करने के लिए मनुष्यों को बाध्य नहीं कर सकते। अपनी इच्छा के विरुद्ध और दूसरे की वलात् थोपी हुई इच्छा के अनुकूल कार्य करने की अपेक्षा वे मर जाना अधिक पसन्द करेंगे। मानवीय प्रकृति में अनिश्चय-यात्मकता का भी एक तत्त्व होता है। वह किसी एक वस्तु से ही चिपककर नहीं रहना चाहता। उसके इस स्वभाव में अमीम सम्भावनाएँ निहित हैं। मुकरान, बुद्ध, ईसामसीह जैसे महान् नेता मानव जाति को कुछ नयी वस्तु देने और मानव के विकास में नवीन स्तरों का उद्घाटन करने हैं 'राजा कालस्य कारणम्।' इतिहास के निर्माण में मनुष्य का वास्तविक हाथ होता है। वह कई वैकल्पिक विकासों में से चाहे जिस विकास-क्रम को अपने लिए चुन सकता है। हम जो कुछ अभी करेंगे, उसी के अनुमान भविष्य अर्थात् या नुरा बनेगा। मानव जीवन में स्वतंत्रता और आवश्यकता का चोली-दामन का साथ है। वे अनयोन्यायित हैं। यही

बात इतिहास में भी है। कोई चीज ऐसी नहीं, जो अपरिहार्य हो। जब घटनाएँ घट जाती हैं, तब वे भूतकाल की कहलाने लगती हैं, किन्तु जब तक वे घटती नहीं, तब तक हम पहले से ही उनके विषय में कुछ नहीं जान सकते। एक युग के पश्चात् दूसरा युग सामान्य क्रम से नहीं आता, वरन् कभी कभी तो वह निरन्तरता का क्रम बीच में ही तोड़ देता है और नये ढंग से व्यवस्था-क्रम स्थापित करता है। हम इतिहास में निरन्तरता और नवीनता—दोनों ही बातें पाते हैं। व्यक्तियों की उपेक्षा करके हम केवल इतिहास के नियमों पर विचार नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा अपने व्यवहार में स्वतंत्र है। समाज में रहते हुए मनुष्य जो व्यवहार करता है, उसका अध्ययन नपे-तुले विज्ञान का रूप नहीं ले सकता। मनुष्य का भविष्य मनुष्य ही है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही हम अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

यदि ससार अव्यवस्थित और अस्थिर है, तो उसके इस रूप में हमारे मन का ही प्रतिबिम्ब दिखायी देता है। हमारी पीढ़ी विद्रोह नहीं कर रही, बल्कि पीछे हट रही है। यह सच है कि सभी युगों को सन्देह और अनिश्चितता की स्थिति में से गुजरना पड़ा है। यह कहा जाता है कि मनुष्य की भ्रष्टा उसी दिन आरम्भ हुई जिस दिन वह दूसरे मनुष्य से मिला था। संभव है कि अन्य युगों को इस युग से भी अधिक निराशामय और भयावह समय देखना पड़ा हो। हमारे युग में घटनाएँ अधिक तीव्र गति से घटित हो रही हैं। पूर्व युगों में लोगों के पास अवकाश अधिक था। परिवर्तन होते थे, पर धीरे-धीरे, मन्थर गति से। इस युग में परिवर्तन जल्दी-जल्दी हो रहे हैं। हम व्यग्रता और सभ्रम के वातावरण में रह रहे हैं, नैतिक दृष्टि से हम भटक रहे हैं। औपधि, यात्रिकी, उद्योग, कृषि और युद्ध के क्षेत्र में जो व्यावहारिक सफलताएँ मिल चुकी हैं, वे इतनी चमत्कारिक हैं कि हमको यह विश्वास-सा होने लगा है कि वैज्ञानिकों के इन आश्चर्यपूर्ण कार्यों से हमारे आनन्द में वृद्धि होगी, किन्तु उनका जो रूप व्यवहार में हमें देखने को मिला है, उससे तो हमारे कान खड़े हो गये हैं और हम इस समय विपमता, सक्रांति, विरोधाभास तथा अनिश्चितता की स्थिति में पड़े हुए हैं।

हमारे क्लेश का कारण यह है कि हमारी जड़ उखड़ चुकी है। हम अपने आध्यात्मिक मूलाधार से जिससे हमें सहारा और सन्तुलन प्राप्त होते हैं, अलग जा पड़े हैं। हममें से कई लोग अपने ऐतिहासिक मूल को भुला बैठे हैं और हमारे अतीत से वे निर्वासित हो चुके हैं। समय की दृष्टि से जो चीजे हमारे निकटतम हैं, वे आत्मिक दृष्टि से हमारे निकटतम नहीं हैं। इतिहास के ऊपरी तल के फेन का उतना महत्त्व नहीं है जितना महत्त्व उसकी गहराई में प्रवाहित होनेवाली अन्तर्धाराओं का है। इन्हीं अन्तर्धाराओं ने हमें बल और ओज प्रदान किया है जिनसे हम इतनी शताब्दियों तक जीवित रह सके हैं। यदि हम स्वयं आत्म-विश्वास खो दें, तो दूसरों का विश्वास अपने में नहीं बनाये रख सकते। हम मानव-प्रकृति का पुनर्नवीकरण चाहते हैं, उसका रचनात्मक रूपान्तरण चाहते हैं, जिससे हम भय और पीडा, निराशा और असहायता के चंगुल से छूट सकें। इससे हम नये ससार के निर्माण के लिए वीरतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। इस नये ससार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी से गहरा सम्बन्ध है। हम कलाओं और साहित्यिक समालोचना तक को विज्ञान की श्रेणी में गिनना चाह रहे हैं। कुछ दार्शनिक दर्शन-शास्त्र को तार्किक विश्लेषण तक सीमित कर देना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म को भ्रम मानते हैं। विज्ञान का इस प्रकार का अनुस्थापन सभ्यता के मूल्यों (values) को ही अस्तव्यस्त कर दे सकता है।

फिर भी, विज्ञान के निष्कर्षों और धर्म के सिद्धान्तों में कोई विभेद नहीं है। दोनों ही सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, यद्यपि दोनों के वहाँ तक पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। क्योंकि ईश्वर ही सत्य है—सत्यस्वरूप है, अतः सत्य की खोज ईश्वर की ही खोज है। मनुष्य ने मशीन को बनाया है, इसलिए वह मशीन से बड़ा है। जो अणु का विस्फोट करता है, वह अणु से बड़ा है। विज्ञान भूद्रव्य (matter) की सर्वशक्तिमत्ता नहीं प्रकट करता, वह तो मनुष्य की आत्मा की परमश्रेष्ठता को ही प्रकट करता है। जो आत्मा मनुष्यों के मन में स्पन्दित रहती है और जो उनको इस अन्वेषण में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करती है, वह देवी आत्मा है। 'ब्रह्म' शब्द उस सत्य का सूत्रक है जिसका अन्वेषण

किया जाता है और उस आत्मा का भी सूचक है जो सत्य का अन्वेषण करती है। यदि हम संसार को वैज्ञानिक दृष्टि से देखे, तो हमें उसमें एक केन्द्रीय रहस्य का पता चलता है। विज्ञान अभी तक अपने प्रयोगों के द्वारा उस रहस्य की भाँकी नहीं ले सका है। उस रहस्य के प्रति हमको पवित्र भावना, विनय और भक्ति रखनी चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सत्य तो ईश्वर से सम्बन्धित है और विचारों का सम्बन्ध मनुष्य से है। ईश्वर के रहस्य के साथ असहिष्णुता के विषय की सङ्गति नहीं बैठती। धार्मिक सिद्धान्तों के नाम पर अनावश्यक और अनुचित रक्तपात बहुत अधिक हुआ है। विभिन्न धर्म मनुष्य की महान् आध्यात्मिक उपलब्धियों हैं। हमें मनुष्य के केवल एक विशेष उत्पादन पर ही गर्व नहीं करना चाहिए, वरन् सभी पर, क्योंकि हम सब, प्रत्येक महान् धर्म में, अलग-अलग मार्गों से एक ही लक्ष्य पर पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं और इस नाते हम सहयात्री हैं। तिरुक्कुरल को जैनधर्म, बौद्धधर्म और हिन्दूधर्म—तीनों ही अपना तीर्थस्थान बताते हैं। वह हमें एक विश्व-व्यापी मानवता में दीक्षित करता है। सच्चा धर्म चाहता है कि हम अपनी सहानुभूति अपने से भिन्न मत रखनेवालों को भी दे। धार्मिक अभिमान के कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा अपना धर्म ही सच्चा धर्म है, 'जनता बस हमी है, और सारी विवेक-बुद्धि हमारे साथ ही मर जाएगी।'

विज्ञान ईश्वर-सम्बन्धी हमारी धारणाओं को विस्तृत करता है और धर्म विज्ञान को पथ-भ्रष्ट होने से बचाता है। धर्म की परिणति युद्धों और धार्मिक मुकद्दमों में नहीं होनी चाहिए, और न विज्ञान की परिणति हिरोगिमा तथा नागासाकी में। कहते हैं कि धर्मरहित मनुष्य वैसा ही है जैसा कि बल्गारहित अश्व। हमें धर्म के अनुशासन की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा स्वभाव सम्भव बन सके, हम अपने लोभ को, अपनी कठोरता और निर्दयता को सवरण कर सकें। फिर भी, धर्म की व्याख्या सकुचित, साम्प्रदायिक एवं कट्टर अर्थ में नहीं की जानी चाहिए। धर्म की व्याख्या उदार होनी चाहिए, जैसी कि हमारे ऋषियों, भक्तों, नायनारों आलवारों तथा आचार्यों ने की है। उन्होंने एक स्वर से कहा है कि हम

एक व्यवस्थित सप्ताह की रचना तब तक नहीं कर सकेंगे, जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। आज हम जिस विश्व खलित तथा भ्रमित समाज में रह रहे हैं, उसमें हमें उन आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन बिताना चाहिये जिनको धार्मिक विचारकों ने हमारे सम्मुख रखा है। हम जान्ति केवल तभी पा सकते हैं, जब हममें त्याग करने का साहस हो। बीमारी, गरीबी या मृत्यु के कारण हम यह अनुभव करने लगते हैं कि नसार हमारे लिए नहीं बना है। हमारे स्वप्न चाहे जितने सुन्दर हो, किन्तु यदि परिस्थितियाँ चाहे तो हमें उनको प्राप्त नहीं करने दे सकती। ऐसी दशा में हमें सबसे अधिक जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, वह है साहस।

धर्म का उद्देश्य लोगों की सम्मतियों को ही बदलना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देना। हमें अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। विचार में तो हम धार्मिक माँगों को स्वीकार करते हैं, किन्तु आचार में उनकी उपेक्षा कर देते हैं। परम तत्त्व का केवल मैथिलान्तिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है—“वाक्यार्थं ज्ञानमात्रात् न प्रसृतम्।” प्रभु ईसामसीह ने कहा था—“वह प्रत्येक व्यक्ति जो मुझमें ‘प्रभु’ ‘प्रभु’ कहता है, स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें तो प्रवेश वही कर सकता है जो स्वर्ग में रहनेवाले मेरे पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हम अच्छे हैं या बुरे, इसकी परख हमारे शब्दों में नहीं, हमारे कार्यों से होगी। उच्च स्वर से की गयी घोषणाओं से नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक कर्मों में हमारी परीक्षा होगी। एक अंग्रेज कवि ने लिखा है—

ज्ञान हम चाहें नहीं,
ज्ञान तो तुमने दिया है,
किन्तु प्रभु मरुत्प—
मरुत्प, बस मरुत्प हमको चाहिए।
नक्ति दो ऐसी कि इच्छाएँ दवा,
कर्मरत हों, कर्मरत हम हो।¹

¹ Knowledge we ask not—knowledge Thou hast lent.
But Lord, the will—there lies our bitter need. Grant us
to build, above the deep intent the deed, the deed

धार्मिक व्यक्ति का कार्य है कि वह झकझोरे, उसका कर्तव्य है कि वह सोते हुआ को जगाये, सनातन धर्म के स्तम्भों को हिलाये। वह अपने समय की उपज है, साथ ही वह अपने समय का उपदेशक भी है। वह ऐसा हो कि जब हम उसकी बातें सुनें, तो हमारे हृदय में मन्थन हो, जिन बातों को हमने अपने स्वभाव का अंग बना लिया है, उनकी सत्यता के विषय में भी हम एक बार सन्देहशील हो उठें। धार्मिक व्यक्ति हमारे कथनी और करनी के अन्तर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

हम सामाजिक विभेदों और असहमतियों के शिकार हैं। हमारी नीयत चाहे जितनी ठीक हो, हमारी जनता में अभी वह भावात्मक एकता है ही नहीं। जाति-भेद तथा जातियों में ऊँच-नीच की भावना अभी तक हम पर हावी है।

धर्म दार्शनिकों और अध्यात्मवादियों की ही बपीती नहीं है। वह साधारण मनुष्य के लिए भी बना है। एक ऐसे संसार में, जो भयावह रूप से पथभ्रान्त हो चुका है तथा अज्ञान है, साधारण जन को भी पवित्रता की भावना अपने भीतर लाने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत में भक्ति-संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज भी हम देखते हैं कि भक्त लोग एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करते हैं और अपने मन्दिरों तक जाते समय मार्ग में मन्त्र-पाठ करते तथा भजन गाते जाते हैं।" हे ईश्वर! मेरे भीतर जो 'मैं' है, उसे तू नष्ट कर और उसके स्थान पर तू आ विराज। हे भगवन्! जो कुछ मेरा है, वह तेरा ही तो है।" सच्चा दान तो आत्मदान ही है। मुहम्मद साहब को जीवन का तत्त्व इस्लाम में— अर्थात् ईश्वर की इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पण करने में दिखायी दिया। सभी धर्म प्रार्थना के महत्व पर बल देते हैं। मुहम्मद साहब ने तो इसे सब चीजों से अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को पाँच बार नमाज पढ़ने पर जोर दिया और समस्त संसार को ही प्रार्थना-भवन में बदल दिया। भक्तों ने, जिन्होंने अपने युग के माहित्य की रचना की है, ईश्वर को दरिद्रनारायण कहकर उसका गान किया है। ईश्वर की अपनी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह मानवीय आवश्यकताओं के

रूप में अपने को मूर्त करता है, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। उसको भूख नहीं लगती, फिर भी, वह रोटी मागने के लिए हमारे द्वार आता है, ताकि हम उसे रोटी दे सकें। वह एक भिक्षुक के रूप में हमारे द्वार पर इसलिए आता है कि हम उसकी भोली भर सकें। ईसा ने कहा है— “मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन कराया, मैं प्यासा था, और तुमने मेरी प्यास बुझायी।”

भक्ति-आन्दोलन लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा रखता है। ‘नास्ति तेपु जाति-विद्या-रूप-कुल-धन-क्रियादि-विभेदः’।* भक्तों में जाति, विद्या, शारीरिक सौन्दर्य, कुल, संपत्ति और व्यवसाय का कोई भेद नहीं माना जाता। ‘हरि को भजे सो हरि का होई।’ हमारे देश में मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु बन गया है, क्योंकि वह सत्य से विलग हो चुका है और उसकी आत्मा तमाच्छन्न हो गयी है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक अन्याय के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है। जाति-बन्धन भी ढीला पड़ रहा है और सभी स्त्रियो-पुरुषों को समानाधिकार देने का प्रयत्न हो रहा है।

धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करने का परिणाम यह होना चाहिए कि हमारे राजनीतिक जीवन में चाहे जितने उत्थान-पतन हो अथवा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में चाहे जो मोड़ या घुमाव आवें, हमारी मानसिक शान्ति और हमारी आस्था उनके कारण विचलित न हो। हमको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमको चाहे जितना उकसाया जाय, पर हमें गाली-गलौज और रोपपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न अपने व्यवहार में कड़वाहट लानी चाहिए। जो काम हमें करने नहीं हैं उनके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। हमारा तो काम केवल यह है कि इतिहास ने हम पर जो उत्तरदायित्व डाला है, उसको पूरा करे और यथाशक्ति अच्छी तरह पूरा करें। हम चाहे या न चाहे, परन्तु हमें युग के प्रवाह में तो आगे बढ़ना ही है। यदि हम आगे बढ़नेवाले अपने विकास को नहीं स्वीकार

*नारदभक्ति सूत्र, ७२

करते, यदि हम इसको अस्वीकार कर देते हैं और पीछे लौट जाना चाहते हैं, तो हम अपने-आप में ही विभक्त हो जाएंगे, हम दो आवेगों (impulses) के बीच टूक-टूक हो जाएंगे, अपनी शक्ति का अपव्यय करेंगे और हमारा स्वभाव दो विरोधी शक्तियों का सघर्ष-स्थल बन जाएगा, हमारे अन्तर में ही फूट पड़ जाएगी। हमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे भूत की अपेक्षा अधिक अच्छा होगा। हम अपने बीते हुए कल को न भूलें, परन्तु हमें काम तो करना है आगामी कल के लिए।

इस अगान्त आधुनिक ससार में, जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एक पड़ोस के रूप में परिवर्तित कर दिया है, यह विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय अपने सयुक्त प्रयत्नों के द्वारा शान्ति और सहानुभूति के वातावरण का विकास कर सकते हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसा साहचर्य है जो अतीत की उपलब्धियों की प्रशंसा करता हुआ भी आगे आने वाले भविष्य की समृद्धि में विश्वास करता है, यह ऐसा साहचर्य है जो प्रजाति और राष्ट्र, श्रेणी और मप्रदाय की सारी बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए भी, नाना प्रकार के लोगों की कलात्मक और बौद्धिक परंपराओं का सम्मान करता है। विद्वान् और वैज्ञानिक अपने-अपने देशों में व्याप्त राजनीतिक भावावेशों से सदा ही अप्रभावित नहीं रहते, किन्तु ज्ञान-प्राप्ति की अपनी साधना में, अपने समय तथा विराग के कारण वे उन भावावेशों से ऊपर उठ सकते हैं और अपने राजनीतिक शत्रु में अपने व्यावसायिक सहकर्मी के दर्शन कर सकते हैं। कम से कम विश्वविद्यालयों में तो अवश्य ही, हमें राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और निरपेक्ष अन्वेषण की शुद्ध वायु में सास लेनी चाहिए।

प्रत्येक विश्वविद्यालय के नेताओं को मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें अपना समस्त कौशल, समस्त धैर्य और समस्त सकल्प केवल अपने देश के ही नहीं, वरन् ससार के भविष्य को लोकतांत्रिक पद्धति पर निर्मित करने में लगा देना चाहिए। यदि इस विश्वविद्यालय में आस्था की कमी नहीं है, और आगे आनेवाले वर्षों में

यह विद्वान्, गुणवान्, कुशल न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और चरित्रवान् नर-
नारियो को उत्पन्न करता है, तो हम असहनीय को भी सह लेगे, असं-
भव को भी सभव बना देगे और इस पृथ्वी पर सत्य, न्याय तथा प्रेम का
शासन स्थापित कर देगे ।

सभी धर्मों का सम्मान करें*

मैं प्रोफेसर तोयन्बी (Toynbee) और डॉक्टर पेनफील्ड (Penfield) को कैसे यह बताऊ कि आज उनके द्वारा हमारी अधि-सदस्यता (fellowship) ग्रहण करने पर हमें कितनी प्रसन्नता हुई है !

प्रोफेसर तोयन्बी ने दस जिल्दों में जो विशाल और उत्कृष्ट ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, उस पर कोई टिप्पणी करने का मैं अपने को योग्य अधिकारी नहीं समझता । मैंने उन जिल्दों को और उनके कुछ अन्य ग्रंथों को पढ़ा है और उनसे लाभान्वित हुआ हूँ । अभी-अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यक शिक्षितों को सामान्य जनता की स्थिति में उन्नति करने का भारी उत्तरदायित्व पूरा करना है । जो लोग सत्ता और सुविधा वाले पदों पर आसीन हैं, उनको जनता की आर्थिक प्रगति को अधिक तीव्र बनाने के लिए यथा-शक्ति और त्याग की भावना से कार्य करना चाहिए एक ऐसे युग में जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों में अन्धश्रद्धा हो गई है और जिसमें मनुष्य तथा ससार की आध्यात्मिकता की भावना विलुप्त हो गयी है, नये ससार की आशा एकमात्र धर्म पर टिकी है । हम आज अहंकार से पीड़ित हैं । इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें इसके

*दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षान्त-समारोह में कुलपति के रूप में भाषण—१६ फरवरी, १९५७ । इस समारोह में प्रोफेसर आर्नल्ड तोयन्बी और डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड को दिल्ली विश्वविद्यालय की सम्मानित उपाधि प्रदान की गयी थी ।

विपरीत गुण विनय का आश्रय लेना चाहिए। आत्मकेन्द्रित हो जाना आत्म-विनाश है। आज के ससार में फैली हुई विभ्रत खलता की चुनौती का सामना केवल आध्यात्मिक पुनर्जागरण से ही किया जा सकता है। “आपका पुनर्जन्म होना चाहिए।” विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह सारा वैभव केवल बीने मानव को जन्म दे सकता है, पूर्ण मानव का निर्माण नहीं कर सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी केवल वही मशीने बना सकती है जिनमें मनुष्य ने अपनी बुद्धि और इच्छा का प्रयोग किया है।

जैसा कि डॉ० पेनफील्ड ने कहा है, विज्ञान जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया है और न वह मानवीय सम्बन्धों की पहली को सुलझा पाया है। इतिहास इसका साक्षी है कि जब तक हम आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति उद्बुद्ध रहे हैं, तभी तक हमने प्रगति की है; जब-जब वे आदर्श धुंधले पड़े हैं, तभी प्रगति के कदम लडखडाये हैं।

आज जब कि संसार विता-ग्रस्त स्थिति में है और अधिकांश व्यक्ति घटनाओं की प्रगति के सामने अपने को असहाय अनुभव कर रहे हैं तब प्रोफेसर तोयन्वी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इतिहास की रचना में व्यक्ति का बड़ा हाथ है। मनुष्य अपने उपयोग में आनेवाली वस्तुओं की तरह जड़ नहीं है। उसमें आत्मा का स्फुलिंग है, वह ईश्वर की प्रति-मूर्ति है। मानव स्वभाव अनिश्चित होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि किस समय मनुष्य क्या व्यवहार कर बैठेगा। उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसके कार्यों में आकस्मिकता पाई जाती है। मानव इतिहास में कोई वस्तु अपरिहार्य नहीं है। न तो प्रगति ही जीवन का नियम है और न पतन ही। भविष्य हमारे सामने है। मनुष्य जाति चाहे तो अपना सर्वनाश कर सकती है, या चाहे तो एक परिवार के रूप में संगठित हो सकती है। हम अपने भविष्य को गरिमामय भी बना सकते हैं और शोकपूर्ण भी। यदि हमने विद्वत् की इच्छा से सहयोग करना है, तो हमें आधुनिक प्रभुसत्तात्मक राष्ट्रों की अहम्न्यता को त्यागना होगा, समाज को एक गाँव तक ही सीमित मानना छोड़ना पड़ेगा और विश्व-समाज के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी होगी। कुछ भी हो, ससार में प्रजाति (race) तो केवल एक है और वह है—मानवता।

प्रो० तोयन्वी ने इस बात पर बल दिया है कि हमको अपने धर्म को अनन्य नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अनूठे, अन्तिम अपूर्व, अनन्य और अतुलनीय सत्य की ठेकेदारी केवल हमारे पास है। यदि हमारा विचार ऐसा रहा तो हम में अन्य धर्मों और उनके अनुयायियों के प्रति निश्चय ही घृणा उत्पन्न हो सकती है। प्रो० तोयन्वी धर्म के सकुचित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के विरुद्ध अपना मन्तव्य प्रगट करते रहे हैं, वे इस बात पर जोर देते रहे हैं कि विविध प्रकार की धार्मिक परंपराओं का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मनुष्य का संपर्क अतिम आध्यात्मिक वास्तविकता से हो जाता है। उच्च कोटि के धर्म परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं होते, वरन् एक-दूसरे के पूरक होते हैं। उनमें से प्रत्येक मनुष्य के हृदय को एक उच्चतर ससार में ले जा सकता है और मानव-प्रकृति को प्रेम का अभ्यास करने तथा घृणा का त्याग करने की ओर उन्मुख कर सकता है।

यह हमारी परंपरा है कि हम धर्म को आवश्यक मानते हैं, अपना भविष्य निर्माण करने के लिए मानव-आत्मा को स्वतंत्रता देने का हम समर्थन करते हैं और हम यह मानते हैं कि भिन्न-भिन्न धार्मिक विश्वास भी साथ-साथ रह सकते हैं। प्रो० तोयन्वी की पुस्तकें इस बात पर बल देती हैं। आज हम इस विश्वविद्यालय का सदस्य बनने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।

धर्म चाहे जो स्वरूप ग्रहण करे, चाहे जो भाषा वह बोले, चाहे जिन विचारों के प्रति उसकी आस्था हो, परन्तु एक बात वह कहे बिना नहीं रह सकता और वह है—पीडित मानवता के प्रति हृदय में कृपा रखने की बात।

ईश्वर को 'वैद्यनाथ' कहा गया है। डॉ० वाइल्डर पेनफील्ड एक ऐसे व्यक्ति के जीवित उदाहरण हैं जिसका जीवन दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए समर्पित हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि डॉ० पेनफील्ड ने स्नायविक संस्थान के अध्ययन (Neurology) और मस्तिष्क की गल्यक्रिया के सम्बन्ध में कितना शानदार काम किया है, यह भी सर्वविदित है कि उन्होंने मनुष्य के सुख-साधनों में कितने प्रकार से वृद्धि करने की

चेष्टा की है और इस सबके लिए उनका कितना सम्मान किया जाता है।

गत पचास वर्षों में औषधि-विज्ञान और शल्यविज्ञान ने नाटकीय प्रगति की है। इस अवधि में मनुष्य के जीवन में बीस वर्षों से अधिक की वृद्धि हो गई है। इस युग में नयी-नयी औषधियों का आविष्कार हुआ है जिनमें सल्फा-समूह की औषधियों तथा ऐन्टीबायोटिक्स का नाम लिया जा सकता है, चिकित्सा की नयी विधियों की खोज हुई, जैसे एक्स-रे, रेडियम और उससे उत्पन्न अन्य विधियाँ। इन्होंने रोगों की चिकित्सा में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है। भविष्य में भी बहुत बड़े-बड़े और दूर तक प्रभाव डालने वाले परिवर्तन होने की आशा की जाती है। उदाहरणतः न्यूक्लियर भौतिकी (Nuclear Physics) के क्षेत्र में जितनी शीघ्रता से विकास हो रहा है, उससे रोगों के निदान और उनकी चिकित्सा में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। मेरा विचार है कि रोगों पर विजय पाने की दिशा में हमारा शोध-कार्य सृष्टि के अन्त तक चलता रहेगा। जो चीज पूरी तरह पाई नहीं जा सकती, उसको पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहिए।

इन सब वर्षों में औषधि सम्बन्धी ज्ञान और कुशलता में जो वृद्धि हुई है, हम भारतवासियों ने केवल उसका लाभ ही उठाया है, स्वयं उम्र ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं की। किन्तु, क्योंकि अब उच्चतर शिक्षा और अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, अतः मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ के चिकित्सक औषधि-विज्ञान का प्रसार करना ही नहीं, उसमें वृद्धि करना ही अपना कर्तव्य समझेंगे। प्रत्येक अध्यापक के दो कार्य होते हैं— प्रवचन और स्वाध्याय।

अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, किन्तु विशेषज्ञ को कुशल प्रविधिविज्ञ (टेक्नीशियन) नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर पेनफील्ड की रुचियाँ विभिन्न हैं। फुटबाल खेल से लेकर उपन्यास पढ़ने तक उनकी रुचि विस्तृत है। उम्र कारण से वे न केवल नसार के सबसे बड़े मस्तिष्कशल्य चिकित्सक हैं, वरन् उनका व्यक्तित्व भी कोमल तथा आकर्षक है, इनमें गभीरता है, पर कठोरता नहीं। यद्यपि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तथापि आज उनका

‘महानतम कनाडावासी’ कहा जाता है। इन्होंने विश्व के विभिन्न भागों के लिए जितनी सेवाएँ की हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विद्वन्मण्डली से इनको जो सम्मान मिले हैं, उनको देखते हुए इनको ससार का एक महान् नागरिक कहा जा सकता है। ससार के हर भाग से विद्यार्थी और रोगी इनके पास जाते हैं। आज जब हम अपने देश से रोग, गन्दगी और अन्धविश्वास को भाड-बुहार कर फेंकने की चेष्टा कर रहे हैं तब इनका हमारे यहाँ पधारना हमारे लिए अत्यन्त लाभकर है। ईश्वर करे, ससार को बहुत वर्षों तक इनके बुद्धि-विवेक की शक्ति का और इनकी प्रतिभा के पथ-प्रदर्शन का लाभ मिलता रहे।

हमारे विश्वविद्यालय के इन नये स्नातकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से जीवन में साहसिक कार्य किये हैं। आज उनका स्वागत करते हुए हमें आनन्द हो रहा है।

कुछ भूमिकाएँ

लोकतंत्र और शिक्षा*

नये भारत का जन्म एक ऐसी क्रान्ति से हुआ है जो अनिवार्यत गान्ति-मय और अहिंसक थी। भारत ने लोकतंत्र स्थापित करने का व्रत ले रखा है। यूरोप में जो बौद्धिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक आन्दोलन समय-समय पर हुए, वे सभी एक ही साथ भारतवर्ष में उफन रहे हैं। भारत की भावी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी प्रगति अन्य राष्ट्रों में सदियों की अवधि में हुई, उतनी प्रगति वह अगामी कुछ ही वर्षों में कर ले। नये समाज की स्वरूप-रचना के लिए शिक्षा एक अत्यन्त आवश्यक साधन है। सरकार तो नये आदर्शों के अनुसार शिक्षा में नये-नये परिवर्तन कर ही रही है, निजी शिक्षण संस्थाएँ भी उदार, मानवीय और निष्पक्ष भावना से शिक्षा का पुनर्निर्माण करने की चेष्टा कर रही है।

कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने नागरिकों को केवल भोजन, वस्त्र तथा आश्रय देना ही नहीं होना चाहिए, वरन् उनको इस प्रकार शिक्षित करना भी होना चाहिए, जिससे वे विभिन्न प्रजातियों, सम्प्रदायों तथा प्रान्तों के होते हुए भी भाई-भाई की तरह साथ-साथ रह सकें। हमारे यहाँ की विभिन्न संस्थाओं का यह उद्देश्य रहा है कि शिक्षा का उपयोग लोकतंत्र के लिए हो, एक ऐसे एकल (unitary) राज्य की स्थापना के लिए हो, जिसमें स्थानीय स्वार्थों और विघटनकारी महत्वा-

*श्री जोसलीन हेनेसी द्वारा विडला-शिक्षा-प्रतिष्ठान की विभिन्न प्रवृत्तियों पर लिखी एक पुस्तक में भूमिका— 3 मार्च, 1954।

काक्षाओं को गौण स्थान प्राप्त हो ।

लोकतंत्र का हित और व्यक्ति का हित एक है, दोनों का उद्देश्य एक है । स्वतःस्फूर्त प्रेरणा और प्रयास से युक्त मनुष्य की स्वतंत्र चेतना तथा लोकतंत्र में अवरोध है । जिस व्यक्ति के विचारों और अनुभूतियों पर मेड नहीं लगा दी गयी है, उन्हें अवरुद्ध नहीं कर दिया गया है, उसके पास अपनी आन्तरिक सम्पत्ति होती है, जिस पर उसका, केवल उसका ही अधिकार होता है । अन्तःकरण के इस पवित्र मन्दिर का निर्माण उसने स्वयं किया होता है । जब कोई मनुष्य अपने पवित्र अस्तित्व का महत्त्व समझने लगता है, तब उसका मन और उसकी चेतना पवित्र हो जाती है । ऐसे व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति के पवित्र आन्तरिक मन्दिर में प्रवेश करते हुए काँपने लगता है । असहिष्णुता मूलतः अपवित्रता है । यदि हम अपनी शिक्षा को यह आध्यात्मिक दिशा नहीं देते, तो यह अपने प्रयोजन में असफल रहती है ।

“साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम् ।”

जो लोग विद्वान् तो हैं, पर जिनके पास प्रेम नहीं है, वे वास्तव में पेशाचिक बन जाते हैं । ऐसे लोगों में बौद्धिक उद्दण्डता, आध्यात्मिक मूढ़ता और हार्दिक निष्ठुरता पायी जाती है ।

नारी को विकास की पूर्ण स्वतंत्रता हो*

नारी जाति की राजनीतिक मुक्ति इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आज हम मानने लगे हैं कि नारियाँ भी मनुष्य हैं, उनका भी अपना व्यक्तित्व है और वे पुरुषों की केवल उपासग (adjunct) नहीं हैं। बौद्धिक जीवन बिताने और अपना आध्यात्मिक विकास करने का उन्हें भी अधिकार है। एक बौद्ध भिक्षुणी पूछती है—“नारी-प्रकृति हमारे मार्ग में किस प्रकार बाधक हो सकती है?” प्रत्येक स्त्री को आत्मसाक्षात्कार की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

यद्यपि सभी स्त्रियों को एक ही साँचे में नहीं ढाला जा सकता, तथापि स्त्री के लिए सामान्य जीवन तो विवाह और मातृत्व का जीवन ही है। विवाह का उद्देश्य व्यक्तिगत सुखोपभोग नहीं है, वरन् कर्तव्य-पालन में नर-नारी का सहयोग ही इसका उद्देश्य है। पत्नी सहघर्मचारिणी होती है।

क्योंकि पौराणिक नारियाँ सामान्यतया अपने अधिकारों की माँग उठाकर हल्ला नहीं करती, न वे अपनी श्रेणी बघारती हैं, इसलिए हमको यह तर्क नहीं करना चाहिए कि वे दासियाँ हैं। नारी में उसकी विनम्रता ही सबसे अधिक आकर्षक होती है, लज्जा ही उसका भूषण है।

नारी का नारीत्व उसकी प्रजाति या राष्ट्रीयता से सम्बन्धित नहीं है। इसका सम्बन्ध तो उसके अन्तरतम स्वभाव से है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी महिलाएँ सार्वजनिक कार्य में भाग लेते समय अपने उन

*‘मञ्जरी’ की सन्देश : १० अप्रैल, १९५४।

आवश्यक गुणों को बनाये रखेगी, जिन्होंने इस प्रजाति को सभ्य बनने में योग दिया है।

५

“प्रत्येक युग में भारत ने ऐसी लाखों नारियाँ उत्पन्न की हैं जिन्हें कभी प्रसिद्धि नहीं मिली, किन्तु जिनके नित्य-प्रति के जीवन से समस्त प्रजाति को सभ्य होने की प्रेरणा प्राप्त हुई। उनके हृदय का प्रेम, आत्म-बलिदान के लिए उनका उत्साह, उनकी सहज निष्ठा, कष्ट-सहन की उनकी क्षमता अत्यन्त कठोर परीक्षाओं से गुजर चुकी है। और जब-जब ऐसा हुआ है, उनके साहसिक कृत्यों ने इस प्राचीन प्रजाति के गौरव में वृद्धि की है।”

—डॉ० राधाकृष्णन्, कलकत्ता सन् १९५२,
'रिलीजन एण्ड सोसाइटी' द्वितीय संस्करण,
पृ० १९७-१९८

“ईशावास्यमिदं सर्वम्”*

निष्ठापूर्ण कार्यों के आधार पर ही मानव-प्रगति का निर्माण हुआ है। जिन निष्ठापूर्ण कार्यों पर हमारी सभ्यता आधारित है, उनका मूल हमें उपनिषदों के सिद्धान्तों में मिलता है। आज जब हम देश के जीवन में एक नये युग का श्रीगणेश करने जा रहे हैं, तब हमें प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उपनिषदों के समीप जाना चाहिए। उनमें वे सिद्धान्त निहित हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को इसके उषःकाल से ही अपने साँचे में ढाला है। जहाँ कहीं हम असफल हुए हैं, वहाँ हमारी असफलता का कारण रहा है उपनिषदों की शिक्षाओं के प्रति हमारी अभक्ति। इसलिए हमारी पीढ़ी के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह उपनिषदों के महत्त्व को हृदय-गम करे और हमारी आज की समस्याओं को उनसे क्या सहायता मिल सकती है, इस पर विचार करे।

उपनिषदों का पठन हल्के ढंग से नहीं होना चाहिए। उन पर मनन करना चाहिए। उदाहरण के लिए ‘ईशोपनिषद्’ का प्रथम श्लोक ही लीजिए—

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चजगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृध कस्यस्विद् धनम् ॥”

अर्थात् इस गतिशील जगती में जो कुछ दिखायी दे रहा है, उस

*प्रो० सत्यव्रत द्वारा किये उपनिषदों के हिन्दी अनुवाद के लिए डा० राधाकृष्णन् की भूमिका—२८ अप्रैल, १९५४।

सबसे ईश्वर का आवास है। इसलिए त्याग में ही आनन्द की उपलब्धि करो, परधन की कामना मत करो।

यह बताता है कि यह ससार घटनाओं की एक शाश्वत श्रृंखला है, जहाँ पर हर वस्तु दूसरी वस्तु को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहती है। किन्तु अतिक्रमण की यह क्रिया ही सब कुछ नहीं है। इसके भीतर परम आत्मा का निवास है, ईश्वर ने सब कुछ को परिव्याप्त कर रखा है। हमें संसार को बाहर से देखकर उसे केवल घटनाओं का अनुक्रम मात्र नहीं समझ लेना चाहिए, वरन् इसके अन्तस्तल में हमें महत्त्वपूर्ण ज्वलन्त तीव्रता के दर्शन करने चाहिए जो उस अनुक्रम में अन्तर्भूत रहती है। ससार की प्रत्येक घटना अन्तर्दृष्टि का ही बाह्य रूपान्तर होती है। प्रत्येक वस्तु को त्याग कर हम प्रत्येक वस्तु के स्वामी बन जाते हैं। जब हम यह अनुभव करते हैं कि समस्त विश्व में ईश्वर परिव्याप्त है, तब हम विष्णु के साथ तन्मय हो जाते हैं। ट्रेहर्न (Traherne) के शब्दों में —“समुद्र हमारी धमनियों में प्रवाहित है और नक्षत्र हमारे रत्न हैं।” जब हम सभी वस्तुओं को पवित्र भावना से देखते हैं, तब लोभ और अहंकार के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है ?

भूदान : एक क्रांतिकारी आन्दोलन*

सात वर्ष पहले हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किसी राष्ट्र के जीवन में यह अवधि अल्प ही कही जाएगी। किन्तु किसी ऐसी ही अवधि की तुलना में यह अवधि कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्रथम सात वर्ष उसके चरित्र की रूपरेखा स्पष्ट कर देते हैं और बहुतांश में उसके भविष्य को भी। राष्ट्र के लिए भी यही बात सत्य है। कई आलोचकों ने सत्ता-हस्तान्तरण के समय यह भविष्यवाणी की थी कि भारत देश-विभाजन के कुपरिणामों से संभल नहीं पाएगा, देश विश्व खलित हो जाएगा, प्रशासन छिन्न-भिन्न हो जाएगा, कानून का शासन समाप्त हो जाएगा और लोगों का जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं रह जाएगी। कई लोगों के हृदय भय से आतंकित थे और बहुत-से लोगों को आशा थी कि भारत की बधिया अचानक बैठ जाएगी। किन्तु, इन मित्रों और शत्रुओं को परिणामों से निराशा हुई है। हमारा देश आज भी सगठित है। छिन्न-भिन्न होने के स्थान पर यह ऐक्यवद्ध ही हुआ है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं, जहाँ सरकार के आदेश मान्य नहीं होते। प्रशासन आज भी पूर्ववत् व्यवस्थित है। कोई भी विदेशी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक निश्चय यात्रा कर सकता है और उसके जीवन तथा संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में

*श्री सुरेश रामभाई द्वारा विनोबा भावे के 'भूदान-आन्दोलन' पर लिखी पुस्तक की भूमिका लेखक डॉ० राधाकृष्णन्—सन् १९५५।

भी हमारी नीति को भले ही लोग सामान्यतः न स्वीकार करते हों, परन्तु उसको बहुतेका सम्मान अवश्य प्राप्त है। हमने सत्यनिष्ठा और विचार-स्वातन्त्र्य के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियाँ यद्यपि आश्चर्यजनक नहीं हैं, तथापि वे उपेक्षणीय भी नहीं हैं।

हमने राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए इतना लम्बा संघर्ष इसलिए नहीं किया और न राजनीतिक स्वतन्त्रता इसलिए प्राप्त की कि हम पुराने ढर्रे पर ही चीजों को चलाते रहे। हमारा लक्ष्य यथाशीघ्र सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति करना है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो जाति और वर्ग के भेद भाव से, हर प्रकार के शोषण से, सामाजिक, आर्थिक प्रजातीय और धार्मिक शोषण से मुक्त हो। हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा समाज अब भी गभीर आर्थिक अन्यायों से, सामाजिक दमन से, जातीय पूर्वाग्रहों से, साम्प्रदायिक ईर्ष्याओं से, प्रान्तीय अत्रुताओं से तथा भाषायी विद्वेषों से पीड़ित हो रहा है। ये हमारी योग्यता, हमारे साहस, हमारे विवेक को चुनौती दे रहे हैं। यदि हमें एक सभ्य समाज के रूप में जीवित रहना है, तो हमें इन बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए, किन्तु इसके लिए भी हमें सभ्य उपायों का ही अवलम्बन करना चाहिए।

समाजों की प्रगति में तीन अवस्थाएँ आती हैं। पहली अवस्था वह होती है जब समाज में जगल का कानून (जिसकी लाठी उसकी भैंस) प्रचलित होता है, स्वार्थपरता और हिंसा का बोलबाला रहता है; दूसरी अवस्था वह होती है जब कानून का शासन स्थापित हो जाता है, न्यायालयों में निष्पक्ष न्याय मिलने लगता है, पुलिस और वकीलों की व्यवस्था रहती है, तीसरी अवस्था वह होती है जब अहिंसा और निस्स्वार्थता का प्रसार होता है, कानून और प्रेम एक हो जाते हैं। जगल का शासन, कानून का शासन और प्रेम का शासन—ये समाज की प्रगति की तीन अवस्थाएँ हैं। इनमें से अंतिम—प्रेम का शासन—सभ्य मानवता का लक्ष्य होता है। यदि समाज में ऐसे नर-नागियों की संख्या बढ़ जाय, जिन्होंने स्वार्थमय महत्वाकांक्षाओं का परित्याग कर दिया हो, जिन्होंने

व्यक्तिगत हितो को छोड़ दिया हो, जो प्रतिदिन इसलिए बलिदान होते हो, ताकि अन्य मानव शान्ति और सुख से रह सके, तो यह लक्ष्य हमारे निकटतर आ सकता है। अच्छे मनुष्यों की तपस्या के बल पर ही यह ससार टिका है—‘सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति।’ आचार्य विनोवा भावे मे हमें एक ऐसे ही तपस्वी के दर्शन होते हैं जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रेम का शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

क्योंकि हम सभी लोगों को पैगम्बर या महात्मा नहीं बना सकते, इसीलिए हमको सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए कानून पर निर्भर रहना पड़ता है। आज समाज में परिवर्तन की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गयी है, अतः इस प्रसंग में भूदान-आन्दोलन का भारी महत्व हो जाता है। यह उन परंपराओं का पालन करने को कहता है जो भारतीय जीवन-पद्धति में निहित हैं। यह सामाजिक व्यवस्था को एक विस्तृत परिवार के रूप में देखता है। यह मान हमारी धार्मिक नैसर्गिक प्रवृत्ति को भली लगती है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो भौतिक सम्पदाओं में लिप्त न हों। आचार्य विनोवा भावे ने यह जो आन्दोलन छेड़ा है, वह क्रान्तिकारी है। समाज के प्रत्येक स्तर से उनकी अपील का जो स्वागत हुआ है, उससे पता लगता है कि हमारे देश की नैतिक सचिती अभी विशाल है। यह आन्दोलन निष्ठा-कर्म पर आधारित है। भले ही यह स्वयंसेवक भू-क्रान्ति न कर पावे, किन्तु यह विचारों की हवा पैदा करके ऐसी भूमिका प्रस्तुत कर रहा है जिसमें भूमि-सुधार के साहसपूर्ण उपाय कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

भारतीय दर्शन

हमारे दर्शन का लगभग तीन हजार वर्ष तक का इतिहास मिलता है। जिन तात्त्विक सिद्धान्तों ने इस देश को कई गताब्दियों तक प्रभावित रखा, उनका समावेश इस दर्शन में है। उन सिद्धान्तों में से एक प्रमुख सिद्धान्त यह है कि मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि उसके स्वभाव के विभिन्न पक्षों, शरीर, मन तथा आत्मा का सुसम्बद्ध विकास हो। केवल शारीरिक उन्नति अथवा बौद्धिक तत्परता ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के प्रयासों का लक्ष्य आत्मिक साक्षात्कार होना चाहिए। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई एक निर्धारित मार्ग नहीं है। यही कारण है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के आरम्भ से ही भिन्न-भिन्न धर्म आन्ति-पूर्वक इस देश में रहते आये हैं। भारतीय जनता ने आर्यों, द्रविड़ों, हिन्दुओं बौद्धों, यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों और मुसलमानों का स्वागत मुक्त हृदय से किया। इन धर्मावलम्बियों को अपनी विचार और अन्वेषण-पद्धति का विकास अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के अनुसार करने की पूर्ण सुविधा दी गयी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज हम अपनी वही 'जीसो और जीने दो' की नीति का अनुगमन कर रहे हैं।

सब धर्मों का मेल ही हितकर

आदिकाल से लेकर भारतीय सस्कृति अपने इस वर्तमान स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त हुई है और इसमें उसकी जो मूलभूत विशेषताएँ प्रकट हुई हैं, उनका उल्लेख डॉ० एस० आरविंद हुसेन ने अपनी इस पुस्तक* में किया है। उन्होंने योग्यता, सूक्ष्म और उद्देव्यपूर्वक इस विषय का निरूपण किया है। उनका मत है कि भारतीयों का जीवन के प्रति एक सामान्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है जिसके निर्माण में विभिन्न प्रजातियों और धर्मों ने योग दिया है। वे लिखते हैं—“भारतीय सस्कृति के कई हजार वर्षों के इतिहास से यह प्रकट है कि भारत के अनन्त प्रकार के जीवन में एकता का जो सूक्ष्म, किन्तु सवल सूत्र दिखायी देता है, वह सत्तारूढ दलों के द्वारा बलप्रयोग करके या दबाव डालकर नहीं गूँथा गया था, बरन् उसको गूँथा था ऋषियों की दूरदर्शिता ने, मन्तों की जागरूकता ने, दार्शनिकों के अनुमानों ने और कवियों तथा कलाकारों की कल्पना ने। और इन्हीं माधनों का उपयोग करके आज भी राष्ट्रीय एकता को अधिक विस्तृत, अधिक शक्तिशाली और अधिक स्थाई बनाया जा सकता है।”

यह कुछ विचित्र-सा लग सकता है कि जब हमारी सस्कृति की जड़ आध्यात्मिक आदर्शों में गड़ी है, तब हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता या नास्तिकता, या यहाँ तक कि भौतिक

*“इंडियन नेशनल इण्डिगनेसिटी एण्ड नेशनल कल्चर,” लेखक डॉ० एस० आरविंद हुसेन। भूमिका लेखक-डॉ० राधाकृष्णन् २० अप्रैल, १९५५।

सुखो पर बल देना भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि हम आध्यात्मिक आदर्शों की व्यापकता पर बल देते हैं और यह कहते हैं कि उसको विभिन्न मार्गों से चलकर पाया जा सकता है।

धर्म ऐसा अनुभव है जो मनुष्य में परिवर्तन ला देता है। यह ईश्वर से सम्बन्धित कोई सिद्धान्त नहीं है। यह आध्यात्मिक चेतना है। विश्वास और आचरण, सस्कार और समारोह, मतवाद और उनके अधिकारी व्याख्याता—ये सब आत्म-गोध की कला और दैवी शक्ति से सपर्क के सम्मुख घटिया चीजे हैं, बल्कि उनके अधीनस्त हैं। जब व्यक्ति समस्त बाह्य क्रियाकलापों से अपनी आत्मा को हटा लेता है, अपने को भीतर की ओर केन्द्रित करता है और एकाग्रचित्त होकर प्रयत्न करता है, तब उसको एक पवित्र, विचित्र, अद्भुत अनुभूति होती है, जो भीतर प्रखर होकर उस पर अपना अधिकार जमा लेती है, उसके अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाती है। जो लोग विज्ञानवादी और बुद्धिवादी हैं, उन्हें भी आध्यात्मिक अनुभवों की तथ्यता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तथ्य प्राथमिक और धनात्मक (positive) है। हम अध्यात्म विद्याओं को भले न स्वीकार करे, किन्तु हम तथ्यों को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? जीवन की जो अग्नि हमारे सामने जल रही है, वह इन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देती है। यह बात और है कि अलाव के चारों ओर बैठकर हुक्का गुडगुडाने वाले लोगों की फूहड़ कपोलकल्पना का भले ही तिरस्कार कर दिया जाए। जब कि सिद्धि (realization) एक तथ्य है, तब यथार्थ का सिद्धान्त अध्याहरण (inference) है। यथार्थ से सपर्क और उन के विषय में सम्मति—ये दोनों बातें अलग-अलग हैं, ईश्वरत्व का रहस्य एक चीज है और ईश्वर में विश्वास करना दूसरी चीज। किसी राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने का यही अर्थ है, यद्यपि लोग सामान्यतया इस अर्थ को समझते नहीं।

यह दृष्टिकोण भारतीय परंपरा के अनुकूल है। ऋग्वेद का ऋषि इसका समर्थन करता है कि यथार्थ या सत्य एक है, जब कि विद्वान् लोग उसका नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। अगोरु अपने द्वादश शिलालेख में घोषणा करता है—“जब कोई व्यक्ति अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे व्यक्ति के धर्म तथा उनकी आराधना-पद्धति का तिरस्कार करता है,

अपनी आराधना-पद्धति से उसे घटिया बताता है, तथा अपने धर्म को सब धर्मों से बढ-चढकर मानता है, तब वह व्यक्ति निश्चय ही अपने धर्म को क्षति पहुँचाता है। वास्तव में सब धर्मों का मेल ही हितकर है।” — ‘सम-वाय एव साधु ।’ शताब्दियों का अकबर ने फिर इस बात का समर्थन इन शब्दों में किया— “विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय ईश्वर के द्वारा हमको सौंपे हुए दैवी कोषागार हैं। इस नाते हमको सब धर्मों से प्यार करना चाहिए। हमें यह दृढ आस्था रखनी चाहिए कि सभी धर्मों को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। वह शाश्वत राजा है जो बिना भेद-भाव के सभी धर्मों पर अपने अनुग्रह की वर्षा करता है।” यही सिद्धान्त हमारे सविधान में सम्मिलित किया गया है। हमारा सविधान लोगों को तब तक अपने धार्मिक विश्वासों तथा सस्कारों का प्रचार और पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है जब तक वे हमारी नैतिक भावना के विरुद्ध नहीं जाते। हम जानते हैं कि एक सामान्य धरातल है जिस पर विभिन्न धार्मिक परंपराएँ स्थित हैं। इस सामान्य धरातल पर हम सबका अधिकार है, क्योंकि वह शाश्वत शक्ति से प्रसूत है। ऐतिहासिक अध्ययनों से और धर्मों की तुलना से जो मूलभूत विचार हमारे सम्मुख आये हैं, उन्हीं पर भविष्य की आशा टिकी है। इन विचारों से धार्मिक एकता में विश्वास जमता है और दूसरे धर्मों को समझने की सहानुभूति उत्पन्न होती है। यह हमें समझाते हैं कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही इस या उस धार्मिक सम्प्रदाय-विशेष के सदस्य हों, परन्तु हम सभी ईश्वर के अदृश्य मन्दिर के पुजारी हैं।

हिन्दू धर्म*

हिन्दू-धर्मविलम्बी मनुष्य धर्म का उद्देश्य व्यक्तित्व की सुसम्बद्धता मानता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने साथियों और परमात्मा के साथ समझौता करना सिखाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोनुकूल उपाय अपना सकता है। हिन्दू धर्म के वातावरण में तो निम्न-कोटि के साधन भी सुसंस्कृत बन जाते हैं। मध्यकाल के एक भारतीय रहस्यवादी ने लिखा था—“विभिन्न दीपको में अलग-अलग प्रकार के तेल हो सकते हैं, उनकी वृत्तिका भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है, किन्तु जब वे जलते हैं, तो उनमें एक जैसी ही गिखा और ज्योति निकलती है।”

जिन लोगों का शक्ति-स्रोत उनकी आत्मा होती है, वे समस्त मानव जाति के लिए कष्ट-सहन करते हैं। उनके सामने जाति, वर्ग, मतवाद या सम्प्रदाय के विभेद कोई महत्त्व नहीं रखते। धर्म के सत्य तो नाश्वत होते हैं, परन्तु सामाजिक स्वरूप और संस्थाएँ अस्थायी होती हैं। प्रत्येक पीढ़ी को उनकी जाँच करके देख लेना चाहिए कि वे जीवन के म्यायी आदर्शों को व्यवहृत करने की क्षमता रखती हैं या नहीं। हमारी कुछ संस्थाएँ तो बहुत पुरानी पड गयी हैं, उनको पूरी तरह ममाप्त करने की

*प्रो०टी० एम० पी० महादेवन् द्वारा हिन्दू धर्म पर लिखी पुस्तक की भूमिका १४ दिसम्बर, १९५५।

नहीं, तो कम से कम, उनका सुधार करने की तो आवश्यकता है ही । अतीत में, धार्मिक भावावेश के कारण कुछ भद्दे रिवाज पड़ गये थे । धर्मान्धता ने पशुओं की बलि, अश्लील सस्कारों और जातिगत दमनकारी नियमों को प्रेरणा दी एवं उनका समर्थन किया । हमारे धर्मशास्त्र जन्म या जाति के आधार पर भेदभाव रखने का समर्थन नहीं करते, वे गुण और कर्म पर बल देते हैं । निम्नलिखित श्लोक पर ध्यान दीजिए—

“नर्तको गर्भसम्भूतो वशिष्ठोनाम महाऋषि ।
 तपसा ब्राह्मणो जात , तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
 चण्डालो गर्भसम्भूत शक्तिर्नाम महामुनि ।
 तपसा ब्राह्मणो जात , तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
 श्वपाको गर्भसम्भूत परशरो महामुनि ।
 तपसा ब्राह्मणो जात , तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥
 मत्स्यगन्ध्यास्तु तनयो विद्वान् व्यासो महामुनि ।
 तपसा ब्राह्मणो जात , तस्मात् जातिर्नकारणम् ॥”

तिरुक्कुरल कहते हैं—“सभी व्यक्ति जन्म से बराबर हैं । उनमें केवल व्यवसायों के कारण अन्तर आता है ।” (१६७२)

हम आज ऐसे युग में रह रहे हैं जब धर्म पर से लोगों के विश्वास की जड़ हिल गयी है, धार्मिक मतों की सत्यता और उपयोगिता पर सन्देह किया जाता है और परंपराएँ विखरती जा रही हैं । हिन्दू धर्म यथार्थ या सत्य के अनुभव पर बल देता है और प्रेम का सन्देश देता है, इसलिए आधुनिक लोगों को वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ।

बौद्ध धर्म*

सन् १९३८ मे चीन-जापान-युद्ध के समय, गान्धी जी ने एक जापानी राजनीतिज्ञ से कहा था कि हमें बुद्ध के सन्देश को पुनः सीखना चाहिए और मसाले में उसको फैलाना चाहिए। उनके शब्द थे—“आजकल सर्वत्र इसके विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए केवल एक सन्देश है आपको अपनी प्राचीन वपौती के प्रति सच्चा रहना चाहिए। यह सन्देश २५०० वर्ष पुराना है, परन्तु अभी तक इसका मच्चे ग्रथ में पालन नहीं हुआ है।” इस वर्ष जब हम बुद्ध के परिनिर्वाण की २५००वीं वर्षीय मना रहे हैं, तब बुद्ध की कहानी का सरल, रोचक लेखा प्रस्तुत करना उचित ही है। उसमें हमें पता चलेगा कि उनके जीवन और कार्य के रूप में मानवीय विचारणा तथा अनुभूति किस ऊँचाई तक पहुँच चुकी थी।

भारतीय दृष्टि में धर्म, चाहे वह हिन्दू धर्म हो या जैन या बौद्ध, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा व्यक्ति को जीवन के उच्चतर स्तर तक उठाने का प्रयास है। डॉ० गागुली ने जिन्होंने अपने जीवन के प्रतिम वर्षों को धार्मिक जीवन की समस्याओं के अध्ययन-मनन में व्यतीत किया, यह समझने का प्रयत्न किया है कि बुद्ध मनुष्यों में मनुष्य थे, वे एक ऐसे मानवतावादी थे जो इस धार्मिक समस्या में तब

* “बुद्ध और उनका सन्देश” (अंग्रेजी) . संपादक : डॉ० एन० गागुली की भूमिका। लेखक—डॉ० राधाकृष्णन्।

रखते थे कि मनुष्य मृत्यु के बन्धनो से अपने को कैसे मुक्त कर सकता है। हम काल-चक्र में फँस गये हैं, क्योंकि हमको जो होना चाहिए था, वह हम अभी तक नहीं हो पाये हैं। यदि हम काल-चक्र से अपने को छुड़ाना चाहते हैं तो हमें आत्म-सयम का अभ्यास करना चाहिए। उपवास और प्रार्थना के द्वारा, मौन और पवित्रता के द्वारा, हम स्वभाव की स्वैच्छिकता से अपने को विलग कर लेते हैं। हम अपने बन्धन तोड़कर नियमित जीवन बिताते हैं। बन्धन-विमुक्त होने का अर्थ है स्वतंत्रता का आस्वादन। यह, जो वस्तु हमारी नहीं है, उसको अपने से दूर रखना है। यह इस बात को जान लेना है कि कोई वस्तु है जो 'अजात' है, 'अभूत' है, 'अकृत' (अकृत) है, 'असञ्जत' (असयत) है, 'अमत' (अमृत) है, जो गतिशील (flux) या विकासशील (becoming) का उल्टा है।

“परिवर्तन श्री” ह्लास देखता मैं अपने चहुँ ओर।

तू ही है, प्रभु! एक, नहीं जिसमें परिवर्तन-कोर ॥”*

बुद्ध स्वयं को 'ब्रह्मभूत', अर्थात् जो ब्रह्म हो गया हो, कहते हैं। जब हम इस प्रज्ञा में अवस्थित होते हैं, तब घमण्ड, घृणा और पाखण्ड हमसे दूर हो जाते हैं। हम असहिष्णु के साथ सहिष्णु हो जाते हैं, उग्र के साथ शान्त हो जाते हैं, रागी व्यक्तियों के बीच रहकर भी विरागी बन जाते हैं।

धर्म और उत्सव, सस्कार और शास्त्रोक्त विधियाँ—सब हमको हमारे भीतर छिपी दैवी शक्ति को खोजने में सहायता देने के लिए हैं। वे तो साधन-मात्र हैं, साध्य तो है आध्यात्मिक जीवन। अतः उनके विषय में आपस में झगड़ना निरर्थक है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो दूसरों के मत के साथ अपनी पटरी बैठा सकता है, वह विभिन्न धर्मों द्वारा घोषित अतिम सत्यो की सर्वव्यापकता को समझता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए भी दूसरे धर्मों में जो कुछ मूल्यवान् है, उसे आत्मसात् करके अपनी उन्नति कर सकता है। दूसरों के

*“Change and decay in all around I see O Thou who changest not”

१००/१०१

धर्म की मूल्यवान् बातों को वह तब तक अपनाना नहीं छोड़े जब तक वे वास्तव में उसके अपने धर्म के साथ आध्यात्मिक रूप से अनमेल न हों। आध्यात्मिक उन्नति का यही नियम है।

बुद्ध हमसे कहते हैं कि धार्मिक विषयों में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरों से अपने को श्रेष्ठ या ऊँचा नहीं समझना चाहिए। 'अन-अहंकार' व्यक्तियों तथा राष्ट्रों दोनों के लिए आवश्यक है। आज के हमारे युग में सभी व्यक्ति अपने कार्य की सत्यता और औचित्य सिद्ध करने पर तुले हैं, इसमें धर्म-युद्ध का सा जोश वे दिखाते हैं, परन्तु उनमें विनम्रता का अभाव है। हमको समस्त ससार को अपना ही समझना सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारा अपरिचित नहीं है, कोई मानव प्राणी हमारा शत्रु नहीं है। "आपस में किसी को धोखा मत दो। किसी को भी, कहीं भी, घृणा न करो। क्रोध में आकर अपने शरीर, शब्दों या विचारों से किसी को पीडा मत पहुंचाओ। जैसे माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा अपना प्राण देकर भी करती है, वैसे ही अपना असीम स्नेह तुम समस्त प्राणियों को दो। अपने ऊपर, अपने नीचे, अपने चारों ओर तथा समस्त ससार में तुम अपने असीम स्नेह का विस्तार करो, तुम्हारे मन में किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा न हो, किसी के प्रति शत्रु-भावना न हो।"—सुत्त निपात

बौद्ध धर्म के दशशील

सिद्धो और पैगम्बरों के उपदेशों को संसार की मान्यताएँ अपने अनुकूल तोड़-मरोड़ लेती हैं और पुरोहितों द्वारा उनकी मनमानी व्याख्या की जाती है। यदि हम निश्चय करना चाहते हैं कि महान् धर्मों के संस्थापकों ने क्या शिक्षा दी थी, तो हमें मूल-स्रोत तक पहुँचना चाहिए।

बौद्ध धर्म के सभी स्वरूप बुद्ध के जीवन और उपदेशों में सम्बन्धित हैं। ज्ञान या बोध प्राप्त करने के पहले तक बुद्ध ने जो तपस्याएँ की थी, हीनयान या पालि या दक्षिणी स्कूल उनसे प्रभावित हैं, ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् पैतालीस वर्षों तक बुद्ध ने जो सेवा और करुणामय जीवन बिताया महायान या संस्कृत या उत्तरी स्कूल उसको अपना अधिकृत स्रोत समझता है।

संसार की अपूर्णता और दुःख का भान होने पर ही धार्मिक खोज प्रारम्भ होती है। जिन प्रश्नों ने टॉल्सटॉय को उनके ५०वें वर्ष में परेशान किया था, वे सभी विचारवान् व्यक्तियों को विचलित करते हैं। 'जीवन क्या है? मुझे क्यों जीना चाहिए? मैं क्यों कुछ करूँ? क्या जीवन में कोई ऐसा सार-तत्त्व है जो अपरिहार्य मृत्यु पर विजय पा सके?' निजिन्स्की (Nijinzky) ने इस सारी समस्या पर विचार किया था और

भारत सरकार ने बुद्ध की २५००वीं महापरिनिर्वाण वर्षी के अवसर पर बौद्ध धर्म के कुछ पालि और संस्कृत ग्रंथों को हिन्दी में प्रकाशित किया था, उनकी यह भूमिका डॉ० राधाकृष्णन् ने लिखी थी।

उसने अपनी डायरी में लिखा था—“मेरी पत्नी और समस्त मानव जाति का संपूर्ण जीवन मृत्यु है।” धर्म के सामने भी यही समस्या है।

बुद्ध ने दुःख का कारण स्वार्थमय इच्छा को बताया है। एक ओर तो जीवित प्राणी की अनिवार्य प्रेरणा अपने को विश्व के केन्द्र में स्थापित करने की चेष्टा करती है और दूसरी ओर, वह शेष सृष्टि के अधीन रहती है। इस प्रकार जो तनाव पैदा होता है, वही मनुष्य के दुःख का कारण बनता है। लालसा तो उसे कहते हैं जो व्यक्ति को रचनात्मक प्रक्रिया में बाध दे। स्वार्थवृत्ति रखनेवाला व्यक्ति विश्व का दास बन जाता है। यदि हम केवल ‘तृष्णा’ या ‘तण्हा’ से छुटकारा पा जाएं, तो हम दुःख पर विजय पा सकते हैं। आत्म-प्रवचना के विविध उपायो द्वारा दुःख से छूटने का उपक्रम दुःख को मिटाता नहीं, वरन् भिन्न प्रकार से वह मनुष्य को दुःखी बनाता है।

बुद्ध ने नैतिकता का अष्टांग मार्ग निर्धारित किया है जिससे स्वार्थ-वृत्ति के शासन में और दुःख पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जब उपनिषद् यह कहते हैं कि ‘तत् त्वमसि’—‘वह तुम हो’—तब वह किसी तथ्य का निरूपण-मात्र नहीं करते। यह तो क्रियाशील होने के लिए एक आह्वान है। अपने को वही बनाओ जो तुम जानते हो कि तुम बन सकते हो। जहाँ हिन्दू मन व्यक्ति में एक ऐसे स्थायी तत्त्व के होने का विश्वास करता है, जिस पर परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहाँ बौद्ध व्यक्ति आत्मा (self) के गत्यात्मक (dynamic) स्वभाव में विश्वास करता है। जो चेतना स्वयं अपरिवर्तनीय है वह दूसरों में परिवर्तन ले आवे, यह सम्भव नहीं है। हममें विकास की जो सम्भावनाएँ निहित हैं, उनको हम अपनी इच्छाशक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके नहीं। धर्म कोई मतवाद (creed) नहीं है, वरन् वह एक प्राणवन्त प्रक्रिया है। जब हम स्वयं अपने अपमान के रचयिता हैं, तब ईश्वर या प्राण्य को कोमने में क्या लाभ? यदि कुछ लोग ही अपमान के भागी बनते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे कुछ लोग ही उनके भागीदार बनना चाहते हैं। बुद्ध ने मानव की रचनात्मक गन्तव्यता पर बल दिया था। बुद्ध ने अलौकिक शक्ति पर निर्भर रहने को प्रोत्सा-

हित नहीं किया। वह किसी ऐसी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते थे जो सृष्टि-रचना में तो समर्थ हो, पर इस कार्य को करने में उसका प्रकट प्रयोजन यह हो कि सृष्टि के सभी प्राणी उसकी प्रशंसा करें। बौद्ध धर्म में नवदीक्षित व्यक्ति जिन दस 'वेरमणी' या निषेधो या निग्रहो की चर्चा करते हैं, जिन्हे 'दशशील' या 'दशगिष्ठापद' भी कहते हैं, उनको इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है—“मै (१) अपने जीवन का नाश करने से, (२) अदत्त को प्राप्त करने से, (३) अपवित्र जीवन बिताने से, (४) असत्य-भाषण से (५) मादक द्रव्यों का सेवन करने से, (६) समय-असमय भोजन करने से, (७) सगीत और नृत्य तथा अन्य खेल-तमाजे देखने से, (८) पुष्पहार, इत्र, तेल-फुलेल लगाने से, (९) ऊँची कुर्सियों या आसनो पर बैठने से और (१०) सोने-चादी के उपहार प्राप्त करने से अपने को विरत रखने का व्रत लेता हूँ।” इनमें से प्रथम पाँच बौद्ध धर्म के 'पंचशील' कहलाते हैं।

पाणातिथता वेरमणी सिक्खापद समादियामि ।

अदिन्नादान वेरमणी सिक्खापद समादियामि ॥

कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापद समादियामि ।

मुसावादा वेरमणी सिक्खापद समादियामि ॥

सुरा - मेरयमज्जा - पमादट्ठाना वेरमणी

सिक्खापद समादियामि ॥

ससार में जो सघर्ष दिखाई दे रहे हैं, वे मानव-आत्मा के सघर्षों के ही विस्तार हैं। यदि लोग अपनी अन्तरात्मा में शान्ति अनुभव करते होते, तो राष्ट्रों के बाह्य सघर्षों को भी अपरिहार्यत रोक जा सकता था। बुद्ध के पंचशीलो का अभ्यास करके हम अपने में धैर्य, साहस, प्रेम और निस्स्वार्थता आदि गुणों का विकास कर सकेंगे। बुद्ध हमें बताते हैं कि चिंता और हिंसा के युग में भी आन्तरिक समरसता (harmony) प्राप्त की जा सकती है और उसकी रक्षा हो सकती है। बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

“निर्वाण परमं सुखम्।” निर्वाण में उच्चतम आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। यह परिगून्यन (annihilation) की निषेवात्मक दशा नहीं

है, वरन् आनन्द की विधेयात्मक दशा है। चेतना का विकास दुःख से आनन्द की दशा की ओर होता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि मनुष्य प्रकृति के अगान्त तल पर मात्र एक बुद्बुद् है और विलयन के अतिरिक्त उसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है। हिन्दू धर्म की मान्यता है कि मनुष्य, ब्रह्म से जो समस्त जीवन का स्रोत है, एकात्मता अनुभव कर सकता है। बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य एक ऐसे रूपान्तरित ससार में रह सकता है जिसमें 'संसार' और 'निर्वाण' एक हो जाते हैं। 'महासुच्चक सुत्त' में बुद्ध द्वारा अपनी जिज्ञासा के लक्ष्य तक पहुँचने की परम सफलता का वर्णन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार अंकित है—

“जब यह ज्ञान, यह अन्तर्दृष्टि मुझ में आविर्भूत हुई तब मेरा हृदय वासनाओं व मादकता से मुक्त हो गया, भवनीयताओं (becomings) की मादकता से मुक्त हो गया, अज्ञानता की मादकता से मुक्त हो गया। इस प्रकार से मुक्त हुआ मैं उस मोक्ष के प्रति निश्चित हो गया और मुझे ज्ञात हुआ “पुनर्जन्म का अन्त हो गया है। उच्चतर जीवन परिपूर्ण हो चुका है। जो कुछ करना था, वह किया जा चुका है। इस वर्तमान जीवन के पश्चात् यह या वह कोई अन्य जीवन नहीं है। यह अन्तिम अन्तर्दृष्टि मुझे रात्रि के अन्तिम प्रहर के जागरण में प्राप्त हुई। अज्ञानता की पराजय हुई, अन्तर्दृष्टि जगी, अन्धकार का विनाश हुआ, प्रकाश आया और यह हुआ इसलिए, क्योंकि मैं सतत प्रयत्नशील रहा, तत्पर रहा और अपने ऊपर मैंने नियंत्रण रखने की चेष्टा की। इस प्रकार छ लम्बे वर्षों के द्वन्द्व का अन्त हुआ।”

बुद्ध को वैद्य कहा जाता है। जिन तरह कोई वैद्य किसी रोगी को स्वस्थ बनाता है, उसी तरह बुद्ध हमें हमारी सामान्य स्थिति में पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। यदि हमारे नेता सामान्य (normal) बन जायें, तो हम इस वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, जिसमें विभेद, अन्याय और हिंसा का बोलवाला है, के स्थान पर एक नवीन समाज-व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जिसमें मानवता, भय और वन्द्यत्व का राज्य होगा।

• • •

हमारे अन्य प्रकाशन

बाल उपन्यास		
रानी वीरमती	कमल शुक्ल	२५०
नौ महले का शेर	"	२५०
सूरी सम्राट शेरशाह	"	२५०
चित्तौड़ का चिराग	"	२५०
अन्धे कुए का देव	राजेन्द्र शर्मा	२५०
अस्सी घाव	कमल शुक्ल	२५०
मुगलो को चुनौती	"	२५०
हीरा भील का महल	"	२५०
कठपुतली नवाव	"	२५०

जीवनोपयोगी साहित्य

विशाल हिमाचल	हसराम दशक	२५०
भगिनि निवेदिता	परमेश्वर प्रसाद सिंह	४००
गुरु नानक देव	नरेन्द्र पाठक	२५०
डा० जाकिर हुसैन	"	२५०
इन्दिरा गाधी	"	२५०
जवाहर लाल नेहरू	"	२५०
बादशाह खान	जय प्रकाश शर्मा	२५०
चन्दशेखर आजाद	जगन्नाथ प्रसाद मिश्र	२००
सरदार भगत सिंह	"	२००
घाटियो के स्वर	"	३५०
जय राजस्थान	हसराम दशक	२५०
गुरु गोविन्दसिंह		
जीवन और दर्शन	स० नारायण भक्त	४५०

सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली-७

हमारा उपन्यास साहित्य

गहराईयां	श्रीराम शर्मा राम	६.००
मा भारती	एस. डी. भारती	१०.००
सिन्दूर दान	त्रिभुवनपति सिंह	७.००
सपनों की राख	नरेन्द्र शर्मा	७.५०
और उसके बाद	दत्त भारती	५.००
शराबी का दिल	रमेश भारती	५.००
घूँघट और घुघरू	यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र	५.००
पार्लियामेंट स्ट्रीट	निमाई भट्टाचार्य	५.००
भूला भटका	साधना प्रतापी	४.५०
इन्तजार	नरेन्द्र शर्मा	५.००
खूनी फिल्म	जेम्स वाड	४.५०
कमला	गरत्	५.५०
डा० जिवागो	वोरिस	५.५०
लाल साहब	शुकदेव सिंह सौरभ	५.५०
वसन्त	"	६.००
स्वर्ग की आकी	"	६.५०
कसौटी के पत्थर	अभयकुमार याँचेय	४.५०
तट के पछी	श्रीराम शर्मा 'राम'	५.००
आधी का उत्तर	"	५.५०
घूप और बादल	"	४.५०
जहागीर	"	४.५०
छोटे साहब	भगवती प्रसाद बाजपेयी	७.५०

सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली-७

